दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

नवंबर भाग-2

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) 7
- LGBTQ अधिकारों के लिये महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 8
- पहला ऑडिट दिवस : कैग 10
- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 11
- रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स-2021 13
- PMGSY-I एवं II और RCPLWEA परियोजना को जारी रखना 14
- RERA की पूर्वव्यापी व्याख्या 15
- समान नागरिक संहिता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय 17
- विधेयकों पर निर्णय लेने का राज्यपाल का अधिकार: वीटो पावर 19
- एक कानून को निरस्त करना 20
- 5 राज्यों के आकांक्षी ज़िलों के लिये यूएसओएफ योजना 21
- कृषि कानूनों को निरस्त करना 22
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण 24
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 25
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट 27
- पेसा अधिनियम 28
- ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 30
- एसडीजी शहरी सूचकांक: नीति आयोग 31
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 33
- आधार 2.0 कार्यशाला 34
- ओ-स्मार्ट योजना 35
- रिवर सिटीज एलायंस 37
- महिलाओं से संबंधित आँकड़े: एनएफएचएस 5 38

नोट :

- संविधान दिवस: 26 नवंबर 40
- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र 41
- राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स 42
- गेरीमैंडरिंग और अमेरिकी लोकतंत्र 43
- इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम 45

आर्थिक घटनाक्रम 47

- क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन 47
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: यूपी 48
- ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 49
- शेल तेल 50
- भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता 51
- डिजिटल ऋण के लिये प्रस्तावित मानदंड: आरबीआई 52
- अमेरिका द्वारा अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार का दोहन 54
- विश्व मत्स्य दिवस: 21 नवंबर 56
- PMC और USF बैंक के एकीकरण की मसौदा योजना: RBI 58
- घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 59
- कॉफी उत्पादन में गिरावट 60
- भारत-अमेरिका डिजिटल कर समझौता 62
- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' 63
- सीमा पार दिवालियान की कार्यवाही के लिये मसौदा रूपरेखा 65
- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक : नीति आयोग 67
- औद्योगिक समूह और बैंकिंग 69
- ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट' स्कीम 71
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 72

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 75

- बिडेन-शी शिखर सम्मेलन 75
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 76
- सिडनी डायलॉग 78
- कुलभूषण जाधव केस 79

नोट :

- भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम 80
- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पहला रिस्पांडर 82
- 9वीं ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक 83

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 85

- IRNSS-नाविक: इसरो 85
- सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल: रूस 86
- सबसे तेज़ 'स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ': J0240+1952 87
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध 88
- हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome) 90
- टुंड्रा उपग्रह: रूस 91
- बच्चों में मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम 92
- ओमिक्रॉन : नया कोरोना वेरिएंट 94

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 96

- अमेज़न वनों का उन्मूलन 96
- सफर 97
- गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी: यूनाइटेड किंगडम 98
- भूजल का ह्रास 100

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 103

- मौसम की भविष्यवाणी 103
- भूकंप 104

इतिहास 106

- महान प्राचीन शासक: सिकंदर और चंद्रगुप्त 106

सामाजिक न्याय 109

- आंतरिक विस्थापन 109
- विश्व मधुमेह दिवस 110
- सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान 111

नोट :

- सीखने की प्रक्रिया पर कोविड-19 का प्रभाव: ASER 2021 113
- कोविड-19 के कारण लैंगिक समानता को खतरा: यूनेस्को अध्ययन 115
- शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी' पर रिपोर्ट 116
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021 117
- भारत की घटती कुल प्रजनन दर 119
- STEM में महिलाओं की भागीदारी 121

आंतरिक सुरक्षा 123

- स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 123

चर्चा में 125

- करतारपुर कॉरिडोर का पुन:संचालन 125
- देवसहायम पिल्लई 125
- सिटमैक्स-2021 126
- 'दुआरे राशन' योजना: पश्चिम बंगाल 128
- बाबासाहेब पुरंदरे 129
- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 2021 129
- नागरिक उड्डयन हेतु ई-गवर्नेंस 130
- सिंधु नदी डॉल्फिन 131
- पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना 132
- हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 132
- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना: MSME 133
- परियोजना समहती: उड़ीसा 134
- यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिये 'माटोसिन्होज़ मेनिफेस्टो' 135
- इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 136
- शक्ति: उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट 137
- वीरता पुरस्कार 137
- भारत गौरव योजना 139
- 37वाँ भारत-इंडोनेशिया कॉर्पेट 139
- त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती': भारत-मालदीव-श्रीलंका 140
- एक्रॉस योजना 141

नोट :

➢ स्वदेश परियोजना 142

विविध 143

➢ करतारपुर कॉरिडोर का पुन:संचालन 143
➢ देवसहायम पिल्लई 144
➢ सिटमैक्स-2021 144
➢ पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार : यूएनडब्ल्यूटीओ 145
➢ 'दुआरे राशन' योजना: पश्चिम बंगाल 146
➢ बाबासाहेब पुरंदरे 147
➢ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 2021 148
➢ नागरिक उड्डयन हेतु ई-गवर्नेंस 148
➢ सिंधु नदी डॉल्फिन 149
➢ पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना 150
➢ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 151
➢ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना: MSME 151
➢ परियोजना समहती: उड़ीसा 153
➢ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 154
➢ शक्ति: उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट 155
➢ वीरता पुरस्कार 156
➢ भारत गौरव योजना 157
➢ 37वाँ भारत-इंडोनेशिया कॉर्पेट 158
➢ त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती': भारत-मालदीव-श्रीलंका 158
➢ एक्रॉस योजना 159
➢ स्वदेश परियोजना 160

The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

चर्चा में क्यों ?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI) भुगतान प्रणाली ने आश्चर्यजनक तरीके एवं तीव्रता से भारत को सामाजिक-आर्थिक आधार पर डिजिटल रूप से विभाजित कर दिया है।

- भले ही UPI वास्तव में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण नवाचार है, फिर भी कई संस्थान और व्यवसाय इस भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा मानकों को लेकर आशंकित है।

प्रमुख बिंदु

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):
  - यह तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service- IMPS) जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिये चौबीस घंटे धन हस्तांतरण सेवा है, का एक उन्नत संस्करण है।
  - UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) द्वारा, कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है।
  - वर्तमान में UPI नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), RuPay आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है।
  - आज के शीर्ष UPI ऐप्स में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे , अमेज़न पे और भीम एप शामिल हैं।
  - वर्ष 2016 में NPCI ने 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया था।
- उपलब्धियाँ:
  - वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान UPI के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई और कई देशों ने भारतीय अनुभव से सीखने में रुचि दिखाई है ताकि वे भारतीय मॉडल का उपयोग कर सकें।
  - NPCI के आँकड़ों के अनुसार, UPI का उपयोग करके किये गए लेन-देन का मूल्य अक्तूबर, 2021 में पहली बार एक महीने में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जो भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थिति को और मज़बूत करता है।
    - भारत का डिजिटल भुगतान उद्योग वर्ष 2025 तक 27% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (Compounded Annual Growth Rate- CAGR) से 2,153 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 7,092 ट्रिलियन रुपये होने की उमीद है।
    - मर्चेंट भुगतान के मज़बूत उपयोग, जन धन योजना सहित सरकारी नीतियाँ, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के साथ-साथ MSMEs की संख्याओं में वृद्धि और स्मार्टफोन के उच्च उपयोग के कारण यह वृद्धि होने की संभावना है।
- चुनौतियाँ:
  - कोरोनावायरस महामारी के बीच वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराध का खतरा बढ़ गया है।
    - उदाहरण: 'सर्बरस' (Cerberus) सॉफ्टवेयर
  - धोखाधड़ी संबंधी दावे, शुल्क वापसी, नकली खरीदार खाते, पदोन्नति का दुरुपयोग, खाता अधिग्रहण, पहचान की चोरी और कार्ड विवरण की चोरी आदि भी चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं।

नोट :

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (RBI) और 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) द्वारा 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत शुरू किया गया है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक 'गैर-लाभकारी' कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।

आगे की राह

- एक उचित रूप से तैयार की गई 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP) नीति भारतीय आबादी की अधिक-से-अधिक डिजिटल बुनियादी अवसंरचना तक पहुँच और साक्षरता में वृद्धि के लिये बाज़ार शक्ति का उपयोग करके 21वीं सदी में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
- एक जीवंत भारतीय लोकतंत्र में भारतीय मतदाताओं का सार्वजनिक नीति-संचालित डिजिटल सशक्तीकरण उपभोक्ताओं के हित और व्यापक जनहित में उत्तरदायी डिजिटल आचरण सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

LGBTQ अधिकारों के लिये महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

चर्चा में क्यों ?

वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल भारत के पहले समलैंगिक न्यायाधीश हो सकते हैं। चार बार स्थगित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने अंतत: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश की है।

- यद्यपि 'हितों के टकराव' को स्थगन के एक कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु कई जानकार मानते हैं कि उनके नाम की सिफारिश उनके यौन अभिविन्यास के कारण नहीं की जा रही थी।
- यदि उनका चयन होता है तो यह LGBTQ अधिकारों में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। LGBTQ लेस्बियन, गे, बाई-सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर लिये एक संक्षिप्त शब्द है।
- इससे पहले यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ को 'LGBTIQ फ्रीडम ज़ोन' घोषित किया था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति:

- संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, वहीं मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 'द्वितीय न्यायाधीश मामले' (Second Judges Case-1993) में 'कॉलेजियम प्रणाली' की शुरुआत यह मानते हुए की कि 'परामर्श' से तात्पर्य 'सहमति' से है।
  - इसमें कहा गया है कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से निर्मित एक संस्थागत राय थी।
- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और सरकार की भूमिका तब शुरू होती है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय कर लिये जाते हैं।
- उच्च न्यायालय (HC) कॉलेजियम में संबंधित मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।
- यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है, तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा जाँच कराने तक सीमित है।
  - इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB): यह एक प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है। यह आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है।

नोट :

- यह कॉलेजियम की पसंद पर आपत्तियाँ भी उठा सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है, तो सरकार संविधान पीठ के फैसलों के तहत उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में LGBTQ समुदाय की स्थिति:
  - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है।'
  - नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिन्हें LGBTQ समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और यह सभी वर्गों के नागरिकों पर लागू होता है।
    - इसने भारत में संवैधानिक नैतिकता की श्रेष्ठता को भी बरकरार रखा, यह देखते हुए कि कानून के समक्ष समानता को सार्वजनिक या धार्मिक नैतिकता को वरीयता देकर नकारा नहीं जा सकता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग पर योग्याकार्ता सिद्धांत' को भारतीय कानून के एक हिस्से के रूप में लागू किया जाना चाहिये।
    - योग्याकार्ता सिद्धांत मानव अधिकारों के हिस्से के रूप में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं।
    - उन्हें 2006 में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक विशिष्ट समूह द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
  - समान लिंग विवाह को लेकर विवाद: 'शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. और अन्य' (2018) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक साथी की पसंद व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसलिये समान लिंग के युगल भी हो सकते हैं।
    - हालाँकि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह 'जैविक पुरुष' और बच्चे पैदा करने में सक्षम 'जैविक महिला' के बीच हो।
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया है तथा कई जानकारों ने लिंग और यौन पहचान संबंधी मुद्दों को सही ढंग से संबोधित न करने को लेकर इसकी आलोचना की है।
- LGBTQ समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ:
  - परिवार: यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की समस्या विवाद व पारिवारिक विघटन की ओर ले जाती है।
    - माता-पिता और उनके किसी LGBTQ बच्चों के बीच संचार की कमी तथा गलतफहमी पारिवारिक संघर्ष को बढ़ाता है।
  - कार्यस्थल पर भेदभाव: LGBTQ कार्यस्थल पर भेदभाव के कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त हैं।
  - स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाना अपराध है और LGBTQ लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर सेवाओं तक खराब या अपर्याप्त पहुँच मिलती है।
    - यह सेवाओं की उपलब्धता और HIV रोकथाम, परीक्षण तथा उपचार सेवाओं तक पहुँचने की क्षमता दोनों में बाधा उत्पन्न करता है।
  - अलगाव और नशीली दवाओं का दुरुपयोग: वे धीरे-धीरे आत्मसम्मान में कमी और कम आत्मविश्वास की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और मित्रों तथा परिवार से अलग हो जाते हैं।
    - ये लोग ज़्यादातर खुद को तनाव और अस्वीकृति तथा भेदभाव से मुक्त करने के लिये ड्रग्स, शराब व तंबाकू के आदी हो जाते हैं।

आगे की राह

- LGTBQ समुदाय को एक भेदभाव-विरोधी कानून की आवश्यकता है जो उन्हें लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के बावजूद उत्पादक जीवन और संबंध बनाने का अधिकार देता है तथा बदलाव की ज़िम्मेदारी राज्य एवं समाज पर डालता है, न कि व्यक्ति पर।
- सरकारी निकायों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से संबंधित निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिये संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि LGBTQ समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं से वंचित न किया जाए या उनके यौन अभिविन्यास के लिये उन्हंह परेशान न किया जाए।

नोट :

पहला ऑडिट दिवस : कैग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने पहले ऑडिट दिवस (16 नवंबर, 2021) को चिह्नित करने के लिये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया।

- यह कैग (CAG) संस्थान की ऐतिहासिक स्थापना को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने हेतु कैग (CAG) के समृद्ध योगदान को उज़ागर करना है।
- गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त, 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

प्रमुख बिंदु

- संवैधानिक निकाय: अनुच्छेद 148 कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है।
  - CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में शामिल हैं: अनुच्छेद 149 (कर्त्तव्य और शक्तियाँ), अनुच्छेद 150 (संघ और राज्यों के खातों का विवरण), अनुच्छेद 151 (CAG की रिपोर्ट), अनुच्छेद 279 ('शुद्ध आय' की गणना आदि) तथा तीसरी अनुसूची (शपथ या प्रतिज्ञान) और छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन)।
- संक्षिप्त विवरण:
  - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख - 1753 में बनाए गए।
  - वह लोक व्यय का संरक्षक होने के साथ-साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।
  - CAG को भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक संरक्षक दीवार कहा जाता है।
    - अन्य संस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं।
  - वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका (अर्थात् मंत्रिपरिषद) की संसद के प्रति जवाबदेही CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।
- नियुक्ति: उसे भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर लगे एक अधिपत्र (Warrant) द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- कार्यकाल: इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। (दोनों में से जो भी पहले हो)
- निष्कासन: CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है।
  - दूसरे शब्दों में उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।
- अन्य संबंधित बिंदु:
  - वह कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार हेतु पात्र नहीं होगा।
  - वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
  - CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों का वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।
  - कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
- इसके कार्य और शक्तियाँ नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत शामिल हैं।
  - CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के व्यय से संबंधित लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है।
  - वह भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि व सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है।
  - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ- हानि खातों, बैलेंस शीट तथा अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है।

नोट :

- निम्नलिखित की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करता है:
  - केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और प्राधिकरण;
  - सरकारी कंपनियाँ;
  - अन्य निगम और निकाय, जब संबंधित कानूनों द्वारा ऐसा आवश्यक हो।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किये जाने पर वह किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे- कोई स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा।
- संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।

- सीमाएँ:
  - भारत का संविधान CAG को नियंत्रक के साथ-साथ महालेखा परीक्षक के रूप में देखता है। हालाँकि व्यवहारिक रूप से CAG केवल एक महालेखा परीक्षक की भूमिका निभा रहा है, नियंत्रक की नहीं।
  - दूसरे शब्दों में CAG का समेकित निधि से धन के मुद्दे पर कोई नियंत्रण नहीं है और कई विभाग CAG से विशिष्ट प्राधिकरण के बिना चेक जारी करके धन निकालने के लिये अधिकृत हैं, जो केवल लेखा परीक्षा चरण में संबंधित है जबकि व्यय पहले ही हो चुका है।
  - इस संबंध में भारत का CAG ब्रिटेन के CAG से पूरी तरह भिन्न है, जिसके पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्तियाँ हैं।
    - दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में कार्यपालिका केवल CAG की स्वीकृति से ही सरकारी राजकोष से धन आहरित कर सकती है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'भूमि संवाद' - डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

- मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) पोर्टल और डैशबोर्ड भी लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- शुरुआत:
  - डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) को कैबिनेट ने 21 अगस्त, 2008 को मंज़ूरी दी थी।
  - देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये एक संशोधित कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) तैयार किया गया है जिसे अब डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के नाम से जाना जाता है।
  - भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण (CLR) और राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अभिलेखों के अद्यतन (SRA&ULR) की दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिला दिया गया।
- परिचय:
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ कई नई योजनाओं के साथ अपने दायरे का विस्तार करने के लिये 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है।
  - यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) विकसित करने के लिये विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानता पर आधारित होगी, जिसमें अलग-अलग राज्य अपनी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार प्रासंगिक और उचित चीज़ो को जोड़ सकेंगे।

नोट :

- ILIMS: इस प्रणाली में पार्सल स्वामित्व, भूमि उपयोग, कराधान, स्थलों की सीमाएँ, भूमि मूल्य, ऋणभार और कई अन्य जानकारियाँ शामिल हैं।

- इसे भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

- उदेश्य:
  - अद्यतन भूमि अभिलेखों, संचालित और स्वचालित उत्परिवर्तन, पाठ्य और स्थानिक अभिलेखों के बीच एकीकरण, राजस्व एवं पंजीकरण के बीच अंतर-संयोजन, वर्तमान विलेख पंजीकरण तथा प्रकल्पित शीर्षक प्रणाली को शीर्षक गारंटी के साथ निर्णायक शीर्षक के साथ बदलने के लिये एक प्रणाली की शुरुआत करना।
- घटक:
  - भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
  - सर्वेक्षण/पुन: सर्वेक्षण।
  - पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण।
  - तहसील/तालुका/सर्कल/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम/भूमि अभिलेख प्रबंधन केंद्र।
  - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- लाभ
  - इससे नागरिक को रियल-टाइम भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे।
  - रिकॉर्ड तक मुफ्त पहुँच नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच इंटरफेस को कम करेगी, जिससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न में कमी आएगी।
    - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) बेहतर तरीके से सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए यह सरकारी तंत्र के साथ नागरिक इंटरफेस को और कम करेगा।
  - सिंगल-विंडो सेवा या वेब-सक्षम 'एनीटाइम-एनीवेयर' सुविधा नागरिक को RoRs (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) आदि को समय पर प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
  - स्वचालित होने के कारण इससे धोखाधड़ी वाले संपत्ति सौदों के दायरे में काफी कमी आएगी।
  - निर्णायक भूमि स्वामित्व से मुकदमेबाज़ी में भी काफी कमी आएगी।
  - कंप्यूटर के माध्यम से नागरिक को भूमि डेटा (जैसे- अधिवास, जाति, आय आदि) के आधार पर प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे।
  - यह पद्धति क्रेडिट सुविधाओं के लिये ई-लिंकेज की अनुमति देगी।
  - सरकारी कार्यक्रमों के लिये पात्रता की जानकारी आँकड़ों के आधार पर उपलब्ध होगी।
- अन्य संबंधित पहलें
  - राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:
    - यह मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री-खरीद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है।
    - यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है और 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' को भी बढ़ावा देगा।
  - विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या
    - ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यत: भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

नोट :

रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स-2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिश्वत-रोधी मानक निर्धारण संगठन- 'TRACE' द्वारा 'रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स-2021' जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मैट्रिक्स के विषय में:
  - यह 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त एवं अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्रों में रिश्वतखोरी जोखिम को मापता है।
  - यह मूलत: वर्ष 2014 में दुनिया भर में वाणिज्यिक रिश्वतखोरी के जोखिमों के बारे में अधिक विश्वसनीय और सूक्ष्म जानकारी संबंधी व्यावसायिक समुदाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रकाशित किया गया था।
  - यह संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में 'वी-डेम' संस्थान और विश्व आर्थिक मंच सहित प्रमुख सार्वजनिक हित एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त प्रासंगिक डेटा एकत्र करता है।
- गणना की विधि: स्कोर की गणना चार कारकों के आधार पर की जाती है:
  - प्रवर्तन और रिश्वत विरोधी निरोध।
  - सरकार के साथ व्यापार वार्ता।
  - सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता।
  - नागरिक समाज की निगरानी की क्षमता जिसमें मीडिया की भूमिका भी शामिल है।
- विभिन्न देशों का प्रदर्शन:
  - भारत:
    - भारत वर्ष 2021 में 82वें स्थान पर खिसक गया है, जो पिछले साल के 77वें स्थान से पाँच स्थान नीचे है।
    - वर्ष 2020 में भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर था, जबकि इस वर्ष भारत 44 के स्कोर के साथ 82वें स्थान पर रहा।
    - भारत ने अपने पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश से बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि भूटान ने 62वीं रैंक हासिल की है।
  - विश्व:
    - उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेज़ुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी का जोखिम मौजूद है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूज़ीलैंड में सबसे कम जोखिम है।
    - पिछले पाँच वर्षों में वैश्विक रुझानों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिश्वतखोरी जोखिम का माहौल काफी खराब हो गया है।
    - वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सभी देशों ने वाणिज्यिक रिश्वतखोरी के जोखिम में वृद्धि देखी है।
- भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम: भारत ने "भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस" की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में भ्रष्टाचार से निपटने के लिये कई उपाय किये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - पारदर्शी नागरिक अनुकूल सेवाएँ प्रदान करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिये प्रणालीगत सुधार। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
    - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नागरिकों को सीधे कल्याणकारी लाभ का वितरण।
    - सार्वजनिक खरीद में ई-टेंडरिंग का कार्यान्वयन।
    - ई-गवर्नेंस की शुरुआत और प्रणालियों का सरलीकरण।
    - सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सरकारी खरीद की शुरुआत।

नोट :

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:
  - यह स्पष्ट रूप से रिश्वत देने के कृत्य का अपराधीकरण करता है और वाणिज्यिक संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन के बड़े भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने विभिन्न आदेशों और परिपत्रों के माध्यम से प्रमुख खरीद गतिविधियों में सभी संगठनों के लिये सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने तथा जहाँ भी कोई अनियमितता/कदाचार देखा जाता है, वहाँ प्रभावी और त्वरित जाँच सुनिश्चित करने की सिफारिश की है।
- लोकपाल संस्था का संचालन अध्यक्ष और नियुक्त सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  - लोकपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ कथित अपराधों के संबंध में शिकायतों को सीधे प्राप्त करने और जाँच करने का वैधानिक अधिकार है।

PMGSY-I एवं II और RCPLWEA परियोजना को जारी रखना

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सड़कों और पुलों के निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I और II (PMGSY-I और II) को सितंबर, 2022 तक जारी रखने हेतु अपनी मंज़ूरी दे दी है।

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) को मार्च 2023 तक जारी रखने के लिये भी अपनी मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):
  - PMGSY-I:
    - PMGSY-I जनगणना-2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली और उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु वर्ष 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - इस योजना में पात्र बसावटों वाले उन सभी ज़िलों के लिये मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के घटक भी शामिल थे।
  - PMGSY-II:
    - इसे मई 2013 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर लंबाई को पूरा करने की परिकल्पना की गई थी।
  - PMGSY-III:
    - इसे वर्ष 2019 में 1,25,000 किलोमीटर मौजूदा रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंकों के माध्यम से बसावटों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाज़ारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा अस्पतालों को जोड़ने हेतु शुरू किया गया था।
    - योजना की कार्यान्वयन अवधि मार्च 2025 तक है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना:
  - इसे वर्ष 2016 में 9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के 44 ज़िलों में सामरिक महत्त्व की 5,412 किलोमीटर लंबी सड़कों और 126 पुलों के निर्माण/उन्नयन का कार्य के लिये शुरू किया गया था।
  - कार्यान्वयन अवधि: 2016-17 से 2019-20
  - गृह मंत्रालय ने राज्यों और सुरक्षा बलों के परामर्श से इस योजना के तहत सड़कों और पुलों के कार्यों की पहचान की है।
- महत्त्व:
  - PMGSY पर किये गए विभिन्न स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इस योजना का कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोज़गार सृजन आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नोट :

- ग्रामीण संपर्क विकास की एक अनिवार्यता है।
  - सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध होने से आपस में जुड़े परिवेशों की आर्थिक क्षमता विस्तृत होगी।
  - मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन से लोगों, वस्तुओं और अन्य सेवाओं हेतु परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में सड़क नेटवर्क की समग्र दक्षता में सुधार होगा।
  - सड़कों के निर्माण/उन्नयन से स्थानीय जनता के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार सृजित होंगे।
- चुनौतियाँ:
  - धन का अभाव।
  - पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भागीदारी।
  - अपर्याप्त निष्पादन और अनुबंध क्षमता।
  - काम के लिये उचित मौसम का अभाव तथा विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में दुर्गम क्षेत्र।
  - निर्माण सामग्री का अभाव।
  - विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE) वाले क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।

आगे की राह

- ग्रामीण सड़क संपर्क (Rural Road Connectivity) ग्रामीण विकास का एक प्रमुख घटक है क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह भारत में कृषि आय और उत्पादक रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद करता है। इस संबंध में सरकार बुनियादी ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ाव पर विचार कर सकती है।

RERA की पूर्वव्यापी व्याख्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) को पूर्वव्यापी बताते हुए इसकी व्याख्या की गई है।

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उद्देश्य होमबॉयर्स (Homebuyers) के हितों को सुरक्षित करना है, जो खरीदारों के लिये एक बड़ी राहत होगी, यह समाधान प्रक्रिया को गति देता है और राज्य सरकारों के लिये कानूनी गतिविधियों को आसान बनाता है।

प्रमुख बिंदु

- पूर्वव्यापी कार्यान्वयन:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि RERA 2016 के प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं जो परिचालन में थीं और जिनके लिये कानून के अधिनियमन के समय पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
    - अधिनियम के तहत अचल संपत्ति परियोजनाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य था।
    - यह उन परियोजनाओं के लिये अनिवार्य है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से चल रही हैं, विशेष रूप से जिन परियोजनाओं के लिये पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। प्रमोटर परियोजना के पंजीकरण के लिये प्राधिकरण को आवेदन करने के लिये बाध्य होंगे।
  - उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में RERA प्राधिकरणों के नियम वर्तमान में इस स्थिति के अनुरूप नहीं हैं और सभी चल रही परियोजनाओं को RERA के तहत शामिल करने के लिये अपने नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है।
- निवेश की गई राशि की वसूली:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आवंटियों द्वारा निवेश की गई राशि को नियामक प्राधिकरण या निर्णायक अधिकारी द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ बिल्डर्स से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

नोट :

- बिल्डर्स का तर्क है कि होमबॉयर्स (Homebuyers) केवल भूमि के बकाया के रूप में ब्याज या जुर्माना वसूलने के हकदार हैं।
- हालाँकि अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा है कि आवंटी को जो राशि वापस की जानी है वह उसकी अपनी बचत है। प्राधिकरण द्वारा गणना/मात्रा के अनुसार ब्याज के साथ राशि वसूली योग्य हो जाती है और ऐसा बकाया कानून में लागू होता है।

- डेवलपर्स हेतु जुर्माना:
  - किसी भी RERA आदेश को चुनौती देने से पहले रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिये नियामक द्वारा आदेशित दंड का कम-से-कम 30% या पूरी राशि, जमा करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक अपील दायर की जाएगी और गृह खरीदारों के हितों की रक्षा होगी।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने बताया किया कि अधिनियम के तहत पूर्व-जमा वाले प्रमोटर पर दायित्व, किसी भी परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) या अनुच्छेद 19(1) (g) (जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता या भारत के संविधान के किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार प्रदान करता है) का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।
    - अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर विचार करने के लिये अपील दायर करने वाले बिल्डर्स/प्रमोटर्स को पूर्व-जमा करना आवश्यक है।
    - एक प्रमोटर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे प्रोजेक्ट (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट) को बढ़ावा देने का काम सौंपा जाता है, जिसे डेवलपर द्वारा विकसित या निर्मित किया गया था।
    - विधायिका का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि डिक्री होल्डर (सफल पार्टी) के अधिकारों की रक्षा की जानी है और केवल वास्तविक अपीलों पर विचार किया जाना है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)

- आवश्यकता:
  - सबसे बड़े निवेश क्षेत्र को सुरक्षित करना: रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन 2013 से चर्चा में था, और RERA अधिनियम अंतत: 2016 में अस्तित्व में आया। डेटा से पता चलता है कि एक औसत भारतीय परिवार की कुल संपत्ति का 77% से अधिक रियल एस्टेट में होता है और यह किसी व्यक्ति का उसके जीवनकाल में सबसे बड़ा निवेश है।
  - जवाबदेहिता सुनिश्चित करना: कानून निर्माण से पहले रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर काफी हद तक अनियंत्रित था, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ थे।
    - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 घर खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त था।
    - रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी और विलंबता को कम करने और एक फास्ट ट्रैक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
- मुख्य प्रावधान:
  - राज्य स्तरीय नियामक प्राधिकरणों की स्थापना- रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) अधिनियम राज्य सरकारों को निम्नलिखित अधिदेश के साथ एक से अधिक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करता है:
    - अचल संपत्ति परियोजनाओं का एक पंजीकृत डेटाबेस और उसे बनाए रखना; इसे जनता के देखने के लिये अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना।
    - प्रमोटर्स, खरीदारों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की सुरक्षा।
    - सतत् और किफायती आवासों का विकास।
    - सरकार को सलाह देना और उसके विनियमों एवं अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना।
  - रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना: इन न्यायाधिकरणों में RERA के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
  - अनिवार्य पंजीकरण: कम-से-कम 500 वर्ग मीटर या आठ अपार्टमेंट के प्लॉट आकार वाली सभी परियोजनाओं को नियामक प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

नोट :

- जमा: खरीदारों से एकत्र किये गए धन का 70% केवल उस परियोजना के निर्माण हेतु एक अलग 'एस्क्रो बैंक खाते' में जमा करना।
- दायित्व: पाँच वर्ष के लिये संरचनात्मक दोषों की मरम्मत के लिये डेवलपर का दायित्व।
- चूक के मामले में दंडात्मक ब्याज: दोनों पक्षों से किसी भी चूक के मामले में प्रमोटर और खरीदार दोनों समान ब्याज दर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- अग्रिम भुगतान सीमा: एक प्रमोटर पहले बिक्री के लिये समझौता किये बिना किसी व्यक्ति से अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क के रूप में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन की लागत का 10% से अधिक स्वीकार नहीं कर सकता है।
- कार्पेट एरिया: कार्पेट एरिया को फ्लैट के 'नेट यूज़ेबल फ्लोर एरिया' के रूप में परिभाषित किया जाता है। खरीदारों से कार्पेट एरिया के लिये शुल्क लिया जाएगा, न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया के लिये।
- सज़ा: अपीलीय न्यायाधिकरणों और नियामक प्राधिकरणों के आदेशों के उल्लंघन पर डेवलपर्स के लिये तीन वर्ष तक और एजेंटों तथा खरीदारों के मामले में एक वर्ष तक की कैद।

- अधिनियम का कार्यान्वयन:
  - 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जबकि नगालैंड में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
  - पश्चिम बंगाल ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित करने के बजाय अपना खुद का कानून - पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, 2017 (HIRA) बनाया है।
  - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों की स्थापना की है और 26 ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।

समान नागरिक संहिता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया है।

- न्यायालय का निर्देश अंतर-धार्मिक जोड़ों द्वारा दायर 17 याचिकाओं के एक समूह के संदर्भ में आया है, जिन्होंने धर्मांतरण के पश्चात् विवाह किया और संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत अपने जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता की गारंटी की सुरक्षा की मांग की।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - धर्मांतरण विरोधी नया कानून: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया है, जिसे 'उत्तर प्रदेश धर्म गैरकानूनी धर्मांतरण की रोकथाम अधिनियम, 2021' कहा जाता है।
  - इसके मुताबिक, ज़िला प्राधिकरण द्वारा यह जाँच किये बिना शादी को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है कि क्या धर्मांतरण स्वैच्छिक है और ज़बरदस्ती, प्रलोभन व धमकी से प्रेरित नहीं है।
  - अधिनियम में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन या विवाह से पहले ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) की मंज़ूरी आवश्यक है।
  - यह अधिनियम विवाह के लिये धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध बनाता है।
- न्यायालय द्वारा अवलोकन:
  - विवाह पंजीयक के पास केवल इस कारण विवाह के पंजीकरण को रोकने की शक्ति नहीं है कि विवाह पक्षों ने ज़िला प्राधिकरण से धर्मांतरण की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।
    - न्यायालय ने 'मैरिज रजिस्ट्रार' को ऐसे जोड़ों के विवाह का तत्काल पंजीकरण करने का निर्देश दिया है।
  - न्यायालय ने कहा कि इस तरह की मंज़ूरी निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।
    - यह अधिनियम तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा तथा अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) एवं अनुच्छेद-21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन करता है।

नोट :

- यह देखा गया कि परिवार या समुदाय या कबीले या राज्य या कार्यपालिका की सहमति आवश्यक नहीं है, एक बार जब दो वयस्क व्यक्ति विवाह करने के लिये सहमत होते हैं, तो यह वैध या कानूनी होगा।
- न्यायालय ने संबंधित ज़िलों की पुलिस को इन जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- इसके अलावा न्यायालय ने केंद्र सरकार से 'समान नागरिक संहिता' को लागू करने हेतु एक कानून बनाने का आग्रह किया, ताकि इस तरह के अत्याचारों की पुनरावृत्ति न हो।
  - क्योंकि इसके लागू होने के बाद धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता नहीं होगी।

समान नागरिक संहिता:

- पृष्ठभूमि:
  - ब्रिटिश शासन के अंतिम काल में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने हेतु 'बी.एन. राव' समिति बनाने को मजबूर किया।
  - 'समान नागरिक संहिता' का आशय पूरे देश में एक ही प्रकार के कानून के प्रचलन से है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे- शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा।
  - संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये 'समान नागरिक संहिता' सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
    - अनुच्छेद-44 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP) में से एक है।
  - एकरूपता लाने के लिये न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को UCC की ओर बढ़ना चाहिये।
    - शाह बानो मामले (1985) का फैसला सर्वविदित है।
    - शायरा बानो मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तालक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था।
- UCC की आवश्यकता:
  - राष्ट्रीय एकता: एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।
  - बदलते समय के अनुरूप: हाल के दिनों में अंतर-समुदाय, अंतर-जाति और अंतर-धार्मिक विवाह व संबंधों में भारी वृद्धि हुई है।
    - साथ ही एकल महिलाओं की संख्या में वृद्धि के साथ एक व्यापक UCC बदलते समय के अनुरूप होगा।
  - समाज के कमज़ोर वर्गों को संरक्षण: UCC का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।
  - धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन करना: धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक सामान्य कानून की आवश्यकता होती है।
  - कानूनों का सरलीकरण: यह संहिता विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने संबंधी जटिल कानूनों को सभी के लिये एक समान बना देगा। फिर वही नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।
- संबद्ध चुनौतियाँ:
  - सांप्रदायिक राजनीति: समान नागरिक संहिता की मांग को सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में तैयार किया गया है।
    - समाज का एक बड़ा वर्ग इसे सामाजिक सुधार की आड़ में बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
  - संवैधानिक बाधा: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता की अवधारणाओं के साथ संघर्ष करता है।

आगे की राह

- सरकार और समाज को इसके प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिये कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय समाज सुधारक मिलकर काम करें।

नोट :

- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार अलग-अलग पहलुओं जैसे- विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार और रखरखाव को चरणों में एक UCC में ला सकती है।
- समय की मांग है कि सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए ताकि प्रत्येक समुदाय में मौजूद पूर्वाग्रह और रूढ़िवादियों को स्पष्ट किया जा सके और उनके आधार पर संविधान के मौलिक अधिकारों का परीक्षण किया जा सके।

विधेयकों पर निर्णय लेने का राज्यपाल का अधिकार: वीटो पावर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये एक बाध्यकारी समयसीमा निर्धारित करने का आह्वान किया, जिसके भीतर विधेयकों को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये सहमति या वापस या आरक्षित किया जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे:
  - राज्यपाल से संबंधित:
    - राज्यपाल कभी-कभी बिना अनुमति दिये या अनिश्चित काल के लिये विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस किये बिना सुरक्षित रख लेता है, जबकि संविधान में इस प्रक्रिया को जल्द-से-जल्द करने की आवश्यकता है।
    - राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिये विधेयकों को आरक्षित रखा जाता है जिसमें कई महीने लग जाते थे, जबकि इसे तुरंत किया जाना था।
    - इससे विधायिकाओं और राज्यपालों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, हालाँकि राज्य कार्यकारिणी के प्रमुखों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  - राष्ट्रपति से संबंधित:
    - भारत के राष्ट्रपति को भी स्वीकृति रोकने और विधेयक को वापस करने का कारण बताना चाहिये।
    - इससे सदन को उन कमियों को दूर करके एक अन्य विधेयक बनाने में मदद मिलेगी जिसके कारण विधेयक को खारिज कर दिया गया था।
- संबंधित उदाहरण:
  - सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के आलोक में अध्यक्ष का वक्तव्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें राज्य के छात्रों को स्नातक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिये आवश्यक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में छूट देने की मांग की गई है।
  - राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सात कैदियों की रिहाई के संबंध में तमिलनाडु विधानसभा ने वर्ष 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था।
    - प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल को भेजा गया था लेकिन उन्होंने दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की।
    - जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई देरी के लिये नाराज़गी व्यक्त की।
    - फरवरी में राज्यपाल ने इस पर बिना कोई विचार किये निर्णय लेने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर छोड़ दिया और कहा कि राष्ट्रपति विधेयक पर निर्णय लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति

- परिचय:
  - भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को आरक्षित करने से संबंधित है।

नोट :

- अनुच्छेद 201 'विचार के लिये आरक्षित विधेयक' (Bills Reserved for Consideration) से संबंधित है।
- भारत के राज्यपाल को पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो (धन विधेयकों को छोड़कर) का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पॉकेट वीटो का नहीं।

- वीटो पावर के तीन प्रकार: पूर्ण वीटो, निरोधात्मक वीटो और पॉकेट वीटो।
  - अपवाद: जब संवैधानिक संशोधन विधेयकों की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है।
    - संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है।
- पूर्ण वीटो: यह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति को रोकने की शक्ति को संदर्भित करता है। इसके बाद बिल समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है।
- निलंबित वीटो: जब राष्ट्रपति भारतीय संसद में पुनर्विचार के लिये विधेयक को लौटाता है तो वह इसके लिये निलंबन वीटो का उपयोग करता है।
  - यदि संसद राष्ट्रपति को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से भेजती है, तो उसे अपनी किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग किये बिना विधेयक को मंज़ूरी देनी होगी।
  - अपवाद: राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपने निलंबन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता।
- पॉकेट वीटो: राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग कर विधेयक को अनिश्चित काल के लिये लंबित रखा जाता है।
  - वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिये लौटाता है।
  - अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिसे 10 दिनों के भीतर बिल को फिर से भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय की बाध्यता नहीं है।
- राज्य के विधेयकों पर वीटो:
  - राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिये राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है।
    - फिर विधेयक के अधिनियमन में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होगी।
  - राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार आने पर भी अपनी सहमति को स्थगित कर सकता है।
    - इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो (और निलंबन वीटो नहीं) प्राप्त है।
  - इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है।

एक कानून को निरस्त करना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2020 में पारित किये गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संविधान का अनुच्छेद 245 संसद को पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिये कानून बनाने की शक्ति देता है और राज्य विधानसभाओं को राज्य के लिये कानून बनाने की शक्ति देता है।
  - संसद को उसी प्रावधान से कानून को निरस्त करने की शक्ति भी प्राप्त है।
  - निरसन हेतु संसद की शक्ति संविधान के तहत कानून बनाने के समान है।
  - एक कानून को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से या यहाँ तक कि उस हद तक निरस्त किया जा सकता है जहाँ तक यह अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है।
- सनसेट क्लॉज़: इस विधान में एक सनसेट क्लॉज़ भी हो सकता है, अर्थात् एक विशेष तिथि जिसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये आतंकवाद विरोधी कानून आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987, जिसे आमतौर पर टाडा के रूप में जाना जाता है, में एक सनसेट क्लॉज़ था, वर्ष 1995 में इसे समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

नोट :

- निरसन: उन कानूनों के लिये जिनमें 'सनसेट क्लॉज़' शामिल नहीं है, संसद को कानून को निरस्त करने के लिये एक और कानून पारित करना होगा।
  - कानूनों को दो तरीकों से निरस्त किया जा सकता है- या तो एक अध्यादेश के माध्यम से या कानून के माध्यम से।
  - अध्यादेश: यदि किसी अध्यादेश का उपयोग किया जाता है, तो उसे छह महीने के भीतर संसद द्वारा पारित कानून से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी।
    - यदि अध्यादेश संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण व्यपगत हो जाता है, तो निरसित कानून को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
  - कानून के माध्यम से निरसन: सरकार को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिये कानून पारित करना होगा और इसके लागू होने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होगी।
    - सभी तीन कृषि कानूनों को एक ही कानून के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है।
    - प्राय: इस उद्देश्य के लिये 'निरसन और संशोधन' शीर्षक से विधेयक पेश किये जाते हैं। इसे अन्य विधेयकों की तरह ही पूर्ण प्रक्रिया से पारित किया जाता है।
    - इससे पूर्व 'निरसन और संशोधन' प्रावधान वर्ष 2019 में लागू किया गया था, जब केंद्र सरकार ने 58 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने और आयकर अधिनियम, 1961 तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में मामूली संशोधन किया था।

5 राज्यों के आकांक्षी ज़िलों के लिये यूएसओएफ योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी ज़िलों से अछूते गाँवों में 4 जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि/यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) योजना को मंज़ूरी दी है।

- नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित ज़िलों का तीव्रता के साथ प्रभावी रूप से विकास करना है।

प्रमुख बिंदु

- योजना के बारे में:
  - इस योजना में पाँच राज्यों के 44 आकांक्षी ज़िलों के 7,287 गाँवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएँ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
  - इससे आत्मनिर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान के प्रसार, कौशल उन्नयन तथा विकास, आपदा प्रबंधन, ई-गवर्नेंस पहल, उद्यमों की स्थापना व ई-कॉमर्स सुविधाओं आदि के लिये उपयोगी डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत आदि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को हासिल करना चाहता है।
- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF):
  - USOF के बारे में:
    - USOF इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में लोगों तक आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सार्वभौमिक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित हो।
    - इसकी स्थापना वर्ष 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा की गई थी।
    - यह एक गैर-व्यपगत निधि है, अर्थात्, लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च न की गई राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिये प्रयोग की जाती है।

नोट :

- इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

- उद्देश्य:
  - आर्थिक: नेटवर्क विस्तार और आईसीटी सेवाओं को बढ़ावा देना।
  - सामाजिक: एक्सेस गैप को समाप्त कर कम सेवा वाले और असेवित क्षेत्रों/समूहों को मुख्यधारा में लाना।
  - राजनीतिक: नागरिकों को सूचना के माध्यम से अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना।
  - संवैधानिक: लक्षित सब्सिडी के माध्यम से दूरसंचार/डिजिटल क्रांति के लाभ का समान वितरण और राष्ट्रीय संसाधनों का उचित आवंटन (संयुक्त यूएसओ लेवी)।
- महत्त्व:
  - ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (VPT), ग्रामीण सामुदायिक फोन (RCP), ग्रामीण घरेलू टेलीफोन (RDEL) और मोबाइल बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जाता है।
  - सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच के साथ यह शहरी प्रवास को रोकने में मदद कर सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करना सुनिश्चित कर सकता है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी सेवाओं की बढ़ती जागरूकता और ग्रामीण लोगों की भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित सुविधाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
  - यह ग्रामीण बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ-ग्रामीण) और ग्रामीण नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ-ग्रामीण) के विकास को सुनिश्चित कर सकता है।
  - यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को ग्रामीण आबादी के सामाजिक विकास के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के लाभों का विस्तार करने के लिये सही उपकरण के रूप में भी माना जाता है।

संबंधित योजनाएँ

- भारतनेट परियोजना
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना
- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
- डिजिटल इंडिया
- 'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018

कृषि कानूनों को निरस्त करना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।

- संसद (लोकसभा + राज्यसभा + राष्ट्रपति) के पास किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार है।
- कृषि कानूनों को लेकर एक साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था।

प्रमुख बिंदु

- तीन कृषि कानून:
  - किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन व सुविधा) अधिनियम, 2020: इसका उद्देश्य मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) को मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार करने की अनुमति देना है।

नोट :

- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण व संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020: यह अनुबंध खेती के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020: इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाना है।

- कानून बनाने का कारण:
  - कृषि विपणन में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही है, यह एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के दायरे में आता है।
  - केंद्र सरकार ने 2000 के दशक के प्रारंभ में राज्यों के APMC अधिनियमों में सुधारों पर ज़ोर देकर इस मुद्दे को उठाया।
  - तत्कालीन सरकार के तहत कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2003 में एक मॉडल APMC अधिनियम तैयार किया और इसे राज्यों के बीच परिचालित किया।
    - इसके पहले आगामी सरकारों ने भी इन सुधारों पर ज़ोर दिया लेकिन यह देखा गया कि यह राज्य का विषय है, केंद्र को राज्यों के मॉडल APMC अधिनियम अपनाने में बहुत कम सफलता मिली है।
  - इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने इन कानूनों को पारित करके इस क्षेत्र में सुधार किये।
- किसानों के विरोध का कारण:
  - कृषि कानूनों को निरस्त करना: विरोध करने वाले किसान संगठनों की पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण मांग तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करना है।
    - किसानों के अनुसार, कानून बड़े निगमों के अनुकूल बनाया गया है जो भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होना चाहते हैं तथा ये किसानों की बातचीत करने की शक्ति को कमज़ोर करेंगे। साथ ही इससे बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सकता है।
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य: किसानों की दूसरी मांग उचित मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी है।
    - किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और पारंपरिक खाद्यान्न खरीद प्रणाली को जारी रखने के लिये एक विधेयक के रूप में लिखित आश्वासन प्राप्त करने की भी मांग कर रहे हैं।
    - किसान संगठन चाहते हैं कि APMC या मंडी व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए।
  - विद्युत (संशोधन) विधेयक: किसानों की तीसरी मांग विद्युत (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी।
  - स्वामीनाथन आयोग: किसान स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित एमएसपी की मांग कर रहे हैं।
    - स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसपी में सरकार को उत्पादन की औसत लागत की कम-से-कम 50% वृद्धि करनी चाहिये। इसे C2 + 50% सूत्र के रूप में भी जाना जाता है।
    - इसमें किसानों को 50% प्रतिफल/रिटर्न देने के लिये पूंजी एवं भूमि पर लगान (जिसे 'C2' कहा जाता है) को भी शामिल किया गया है।
- क्रियान्वयन पर रोक:
  - जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।
    - ये कृषि कानून अध्यादेश के प्रख्यापित होने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन पर रोक लगाने तक केवल 221 दिनों (5 जून, 2020 से 12 जनवरी, 2021) तक ही लागू रहे।
  - रोक के बाद से कानूनों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने तीन कृषि कानूनों में से एक के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करते हुए स्टॉक सीमा का निर्धारण करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के पुराने प्रावधानों का उपयोग किया है।
- कानून को निरस्त करने के प्रभाव:
  - परामर्श की आवश्यकता:
    - निरसन इस बात को रेखांकित करता है कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में भविष्य में बेहतर सुधार के किसी भी प्रयास हेतु न केवल सुधारों के बेहतर डिज़ाइन की, बल्कि व्यापक स्तर पर स्वीकृति के लिये भी परामर्श की आवश्यकता होगी।

नोट :

- इन कानूनों के निरसन से सरकार सुधारों को फिर से आगे बढ़ाने में हिचकिचाएगी।
- नि:संदेह सरकार को सुधार के लिये बहुत सावधानी बरतनी होगी।

- किसानों की निम्न आय:
  - यह देखते हुए कि भारत में औसत जोत का आकार मात्र 0.9 हेक्टेयर (2018-19) है, यह कहा जा सकता है कि जब तक कोई किसान उच्च-मूल्य वाली कृषि को नहीं अपनाता है- जहाँ रसद, भंडारण, प्रसंस्करण, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निजी निवेश आवश्यक है, किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है।
  - इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन क्षेत्रों में उत्पादन के साथ-साथ इनपुट विपणन में भी सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें भूमि पट्टा बाज़ार और सभी इनपुट सब्सिडी- उर्वरक, बिजली, ऋण व कृषि मशीनरी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल है।
- उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव:
  - रसद कोल्ड चेन, कृषि और कृषि उपकरण से संबंधित उद्योग सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें इन कानूनों का प्रत्यक्ष लाभार्थी माना जाता था।
- स्थिर कृषि-जीडीपी:
  - पिछले 14 वर्षों में कृषि- सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP)) की वृद्धि 3.5% प्रतिवर्ष रही है। इस प्रवृत्ति के जारी रहने की उम्मीद है, वर्षा के पैटर्न के आधार पर कृषि-जीडीपी में मामूली बदलाव हो सकता है।
  - भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भंडार में अनाज के भंडार के साथ चावल और गेहूँ के फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा।

आगे की राह

- एक सकारात्मक स्तर पर कृषि कानूनों के साथ प्रयास सरकार को महत्त्वपूर्ण सबक प्रदान कर सकता है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अधिक परामर्शी व पारदर्शीआधार पर संभावित लाभार्थियों को बेहतर ढंग से संप्रेषित किये जाने की आवश्यकता है।
- यह समावेशन भारत की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के केंद्र में निहित है। हमारे समाज की तर्कशील प्रकृति को देखते हुए सुधारों को लागू करने के लिये समय और सहजता की आवश्यकता है लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने हेतु सभी का मन भी जीतना होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) ने 20 नवंबर, 2021 को 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

- इससे पहले यह बताया गया था कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण PMAY-G के तहत स्वीकृत आवासों में से केवल 5.4% ही वर्ष 2020-2021 की अवधि में पूर्ण हो पाए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत लागू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- लॉन्च: वर्ष 2022 तक "सभी के लिये आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना- इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- शामिल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना।
  - गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के ग्रामीण लोगों को आवासीय इकाई के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने में मदद करना।

नोट :

- लाभार्थी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति व अल्पसंख्यक।
- लाभार्थियों का चयन: तीन चरणों के सत्यापन- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और जियो-टैगिंग के माध्यम से।
- लागत साझा करने संबंधी तंत्र: यूनिट सहायता लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- विशेषताएँ:
  - स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) तक बढ़ा दिया गया है।
  - मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है।
  - स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये सहायता का लाभ उठाया जाएगा।
  - पाइप से पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन जैसे विभिन्न सरकारी सुविधाओं के अभिसरण का भी प्रयास किया जाएगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति ने शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) 2021 के छठे संस्करण में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता बनाए रखने में उनके प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया।

- यह समारोह 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' के दौरान आयोजित किया गया था जो स्वच्छ भारत अभियान-शहरी के पिछले सात वर्षों में शहरों की उपलब्धियों का उत्सव है और स्वच्छ भारत अभियान-शहरी 2.0 के माध्यम से स्वच्छता के अगले चरण में नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिये शहरों और नागरिकों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छ सर्वेक्षण:
  - परिचय:
    - यह भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण करता है।
    - इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था।
    - वर्ष 2016 में आयोजित पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल 73 शहरों को शामिल किया गया था।
    - वर्ष 2020 में आयोजित वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल 4242 शहरों को शामिल किया गया था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया था।
    - वर्ष 2021 में आयोजित छठे स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,320 शहरों ने भाग लिया, जिसमें 5 करोड़ से अधिक नागरिकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जबकि पिछली बार यह संख्या 1.87 करोड़ थी।
  - नोडल मंत्रालय:
    - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA):
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की श्रेणियाँ:
  - 1 लाख से कम आबादी:
    - महाराष्ट्र के वीटा, लोनावाला और सासवड शहर क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर रहे।

नोट :

- 1 लाख से अधिक जनसंख्या:
  - लगातार 5वें वर्ष इंदौर (मध्य प्रदेश) को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से नवाजा गया, जबकि सूरत और विजयवाड़ा ने क्रमश: दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया।
  - मध्य प्रदेश में होशंगाबाद 'सबसे तेज़ गति से गतिमान शहर' के रूप में उभरा और इस प्रकार इसने शीर्ष 100 शहरों में 87वाँ स्थान हासिल किया।
- बेस्ट गंगा टाउन: वाराणसी।
- सबसे स्वच्छ छावनी: अहमदाबाद छावनी 'भारत की सबसे स्वच्छ छावनी' घोषित की गई, उसके पश्चात् मेरठ छावनी और दिल्ली छावनी का स्थान है।
- सबसे स्वच्छ राज्य:
  - 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य:
  - छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे वर्ष भारत के 'सबसे स्वच्छ राज्य' के रूप में सम्मानित किया गया है।
  - कर्नाटक "फास्टेस्ट मूवर स्टेट' (Fastest Mover State) के रूप में उभरा है।
  - 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय (ULB) वाले राज्य:
  - झारखंड ने दूसरी बार "शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी" में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता।
  - मिजोरम छोटे (100 से कम ULB) राज्य की श्रेणी में 'फास्टेस्ट मूवर स्टेट' के रूप में उभरा।

- प्रेरक दौर सम्मान:
  - स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत एक नई प्रदर्शन श्रेणी शुरू की गई, पाँच शहरों- इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति को 'दिव्य' (प्लैटिनम) के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- अन्य सम्मान:
  - सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
    - सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत भाग लेने वाले 246 शहरों में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लोर और देवास हैं, जबकि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ हैं।
  - भारत में 5-स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर:
    - कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 9 शहरों को 5-स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया, जबकि 143 शहरों को 3-स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया।
    - MoHU द्वारा स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वर्ष 2018 में शुरू किया गया था ताकि शहरों को कचरा मुक्त करने हेतु एक तंत्र को संस्थागत रूप दिया जा सके और शहरों को स्थायी स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जा सके।
    - कुल 9 शहरों- इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन को 5-स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0

- बजट 2021-22 में घोषित SBM-U 2.0, SBM-U के पहले चरण की निरंतरता है।
- सरकार शौचालयों में स्वच्छता संबंधित उपायों को लागू करने, मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का दोहन करने की कोशिश कर रही है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक पाँच वर्षों के लिये लागू किया जाएगा।
- यह कचरे के स्रोत का पृथक्करण, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंसक गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और सभी पुराने डंप साइटों के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है।
- इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक ढंग से उपचारित किया जाएगा और सरकार इसके अधिकतम पुन: उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है।

नोट :

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक 'संयुक्त संसदीय समिति' (JPC) ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019 पर मसौदा रिपोर्ट को बहुमत से अपनाया है।

- विधेयक को जल्द ही संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस संयुक्त संसदीय समिति को दो साल में बिल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पाँच बार कार्यकाल विस्तार मिला है।

प्रमुख बिंदु

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक:
  - इसे पहली बार वर्ष 2019 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और उसी समय जाँच के लिये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
    - अगस्त 2017 में पुट्टस्वामी वाद में 'निजता के अधिकार' को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।
  - इसे आमतौर पर 'गोपनीयता विधेयक" के रूप में जाना जाता है, जो कि व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, आदान-प्रदान और प्रसंस्करण को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।
  - यह विधेयक एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य यह विनियमित करना है कि विभिन्न कंपनियाँ और संगठन भारत के अंदर व्यक्तिगत डेटा का किस प्रकार उपयोग करेंगी।
  - विधेयक के वर्ष 2019 के मसौदे में एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA) के गठन का प्रस्ताव है, जो देश के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को नियंत्रित करेगा।
- रिपोर्ट्स:
  - खंड 35/अपवाद खंड:
    - समिति ने मामूली बदलाव के साथ इस खंड को बरकरार रखा है।
    - यह सरकार को अपनी किसी भी एजेंसी को कानून के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है।
    - इस धारा के तहत "भारत की संप्रभुता", "सार्वजनिक व्यवस्था", "विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध" और "राज्य की सुरक्षा" संबंधी मामले का हवाला देकर केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी को कानून के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट की अनुमति दे सकती है।
    - यह अनुच्छेद "कुछ वैध उद्देश्यों" के लिये है और संविधान के अनुच्छेद 19 तथा पुट्टस्वामी निर्णय के तहत इस प्रावधान की गारंटी देता है कि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
  - सिफारिशें:
    - डेटा स्थानीयकरण पर नीति:
    - Ripple (US) और INSTEX (EU) की तर्ज पर सीमा पार से भुगतान के लिये एक वैकल्पिक स्वदेशी वित्तीय प्रणाली का विकास और साथ ही केंद्र सरकार, सभी क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से डेटा स्थानीयकरण पर एक व्यापक नीति तैयार व घोषित करे।
    - डिजिटल उपकरणों के लिये प्रमाणन:
    - सरकार को सभी डिजिटल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों की औपचारिक प्रमाणन प्रक्रिया हेतु एक तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये जो डेटा सुरक्षा के संबंध में ऐसे सभी उपकरणों की अखंडता सुनिश्चित करेगा।
    - सोशल मीडिया की जवाबदेही:
    - इसने सिफारिश की है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, को प्रकाशकों के रूप में माना जाना चाहिये और उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के लिये उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा उनके प्लेटफॉर्म पर असत्यापित खातों की सामग्री हेतु ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

नोट :

- सरकार को महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्त्ताओं की सीमा और स्वैच्छिक उपयोगकर्त्ता सत्यापन की प्रक्रिया को भी परिभाषित करना चाहिये।
- डेटा साझीकरण:
- क्लॉज़ 94 (पहले क्लॉज 93) नियम बनाने के लिये सरकार को शक्तियाँ देने से संबंधित है, पैनल सिफारिश करता है कि सरकार यह तय करे कि कोई डेटा फिड्यूशरी किसी भी व्यक्ति के व्यावसायिक लेन-देन के हिस्से के रूप में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत डेटा साझा, स्थानांतरित या प्रसारित कर सकता है।
- एक डेटा न्यासी एक इकाई या व्यक्ति है जो व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने का साधन और उद्देश्य तय करता है।
- सरकार को इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना चाहिये कि क्या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को किसी विदेशी सरकार या एजेंसी के साथ साझा किया जा सकता है।
- ये सिफारिशें सरकार को पत्रकार संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिये भविष्य की एक वैधानिक संस्था स्थापित करने की गुंजाइश भी प्रदान करती हैं।
- सिफारिशों में सुझाव दिया गया है कि सरकार उन प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वालों के लिये जुर्माना तय करेगी, जिन्हें पहले बिल के हिस्से के रूप में कंपनी के वैश्विक कारोबार के संबंध में परिभाषित किया गया था।

- चिंताएँ:
  - समिति ने संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। हालाँकि राज्य को इस अधिनियम को लागू करने से छूट का अधिकार दिया गया है, इस शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकता है।
  - यह विधेयक दो सामानांतर विरोधाभासी प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। जहाँ एक ओर यह भारतीयों को डेटा-स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर उनके निजी डेटा की रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर इस विधेयक में केंद्र सरकार को छूट प्रदान की गई है, जो कि निजी डेटा को संसाधित करने के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
  - एक विधेयक जो कि 'राज्य' और उसके उपकरणों को या तो हमेशा के लिये या सीमित अवधि हेतु व्यापक छूट प्रदान करने का प्रयास करता है, पुट्टस्वामी निर्णय (Puttaswamy judgement) में निर्धारित गोपनीयता, मौलिक अधिकार की कानूनी शक्ति से परे है।
  - विधेयक निजता के अधिकार की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करता है तथा सरकार को अत्यधिक छूट देता है। खंड 35 सरकार को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करता है।
  - विधेयक "निगरानी और एक आधुनिक निगरानी ढाँचे को स्थापित करने के प्रयास से उत्पन्न होने वाले नुकसान" पर बहुत कम ध्यान देता है।
  - बिल में हार्डवेयर निर्माताओं (Hardware Manufacturers) द्वारा डेटा के संग्रह पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

पेसा अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के तहत मसौदा नियम तैयार किये हैं, इसे छत्तीसगढ़ पंचायत प्रावधान (अनुसूचित का विस्तार) नियम, 2021 करार दिया है।

- छत्तीसगढ़ में आदिवासी कुछ समय से पेसा नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें अपने संसाधनों पर अधिक अधिकार मिलेगा।
- विधेयक में शक्ति के अवमूल्यन और ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं को मज़बूत करने की परिकल्पना की गई है।
- छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र) ने पेसा कानून बनाए हैं और यदि ये नियम लागू होते हैं तो छत्तीसगढ़ इन्हें लागू करने वाला सातवाँ राज्य बन जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पेसा अधिनियम 1996 के बारे में:
  - पृष्ठभूमि: ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिये 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया था।
    - इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया।
    - हालाँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था।
    - वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिये पेसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया।
  - राज्य सरकार की भूमिका: पेसा, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्राम सभाओं (ग्राम विधानसभाओं) के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया था।
  - राज्य सरकारों को अपने संबंधित पंचायत राज अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता थी जो कि पेसा के जनादेश के साथ असंगत होगा।
  - उद्देश्य: यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है।
    - यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है।
- पेसा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्व:
  - लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: पेसा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इस प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल है:
    - जल, जंगल, ज़मीन पर संसाधन।
    - लघु वनोत्पाद।
    - मानव संसाधन: प्रक्रियाएँ और कार्मिक जो नीतियों को लागू करते हैं।
    - स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन।
    - भूमि अलगाव को रोकना।
    - नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना।
  - पहचान का संरक्षण: ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण और एक गाँव के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण शामिल है।
  - संघर्षों का समाधान: इस प्रकार पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों और परिवेश के सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
  - पब्लिक वॉचडॉग: ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी और निषेध करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- पेसा से संबंधित मुद्दे:
  - आंशिक कार्यान्वयन: राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य कानूनों को अधिनियमित करना चाहिये।
    - इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
    - आंशिक कार्यान्वयन ने आदिवासी क्षेत्रों, जैसे- झारखंड में स्वशासन को विकृत कर दिया है।
  - प्रशासनिक बाधाएँ: कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।
  - वास्तविकता के स्थान पर कागज़ी अनुसरण: राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और निर्णय लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

नोट :

भारत की जनजातीय नीति:

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारतीय संविधान का भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी दी गई है।
  - संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
- जनजातीय पंचशील नीति।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

आगे की राह

- यदि पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू किया जाता है, तो यह आदिवासी क्षेत्र में मरणासन्न स्वशासन प्रणाली को फिर से जीवंत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिक लिंग-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, वर्ष 2020 में सत्तावाद की ओर बढ़ने वाले देशों की संख्या उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों की तुलना में अधिक थी।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इस रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक बहस को प्रभावित करना और वर्तमान रुझानों व लोकतंत्र के लिये चुनौतियों का विश्लेषण करना है, जो कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ गई हैं।
  - यह नीति निर्माताओं, सरकारों और लोकतंत्र का समर्थन करने वाले नागरिक समाज संगठनों की नवीन सोच को जाग्रत करने के लिये विशिष्ट नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
  - इसे 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' (आईडीईए) द्वारा जारी किया गया है।
- लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में:
  - 'इंटरनेशनल आइडिया' एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करता है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्तमान में 33 देश इसके सदस्य हैं।
  - यह सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा सुरक्षा समर्थन के माध्यम से सार्वभौमिक मानव आकांक्षा और सतत् विकास के एक प्रवर्तक के रूप में दुनिया भर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है।
- रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:
  - लोकतांत्रिक गिरावट: स्थापित लोकतंत्रों सहित लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें तेज़ी से सत्तावादी रणनीति अपना रही हैं।
  - महामारी का प्रभाव: महामारी ने आंदोलन पर अपरिहार्य प्रतिबंध लगाकर पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र पर काफी ज़ोर दिया, जहाँ सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आलोचना के प्रति संवेदनशील थीं।
    - निरंकुशता के संकट से प्रभावित देशों की संख्या के मामले में वर्ष 2020 में सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया गया।
    - इस प्रकार महामारी का गैर-लोकतांत्रिक देशों पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्होंने नागरिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों को पहले ही बंद कर दिया था।

नोट :

- प्रचलित समर्थन: इस डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग (Democratic Backsliding) को अक्सर महत्त्वपूर्ण प्रचलित/लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ है।
- भारतीय परिदृश्य: रिपोर्ट में ब्राज़ील और भारत के मामले को "बैकस्लाइडिंग के कुछ सबसे चिंताजनक उदाहरणों" के रूप में उजागर किया गया है।
  - हालाँकि वर्ष 2000 से ही भारत एक मध्य-स्तरीय प्रदर्शन करने वाले लोकतंत्र की श्रेणी में आता है।

- प्रमुख सुझाव:
  - नए सामाजिक अनुबंध: राजनीतिक या नागरिक सुधारों को पूरा करने या एक नया सामाजिक अनुबंध विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह लोगों की इच्छाओं और वर्तमान सरकारों के
  - कार्यों के बीच के अंतराल को पाटता है।
    - यह कार्य सतत् विकास की दिशा में उन्मुख उत्तरदायी, समावेशी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों को डिज़ाइन करके किया जा सकता है।
  - संस्थानों को मज़बूत बनाना: स्थापित लोकतंत्रों में प्रथाओं को अद्यतन कर, नए लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक क्षमता का निर्माण करके और चुनावी अखंडता, मौलिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा एवं संपन्न लोकतांत्रिक प्रणालियों हेतु आवश्यक जाँच व संतुलन द्वारा मौजूदा संस्थानों का पुनर्निर्माण करना।
  - नागरिक समाज को मज़बूत बनाना: शिक्षा में निवेश और स्वतंत्र नागरिक समाज के समर्थन द्वारा दुष्प्रचार का मुकाबला कर तथा लोकतांत्रिक संस्कृतियों, मूल्यों व प्रथाओं का विकास करने वाले मुक्त और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करके बढ़ते अधिनायकवाद और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को रोका जा सकता है।

एसडीजी शहरी सूचकांक: नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने 'सतत् विकास लक्ष्य (SDG) शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड' 2021-22 जारी किया।

- इससे पूर्व जून 2021 में 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21' का तीसरा संस्करण जारी किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी' (GIZ) तथा BMZ के बीच सहयोग का परिणाम है, जो भारत-जर्मन विकास सहयोग के तहत शहरों में एसडीजी स्थानीयकरण के क्रियान्वयन पर केंद्रित है।
  - इसमें एसडीजी ढाँचे के 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान करना है।
  - यह एसडीजी स्थानीयकरण को और मज़बूत करेगा तथा शहर स्तर पर मज़बूत एसडीजी निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- रैंकिंग स्केल:
  - शहरी क्षेत्रों को 0-100 के पैमाने पर रैंक प्रदान किया गया है।
  - 100 के स्कोर का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र ने वर्ष 2030 के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; 0 के स्कोर का अर्थ है कि यह शहरी क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने से कफी दूर है।
  - शहरी क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिये लक्ष्यवार स्कोर से समग्र शहरी क्षेत्र का स्कोर प्राप्त किया जाता है।
  - शहरी क्षेत्रों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
    - आकांक्षी: 0-49

नोट :

- परफॉर्मर: 50-64
- फ्रंट-रनर: 65-99
- अचीवर: 100

- राज्यों का प्रदर्शन:
  - शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:
    - शिमला, कोयंबटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि।
  - सबसे खराब प्रदर्शनकर्त्ता:
    - धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना।
- सूचकांक का महत्त्व:
  - शहर तीव्र गति से विकास का इंजन बन रहे हैं। 'एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड' शहरों में एक मज़बूत एसडीजी निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है और यह भारत की एसडीजी स्थानीयकरण यात्रा में एक अनिवार्य भूमिका अदा करेगा।
    - नीति आयोग का विचार है कि भारत में विकास के मार्ग को निर्धारित करने में शहरों और शहरी क्षेत्रों की बढ़ती प्रमुखता को देखते हुए यह परिवर्तनकारी बदलाव काफी आवश्यक है।
  - यह शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर के डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम की शक्ति और अंतराल पर प्रकाश डालता है।

भारत-जर्मन विकास सहयोग:

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2008 में भारत-जर्मन विकास सहयोग के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 1950 के दशक में शुरू हुआ भारत-जर्मन सहयोग इतनी तेज़ी से बढ़ा कि कुछ ही समय में भारत जर्मन विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता बन गया।
  - ओडिशा में 'राउरकेला स्टील प्लांट' का निर्माण 1960 के दशक की शुरुआत में इस गहन सहयोग का उदहारण था।
  - बाद में दोनों देशों ने भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की।
  - 1990 के दशक में दोनों देशों ने गरीबी में कमी एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास के क्षेत्र में सहयोग किया।
- परिचय:
  - भारत-जर्मन विकास सहयोग भारत-जर्मन रणनीतिक साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है।
  - दोनों देश सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals- MDG) को प्राप्त करने के लिये समान रूप से प्रतिबद्ध हैं, इसके अलावा वे जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों से निपटना चाहते हैं।
  - यह भारत और जर्मनी के बीच संबंधों के नीतिगत ढाँचे में बेहतर रूप से एकीकृत है।
  - जर्मनी द्वारा भारत को वैश्विक विकास भागीदारों में से एक के रूप में देखा जाता है जिसकी वैश्विक विकास के मुद्दों को हल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- कार्यक्रम केंद्र:
  - वर्तमान में भारत-जर्मन विकास सहयोग कार्यक्रम निम्नलिखित पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है:
    - ऊर्जा
    - प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
    - सतत् शहरी विकास

नोट :

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY-Phase V) को 4 महीने की अवधि यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ाने के लिये मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
    - वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
  - प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
    - इस योजना के चरण- I और चरण- II क्रमश: अप्रैल से जून, 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 तक संचालित थे।
    - योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक संचालित था।
    - योजना का चौथा चरण वर्तमान में जुलाई-नवंबर 2021 के लिये संचालित है।
  - इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - PMGKAY के इस नए संस्करण में इसके महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है जो कि वर्ष 2020 के PMGKAY में उपस्थित था: NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के लिये प्रतिमाह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल।
- व्यय:
  - पीएमजीकेएवाई चरण I- V में सरकार लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
  - PMGKAY-V में 53344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी।
- अब तक आवंटन:
  - PMGKAY (चरण 1 से 4) के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन (LMT) खाद्यान्न का आवंटन किया गया, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपए की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।
  - PMGKAY 4 के तहत वितरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है और अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 93.8% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- महत्त्व:
  - यह दैनिक श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के मद्देनज़र अपनी नौकरी खो दी।
- चुनौती:
  - एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अंतिम जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तब से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अब इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

नोट :

आधार 2.0 कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'आधार 2.0- डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के नए युग की शुरुआत' नामक एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- कार्यशाला का उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रमुख सुधारों और योजनाओं में डिजिटल पहचान हेतु पहुँच का विश्लेषण करना है।
- इसका उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय दोनों तरह से सार्वभौमिक समावेशन प्राप्त करने के लिये डिजिटल पहचान के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह भारत और विदेशों में डिजिटल पहचान पर काम कर रहे सरकार और उद्योग जगत के नेताओं, प्रख्यात शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों तथा चिकित्सकों के साथ विचारों को साझा करने व आदान-प्रदान करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
  - यह कार्यशाला भारत-विशिष्ट चुनौतियों और लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नियामक ढाँचे, कानूनी नीति व शासन के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के अवसरों को दर्शाते हुए क्षेत्रीय एवं वैश्विक बहस में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगी।
- प्रमुख चर्चाएँ:
  - आधार के उपयोग का विस्तार: 'SWIK' नियमों (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) के आलोक में 'आधार' स्वयं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पहचान सत्यापन के मुख्य प्रवर्तकों में से एक के रूप में जारी रख सकता है।
    - उदाहरण के लिये 'आधार' ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिये उपयोगी हो सकता है।
  - आधार एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानक के रूप में: आधार को डिजिटल पहचान के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानकों के लिये एक रोडमैप और सीमाओं के पार अंतर्संचालनीयता के लिये रूपरेखा के रूप में विकसित किया जाना है।
  - क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग: आधार में बायोमेट्रिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके बेहतर बनाया जा सकता है।
    - ब्लॉकचेन आधारित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में आधार तथा इन नई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का पता लगाया जाना चाहिये।

आधार:

- परिचय:
  - आधार संख्या 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जारी की गई 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
  - कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है, चाहे वह किसी भी उम्र और लिंग का हो, आधार संख्या प्राप्त करने के लिये स्वेच्छा से नामांकन कर सकता है।
  - नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होगी जो पूरी तरह से नि:शुल्क है।
  - एक व्यक्ति को केवल एक बार आधार के लिये नामांकन करने की आवश्यकता होती है और डी-डुप्लीकेशन (De-Duplication) के बाद केवल एक आधार ही उत्पन्न होगा, क्योंकि विशिष्टता जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक, डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है।
- कानूनी ढाँचा: संसद ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया है जो पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है।

नोट :

- आधार के लाभ:
  - पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना: आधार नंबर ऑनलाइन एवं किफायती तरीके से सत्यापन योग्य है।
    - यह डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने में अद्वितीय है और इसका उपयोग कई सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता है जिससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलता है।
  - निचले स्तर तक मदद: आधार ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पहचान प्रदान की है जिनकी पहले कोई पहचान नहीं थी।
    - इसका उपयोग कई प्रकार की सेवाओं में किया गया है तथा इसने वित्तीय समावेशन, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सेवाओं, नागरिकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को पारदर्शिता लाने में मदद की है
  - तटस्थ: आधार संख्या किसी भी जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य और भूगोल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत नहीं करती है।
    - आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालाँकि आधार संख्या इसके धारक को नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
  - जन-केंद्रित शासन: आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, वित्तीय बजटों के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और बाधा मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक नीति उपकरण है।
  - स्थायी वित्तीय पता: आधार को स्थायी वित्तीय पते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा यह समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों को वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है, अत: इस कारण यह वितरण न्याय और समानता का एक उपकरण है।
    - इस प्रकार आधार पहचान मंच 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

ओ-स्मार्ट योजना

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-26 की अवधि के लिये 'महासागरीय सेवाएँ, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART)' योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है।
    - इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य महासागर विकास गतिविधियों जैसे कि प्रौद्योगिकी, सेवाओं, संसाधनों, निगरानी और अवलोकन के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था के पहलुओं को लागू करने के लिये आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
  - इसमें सात उप-योजनाएँ शामिल हैं जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के स्वायत्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - उप-योजनाएँ इस प्रकार हैं: महासागरीय प्रौद्योगिकी, महासागरीय मॉडलिंग और परामर्श सेवाएँ (OSMAS), समुद्री अवलोकन नेटवर्क (OON), समुद्री निर्जीव (नॉन-लिविंग) संसाधन, समुद्री सजीव संसाधन एवं इको-सिस्टम (MLRE), तटीय अनुसंधान एवं परिचालन, पोतों का अनुसंधान एवं रख-रखाव।
- उद्देश्य:
  - भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) में 'मरीन लिविंग रिसोर्सेज़' (Marine Living Resources) एवं भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में सूचना एकत्र करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना।
  - समय-समय पर भारत के तटीय जल का स्वच्छता मूल्यांकन करने के लिये समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करना। प्राकृतिक एवं मानवजनित गतिविधियों के कारण होने वाले तटीय कटाव के मूल्यांकन के लिये तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना।
  - भारत के आसपास के समुद्रों से रियल टाइम डेटा के लिये और महासागर प्रौद्योगिकी के परीक्षण एवं समुद्री प्रायोगिक गतिविधियों को पूरा करने हेतु अत्याधुनिक महासागर अवलोकन प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करना।

नोट :

- सामाजिक लाभ के लिये उपयोगकर्त्ता-उन्मुख महासागरीय सूचना, सलाह, चेतावनी, डेटा एवं डेटा उत्पादों का एक पैकेज तैयार करना एवं उसका प्रसारण करना।
- महासागर पूर्वानुमान एवं पुनर्विश्लेषण प्रणाली के लिये 'हाई रिज़ोल्यूशन मॉडल' विकसित करना।
- तटीय अनुसंधान हेतु उपग्रह डेटा के सत्यापन के लिये एल्गोरिदम विकसित करना।
- तटीय प्रदूषण की निगरानी, विभिन्न अंडरवाटर घटकों के परीक्षण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा उनके संचालन एवं रखरखाव का समर्थन करने के लिये तटीय अनुसंधान पोत (CRV) का अधिग्रहण करना।
- समुद्री जैव संसाधनों के निरीक्षण एवं निगरानी करने के लिये प्रौद्योगिकियों, समुद्र से मीठे जल व महासागरीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रौद्योगिकियों तथा अंडरवाटर वाहनों एवं प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।
- गिट्टी जल उपचार (Ballast Water Treatment) सुविधा सुनिश्चित करना।
  - जहाज़ों द्वारा गिट्टी जल का निर्वहन महासागरों में गैर-स्वदेशी प्रजातियों के प्रवेश के लिये ज़िम्मेदार है। यह एक बंदरगाह से जल ग्रहण करते हैं और दूसरे बंदरगाह में उसका निर्वहन करते हैं।
- गैस हाइड्रेट्स की जाँच करने के लिये मध्य हिंद महासागर बेसिन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को आवंटित किये गए 75000 वर्ग किमी. के स्थान पर 5500 मीटर तक की गहराई से पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Poly Metallic Nodules) की खोज को पूरा करना।
  - पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स जिसे मैंगनीज़ नोड्यूल (Manganese Nodules) भी कहा जाता है, एक कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज़ हाइड्रॉक्साइड (Manganese Hydroxides) की संकेंद्रित परतों से निर्मित चट्टानें हैं।
  - पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स में तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़, लोहा, सीसा, जस्ता, एल्युमीनियम, चांदी, सोना और प्लेटिनम आदि कई धातुएँ होती हैं। परिवर्तनशील संरचनाओं में और महासागरीय क्रस्ट के गहरे आंतरिक भाग से ऊपर उठने वाले गर्म मैग्मा से गर्म तरल पदार्थ का अवक्षेपण होता है।
  - भारत के लिये पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) का खनन सामरिक महत्त्व का है क्योंकि भारत में इन धातुओं के कोई स्थलीय स्रोत विद्यमान नहीं हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा रॉड्रिक्स ट्रिपल जंक्शन (कन्वर्जेन्स ऑफ सेंट्रल इंडियन रिज, दक्षिण-पूर्व भारतीय रिज और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज) के पास पॉलीमेटैलिक सल्फाइड की खोज हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारत को 10000 वर्ग किमी. क्षेत्र आवंटित है।
- EEZ से आगे फैले महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf) पर भारत के दावे को वैज्ञानिक डेटा और भारत के EEZ के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

- महत्त्व:
  - यह व्यापक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों के साथ समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा।
  - यह सतत् तरीके से समुद्री संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग के लिये नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) पर एक राष्ट्रीय नीति की दिशा में भारत के योगदान को मज़बूत करने में सहायता करेगा।
  - यह योजना समुद्री क्षेत्र के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभिन्न तटीय हितधारकों को पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएँ प्रदान करने, समुद्री जीवन की संरक्षण रणनीति में जैव विविधता तथा तटीय प्रक्रिया को समझने की दिशा में संचालित गतिविधियों को मजबूत कर व्यापक कवरेज प्रदान करेगी।
  - यह महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-14 को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- प्रमुख उपलब्धियाँ:
  - इसने हिंद महासागर के आवंटित क्षेत्र में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के गहरे समुद्र में खनन पर व्यापक शोध हेतु भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA) के साथ अग्रणी निवेशक के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद की है।

नोट :

- इस योजना ने यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) में वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली के हिंद महासागर घटक को लागू करने में भारत को नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), हैदराबाद में तूफान, सुनामी जैसी समुद्री आपदाओं के लिये एक अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली भी स्थापित की गई है।

रिवर सिटीज एलायंस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज़ एलायंस (River Cities Alliance- RCA) लॉन्च किया है।

- यह भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत् प्रबंधन को लेकर भारत में एक समर्पित विचार मंच है।

प्रमुख बिंदु

- रिवर सिटीज़ एलायंस:
  - गठबंधन तीन व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता।
  - हालाँकि गठबंधन की शुरुआत गंगा बेसिन शहरों के साथ हुई थी, लेकिन इसे बेसिन से बाहर के शहरों को भी शामिल करने के लिये विस्तारित किया गया था। रिवर सिटीज़ एलायंस में निम्नलिखित शहर शामिल हैं:
  - देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बरहामपुर, हुगली-चिनसुराह, हावड़ा, जंगीपुर, महेशतला, राजमहल, साहिबगंज, अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा-वृंदावन, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर और विजयवाड़ा हैं।
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga- NMCG) और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (National Institute for Urban Affairs- NIUA) ने RCA को शुरू करने के लिये गठबंधन किया है।
- उद्देश्य:
  - सदस्य शहरों को शहरी नदियों के सतत् प्रबंधन हेतु महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करना।
  - नदी से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और उपकरणों को अपनाने की दिशा में काम करना।
  - शहरों के लिये शहरी नदी प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना और शहर-विशिष्ट क्षेत्रीय रणनीतियाँ विकसित करना जो स्थायी शहरी नदी प्रबंधन के लिये आवश्यक हैं।
- महत्त्व:
  - यह शहरों को एक-दूसरे की सफलताओं और असफलताओं से सीखने के साथ-साथ लोगों को नदियों से जोड़ने में सक्षम बनाएगा।
  - यह शहरों को उनकी नदियों से जोड़ने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यह बेसिन तथा उससे आगे के सभी शहरों के अनुकरण के लिये एक मॉडल हो सकता है।
  - यह नगर निगम के प्रशासकों और उनकी टीमों को पथ-प्रदर्शक पहल और एक-दूसरे से सीखने व प्रेरित करने का अवसर देगा।
  - यह शहरों को नदी के शासन संबंधी पहलुओं को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करता है और बाहरी आर्थिक निवेशों को आकर्षित करने हेतु उनकी जीवंतता में सुधार करता है, अत्याधुनिक ज्ञान और अवसंरचना के साथ-साथ अद्वितीय परियोजनाओं के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
- सिफारिशें
  - शहरों को अपनी नदियों के कायाकल्प के लिये उत्तरदायी होना चाहिये। इसे न केवल एक नियामक मानसिकता के साथ बल्कि एक विकासात्मक और सुविधाजनक दृष्टिकोण के साथ भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

नोट :

- शहरी जल चक्र तथा शहरी निर्माण के बीच एकीकरण के लिये एक रूपरेखा की आवश्यकता है।
- नदियों की बिगड़ती स्थिति के लिये बड़े पैमाने पर शहरों को उत्तरदायी ठहराया गया है और इसलिये कायाकल्प के प्रयासों में भी उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता होगी।
- शहरों के लिये योजना बनाते समय नदी संवेदनशील दृष्टिकोण को मुख्यधारा में अपनाने की आवश्यकता है।

संबंधित पहल

- नमामि गंगे कार्यक्रम: यह राष्ट्रीय नदी 'गंगा' के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- गंगा एक्शन प्लान: यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्ज़न और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA): इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया था।
- स्वच्छ गंगा कोष: इसे वर्ष 2014 में गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये बनाया गया था।
- भुवन-गंगा वेब एप: यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंगा में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया।

महिलाओं से संबंधित आँकड़े: एनएफएचएस 5

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 2019-21) के नवीनतम आँकड़े जारी किये गए हैं।

- इससे पहले वर्ष 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NFHS-5 2019-20 के पहले चरण का डेटा जारी किया गया था, जिसमें भारत में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर डेटा उपलब्ध कराया गया था।

प्रमुख बिंदु

- बाल विवाह की स्थिति:
  - 20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं की हिस्सेदारी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले शादी की थी, पिछले पाँच वर्षों में 27% से घटकर 23% हो गई है।
    - बाल विवाह उच्च प्रजनन क्षमता, न्यूनतम मातृत्त्व एवं शिशु स्वास्थ्य और महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति का एक प्रमुख निर्धारक है।
  - पश्चिम बंगाल और बिहार में बालिका विवाह (प्रत्येक राज्य में लगभग 41% ऐसी महिलाएँ) का प्रचलन सबसे अधिक था।
  - राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम उम्र के विवाहों के अनुपात में सबसे अधिक कमी देखी गई।
- बड़े पैमाने पर एनीमिया:
  - 2015-16 के 53% की तुलना में 2019-21 में 15-49 आयु वर्ग की 57% महिलाओं में एनीमिया पाया गया था, जबकि पुरुषों का आँकड़ा 22.7% से बढ़कर 25% हो गया।
  - 6-59 महीने (कुल 67.1%) आयु वर्ग के बच्चों के लिये सबसे अधिक वृद्धि (8.5%) देखी गई।
  - बड़े राज्यों में एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में और सबसे कम केरल में दर्ज की गई।
  - असम, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बच्चों में एनीमिया की दर सर्वाधिक चिंतनीय स्तर पर पहुँच गई है।

नोट :

- सुविधाओं में सुधार:
  - मणिपुर, मेघालय, असम और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में 90% से अधिक आबादी के पास पेयजल के बेहतर स्रोत हैं।
  - 2015-16 के बाद से बिहार, झारखंड आदि राज्यों में पेयजल तक पहुँच लगभग दोगुनी हो गई थी, लेकिन अधिकांश में यह 75% अंक से नीचे आ गया है।
- जिन महिलाओं के पास घर है:
  - दिल्ली में एकल या संयुक्त रूप से घर या ज़मीन की स्वामित्त्व वाली महिलाओं की संख्या में पिछले पाँच वर्षों में काफी गिरावट आई है।
  - जबकि 2015-16 में 35% महिलाओं के नाम पर घर या जमीन पंजीकृत थी, 2020-21 में घटकर यह 22.7% हो गया।
- जिन महिलाओं का बैंक खाता है:
  - जिन महिलाओं के पास बैंक खाता है, उनमें 8% की वृद्धि हुई है और जिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन है, उनमें 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
- इंटरनेट तक पहुँच:
  - 85% पुरुषों की तुलना में इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग 64% था। यह डेटा पिछले सर्वेक्षण में उपलब्ध नहीं था।
- घरेलू निर्णयों में भागीदारी:
  - यह 2015-16 के लगभग 74 प्रतिशत से बढ़कर अब 92 प्रतिशत हो गया है। इसमें घरेलू निर्णयों में विवाहित महिलाओं की भागीदारी जैसे- स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल, प्रमुख घरेलू खरीदारी और परिवार या रिश्तेदारों के यहाँ जाना आदि शामिल हैं।
- आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर:
  - यह पाँच साल में 2,548 रुपए से बढकर 8,518 रुपए हो गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में औसत आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर/अपनी जेब से किये गए खर्च में प्रति डिलीवरी महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
- मोटापे में वृद्धि:
  - पुरुषों और महिलाओं दोनों में मोटापा बढ़ा है। जहाँ 41.3% महिलाएँ अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त हैं, पुरुषों के संदर्भ में यह आँकड़ा 38% है। हालाँकि अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त पुरुषों के प्रतिशत में महिलाओं की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है।
- उच्च कुपोषण:
  - पाँच साल से कम उम्र के अविकसित (उम्र के हिसाब से बहुत कम), वेस्टिंग (ऊँचाई के हिसाब से कम वज़न) या कम वज़न वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आई है।
  - हालाँकि हर तीसरा बच्चा अभी भी जीर्ण अल्पपोषण (Chronic Undernourishment) से पीड़ित है, और हर पाँचवाँ बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है।
    - स्टंटिंग: मेघालय में व्यापकता रही, उसके बाद बिहार का स्थान है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में वर्ष 2015-16 के बाद से 5-7% की गिरावट दर्ज की गई।
    - वेस्टिंग: बिहार में कम वज़न के बच्चों की संख्या सबसे अधिक तथा इसके बाद गुजरात का स्थान आता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के आधार पर किया जाता है।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW) ने इस सर्वेक्षण के लिये समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences- IIPS) को नोडल एजेंसी के रूप में गठित किया है।
  - IIPS सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के लिये कई फील्ड संगठनों (Field Organizations- FO) के साथ सहयोग करता है।

नोट :

- सर्वेक्षण में भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की गई है:
  - प्रजनन क्षमता
  - शिशु और बाल मृत्यु दर
  - परिवार नियोजन की प्रथा
  - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
  - प्रजनन स्वास्थ्य
  - पोषण
  - एनीमिया
- स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता
- NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं:
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण व कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर अपेक्षित आवश्यक डेटा प्रदान करना।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना।
- NFHS के विभिन्न चरणों का वित्तपोषण USAID, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, UNFPA तथा MoHFW (भारत सरकार) द्वारा किया गया है।

आगे की राह

- एनएफएचएस के निष्कर्ष बालिकाओं की शिक्षा में अंतराल को समाप्त करने और महिलाओं तथा बच्चों की दयनीय पोषण स्थिति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं।
- वर्तमान समय में इन सेवाओं को सुलभ, वहनीय और सभी के लिये स्वीकार्य बनाने हेतु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और अन्य भागीदारों द्वारा एकीकृत व समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

संविधान दिवस: 26 नवंबर

चर्चा में क्यों ?

भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक भाग के रूप में 'संविधान दिवस' की पूर्व संध्या पर कानून और न्याय मंत्रालय ने 'भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम' शुरू किया।

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उद्देश्य मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित करने के लिये संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- यह नागरिकों को गौरवशाली संवैधानिक यात्रा से परिचित कराने और जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गोपनीयता के मुद्दों सहित देश के सर्वोच्च कानून को समझने में भी मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
  - इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
  - इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
  - 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया।

नोट :

- संविधान का निर्माण:
  - वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा।
  - वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिये चुनाव हुए।
  - भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिये कुल 13 समितियों का गठन किया।
  - इनमें 8 प्रमुख समितियाँ थीं और शेष छोटी थीं। प्रमुख समितियों और उनके प्रमुखों की सूची नीचे दी गई है:
    - मसौदा समिति- बी.आर. अंबेडकर
    - संघ शक्ति समिति- जवाहरलाल नेहरू
    - केंद्रीय संविधान समिति- जवाहरलाल नेहरू
    - प्रांतीय संविधान समिति- वल्लभभाई पटेल
    - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति- वल्लभभाई पटेल।
    - प्रक्रिया समिति के नियम- राजेंद्र प्रसाद
    - राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिये समिति)- जवाहरलाल नेहरू
    - संचालन समिति- राजेंद्र प्रसाद
- भारत के संविधान के बारे में तथ्य:
  - दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान।
  - एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली।
  - सरकार का संसदीय स्वरूप।
  - संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
  - भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ टाइप या मुद्रित नहीं थीं। वे हस्तलिखित हैं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियाँ लिखी थीं।मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा गया था।
  - भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
  - भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है।

अन्य संबंधित स्मरणीय जानकारी:

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना
- भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण लेख (भाग I और II)
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- संसद
- प्रमुख संवैधानिक संशोधन
- आपातकालीन प्रावधान

एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने राज्यों तथा छोटे शहरों को एक सेवा के रूप में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs) प्रदान करने के लिये अपनी सिफारिश को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य 100 नागरिक अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी बस्तियों का विकास करना है तथा प्रत्येक शहर के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs) स्थापित करना है।
  - ये ICCCs, अधिकारियों को रियल टाइम में विभिन्न सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
  - ICCCs का उद्देश्य शुरू में पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात परिचालन, एकीकृत भवन प्रबंधन, शहर की कनेक्टिविटी व इंटरनेट के बुनियादी ढाँचे का नियंत्रण एवं निगरानी करना था।
    - हालाँकि ये केंद्र अब विभिन्न अन्य मापदंडों की भी निगरानी करेंगे तथा गृह मंत्रालय (MHA) के तहत अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं।
  - MoHUA का उद्देश्य ICCC मॉडल को अंतिम रूप देना और छह प्रमुख राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में एक पायलट परियोजना को लागू करना है।
  - अब तक इन ICCCs को 69 शहरों में परिचालित किया गया है, जिसमें अगरतला, इंदौर और वड़ोदरा इन केंद्रों के एक स्थायी व्यवसाय के लिये सर्वश्रेष्ठ मॉडल हैं।
- स्मार्ट सिटी मिशन:
  - स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में: यह भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक अभिनव पहल है, जिसे नागरिकों के लिये स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में स्थानीय विकास और प्रौद्योगिकी के दोहन को सक्षम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।
  - उद्देश्य: इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा 'स्मार्ट' समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं।
  - फोकस: सतत् और समावेशी विकास तथा कॉम्पैक्ट क्षेत्रों पर प्रभाव के लिये एक प्रतिकृति मॉडल का निर्माण करना जो अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों हेतु एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा।
  - रणनीति:
    - पैन-सिटी (Pan-City) पहल जिसमें कम-से-कम एक स्मार्ट समाधान पूरे शहर में लागू किया जाता है।
    - इन तीन मॉडलों की सहायता से क्षेत्रों का चरण-दर-चरण विकास किया जाता है:
    - रेट्रोफिटिंग
    - पुनर्विकास
    - ग्रीनफील्ड
  - कवरेज और अवधि: यह मिशन वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये 100 शहरों को कवर करता है।
  - वित्तपोषण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 28 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (National Cadet Corps- NCC) द्वारा अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय ने सीमा और तटीय ज़िलों में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के विस्तार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
- मार्च 2021 में केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का आदेश दिया, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स:
  - NCC का गठन वर्ष 1948 (एच.एन. कुंजरु समिति-1946 की सिफारिश पर) में किया गया था और इसकी जड़ें ब्रिटिश युग में गठित युवा संस्थाओं, जैसे-यूनिवर्सिटी कॉर्प्स या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स (University Corps or University Officer Training Corps) में हैं।
    - इसके इतिहास को 'यूनिवर्सिटी कॉर्प्स' (University Corps) से जाना जा सकता है, जिसे भारतीय सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम, 1917 के तहत निर्मित किया गया था।
    - बाद में वर्ष 1949 में NCC का विस्तार गर्ल्स डिवीज़न को शामिल करने हेतु किया गया ताकि देश की रक्षा के लिये इच्छुक महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके।
    - वर्तमान में इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना विंग के लगभग 14 लाख कैडेट हैं।
  - NCC विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है तथा विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है।
    - NCC कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इसमें सशस्त्र बलों तथा उनके कामकाज से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की बुनियादी बातें भी शामिल हैं।
    - विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियाँ और सैन्य प्रशिक्षण शिविर NCC प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
- मंत्रालय:
  - NCC रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्त्व थ्री स्टार सैन्य रैंक का महानिदेशक करता है।
- महत्त्व:
  - NCC कैडेटों ने वर्षों से विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान राहत प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - चल रही महामारी के दौरान 60,000 से अधिक NCC कैडेटों को देश भर में ज़िला और राज्य प्राधिकरण के साथ समन्वय में स्वैच्छिक राहत कार्य के लिये तैनात किया गया है।
  - कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में विभिन्न पहलों के माध्यम से कैडेटों द्वारा दिये गए योगदान की देश भर के लोगों ने व्यापक रूप से सराहना की है।
  - कैडेटों ने 'स्वच्छता अभियान', 'मेगा प्रदूषण पखवाड़ा' में पूरे मनोयोग से भाग लिया और 'डिजिटल साक्षरता','अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस','वृक्षारोपण'तथा कोविड-19 टीकाकरण अभियान आदि जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - NCC की बहुमुखी गतिविधियाँ और विविध पाठ्यक्रम, युवाओं को आत्म-विकास के लिये अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं।
  - अनेक कैडेट्स ने खेल और रोमांच (Adventure) के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से देश और संगठन को गौरवान्वित किया है।
  - NCC वर्तमान युवाओं को कल के ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में ढालने की दिशा में अपने अथक प्रयास जारी रखे हुए है।

गेरीमैंडरिंग और अमेरिकी लोकतंत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी जनसंख्या के 2020 की जनगणना के परिणाम प्रस्तुत किये गए थे। यहाँ लगभग हर दशक में अमेरिकी कॉन्ग्रेस और राज्यों के विधायी ज़िलों में 'गेरीमैंडरिंग ' (अनुचित लाभ की नियत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण) की प्रक्रिया अपनाई गई है।

- गेरीमैंडरिंग या पुनर्वितरण चुनावी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है। हालाँकि अमेरिका में लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिये इस अभ्यास की आलोचना की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि: गेरीमैंडरिंग शब्द 'एलब्रिज गेरी मैसाचुसेट्स' प्रशासन के नाम से लिया गया है, जिसके प्रशासन ने वर्ष 1812 में नए राज्य सीनेटरियल ज़िलों को परिभाषित करते हुए एक कानून बनाया था।
- अंतर्निहित सिद्धांत: पुनर्वितरण के पीछे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारियों का चुनाव जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आदर्श का प्रतीक है।
- लोकतंत्र को कम आँकना: किसी भी प्रकार की गैर-मौजूदगी के लिये एक बुनियादी आपत्ति यह है कि यह चुनावी विभाजन के दो सिद्धांतों का उल्लंघन करती है- निर्वाचन क्षेत्रों के आकार की कॉम्पैक्टनेस और समानता।
- अमेरिकी लोकतंत्र के साथ मुद्दा: अमेरिका में एक विशिष्ट दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति है जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।
  - हालाँकि अमेरिका में शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का घनत्व ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा है।
  - इस परिदृश्य में रिपब्लिकन पार्टी ने ग्रामीण मतदाताओं की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिये चुनावी ज़िलों में गेरीमैंडर व्यवस्था लागू की है।
  - इसका आशय एक राजनीतिक दल को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर अनुचित लाभ लेना या जातीय, भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों की मतदान शक्ति को कमज़ोर करना है।

भारत के साथ तुलना:

- परिसीमन आयोग: भारत में राजनीतिक पुनर्वितरण को भारत के परिसीमन आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिये लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं के फिर से निर्धारण का कार्य है। इस प्रक्रिया में किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है और केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
  - अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- अंतर्निहित सिद्धांत: जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
  - भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को अनुचित लाभ प्राप्त न हो।
  - 'एक वोट एक मूल्य' के सिद्धांत का पालन करना।
- अब तक के परिसीमन आयोग: वर्ष 1952, वर्ष 1962, वर्ष 1972 और वर्ष 2002 के अधिनियमों के तहत चार बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
  - पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (चुनाव आयोग की मदद से) वर्ष 1950-51 में किया गया था।
  - वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ।
  - वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने वर्ष 1971 के स्तर पर वर्ष 2000 तक राज्यों को लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को निर्धारित कर दिया।
  - इसके अलावा वर्ष 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम ने वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की कुल संख्या को प्रभावित किये बिना इस प्रतिबंध को और 25 वर्षों (यानी वर्ष 2026 तक) के लिये बढ़ा दिया।
    - वर्ष 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम ने सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुन: समायोजन और युक्तिकरण का अधिकार दिया।
  - इसके पश्चात् वर्ष 2003 के 87वें संशोधन अधिनियम ने वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर।
    - इस प्रकार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में परिसीमन की वर्तमान स्थिति 2026 तक स्थिर है।

नोट :

परिसीमन आयोग:

- परिचय:
  - परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
  - भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च निकाय है, जिसके आदेश संसद के कानून के समान होते हैं और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- संरचना:
  - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  - मुख्य चुनाव आयुक्त
  - संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।
- निर्णय:
  - आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होती है।
- कार्य:
  - सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समान बनाने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं सीमाओं का निर्धारण करना।
  - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक हो।

इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम (India Young Water Professional Programme) के पहले संस्करण की शुरुआत की गई।

- यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया-भारत जल संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य का जल नेतृत्वकर्त्ता तैयार करना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया है। इसे ऑस्ट्रेलिया-इंडिया वाटर सेंटर (ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय विश्वविद्यालयों का एक संघ) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
  - यह एंगेज्ड ट्रेनिंग एंड लर्निंग मॉडल (Engaged Training and Learning Model) पर केंद्रित है। कार्यक्रम का लक्ष्य होगा 70-20-10 फ्रेमवर्क के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, जिसमें कहा गया है कि सीखने के लिये तीन प्रकार के अनुभव की आवश्यकता होती है:
    - एक्सपीरिएंस 70% (नौकरी के लिये सीखना और विकास करना)
    - एक्सपोज़र 20% (दूसरों के माध्यम से सीखना और विकास करना)
    - एजुकेशन 10% (औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना और विकास करना)
  - यह लैंगिक समानता और विविधता पर भी ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि स्थायी जल प्रबंधन का लाभ केवल समाज के सभी सदस्यों के विचारों और कौशल से प्राप्त हो सकता है।
  - यह परिणाम-संचालित है और जब तक ये कार्यक्रम पूर्ण हो जाएंगे तब तक प्रतिभागियों के पास कुछ उपकरण और तकनीकें होंगी।
  - इस संस्करण की सफलता के आधार पर वर्ष 2022 के उत्तरार्द्ध में यंग वाटर प्रोफेशनल (YWP) के दूसरे चरण की योजना बनाई जाएगी।

नोट :

- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य भारत में जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिये रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण हेतु एक संरचनात्मक मंच प्रदान करना है।
  - वाटर प्रोफेशनल्स को आवश्यक कौशल, ज्ञान, व्यवहार और नेटवर्क से सुसज्जित किया जाएगा जो उन्हें भारत में जल संसाधनों के विकास व प्रबंधन में योगदान करने और भारत में जल क्षेत्र की क्षमता संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करने में सक्षम बनाता है।
- महत्त्व:
  - यह सतही जल बनाम भूजल के साइलो (Silos) को तोड़ने में मदद करेगा और जल संसाधन प्रबंधन के बारे में प्रतिभागी के व्यापक दृष्टिकोण को उपलब्ध कराएगा।
- संबंधित पहलें:
  - जल क्रांति अभियान।
  - राष्ट्रीय जल मिशन।
  - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।
  - नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक।
  - जल जीवन मिशन।
  - जल शक्ति अभियान
  - अटल भूजल योजना

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:

- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के बारे में:
  - इसे वर्ष 2016 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था और यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है।
- उद्देश्य:
  - जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, विश्वसनीयता और पहुँच में सुधार करना।
  - भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मज़बूत करना।
  - प्रभावी जल संसाधन विकास और कुशल प्रबंधन के लिये मार्ग प्रशस्त करने वाली विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- परियोजना लाभार्थी:
  - नदी बेसिन संगठनों सहित सतह और/या भूजल नियोजन एवं प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार केंद्रीय तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ।
  - विश्व भर तथा विभिन्न क्षेत्रों में 'जल संसाधन सूचना प्रणाली' (WRIS) के उपयोगकर्त्ता।
    - WRIS जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति और जल सुरक्षा के समग्र लक्ष्य की दिशा में उनकी रुचि को आकर्षित कर प्रभावी प्रबंधन हेतु जनता एवं हितधारकों के बीच जागरूकता में वृद्धि सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की गई। क्रिप्टो बाज़ार की अनियमित प्रकृति का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री द्वारा प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम उठाने का आह्वान किया गया।

- फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी हेतु कोई कानूनी विधान नहीं है। भारत में, क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अवैध नहीं है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा लगाया गया था।
- चीन ने अपने यहाँ क्रिप्टोकरेंसी में सभी लेन-देन को अवैध घोषित कर प्रभावी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जबकि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लाभ:
  - तीव्र और सस्ते लेन-देन: अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को निष्पादित करने के लिये क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना सस्ता है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन को उनके गंतव्य तक पहुँचने से पहले बिचौलियों की श्रृंखला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।
  - निवेश गंतव्य: क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति सीमित है- आंशिक रूप से सोने की तरह। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत तेज़ी से बढ़ी है।
    - इसके कारण लोगों का झुकाव क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का अधिक देखा जा सकता है।
  - मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा: क्रिप्टोकरेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफी हद तक 'वृद्धिमान प्रक्षेप वक्र' (Growing Trajectory) द्वारा निर्धारित होती हैं। इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अपने पास रखना अधिक पसंद करते हैं।
    - इससे मुद्रा पर अपवस्फीतिकारी प्रभाव (Deflationary Effect) उत्पन्न होगा।
- क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित चिंताएँ:
  - विज्ञापन की अत्यधिक संख्या: प्राय: क्रिप्टो बाज़ार को त्वरित लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इसके कारण लोगों को इस बाज़ार में सट्टा लगाने के लिये लुभाने हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विज्ञापनों का व्यापक संख्या में प्रयोग किया जा रहा है।
    - हालाँकि, चिंता यह है कि इस प्रकार के विज्ञापनों की अत्यधिक संख्या और इनमें मौजूद 'गैर-पारदर्शीता' के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
  - काउंटरप्रोडक्टिव उत्पाद: इसके परिणामस्वरूप अनियमित क्रिप्टो बाज़ार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मार्ग का निर्माण कर सकते हैं।
  - क्रिप्टोकरेंसी बेहद अस्थिर हैं: बिटकॉइन 40,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 65,000 अमेरिकी डॉलर (जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
    - फिर मई 2021 में, यह गिर गया और पूरे जून में यह 30,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे रहा।
  - मैक्रो इकॉनॉमिक और वित्तीय स्थिरता: क्रिप्टो एक्सचेंज के एक समूह के अनुसार, करोड़ों भारतीयों ने क्रिप्टो संपत्ति में 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

नोट :

- इस अनियमित परिसंपत्ति वर्ग में भारतीय खुदरा निवेशकों के निवेश जोखिम की सीमा, व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिये एक जोखिम है।

- स्टॉक मार्केट के मुद्दे: 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' (सेबी) ने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है कि क्रिप्टो मुद्राओं के 'समाशोधन और निपटान' पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, और यह प्रतिपक्ष गारंटी की पेशकश नहीं कर सकता जैसा कि शेयरों के लिये किया जा रहा है।
  - इसके अलावा, क्या क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा, वस्तु या प्रतिभूति है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- विधायी ढाँचा: भारत ने अभी तक 'क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021' को पेश नहीं किया है, जो 'आधिकारिक डिजिटल मुद्रा' के शुभारंभ के लिये नियामक ढाँचा तैयार करेगा।
  - इस प्रकार, बिल को पारित करने में तेज़ी लाने और क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक सहयोग: क्रिप्टोकरेंसी के ढाँचे के लिये वैश्विक भागीदारी और सामूहिक रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: यूपी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में:
  - यह लखनऊ ज़िले में मौजूदा लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (एनएच-731) के पास स्थित चांदसराय गाँव से शुरू होता है तथा गाजीपुर ज़िले में यूपी-बिहार सीमा से 18 किमी. दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हैदरिया गाँव में समाप्त होता है।
  - यह एक्सप्रेसवे एक औद्योगिक गलियारा बनाते हुए मौजूदा आगरा-लखनऊ और आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जो यूपी की पूर्वी से पश्चिमी सीमाओं तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
    - औद्योगिक गलियारा मूल रूप से एक गलियारा/रास्ता होता है जिसमें मल्टी -मोडल ट्रांसपोर्ट सेवाएँ (Multi-Modal Transport Services) शामिल होती हैं जो राज्यों से मुख्य मार्गों के रूप में गुज़रती हैं।
  - इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले ज़िले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर हैं।
- एक्सप्रेसवे की विशेषताएँ:
  - इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिये सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक रिचार्ज स्टेशन होंगे और इसे आगरा तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे द्वारा डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।
- अपेक्षित लाभ:
  - राज्य का पूर्वी क्षेत्र न केवल लखनऊ से बल्कि राष्ट्रीय राजधानी से भी आगरा-लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जाएगा।
  - यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
  - यह एक्सप्रेसवे निर्मित कृषि वस्तुओं और अन्य उत्पादों के लिये बड़े बाज़ारों तक बेहतर और त्वरित पहुँच प्रदान करेगा।
- उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नया नेटवर्क:
  - उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा पहले से ही संचालित आगरा-लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे, कम-से-कम तीन और एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित रक्षा गलियारे पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

नोट :

- इन परियोजनाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority- UPEIDA) को दी गई है।
  - UPEIDA की स्थापना यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत की गई है।

औद्योगिक गलियारा:

- औद्योगिक गलियारों के बारे में:
  - भारत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास कर रहा है।
  - राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित करना और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में परिवर्तित करना है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
  - इससे रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- क्रियान्वयन एजेंसी:
  - इन ग्यारह औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं (नीचे दिये गए चित्र में) के विकास को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (National Industrial Corridor Development and Implementation Trust- NICDIT) के माध्यम से लागू किया जाएगा
- औद्योगिक गलियारे विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हैं, जैसे:
  - उच्च गति परिवहन नेटवर्क - रेल और सड़क।
  - अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरण वाले बंदरगाह।
  - आधुनिक हवाई अड्डे।
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र।
  - लॉजिस्टिक पार्क/ट्रांसशिपमेंट हब।
  - औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने पर केंद्रित नॉलेज पार्क।
  - टाउनशिप/रियल एस्टेट जैसे पूरक बुनियादी ढाँचे।
  - नीतिगत ढाँचे को सक्षम करने के साथ-साथ अन्य शहरी आधारभूत संरचनाएँ।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों (Ministries of Power and New and Renewable Energy) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए है जो थर्मल उत्पादन कंपनियों को मौजूदा बिजली खरीद समझौतों/पावर परचेज़ अग्रीमेंट (Power Purchase Agreements- PPAs) के तहत अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता (Renewable Energy Generation Capacity) स्थापित करने और उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- दिशा-निर्देश:
  - हरित ऊर्जा के लिये अक्षय ऊर्जा का उत्पादन: नए दिशा-निर्देश अक्षय/थर्मल उत्पादन कंपनियों को 'स्वयं' द्वारा या डेवलपर्स के माध्यम से खुली बोलियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और मौजूदा PPA के तहत उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने की अनुमति देते हैं।

नोट :

- पावर परचेज़ अग्रीमेंट (PPA), या इलेक्ट्रिसिटी पावर अग्रीमेंट, दो पक्षों के मध्य एक अनुबंध है, जिसमें एक विद्युत का उत्पादन करता है (बिजली उत्पादन कंपनियाँ (जेनकोस) और जो विद्युत खरीदना चाहता है (डिस्कॉम)।

- आरपीओ पूरक डिस्कॉम: डिस्कॉम को योजना के अंतर्गत खरीदी गई अक्षय ऊर्जा की गणना अक्षय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation- RPO) के तहत करने की अनुमति होगी।
  - RPO एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का एक निश्चित प्रतिशत खरीदने के लिये बाध्य होते हैं।
  - अक्षय ऊर्जा की मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से पूरे देश में RPO को लागू किया जा रहा है।
- RPO लक्ष्य: आरपीओ के दीर्घकालिक विकास प्रक्षेपवक्र के तहत राज्यों को वित्त वर्ष 2022 में अक्षय स्रोतों से प्राप्त विद्युत अनुपात को उनकी कुल खरीद के 21.2% तक बढ़ाने के लिये कहा गया है।
- डिस्कॉम के साथ फंड शेयरिंग: अक्षय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन की कम लागत से थर्मल पावर प्लांट को होने वाली किसी भी बचत को 50:50 के आधार पर डिस्कॉम के साथ साझा किया जाएगा।

Structure of Power Sector

- महत्त्व:
  - हरित ऊर्जा को बढ़ावा: यह मौजूदा PPAs के तहत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के प्रतिस्थापन को सक्षम करेगा।
  - वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल: इस कदम का उद्देश्य COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को वर्ष 2030 तक 500 GW तक बढ़ाना है।

शेल तेल

चर्चा में क्यों ?

केयर्न इंडिया पश्चिमी राजस्थान के 'लोअर बाड़मेर हिल फॉर्मेशन' में शेल अन्वेषण शुरू करने के लिये अमेरिका स्थित हॉलिबर्टन के साथ साझेदारी करेगी।

प्रमुख बिंदु:

- शेल तेल और गैस:
  - शेल तेल: शेल तेल और पारंपरिक कच्चे तेल के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि यह छोटे बैचों में और पारंपरिक कच्चे तेल की तुलना में गहराई में पाया जाता है।
  - शेल गैस: पारगम्य चट्टानों से आसानी से निकाले जा सकने वाले पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत, शेल गैस कम पारगम्य चट्टानों के नीचे पाई जाती है।
  - निष्कर्षण प्रक्रिया: निष्कर्षण के लिये हाइड्रोलिक फ्रैकिंग/फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोकार्बन को मुक्त करने हेतु तेल और गैस समृद्ध शेल में फ्रैक्चर के निर्माण की आवश्यकता होती है।
    - इसे कम पारगम्य चट्टानों को तोड़ने और शेल गैस के भंडार तक पहुँचने के लिये 'दबावयुक्त जल, रसायन एवं रेत' (शेल द्रव) के मिश्रण की आवश्यकता होती है।
  - शीर्ष उत्पादक: रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े शेल तेल उत्पादकों में से हैं, अमेरिका में शेल तेल उत्पादन में वृद्धि ने 2019 में देश को कच्चे तेल के आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - संबद्ध चिंताएँ: शेल तेल और गैस की खोज के लिये पर्यावरणीय चिंताओं के अलावा अन्य कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे- फ्रैकिंग के लिये पानी की अति आवश्यकता और भूजल संदूषण की संभावना।
    - शेल चट्टानें आमतौर पर एक्विफर' (ऐसी चट्टानें जिनमें उपयोग योग्य जल/ पीने का पानी पाया जाता है) चट्टानों के समीप पाई जाती हैं।

नोट :

- 'फ्रैकिंग' करते समय शेल द्रव संभवत: जलभृतों में प्रवेश कर सकता है, इससे पीने और सिंचाई के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले भूजल में मीथेन विषाक्तता हो सकती है।

पारंपरिक और अपरंपरागत संसाधन

- पारंपरिक तेल या गैस ऐसी संरचनाओं से प्राप्त होता है, जिनसे उत्पाद निकालना अपेक्षाकृत आसान होता है।
  - भूवैज्ञानिक संरचनाओं से जीवाश्म ईंधन ऐसे मानक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग ईंधन को भंडार से निकालने के लिये किया जाता है।
  - पारंपरिक संसाधनों का उत्पादन आसान और कम खर्चीला होता है, क्योंकि उन्हें किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिये सामान्य तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।
- अपरंपरागत तेल या गैस संसाधनों को निकालना अधिक कठिन होता है।
  - इनमें से कुछ संसाधन जलाशयों में खराब पारगम्यता और सरंध्रता के साथ फँस जाते हैं, जिसका अर्थ है कि तेल या प्राकृतिक गैस को छिद्रों के माध्यम से और एक मानक कुएँ में प्रवाहित करना बेहद मुश्किल या असंभव कार्य है।
  - इन जलाशयों से उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम होने के लिये विशेष तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- भारत में शेल तेल की खोज की संभावनाएँ:
  - वर्तमान में भारत में 'शेल तेल' और गैस का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है।
  - सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी- ओएनजीसी ने वर्ष 2013 में गुजरात में 'कैम्बे बेसिन' और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में शेल तेल की संभावनाएँ तलाशी थीं।
  - हालाँकि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन घाटियों में देखे गए तेल प्रवाह की मात्रा 'व्यावसायिकता' का संकेत नहीं देती है और भारतीय शेल्स की सामान्य विशेषताएँ उत्तरी अमेरिका में पाए गए शेल से काफी अलग हैं।

भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता

चर्चा में क्यों ?

विश्व बैंक के 'माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ' (Migration and Development Brief) के अनुसार, भारत वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष से 4.6% की वृद्धि) प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन (Remittances) प्राप्तकर्त्ता रहा है।

- भारत के पश्चात् चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जो कुल प्रेषित धन के 20% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है।

प्रमुख बिंदु

- प्रेषित धन की वृद्धि से संबंधित कारक:
  - यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक सुधार द्वारा सहायता प्राप्त, आवश्यकता के समय अपने परिवारों का समर्थन करने के लिये प्रवासियों का दृढ़ संकल्प, जिसे बदले में आर्थिक प्रोत्साहन और रोज़गार सहायता कार्यक्रमों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था।
  - खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों और रूस में बाहरी (जावक) प्रेषित धन की रिकवरी को तेल की मज़बूत कीमतों और आर्थिक गतिविधियों में परिणामी संग्रह द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई थी।
  - दूसरी तिमाही (वैश्विक औसत से काफी ऊपर) के दौरान कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों की गंभीरता ने देश में पर्याप्त प्रवाह (ऑक्सीजन टैंक की खरीद सहित) को व्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
  - प्रवासियों के प्रवाह ने कोविड-19 संकट के दौरान आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित परिवारों का समर्थन करने के लिये सरकारी नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों को अधिक पूरक बनाया है।

नोट :

- वर्ष 2022 के लिये अनुमान:
  - कुल प्रवासी स्टॉक में गिरावट के कारण रेमिटेंस के वर्ष 2022 में 3% बढ़कर 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, क्योंकि अरब देशों से लौटने वालों का एक बड़ा हिस्सा वापसी का इंतजार कर रहा है।
- अन्य देश:
  - अधिकांश क्षेत्रों में रेमिटेंस में मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई।
    - लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (21.6%), मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका (9.7%), दक्षिण एशिया (8%), उप-सहारा अफ्रीका (6.2%), यूरोप तथा मध्य एशिया (5.3%)।
  - पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रेषण में 4% की गिरावट आई, हालांकि चीन को छोड़कर प्रेषण ने इस क्षेत्र में 1.4% की वृद्धि दर्ज की।
  - कारक: लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक सुधार एवं अतिरिक्त कारकों के कारण असाधारण रूप से मज़बूत विकास हुआ, जिसमें उनके मूल देशों में प्राकृतिक आपदाओं के लिये प्रवासियों की प्रतिक्रिया और देशों से प्रवासियों को भेजे गए प्रेषण शामिल हैं।
- सलाह:
  - प्रेषण को प्रवाह को बनाए रखने के लिये विशेष रूप से डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्रवासियों और प्रेषण सेवा प्रदाताओं हेतु बैंक खातों तक पहुँच प्रदान करना एक प्रमुख आवश्यकता है।
  - विशेष रूप से टीकों तक पहुँच व कम भुगतान से सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रवासियों को शामिल करने के लिये नीतिगत प्रतिक्रियाएँ भी जारी रहनी चाहिये।

विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट:

- इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा 'डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स' (DEC) की 'माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट' द्वारा तैयार किया जाता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य छह महीनों में माइग्रेशन और रेमिटेंस के प्रवाह तथा संबंधित नीतियों में प्रमुख विकास पर एक अद्यतन प्रदान करना है।
- यह विकासशील देशों को रेमिटेंस प्रेषण प्रवाह के लिये मध्यम अवधि का अनुमान भी प्रदान करता है।
- यह डेटा वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है।

प्रेषित धन या रेमिटेंस:

- प्रेषित धन या रेमिटेंस का आशय प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किये गए वित्तीय या अन्य तरह के हस्तांतरण से है।
- यह मूलत: दो मुख्य घटकों का योग है - निवासी और अनिवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और कर्मचारियों का मुआवज़ा, जो उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
- प्रेषण, प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।

डिजिटल ऋण के लिये प्रस्तावित मानदंड: आरबीआई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वर्किंग ग्रुप (WG) समिति ने अवैध डिजिटल ऋण गतिविधियों को रोकने के लिये एक अलग कानून सहित डिजिटल ऋण से संबंधित सिफारिशें की हैं।

- आरबीआई ने जनवरी 2021 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक वर्किंग ग्रुप (WG) समिति का गठन किया।
- समिति का गठन डिजिटल ऋण गतिविधियों में व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - आरबीआई का कहना है कि बैंकों के मामले में भौतिक मोड के सापेक्ष डिजिटल मोड के माध्यम से ऋण देना अभी भी प्रारंभिक चरण में है (डिजिटल मोड के माध्यम से 1.12 लाख करोड़ रुपए, भौतिक मोड के माध्यम से 53.08 लाख करोड़ रुपए)।
  - जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिये ऋण का एक उच्च अनुपात (डिजिटल मोड के माध्यम से 0.23 लाख करोड़ रुपए तथा भौतिक मोड के माध्यम से 1.93 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले) डिजिटल मोड के माध्यम से हो रहा है।
  - बैंक तेज़ी से डिजिटल प्रक्रियाओं में नवीन दृष्टिकोण अपना रहे हैं, NBFC भागीदारी वाले डिजिटल ऋण देने में सबसे आगे रहे हैं।
- प्रमुख प्रस्ताव:
  - डिजिटल लेंडिंग एप्स को हितधारकों के परामर्श से स्थापित की जाने वाली नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के अधीन किया जाना चाहिये।
  - डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में प्रतिभागियों को कवर करते हुए एक स्व-नियामक संगठन (SRO) की स्थापना करनी चाहिये।
    - डिजिटल ऋणों के लिये अवांछित वाणिज्यिक संचार का उपयोग प्रस्तावित SRO द्वारा लागू की जाने वाली आचार संहिता के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।
    - प्रस्तावित SRO द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं की 'नकारात्मक सूची' का रखरखाव।
  - ऋणों का संवितरण सीधे उधारकर्त्ताओं के बैंक खातों में होना चाहिये।
  - सभी डेटा भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहीत किया जाना है।
  - दस्तावेज़ीकरण के लिये डिजिटल उधार में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम विशेषताओं द्वारा आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

डिजिटल ऋण:

- परिचय:
  - इसका अभिप्राय प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप के माध्यम से ऋण वितरित करने की प्रक्रिया से है।
  - बैंकों ने पारंपरिक ऋण प्रणाली में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाकर डिजिटल ऋण बाज़ार में नए अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिये अपने स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।
- महत्त्व:
  - वित्तीय समावेशन: यह भारत में विशेष रूप से लघु उद्योग और कम आय वाले उपभोक्ताओं की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कमी: उधार लेने की प्रकिया को सरल और सुगम बनाकर यह अनौपचारिक क्षेत्र से लिये जाने वाले ऋण को कम करने में मदद करता है।
  - समय की बचत: यह बैंकों में जाकर पारंपरिक माध्यम से ऋण लेने में लगने वाले समय को कम करता है। डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त लागत में 30-50% की कटौती करने के लिये भी जाना जाता है।
- चुनौतियाँ:
  - अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों और मोबाइल एप्लीकेशन की बढ़ती संख्या के रूप में:
    - ये प्लेटफॉर्म अत्यधिक ब्याज़ दर और अतिरिक्त अप्रत्यक्ष शुल्क लेते हैं।
    - ये ऋण की वापसी के लिये अस्वीकार्य और क्रूर विधियाँ अपनाते हैं।
    - ये प्लेटफॉर्म उधारकर्त्ताओं के मोबाइल फोन से डेटा प्राप्त करने के लिये समझौतों का दुरुपयोग करते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम:
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और बैंकों को रिज़र्व बैंक के समक्ष उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताना होगा, जिसके साथ वे कार्य कर रहे हैं।

नोट :

- आरबीआई ने यह भी अनिवार्य किया है कि किसी भी बैंक अथवा NBFC के साथ काम करने वाले डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को ग्राहकों हेतु उस बैंक या NBFC के नाम का खुलासा करना चाहिये।
- केंद्रीय बैंक ने ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को ऋण समझौते के निष्पादन से पूर्व संबंधित बैंक/NBFC के लैटरहेड पर उधारकर्त्ता को एक स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
- नियम के अनुसार, रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और अन्य संस्थान, जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये जाते हों, द्वारा ही वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधि शुरू की जा सकती है।
- ईज़ रिफॉर्म्स (EASE Reforms)

भारत का डिजिटल इकोसिस्टम

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लगभग 72% वित्तीय लेन-देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से किये जाते हैं, जिसमें डिजिटल चैनलों पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 3.4 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 7.6 करोड़ हो गई है।
- घरेलू और मोबाइल चैनलों के माध्यम से किये गए वित्तीय लेन-देन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-19 के 29% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 76% हो गई है।

आगे की राह

- यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक डिजिटल ऋण क्रांति के कगार पर खड़ा है और इस क्रांति को सफल बनाने के लिये यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऋण व्यवस्थित और वैध तरीके से प्रदान किया जाए।
- चूँकि इस प्रक्रिया में कई लोगों की पहुँच उपभोक्ताओं के संवेदनशील डेटा तक होती है, इसलिये इस संबंध कानून बनाया जाना काफी आवश्यक है। उदाहरण के लिये कानून के माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा किस प्रकार का डेटा एकत्रित किया जाएगा और उस डेटा का उपयोग किस कार्य के लिये किया जाएगा।
- डिजिटल ऋणदाताओं को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली आचार संहिता का विकास करना चाहिये और उसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिये।
- इस संबंध में एक एजेंसी बनाई जा सकती है, जो कि सभी डिजिटल ऋण समझौतों और उपभोक्ता/ऋणदाता क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक करने में सक्षम होगी।
- तकनीकी स्तर पर सुरक्षा उपायों के अलावा डिजिटल ऋण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये उपभोक्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है।

अमेरिका द्वारा अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार का दोहन

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका में वर्ष 2022 के मध्यावधि चुनाव के मद्देनज़र, बाइडेन प्रशासन तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिये 'यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व' (SPR) का दोहन करने पर विचार कर रहा है।

- अमेरिका में तेल की कीमतों में गिरावट पर इस तरह के कदम का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हो सकता है, जो 85 डॉलर प्रति बैरल के साथ सात वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँच गया है।
- सऊदी अरब और रूस के बाद ओपेक+ उत्पादन समूह के सदस्यों द्वारा वैश्विक बाज़ारों में अधिक तेल की आपूर्ति से इनकार करने के बाद चीन और भारत द्वारा भी ऐसा ही किये जाने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार:
  - प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं से आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम जैसे किसी भी कच्चे तेल से संबंधित संकट से निपटने के लिये सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं।

नोट :

- ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) तेल संकट के बाद समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1973 में अमेरिका में लाया गया था।
- एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (I.E.P.) के समझौते के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के प्रत्येक देश के पास कम-से-कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखने का दायित्व है।
  - गंभीर तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में IEA सदस्य सामूहिक कार्रवाई के हिस्से के रूप में इन शेयरों को बाज़ार में जारी करने का निर्णय ले सकते हैं।
  - 3 सबसे बड़े सामरिक पेट्रोलियम भंडार जापान, अमेरिका, चीन के पास हैं।

राष्ट्रीय SPRs में IEA की भूमिका

- IEA के अनुसार, 90 दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये SPR स्तरों को बनाए रखने के आमतौर पर तीन तरीके हैं।
  - रिफाइनरों के पास वाणिज्यिक स्टॉक,
  - सरकार और एजेंसी के शेयर,
  - देशों को संतुलन के अनुसार चुनना।
- IEA सदस्य देशों को ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा की कमी को खत्म करने के लिये मुक्त बाज़ारों को बढ़ावा देना।
- IEA मांग को नियंत्रित करने या आपूर्ति में मदद के उपायों का भी सुझाव देता है।
  - इनमें स्वैच्छिक ईंधन बचत, ईंधन-स्विचिंग जैसे उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिये बिजली उत्पादन हेतु तेल, गैस या भूमिगत भंडार को शामिल करना हो सकता है।
- भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार:
  - भारत में सामरिक क्रूड ऑयल स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण का प्रबंधन 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड' (ISPRL) द्वारा किया जा रहा है।
    - 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड' पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
  - चरण-I के तहत सामरिक क्रूड ऑयल के भंडार मैंगलोर (कर्नाटक), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) और पादुर (कर्नाटक) में स्थित हैं। इनमें कुल 5.33 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) ईंधन मौजूद है।
  - भारत सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से दूसरे चरण के तहत चंडीखोल (ओडिशा) और उडुपी (कर्नाटक) में ऐसी दो और भंडार स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे अतिरिक्त 6.5 मिलियन टन तेल भंडार की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
  - नई सुविधाओं के चालू होने के बाद कुल 22 दिन (10+12) तेल की खपत उपलब्ध कराई जाएगी।
  - सामरिक सुविधाओं के साथ भारतीय रिफाइनर 65 दिनों के कच्चे तेल के भंडारण (औद्योगिक स्टॉक) को भी बनाए रखते हैं।
  - इस प्रकार 'सामरिक पेट्रोलियम भंडार' कार्यक्रम के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद भारत में कुल 87 दिनों (रणनीतिक भंडार द्वारा 22 +, भारतीय रिफाइनर द्वारा 65) के लिये तेल की मांग को पूरा करने में सक्षम होगा।
    - यह 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (IEA) के 90 दिनों के शासनादेश के काफी करीब होगा।
  - भारत वर्ष 2017 में 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' का सहयोगी सदस्य बना और हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।
- भारत में 'सामरिक पेट्रोलियम भंडार' की आवश्यकता:
  - पर्याप्त क्षमता का निर्माण:
    - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाज़ार में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिये इसकी वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है।
    - एक दिन में लगभग 5 मिलियन बैरल तेल की खपत के साथ देश का 86% हिस्सा तेल पर निर्भर है।

नोट :

- ऊर्जा सुरक्षा:
  - अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव से भारत को देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौद्रिक नुकसान से बचने के लिये पेट्रोलियम भंडार बनाने की सख्त ज़रूरत है।

विश्व मत्स्य दिवस: 21 नवंबर

चर्चा में क्यों ?

हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस (World Fisheries Day- WFD) मनाया जाता है।

- WFD के अवसर पर भुवनेश्वर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था।
- बालासोर ज़िले (ओडिशा) को भारत के "सर्वश्रेष्ठ समुद्री ज़िले" के रूप में सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- WFD को विश्व भर में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये मनाया जाता है।
- इसे वर्ष 1997 में शुरू किया गया था जब "वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिशवर्कर्स " (World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers) की मीटिंग नई दिल्ली में हुई, इसमें 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ "वर्ल्ड फिशरीज़ फोरम" (World Fisheries Forum) का गठन किया गया था तथा स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं और नीतियों के वैश्विक जनादेश की वकालत करते हुए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए ।
- इसका उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों की स्थिरता के लिये अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियों, आवास विनाश और अन्य गंभीर खतरों पर ध्यान आकर्षित करना है।

मत्स्य पालन क्षेत्र:

- मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में:
  - फिशरीज़ समुद्री, तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में जलीय जीवों का कब्ज़ा है।
  - जलीय कृषि के साथ-साथ समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, विपणन तथा वितरण दुनिया भर में लगभग 820 मिलियन लोगों को भोजन, पोषण व आय का स्रोत प्रदान करते हैं। कई लोगों के लिये यह उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है।
  - वैश्विक मत्स्य संसाधनों की स्थिरता के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक अवैध, असूचित और अनियमित रूप से मछली पकड़ना है।
- भारतीय परिदृश्य:
  - वर्ष 2019-20 में 142 लाख टन के कुल मत्स्य उत्पादन के साथ इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी कुल 8% रही ।
    - इसी अवधि के दौरान भारत का मत्स्य निर्यात 46,662 करोड़ रुपए रहा, जो भारत के कृषि निर्यात का लगभग 18% है।
  - भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है।
  - मत्स्य पालन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में तीन बड़े परिवर्तन देखे हैं:
    - अंतर्देशीय जलीय कृषि का विकास, विशेष रूप से मीठे पानी की जलीय कृषि।
    - मछली पकड़ने में मशीनीकरण का विकास।
    - खारे पानी के झींगा जलीय कृषि की सफल शुरुआत।
  - पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिये बजट में 34% की वृद्धि हुई है।
- भारत के लिये मत्स्य पालन का महत्त्व:
  - भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है।
  - भारत विश्व में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।

नोट :

- वर्तमान में यह क्षेत्र देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। फिर भी यह अप्रयुक्त क्षमता (Untapped Potential) वाला क्षेत्र है।
  - भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का अनुमान है कि अब तक देश की अंतर्देशीय क्षमता का केवल 58% ही दोहन किया जा सका है।
- बुनियादी ढाँचे से संबंधित चुनौतियों के बावजूद पिछले छह वर्षों में केंद्र सरकार के उपायों ने सुनिश्चित किया कि मत्स्य पालन क्षेत्र 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करना जारी रखे।

- मत्स्य पालन क्षेत्र की चुनौतियाँ:
  - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वैश्विक समुद्री मछली के लगभग 90% स्टॉक का या तो पूरी तरह से दोहन किया गया है या यह अधिक हो गया है या यह काफी मात्रा में समाप्त हो गया है जिसकी रिकवरी जैविक रूप से संभव नहीं हो सकती है।
  - जलीय निकायों में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट जैसे हानिकारक पदार्थों का निर्वहन जो जलीय जीवन के लिये विनाशकारी परिणाम पैदा करते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन
- मत्स्य पालन में सुधार के लिये सरकार के प्रयास:
  - फिशिंग हार्बर:
    - पाँच प्रमुख फिशिंग हार्बर (कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेटुआघाट) का आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकास।
  - समुद्री शैवाल पार्क:
    - तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क एक हब और स्पोक मॉडल पर विकसित गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के उत्पादन का केंद्र होगा।
  - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:
    - यह 15 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों आदि को प्रत्यक्ष रोज़गार देने का प्रयास करती है जो अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों के रूप में इस संख्या का लगभग तीन गुना है।
    - इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य श्रमिकों की आय को दोगुना करना है।
  - 'पाक बे' योजना:
    - 'डायवर्सिफिकेशन ऑफ ट्राउल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट्स इनटू डीप सी फिशिंग बोट्स' नामक यह योजना वर्ष 2017 में 'केंद्र प्रायोजित योजना' के तौर पर लॉन्च की गई थी। इसे 'ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - समुद्री मत्स्य पालन विधेयक:
    - इस विधेयक में केवल 'मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958' के तहत पंजीकृत जहाज़ों को 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव शामिल है।
  - मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):
    - FIDF से मत्स्य पालन से जुड़ी बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की स्थापना एवं प्रबंधन से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):
    - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना वर्ष 1998 में किसानों को उनकी खेती के लिये लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी तथा अन्य ज़रूरतों जैसे कि कृषि आदानों की खरीद यथा- बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की खरीद में इसका उपयोग कर अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिये नकद आहरित करते हैं।
  - समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA):
    - MPEDA राज्य के स्वामित्व वाली एक नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी है।
    - इसकी स्थापना वर्ष 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (MPEDA), 1972 के तहत की गई थी ।

नोट :

आगे की राह

- राज्यों को एक-दूसरे से प्रेरित होने और समुद्री क्षेत्र में विकास के विकल्प तलाशने की आवश्यकता है।
- मछली पकड़ने के लिये पर्यावरणीय अनुकूल विधियों की ज़रूरत है और खपत को जारी रखते हुए इस क्षेत्र को बनाए रखने की भी आवश्यकता है।
- भारत को अपनी मछली पकड़ने की प्रणाली और अन्य संबंधित पहलुओं जैसे फ्रीजिंग, पैकेजिंग आदि को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।

PMC और USF बैंक के एकीकरण की मसौदा योजना: RBI

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक तथा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (USF) के एकीकरण संबंधी एक मसौदा योजना जारी की।

- इससे पहले PMC बैंक को धोखाधड़ी के कारण प्रतिबंधों के तहत रखा गया था, जिसके कारण बैंक के नेटवर्थ में भारी गिरावट आई थी।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - एकीकरण की मसौदा योजना के अनुसार, एकीकरण के बाद पीएमसी बैंक के जमाकर्त्ताओं को उनका पैसा 3-10 वर्ष की अवधि में वापस मिल जाएगा।
  - 31 मार्च, 2021 के बाद हस्तांतरणकर्त्ता (PMC) बैंक के पास किसी भी ब्याज-भारित जमा पर ब्याज नहीं लगेगा।
- महत्त्व:
  - यूनिटी द्वारा जमा सहित पीएमसी बैंक की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण जमाकर्त्ताओं को अधिक-से-अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
    - निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ऑन-टैप लाइसेंसिंग के लिये दिशा-निर्देशों के तहत एक लघु वित्त बैंक की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की नियामक आवश्यकता के मुकाबले लगभग 1,100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ यूएसएफ बैंक की स्थापना की जा रही है।

बैंकों का विलय:

- बैंकों के विलय के बारे में:
  - विलय से बैंकों को संयुक्त व्यवसाय संचालन और उद्यमों में लाभ होता है। साथ में वे शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होते हैं।
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंक समेकित प्रक्रियाएँ प्रदान की जाती हैं। इस अधिनियम में धारा 45 आरबीआई को एक बैंकिंग कंपनी द्वारा व्यवसाय के निलंबन के लिये केंद्र सरकार को आवेदन करने और एकीकरण के पुनर्गठन की योजना तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है।
- हाल के उदाहरण:
  - वर्ष 2019 में वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की सबसे बड़ी समेकन योजना की घोषणा की, उनमें से 10 बैंकों का आपस में विलय कर उन्हें 4 में परिवर्तित कर दिया गया।
  - जनवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने राज्य द्वारा संचालित विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक के विलय को मंज़ूरी दी।
  - अप्रैल 2017 में 5 सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय कर दिया गया जिनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शामिल थे।

नोट :

- सरकार ने तीसरे चरण के समेकन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का कार्य भी शुरू किया, जिससे 56 बैंकों की संख्या को घटाकर 38 कर दिया गया।

- लाभ:
  - प्रतिस्पर्द्धी: बैंकों का समेकन उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को मज़बूत करने में मदद करता है।
  - पूंजी और शासन: सरकार का उद्देश्य केवल पूंजी प्रदान करना नहीं है, बल्कि सुशासन भी सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया से निर्मित नए संस्थान की वित्तीय प्रणाली अधिक लाभदायक और संरक्षित होगी।
    - बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और उनके बैलेंस शीट में भी सुधार होगा।
  - दक्षता: साझा नेटवर्क की उपस्थिति से परिचालन लागत को कम भी किया जा सकेगा और इस बढ़ी हुई परिचालन दक्षता से बैंकों की उधार लागत भी कम हो जाएगी।
  - तकनीकी सहयोग: सभी एकीकृत बैंक एक विशेष 'कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस' (CBS) प्लेटफॉर्म में तकनीकी रूप से सहयोग कर सकेंगे।
  - आत्मनिर्भरता: बड़े बैंकों में सरकारी खजाने पर निर्भर रहने के बजाय बाज़ार से संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता होती है।
  - निगरानी: विलय की प्रक्रिया के बाद बैंकों की संख्या में कमी आने से पूंजी आवंटन, बेहतर प्रदर्शन और बैंकों की निगरानी करना सरकार के लिये आसान हो जाएगा।

- चुनौतियाँ:
  - निर्णय लेना: जिन बैंकों का विलय किया गया है, वे शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में सुस्त देखे जा सकते हैं क्योंकि ऐसे बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी सभी निर्णयों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे और इससे ऋण वितरण में गिरावट आएगी।
  - भौगोलिक तालमेल: विलय की प्रक्रिया के दौरान विलय किये गए बैंकों के बीच भौगोलिक तालमेल की कमी है। विलय के चार मामलों में से तीन विलय किये गए बैंक देश के केवल एक विशिष्ट क्षेत्र की सेवा करते हैं।
    - हालाँकि इलाहाबाद बैंक (पूर्व और उत्तर क्षेत्र में उपस्थिति) का इंडियन बैंक (दक्षिण में उपस्थिति) के साथ विलय से इसका भौगोलिक प्रसार बढ़ जाता है।
  - अर्थव्यवस्था में मंदी: यह कदम अच्छा है लेकिन समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अर्थव्यवस्था में पहले से ही मंदी की स्थिति है और निजी खपत व निवेश में गिरावट आ रही है। इसलिये अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने एवं अल्पावधि में ऋण प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता है और यह निर्णय उस ऋण को अल्पावधि के रूप में अवरुद्ध कर देगा।
  - कमज़ोर बैंक: कमज़ोर और कम पूंजी वाले पीएसबी के साथ एक जटिल विलय बैंक की वसूली के प्रयासों को रोक देगा क्योंकि एक बैंक की कमज़ोरियों को स्थानांतरित किया जा सकता है और इससे विलय की गई इकाई कमज़ोर हो सकती है।

घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री ने घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की।

- स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसे लगभग एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं:
    - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या/अनुपात का अनुमान लगाना।
    - लिव-इन/लाइव-आउट घरेलू कामगारों का अनुमान।
    - परिवारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों में नियोजित घरेलू कामगारों की औसत संख्या।

नोट :

- इस सर्वेक्षण के मापन (Parameters) का उद्देश्य प्रमुख राज्यों में अलग-अलग ग्रामीण और शहरी प्रवासन, उनके प्रतिशत वितरण, उन्हें नियोजित करने वाले परिवारों तथा सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं के साथ घरेलू कामगारों की संख्या एवं अनुपात का अनुमान लगाना है।
- इसमें भारत के 37 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 742 ज़िलों के 1.5 लाख घरों को शामिल किया जाएगा।
- घरेलू कामगारों के लिये सर्वेक्षण पाँच राष्ट्रीय नौकरियों के सर्वेक्षणों में से एक है जिसे समय-समय पर आयोजित किया जाएगा और यह आगामी राष्ट्रीय रोज़गार नीति के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।
  - अन्य चार सर्वेक्षण- 'प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण', 'पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोज़गार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण' और 'परिवहन क्षेत्र में उत्पन्न रोज़गार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण', 'अखिल भारतीय त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' (AQEES) हैं।

- सर्वेक्षण की आवश्यकता:
  - घरेलू कामगार (DWs) अनौपचारिक क्षेत्र में कुल रोज़गार के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में हैं। हालाँकि DWs के परिमाण और मौजूदा रोज़गार स्थितियों पर आँकड़ों की कमी है।
  - सर्वेक्षण का उद्देश्य घरेलू कामगारों से संबंधित अद्यतित डेटा रखना है।
  - सर्वेक्षण से सरकार को श्रम के कुछ विशेष और कमज़ोर वर्गों पर महत्त्वपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी तथा प्रभावी नीति निर्माण के लिये मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
- घरेलू कामगार:
  - परिचय:
    - एक परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति को घरेलू कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि पिछले 30 दिनों के दौरान कामगार द्वारा घर आने की आवृत्ति कम-से-कम चार दिन है और कामगार द्वारा उत्पादित वस्तुओं और/या सेवाओं का नकद या वस्तु के माध्यम से परिवार के सदस्यों द्वारा उपभोग किया जाता है।
  - घरेलू कामगारों की स्थिति:
    - 'ई-श्रम पोर्टल' के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, पंजीकृत 8.56 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में से लगभग 8.8% घरेलू कामगारों की श्रेणी में आते हैं।
    - भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 38 करोड़ कर्मचारी हैं।
    - ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण की मौजूदा दर से देश में 3-3.5 करोड़ घरेलू कामगार होंगे।
    - घरेलू कामगार, कृषि और निर्माण के बाद श्रमिकों की तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी है।
    - भारत 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन' C-189 (घरेलू कामगार कन्वेंशन, 2011) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

कॉफी उत्पादन में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

प्लांटर्स समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, जनवरी में समाप्त होने वाले इस फसल सीज़न में भारत के अरेबिका कॉफी उत्पादन में 30% और रोबस्टा में 20% की गिरावट आएगी।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान चुनौतियाँ:
  - अत्यधिक वर्षण:
    - अत्यधिक वर्षा, पौधों की क्षति, फलियों के फटने और बेरी गिरने के कारण कॉफी का उत्पादन गिर जाएगा।
    - भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी में दबाव और कम दबाव वाले क्षेत्रों के कारण विस्तारित वर्षा देखी जा रही है।
    - वर्तमान में अरेबिका की कटाई चल रही है और वर्षा के दौरान फली को सुखाना और इसे यार्ड में फैलाना चुनौतीपूर्ण है।

नोट :

- कॉफी उत्पादन की लागत:
  - उर्वरकों और श्रम लागतों सहित उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उत्पादकों को कम लाभ मिलने तथा उत्पादन में निवेश धीमा होने की संभावना है।

कॉफी:

- इतिहास:
  - कॉफी को भारत में सत्रहवीं शताब्दी के अंत में पेश किया गया था।
  - कहानी यह है कि मक्का गया एक भारतीय तीर्थयात्री वर्ष 1670 में यमन से सात फलियों को तस्करी कर भारत लाया (उस समय अरब से कॉफी के बीज लाना अवैध माना जाता था) और उसने उन्हें कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों में लगाया।
  - डचों (जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया) ने पूरे देश में कॉफी की खेती को फैलाने में मदद की, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राज के आगमन के साथ ही वाणिज्यिक कॉफी की खेती पूरी तरह से फली-फूली।
- परिचय:
  - भारत में कॉफी पश्चिमी और पूर्वी घाटों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घने प्राकृतिक वृष्टि छाया क्षेत्र में उगाई जाती है।
    - यह दुनिया के 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है।
  - कॉफी मुख्य रूप से एक निर्यात उन्मुख वस्तु है और देश में उत्पादित 65% से 70% कॉफी का निर्यात किया जाता है, जबकि शेष की खपत देश में होती है।
  - कॉफी क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है और दूरस्थ, पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ:
  - कॉफी के पौधों के लिये ऊष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तथा 150 से 250 सेमी. तक वर्षा होती है।
  - तुषार/पाला (Frost), हिमपात, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उच्च तापमान और तेज धूप कॉफी फसल के लिये अनुकूल नहीं होती है तथा आमतौर पर यह छायादार पेड़ों के नीचे उगाई जाती है।
  - बेरी के पकने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।
  - इसके लिये स्थिर जल हानिकारक होता है और समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊँचाई पर पहाड़ी ढलानों पर फसल उगाई जाती है।
  - बेहतर जल निकास प्रणाली, दोमट मिट्टी, जिसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थ होते हैं, कॉफी की खेती के लिये आदर्श हैं।
- कॉफी उत्पादन के लिये मृदा:
  - कॉफी कई प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है लेकिन इसके लिये उपजाऊ ज्वालामुखीय लाल मिट्टी या गहरी रेतीली दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है।
  - कॉफी के पेड़ों के विकास के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि मिट्टी उचित जल निकासी वाली हो जबकि अधिक चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी इसके लिये उपयुक्त नहीं है।
- प्रमुख क्षेत्र:
  - भारत में कॉफी की पारंपरिक खेती पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
    - कर्नाटक कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तर-पूर्व राज्यों में भी तेज़ी से बढ़ रही है।
- मुख्य किस्में: भारत में कॉफी की अरेबिका और रोबस्टा किस्मों की खेती की जाती हैं।

नोट :

- अरेबिका हल्की कॉफी है, लेकिन इसकी फलियाँ अधिक सुगंधित होने के कारण रोबस्टा फलियों की तुलना में इसका बाजार मूल्य अधिक है। दूसरी ओर रोबस्टा में अधिक तेज़ होती है और इसलिये विभिन्न मिश्रणों में इसका उपयोग किया जाता है।
  - अरेबिका की खेती रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊँचाई पर की जाती है।
- अरेबिका को अधिक देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है तथा यह बड़ी जोत के लिये अधिक उपयुक्त है, जबकि रोबस्टा की खेती किसी भी आकार के जोत में की जा सकती है।
- अरेबिका कीटों और रोगों जैसे- श्वेत तनाछेदक (White Stem Borer), लीफ रस्ट/पत्ती रतुआ आदि के लिये अतिसंवेदनशील है और रोबस्टा की तुलना में इसके लिये अधिक छाया की आवश्यकता होती है।
- अरेबिका की फसल की कटाई नवंबर से जनवरी के बीच होती है, जबकि रोबस्टा के फसल की कटाई दिसंबर से फरवरी के बीच होती है।

भारत-अमेरिका डिजिटल कर समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली ई-कॉमर्स आपूर्ति पर समान लेवी या डिजिटल कर को लेकर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं।

- इससे पहले जनवरी 2021 में 'यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव' (USTR) के कार्यालय ने कहा था कि भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा कर अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - 8 अक्तूबर, 2021 को भारत सहित 136 देश उन बाज़ारों में जहाँ बड़ी कंपनियाँ आय अर्जित करती हैं, में 15% की न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (वैश्विक कर समझौता) लागू करने के लिये सहमत हुए, यह बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर कर लगाने की यह एक समान प्रणाली है।
    - इस समझौते के लिये देशों को सभी डिजिटल सेवा कर और अन्य समान एकतरफा उपायों को हटाने की आवश्यकता है।
  - उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्राँस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम ने इसके प्रथम स्तंभ को लागू करते हुए मौजूदा एकतरफा उपायों हेतु संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर एक समझौता किया।
- वैश्विक कर समझौता:
  - यह एप्पल, अल्फाबेट और फेसबुक जैसी 'बिग टेक' कंपनियों सहित दुनिया के कुछ सबसे बड़े निगमों द्वारा लागू किये गए कर की कम प्रभावी दरों को संबोधित करने के लिये तैयार किया गया है।
  - वैश्विक न्यूनतम कर की दर वैश्विक स्तर पर बिक्री में 868 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बहुराष्ट्रीय फर्मों के विदेशी मुनाफे पर लागू होगी।
    - स्तंभ 1 (न्यूनतम कर और कर नियमों के अधीन): सरकारें अभी जो भी स्थानीय कॉर्पोरेट कर दर चाहती हैं, निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन अगर कंपनियाँ किसी विशेष देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी गृह सरकारें अपने करों को न्यूनतम 15% तक "टॉप अप", मुनाफे को स्थानांतरित करने के लाभ को समाप्त कर सकती हैं।
    - स्तंभ 2 (बाज़ार के अधिकार क्षेत्र में लाभ के अतिरिक्त हिस्से का पुन: आवंटन): यह उन देशों को इसकी अनुमति देता है जहाँ राजस्व अर्जित किया जाता है, सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तथाकथित अतिरिक्त लाभ के 25% पर कर लगाया जाता है, जिसे राजस्व के 10% से अधिक लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- भारत-अमेरिका समझौता:
  - भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि समान शर्तों के आधार पर (जैसा कि यूएस, ऑस्ट्रिया, फ्राँस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सहमति व्यक्त की गई है) भारत के ई-कॉमर्स आपूर्ति पर 2% इक्वलाइज़ेशन लेवी शुल्क लागू होगा।

नोट :

- समझौते के तहत भारत मार्च 2024 तक या बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सीमा पार डिजिटल लेन-देन हेतु कर लगाने पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन समझौते के स्तंभ 1 के लागू होने तक लेवी लगाता रहेगा।
  - भारत और अमेरिका संबंधित प्रतिबद्धताओं की एक समान समझ विकसित करने तथा रचनात्मक वार्ता के माध्यम से इससे संबंधित किसी भी मतभेद को हल करने हेतु निकट संपर्क में रहेंगे।
  - अमेरिका लेवी के जवाब में घोषित व्यापार टैरिफ कार्रवाइयों को समाप्त कर देगा और आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

- भारत-अमेरिका समझौते का महत्त्व:
  - यह भारत के लिये फायदेमंद है, क्योंकि इससे भारत वर्तमान 2% लेवी को निश्चित रूप से तब तक जारी रख सकता है जब तक कि 'पिलर वन' प्रभावी नहीं हो जाता, साथ ही इसमें सभी प्रस्तावित कार्रवाइयों को समाप्त करने और आगे किसी प्रकार की कार्रवाई न करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
  - यह ऑनलाइन लेन-देन के कारण होने वाले कर नुकसान को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि भारत को 'पिलर-1' के बाद 'इक्वलाइज़ेशन लेवी 2.0' को वापस लेना होगा।
    - यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि 'पिलर-1' केवल 20 बिलियन यूरो से ऊपर के वैश्विक कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होता है, जो कि शीर्ष 100 कंपनियाँ हैं।

डिजिटल सेवा कर (DSTs)

- यह कर गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर अधिरोपित किया जाता है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) वर्तमान में 130 से अधिक देशों के साथ वार्ता कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को अनुकूलित करना है। इस वार्ता का एक लक्ष्य अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की कर चुनौतियों का समाधान करना है।
  - कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र या गतिविधि को लक्षित करने के लिये डिज़ाइन की गई कर नीति पूर्णत: अनुचित होगी और इसके जटिल परिणाम हो सकते हैं।
  - इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है।

डिजिटल कंपनियों पर भारत का कर

- बीते दिनों सरकार ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किये गए व्यापार और सेवाओं पर 2 प्रतिशत डिजिटल सेवा कर (DST) लगाते हुए वित्त विधेयक 2020-21 में एक संशोधन किया था।
  - इसके माध्यम से इक्विलाइज़ेशन लेवी के दायरे को प्रभावी ढंग से विस्तारित किया गया, जो कि बीते वर्ष तक केवल डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर ही लागू था।
  - इससे पहले इक्विलाइज़ेशन लेवी (6 प्रतिशत) वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गई थी और रेज़िडेंट सर्विस प्रोवाइडर के बिज़नेस-टू-बिज़नेस डिजिटल विज्ञापनों एवं संबद्ध सेवाओं से उत्पन्न राजस्व पर लगाया जाता था।
- नई लेवी 1 अप्रैल, 2020 से लागू हुई, जिसके तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर प्रत्येक तिमाही के अंत में कर का भुगतान करने के लिये बाध्य हैं।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' (NMD) मनाया।

- इस अवसर पर 'राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार' भी प्रदान किये गए और धामरोद, गुजरात एवं हेसरघट्टा, कर्नाटक में आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन) लैब भी शुरू की गई।
- प्रतिवर्ष 01 जून को 'विश्व दुग्ध दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस:
  - राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 'डॉ. वर्गीज कुरियन' (भारत के 'मिल्क मैन') की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
    - 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस-2021' डॉ. कुरियन की 100वीं जयंती को संदर्भित करता है।
  - यह दिवस एक व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्त्व को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।
- डॉ. वर्गीज कुरियन (1921-2012):
  - उन्हें 'भारत में श्वेत क्रांति के जनक' के रूप में जाना जाता है।
  - वह अपने 'ऑपरेशन फ्लड' के लिये काफी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।
  - उन्होंने विभिन्न किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे 30 संस्थानों की स्थापना की।
  - उन्होंने 'अमूल ब्रांड' की स्थापना और सफलता में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उन्ही के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत वर्ष 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था।
  - उन्होंने 'दिल्ली दूध योजना' के प्रबंधन में भी मदद की और कीमतों में सुधार किया। उन्होंने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद की।
  - उन्हें 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' (1963), 'कृषि रत्न' (1986) और 'विश्व खाद्य पुरस्कार' (1989) सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
  - वह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार- पद्मश्री (1965), पद्मभूषण (1966) और पद्मविभूषण (1999) के प्राप्तकर्त्ता भी हैं।
- ऑपरेशन फ्लड:
  - ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य:
    - इसे 13 जनवरी, 1970 को लॉन्च किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था।
    - 30 वर्षों के भीतर ऑपरेशन फ्लड ने भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन को दोगुना करने में मदद की, जिससे डेयरी फार्मिंग भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोज़गार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बन गया।
    - ऑपरेशन फ्लड ने किसानों को उनके द्वारा उत्पन्न संसाधनों पर सीधा नियंत्रण प्रदान किया , जिससे उन्हें अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद मिली। इससे न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, बल्कि इसे अब 'श्वेत क्रांति' (White Revolution) के रूप में भी जाना जाता है।
  - श्वेत क्रांति के चरण:
    - चरण I (1970-1980): इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किये गए बटर आयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री से प्राप्त धन से वित्तपोषित किया गया था।
    - चरण II (1981 से 1985): इस चरण के दौरान दुग्धशालाओं की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई, दूध की दुकानों का विस्तार लगभग 290 शहरी बाज़ारों में किया गया, एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित की गई जिसमें 43,000 ग्राम सहकारी समितियों के 42,50,000 दूध उत्पादक शामिल थे।
    - चरण III (1985-1996): इस चरण में डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार कर उन्हें सक्षम बनाया गया और कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इसने दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाज़ार के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे को भी मज़बूत किया।
  - उद्देश्य:
    - दूध उत्पादन को बढ़ाना।
    - ग्रामीण आय में वृद्धि।
    - उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य।

नोट :

- महत्त्व:
  - इसने डेयरी किसानों को स्वयं के विकास के लिये निर्देशित करने में मदद की, उनके संसाधनों पर उन्हें नियंत्रण प्रदान किया।
  - इसने 2016-17 में भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की।
  - वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है।

भारतीय डेयरी क्षेत्र:

- परिचय:
  - भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश होने के परिणामस्वरूप दुनिया का 22.0% से अधिक और एशिया के कुल दूध उत्पादन का 57% हिस्सा कवर करता है।
  - भारत का दूध उत्पादन वर्ष 1951 के 17 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2018-2019 में 187.7 मिलियन टन हो गया है।
- महत्त्व:
  - डेयरी एकमात्र कृषि उद्योग है जिसमें लगभग 70-80% अंतिम बाज़ार मूल्य को किसानों के साथ साझा किया जाता है और यह भारत में ग्रामीण घरेलू आय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।
  - यह किसानों की आजीविका में सुधार, रोज़गार सृजन, कृषि औद्योगीकरण और व्यावसायीकरण का समर्थन करता है तथा लोगों में पोषण को बढ़ाता है।
- चुनौतियाँ:
  - दूध और दुग्ध उत्पादों की उचित पैकेजिंग एवं लेबलिंग प्रणाली का अभाव।
  - उद्यमियों की मानसिकता को समझने के लिये मार्केट इंटेलिजेंस की कमी।
  - उपभोक्ता धारणा/ब्रांड निर्माण भी एक बड़ी चुनौती है।
  - कोल्ड चेन (परिवहन) और भंडारण सुविधाएँ प्रभावी रूप से संचालन में नहीं हैं।
- संबंधित पहल:
  - गोपाल रत्न पुरस्कार: यह मवेशी और डेयरी क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी नस्ल को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभ्यास करने के लिये शुरू किया गया हैं।
  - ई-गोपाला (उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन) एप: यह किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिये एक समग्र नस्ल सुधार, बाज़ार और सूचना पोर्टल है।
  - डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 2022: यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करती है।
  - राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इसे देश में पशुओं में खुरपका-मुँहपका रोग (Foot & Mouth Disease- FMD) और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिये शुरू किया गया था।
  - पशु-आधार: यह पशुओं की क्षमता को ट्रैक करने के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक UID या पशु-आधार (Pashu Aadhaar) जारी करता है।
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इसे वर्ष 2019 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिये लॉन्च किया गया था।

सीमा पार दिवालियान की कार्यवाही के लिये मसौदा रूपरेखा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत UNCITRAL (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग) मॉडल के आधार पर सीमा पार दिवाला कार्यवाही के लिये एक मसौदा ढाँचा प्रकाशित किया है।

नोट :

- इसे कॉर्पोरेट देनदारों के साथ-साथ व्यक्तिगत गारंटर दोनों के लिये लागू करने का प्रस्ताव है।
- एक व्यक्तिगत गारंटर वह व्यक्ति या संस्था है जो ऋण चुकाने में विफल किसी अन्य व्यक्ति के ऋण के भुगतान का वादा करता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सीमा पार दिवाला कार्यवाही:
    - यह कई न्यायालयों में संपत्ति और देनदारियों वाली संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान के लिये प्रासंगिक है।
    - मोटे तौर पर सीमा पार दिवाला प्रक्रिया उन देनदारों से संबंधित है जिनकी विदेशों में संपत्ति और लेनदार हैं।
    - सीमा पार दिवाला कार्यवाही के लिये ढाँचा ऐसी कंपनी की विदेशी संपत्ति के स्थान, लेनदारों और उनके दावों की पहचान तथा दावों के भुगतान के साथ-साथ विभिन्न देशों में अदालतों के बीच समन्वय की प्रक्रिया की अनुमति देता है।
    - पिछले कुछ दशकों के दौरान विशेष रूप से UNCITRAL मॉडल कानून के तत्त्वावधान में विभिन्न न्यायालयों ने सीमा पार दिवाला मुद्दों से निपटने के लिये मज़बूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है।
  - आईबीसी में वर्तमान स्थिति:
    - जबकि विदेशी लेनदार एक घरेलू कंपनी के खिलाफ दावा कर सकते हैं, आईबीसी वर्तमान में अन्य देशों में किसी भी दिवाला कार्यवाही की स्वत: मान्यता की अनुमति नहीं देती है।
- महत्त्व:
  - IBC में सीमा पार दिवाला अध्याय को शामिल करना एक बड़ा कदम होगा और यह कानून को परिपक्व क्षेत्राधिकारों के बराबर लाएगा।
  - यह भारतीय फर्मों को विदेशी कंपनियों से अपने बकाया का दावा करने में सक्षम बनाएगा, जबकि विदेशी लेनदारों को भारतीय कंपनियों से ऋण वसूल करने की अनुमति देगा।
  - यह भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को भारत में अपना बकाया वसूल करने में मदद करेगा।
  - यह भारत में दिवाला समाधान के विचार में एक घरेलू कॉर्पोरेट देनदार की विदेशी संपत्ति को भी लाएगा और तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान में होने वाली देरी से बचाएगा।
- UNCITRAL मॉडल कानून:
  - UNCITRAL मॉडल सीमा पार दिवाला मुद्दों से निपटने के लिये सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढाँचा है।
    - इसे ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर समेत 49 देशों ने अपनाया है।
  - मॉडल कानून सीमा पार दिवाला के चार प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है:
    - डिफॉल्ट करने वाले देनदार के खिलाफ घरेलू दिवाला कार्यवाही में भाग लेने या शुरू करने के लिये विदेशी दिवाला पेशेवरों और विदेशी लेनदारों तक सीधी पहुँच।
    - विदेशी कार्यवाही की मान्यता और उपचार का प्रावधान।
    - घरेलू और विदेशी अदालतों तथा घरेलू व विदेशी दिवाला व्यवसायियों के बीच सहयोग।
    - विभिन्न देशों में दो या दो से अधिक समवर्ती दिवालिया कार्यवाहियों के बीच समन्वय। इस संबंध में मुख्य कार्यवाही 'सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट' (COMI) की अवधारणा द्वारा निर्धारित की जाती है।
    - किसी कंपनी के लिये 'सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट' का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि कंपनी अपने व्यवसाय को नियमित आधार पर कहाँ संचालित करती है और इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान क्या है।
  - यह राज्यों को मध्यस्थता प्रक्रिया संबंधी कानूनों में सुधार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।
- भारतीय फ्रेमवर्क और मॉडल कानून के बीच अंतर:
  - जो देश 'UNCITRAL' के मॉडल कानून को अपनाते हैं, वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ बदलाव करते हैं।

नोट :

- 'भारतीय सीमा पार दिवालिया फ्रेमवर्क वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सीमा पार दिवाला कार्यवाही के अधीन होने से बाहर करता है, वहीं कई देश 'सीमा पार दिवालिया फ्रेमवर्क के प्रावधानों से बैंकों और बीमा जैसी महत्त्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों को छूट देते हैं।'
- 'प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस' (PRIP) से गुज़रने वाली कंपनियों को सीमा पार दिवालिया कार्यवाही से छूट दी जानी चाहिये क्योंकि PIRP के प्रावधान हाल ही में पेश किये गए हैं और 'प्री-पैक मैकेनिज़्म के तहत न्यायशास्त्र अपने प्रारंभिक चरण में है।
  - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के त्वरित समाधान के लिये PIRP को इस वर्ष की शुरुआत में IBC के तहत पेश किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग:

- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में इस उद्देश्य से की गई थी कि यह सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग हेतु मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और इसके परिणामस्वरूप शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- अपने कई मॉडल कानूनों, कन्वेंशनों, और कार्य समूहों के बीच मज़बूत वार्ता के माध्यम से,'UNCITRAL' ने सदस्य देशों को उनकी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापार कानून के सिद्धांतों की तुलना, जाँच, वार्ता और उन्हें अपनाने हेतु एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है।
- भारत उन आठ देशों में से एक है, जो 'UNCITRAL' की स्थापना से ही उसके सदस्य हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है।
  - इन्सॉल्वेंसी: यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
  - बैंकरप्सी: यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।
- यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एकसमान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करता है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक : नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जारी किया है।

- इससे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - MPI गरीबी को उसके कई आयामों में मापने का प्रयास करता है और वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आँकड़े प्रदान करता है।
  - वैश्विक MPI 2021 के अनुसार, 109 देशों में भारत की रैंक 66वीं है। राष्ट्रीय MPI परियोजना का उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार संबंधी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिये विश्व स्तर पर गठबंधन के साथ-साथ भारत के लिये एक व्यवस्थित एमपीआई सुनिश्चित करना है।

नोट :

- इसके तीन समान रूप से भारित आयाम हैं - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।
  - इन तीन आयामों को 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे- पोषण, स्कूल में नामांकन, स्कूली शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि।

- कार्यप्रणाली और डेटा:
  - राष्ट्रीय एमपीआई के मापन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत एवं मज़बूत कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाता है।
  - राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) पर आधारित है, जिसे वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था।
    - NFHS-4 के डेटा का उपयोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बड़े पैमाने पर शुरू होने से पहले स्थिति के मापन हेतु आधारभूत बहुआयामी गरीबी पर एक उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करता है।
    - NFHS-4 का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, स्कूल में नामांकन, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आदि में सुधार के उपाय करना है।
    - हालाँकि यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि NFHS-5 डेटा फैक्टशीट से प्राप्त प्रारंभिक अवलोकन उन स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुँच में सुधार का सुझाव देती है, जो कि अभाव का संकेत देते हैं।

- सूचकांक के निष्कर्ष:
  - गरीबी का स्तर:
    - बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है जहाँ बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है।
    - केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम गरीबी स्तर दर्ज किया गया, इसके बाद पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान है।
  - कुपोषित लोग:
    - बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है।

- सूचकांक का महत्त्व:
  - सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने में योगदान:
    - सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है जो बहुआयामी गरीबी का निरीक्षण करता है, साक्ष्य-आधारित और केंद्रित हस्तक्षेपों को सूचित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे।
  - गरीबी की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करना:
    - यह देश में गरीबी की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है, साथ ही उन क्षेत्रों - राज्य या ज़िलों, एवं विशिष्ट क्षेत्रों का और अधिक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो मौजूदा मौद्रिक गरीबी आँकड़ों के लिये एक पूरक के रूप में कार्य करता है।
  - सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक:
    - यह सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के लक्ष्य-2 की प्रगति को मापने की दिशा में योगदान देता है, जिसका उद्देश्य गरीबी में जीवन यापन करने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम-से-कम आधा करना है।

- संबंधित सरकारी पहलें:
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 (MNREGA)
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

नोट :

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
- जल जीवन मिशन (JJM)
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

औद्योगिक समूह और बैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी आंतरिक कार्य समिति (IWG) की सिफारिशों को रोक दिया है, जिसमें कहा गया है कि बड़े कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के बाद बैंकों को विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है।

- RBI ने निजी बैंकों के स्वामित्व पर IWG की 33 में से 21 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन बड़े व्यापारिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस देने के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

प्रमुख बिंदु

- औद्योगिक समूह:
  - औद्योगिक समूह (Corporate Houses- CH) पाँच दशक पहले बैंकिंग क्षेत्र में तब तक सक्रिय थे जब तक कि साठ के दशक के अंत में उधार देने और जमाकर्त्ताओं के पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच प्रवर्तित बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया गया।
  - निजी बैंकों को लाइसेंस देने के पहले दौर के साथ बैंकिंग क्षेत्र को सीएच पोस्ट उदारीकरण (CHs Post Liberalisation), 1991 के लिये फिर से खोल दिया गया, यह कार्य वर्ष 1993 में किया गया था।
  - निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने का काम वर्ष 2003-04 और वर्ष 2013-14 में भी किया गया जिसकी परिणति वर्ष 2016 में यूनिवर्सल बैंकों की ऑन-टैप लाइसेंसिंग व्यवस्था के साथ हुई।
    - हालाँकि वर्ष 2013-14 में कुछ प्रमुख औद्योगिक समूहों पर विचार नहीं किया गया था।
- निगमों को अपना बैंक रखने से लाभ:
  - पूंजी अंतर को कम करना:
    - वर्तमान में सरकार करदात्ताओं की जेब से पैसा निकाल कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फंडिंग करती रहती है।
    - इसलिये बड़े कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग क्षेत्र में अनुमति देकर पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
  - वित्तीय समावेशन:
    - आज भी देश में एक बड़ी आबादी की बैंकिंग तक पहुँच नहीं है, औद्योगिक समूहों/कॉर्पोरेट्स के प्रवेश का अर्थ होगा अधिक बैंकिंग शाखाओं को खोलना तथा अधिक लोगों तक बैंकिंग की पहुँच सुनिश्चित करना।
  - बेहतर प्रतिस्पर्द्धा:
    - बैंकों का निजीकरण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित सुधार रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स के प्रवेश की अनुमति से सार्वजनिक बैंकों पर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिये दबाव बढ़ेगा।
- औद्योगिक समूहों को बैंकिंग लाइसेंस देने से चिंताएँ :
  - धन जमा करने से संबंधित नैतिक खतरा:
    - एक ऐसा बैंक जिसका औद्योगिक समूहों से कोई संबंध न हो, वह बिना हितों के टकराव के प्रभावी रूप से ऋण आवेदनों की समीक्षा कर सकता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में तेज़ी लाने के लिये धन का कुशल आवंटन सुनिश्चित किया जा सकता है।

नोट :

- दूसरी ओर औद्योगिक समूहों के स्वामित्व वाले बैंकों पर ऋण जारी करने के दौरान अधिक योग्य संस्थानों/कंपनियों की बजाय लगातार समूह की ही अन्य कंपनियों को प्राथमिकता देने का दबाव बना रहेगा। इसे 'कनेक्टेड लेंडिंग' (Connecting Lending) के रूप में देखा जा सकता है।
- बड़े व्यापारिक समूह पहले से ही बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित आस्तियों (Non-Performing Assets- NPAs) के एक बड़े हिस्से के लिये बैंक के प्रवर्तक बने बिना भी उसका प्रयोग करते हैं।
- नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्रभावी वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक की भूमिका को प्रभावित करेगा और नैतिक खतरा या हितों के टकराव की स्थिति पैदा करेगा।

- सर्कुलर लेंडिंग और विनियमन की चुनौतियाँ:
  - यहाँ सर्कुलर लेंडिंग से आशय उस स्थिति से हैं जहाँ कोई कॉर्पोरेट बैंक 'X' किसी ऐसे औद्योगिक समूह की परियोजना की फंडिंग कर रहा है जिसके पास कॉर्पोरेट बैंक 'Y' का स्वामित्व है, इसके साथ ही कॉर्पोरेट बैंक 'Y' किसी ऐसे औद्योगिक समूह की परियोजना की फंडिंग कर रहा है जिसके पास कॉर्पोरेट बैंक 'Z' का स्वामित्व है और अंत में कॉर्पोरेट बैंक 'Z' किसी ऐसे औद्योगिक समूह की परियोजना की फंडिंग कर रहा है जिसके पास कॉर्पोरेट बैंक 'X' का स्वामित्व है।
  - ऐसी स्थिति में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों और शेल कंपनियों के प्रसार के बीच वास्तविक समय में ऐसे ऋणों की निगरानी का कार्य बहुत ही कठिन होगा।
- असमानता और धन का संकेंद्रण:
  - औद्योगिक समूहों को बैंकों का स्वामित्व प्राप्त होने से उन बड़े औद्योगिक समूहों की शक्ति में और वृद्धि होगी, जिनका पहले से ही अर्थव्यवस्था के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे- दूरसंचार, संगठित खुदरा व्यापार, विमानन, सॉफ्टवेयर और ई-कॉमर्स आदि) में वर्चस्व रहा है।
  - इससे धन के संकेंद्रण में और तेज़ी आएगी तथा असमानता को बढ़ावा मिलेगा।
- पूर्व के नियमों के विपरीत:
  - पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसे देखते हुए वर्ष 2016 में RBI द्वारा किसी एक ही कंपनी को ऋण देने की सीमा निर्धारित करने के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
  - इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि यदि कोई बैंक एक ही कंपनी को बहुत अधिक ऋण देता है तो संबंधित कंपनी के असफल होने पर बैंक के आर्थिक जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।
  - ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र में बड़े औद्योगिक समूहों के प्रवेश की अनुमति की सिफारिश वर्ष 2016 के उपरोक्त निर्णय के विपरीत होगी।

आगे की राह

- ऐसे में कॉर्पोरेट्स के हाथों में बहुत अधिक आर्थिक शक्ति देने की बजाय काफी समय से लंबित बैंकिंग सुधारों को लागू करने के साथ ही RBI की कार्यात्मक स्वायत्तता को मज़बूत करने के प्रयासों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- आंतरिक और बाह्य नियंत्रणों में हालिया विफलताओं जैसे- पीएनबी के मामले में एक खतरनाक धोखाधड़ी, बैंक और एनबीएफसी जैसे- लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक आदि की विफलताएँ, जहाँ सभी हितधारकों ने अपना पैसा गँवा दिया और विश्वसनीयता ने पर्यवेक्षी तंत्र और कॉर्पोरेट प्रशासन के बहुत उच्च स्तर के साथ नए नियमों की आवश्यकता को जन्म दिया है, के संदर्भ में मज़बूत सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम मंच है।
- जहाँ औद्योगिक समूह एक प्रमोटर है, बैंक के पास रखे गए धन के उपयोग और संबंधित पार्टी से लेन-देन की निगरानी हेतु सख्त नियम आवश्यक होंगे।
- मानदंडों को व्यवस्थित, उचित और आसान बनाने की ज़रूरत है तथा आम नागरिकों को इस प्रक्रिया में लाभार्थी बनना चाहिये।

नोट :

ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट' स्कीम

चर्चा में क्यों ?

हाल के आँकड़ों के अनुसार, 'ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट स्कीम' (ZED) के सिद्धांत को अपनाने के इरादे से 23,948 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने पंजीकरण कराया था।

प्रमुख बिंदु

- योजना के विषय में:
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई यह योजना एक एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली है।
  - यह योजना उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण शमन, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन तथा डिज़ाइन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार सहित तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उत्तरदायी है।
  - इसका मिशन 'ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो प्रभाव' के सिद्धांतों के आधार पर भारत में 'ZED' संस्कृति को विकसित और कार्यान्वित करना है।
  - ज़ीरो डिफेक्ट
    - जीरो डिफेक्ट अवधारणा ग्राहक केंद्रित है।
    - शून्य गैर-अनुरूपता या गैर-अनुपालन
    - शून्य अपशिष्ट
  - ज़ीरो इफेक्ट
    - शून्य वायु प्रदूषण, तरल निर्वहन, ठोस अपशिष्ट
    - प्राकृतिक संसाधनों का शून्य अपव्यय
- ZED प्रमाणन\रेटिंग:
  - रेटिंग प्रत्येक पैरामीटर पर प्राप्त अंकों का भारित औसत है।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का मूल्यांकन परिचालन स्तर के संकेतकों एवं संगठनात्मक स्तर के संकेतकों हेतु परिभाषित परिणाम मापदंडों पर किया जाएगा।
  - मूल्यांकन के आधार पर MSME को ब्रोंज़-सिल्वर-गोल्ड-डायमंड-प्लैटिनम उद्यमों के रूप में रैंक प्रदान की जाएगी।
  - ZED रेटिंग के लिये 50 पैरामीटर हैं और ZED मैच्योरिटी असेसमेंट मॉडल के तहत ZED डिफेंस रेटिंग के लिये अतिरिक्त 25 पैरामीटर हैं।
- योजना का उद्देश्य
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में 'शून्य दोष निर्माण' के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
  - गुणवत्तापूर्ण उपकरणों/प्रणालियों के अनुकूलन और ऊर्जा दक्ष विनिर्माण को बढ़ावा देना। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सक्षम बनाना।
  - उत्पादों और प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करने के लिये एमएसएमई को प्रोत्साहित करना।
  - ZED निर्माण और प्रमाणन के क्षेत्र में पेशेवरों का विकास करना।
  - 'मेक इन इंडिया' अभियान का समर्थन करना।
- योजना की कार्यान्वयन एजेंसी:
  - ZED के कार्यान्वयन के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) को राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (NMIU) के रूप में नियुक्त किया गया है।
    - भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।

नोट :

- एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये अन्य पहलें:
  - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
  - पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI)
  - नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एक योजना (एस्पायर)
  - एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिये ब्याज सबवेंशन योजना
  - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी योजना
  - चैंपियंस पोर्टल

एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- निर्यात के संदर्भ में वे आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और कुल निर्यात में लगभग 48 प्रतिशत का योगदान देते हैं।
- इसके अलावा MSMEs रोज़गार सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
- विदित हो कि MSMEs ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं और लगभग आधे से अधिक MSMEs ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जो इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा और इस प्रकार डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने के लिये 'बैंक नोट' की परिभाषा का दायरा बढ़ाएगा।

- वर्तमान संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधेयक पेश करने की सरकार की योजना के बीच यह कदम उठाया गया है जो कुछ अपवादों के साथ भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है।

प्रमुख बिंदु

- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी:
  - CBDC फिएट करेंसी (Fiat Currency) का एक डिजिटल रूप है जिसमे लेन-देन के लिये ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग किया जा सकता है तथा इसे केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल रूप में एक कानूनी निविदा है।
    - फिएट मनी (Fiat money) सरकार द्वारा जारी मुद्रा है जो सोने जैसी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है। फिएट मनी केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है क्योंकि वे नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा मुद्रित किया जाता है।
  - हालाँकि CBDCs की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और न ही 'कानूनी निविदा' है।
- ज़रूरत:
  - कदाचार को संबोधित करना:
    - एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी की अराजक प्रवृति के कारण उत्पन्न होती है जिसमें उनका निर्माण और रखरखाव जनता के हाथों में होता है।
    - डिजिटल मुद्रा को विनियमित कर केंद्रीय बैंक उनके कदाचार पर रोक लगा सकता है।

नोट :

- अस्थिरता को संबोधित करना:
  - चूँकि क्रिप्टोकरेंसी किसी भी संपत्ति या मुद्रा से जुड़ी नहीं है, इसका मूल्य पूरी तरह से मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  - इसके कारण बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव देखा जाता है।
- डिजिटल मुद्रा छद्म युद्ध के रूप में :
  - भारत एक छद्म डिजिटल मुद्रा युद्ध के बवंडर में फँसने का जोखिम उठाता है क्योंकि अमेरिका और चीन नए जमाने के वित्तीय उत्पादों को पेश करके अन्य बाज़ारों में वर्चस्व हासिल करने के लिये संघर्ष करते हैं।
  - एक संप्रभु डिजिटल रुपया केवल वित्तीय नवाचार का मामला नहीं है, बल्कि अपरिहार्य छद्म युद्ध को रोकने के लिये आवश्यक है जो हमारी राष्ट्रीय तथा वित्तीय सुरक्षा के लिये खतरा है।
- डॉलर पर निर्भरता कम करना:
  - डिजिटल रुपया भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार के लिये एक बेहतर मुद्रा के रूप में डिजिटल रुपए का प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
- निजी मुद्रा का आगमन:
  - यदि इन निजी मुद्राओं को मान्यता मिलती है तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राओं को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

- महत्त्व:
  - यह बिना किसी अंतर-बैंक निपटान के वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा।
  - भारत का मुद्रा-जीडीपी अनुपात (Currency-to-GDP ratio) CBDC का एक और अन्य लाभ है, जहाँ बड़े पैमाने पर नकदी का उपयोग होता है। (CBDC) द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिससे कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
  - यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।
  - यह उपयोगकर्त्ता को घरेलू औ र सीमा पार दोनों प्रकार के लेन-देन में सक्षम करेगा जिसके लिये किसी तीसरे पक्ष या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है।
  - इसमें महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जैसे- नकदी पर कम निर्भरता, कम लेन-देन की लागत के कारण उच्च पदभार और कम निपटान जोखिम।
  - यह संभवत: एक अधिक मज़बूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प की ओर भी ले जाएगा।
- मुद्दे:
  - RBI की जाँच के तहत कुछ प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं- सीबीडीसी का दायरा, अंतर्निहित तकनीक, सत्यापन तंत्र और डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर।
  - साथ ही कानूनी परिवर्तन आवश्यक होंगे क्योंकि वर्तमान प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत भौतिक रूप में मुद्रा को ध्यान में रखते हुए किये गए हैं।
  - सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी परिणामी संशोधन की आवश्यकता होगी।
  - पहले से तनावग्रस्त बैंकों से धन की अचानक निकासी एक और चिंता का विषय है।
- हालिया विकास:
  - मध्य अमेरिका का एक छोटा सा तटीय देश अल सल्वाडोर, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
  - ब्रिटेन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (ब्रिटकॉइन) बनाने की संभावना तलाश रहा है।

नोट :

- वर्ष 2020 में चीन ने अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया जिसे अनौपचारिक रूप से "डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डीसी/ईपी" (Digital Currency Electronic Payment, DC/EP) कहा जाता है।
- अप्रैल 2018 में RBI ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो लेन-देन का समर्थन करने से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि धोखाधड़ी के लिये डिजिटल मुद्राओं का उपयोग किया गया था। मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया।

आगे की राह

- एक डिजिटल रुपए का निर्माण भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने तथा पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा।
- मैक्रोइकॉनमी और तरलता, बैंकिंग सिस्टम एवं मुद्रा बाज़ारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति निर्माताओं के लिये भारत में डिजिटल रुपए की संभावनाओं पर पूरी तरह से विचार करना अनिवार्य है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बिडेन-शी शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक के लिये मुलाकात की। यह बैठक दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को समाप्त करने में असफल रही।

- अमेरिका-चीन के बीच विवाद कई मोर्चों पर है जिसमें वैचारिक और सांस्कृतिक आधिपत्य प्रतिद्वंद्विता, व्यापार युद्ध शामिल हैं जिसे अक्सर नया शीत युद्ध कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- चीन के विरुद्ध अमेरिका का आरक्षण:
  - मानवाधिकार उल्लंघन: अमेरिका ने शिनजियांग' (Xinjiang) (उइगर मुस्लिम), तिब्बत और हॉन्गकॉन्ग में मानवाधिकार उल्लंघन प्रथाओं के बारे में चिंता जताई।
  - व्यापार युद्ध: वर्ष 2017 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके कारण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को चीनी निर्यात पर आयात शुल्क लगाया।
    - अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी श्रमिकों और उद्योगों को चीन के अनुचित व्यापार और आर्थिक व्यवहार से बचाने की आवश्यकता है।
    - अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है।
  - स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र: दक्षिण चीन सागर में चीन ने दृढ़ता के साथ समुद्र के अधिकांश हिस्से को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करते हुए अमेरिका को क्षेत्र की समृद्धि के लिये नेविगेशन की स्वतंत्रता और सुरक्षित ओवरफ्लाइट के महत्त्व को दोहराने के लिये प्रेरित किया है।
  - ताइवान: वर्ष 1949 में हुए गृहयुद्ध के दौरान चीन और ताइवान अलग हो गए, हालाँकि इसके बावजूद चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह से उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की वकालत करता है। जबकि ताइवान के नेताओं का कहना है कि ताइवान एक संप्रभु देश है।
    - अमेरिका 'वन चाइना' नीति के लिये प्रतिबद्ध है। हालाँकि वह "ताइवान जलडमरूमध्य में यथास्थिति को बदलने या शांति और स्थिरता को कमज़ोर करने के एकतरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करता है"।
- अमेरिका के खिलाफ चीन का आरक्षण:
  - गठबंधन और समूह: चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों और समूहों के संबंध में आपत्ति जताई है। चीन ने माना कि इन समूहों ने दुनिया में 'विभाजन' को जन्म दिया है।
    - यह क्वाड समूह का एक बिंदु था, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएस के बीच ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को वितरित करने हेतु 'ऑकस' (AUKUS) सौदा शामिल है।
    - इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में चीन को शामिल किये बिना G7 को G-11 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया है।
  - विश्व वित्त पर हावी होने हेतु प्रतिस्पर्द्धा: अमेरिका के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का मुकाबला करने के लिये चीन 'एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' और 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' जैसे वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों के साथ सामने आया है।

नोट :

- अमेरिका-भारत-चीन संबंध:
  - चीन के साथ विवादों को सुलझाने में भारत की मदद करेगा अमेरिका: अमेरिका का उद्देश्य चीन के साथ सीमा विवाद जैसी महाद्वीपीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने हेतु सैन्य, राजनयिक और खुफिया चैनलों के माध्यम से भारत का समर्थन करना है।
  - अमेरिका 'बेल्ट एंड रोड' पहल के खिलाफ भारत की आपत्ति का समर्थन करता है: अमेरिका 'बेल्ट एंड रोड' पहल के तहत चीनी वित्तपोषण के कारण ऋण का सामना कर रहे देशों में पारदर्शी बुनियादी अवसंरचना-ऋण प्रथाओं की मांग करता है।
    - 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' (B3W) जून 2021 में ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) सबसे अमीर लोकतंत्रों द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी अवसंरचना निवेश पहल है।
    - B3W पहल को चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का मुकाबला करने के लिये अमेरिका की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
  - चीन को प्रतिसंतुलित करना: अमेरिका समान विचारधारा वाले देशों के सहयोग के साथ भारत के पक्ष में है, जो रणनीतिक तौर से महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रति संतुलित करने का कार्य करेगा।
  - इसके लिये भारत और अमेरिका ने चार मौलिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं:
    - सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA)
    - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA-2016)
    - संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA-2018)
    - भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता (BECA-2020)

आगे की राह

- यूएस-चीन की ज़िम्मेदारी: यह सुनिश्चित करना चीन और अमेरिका के नेताओं की ज़िम्मेदारी है कि देशों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा किसी संघर्ष का रूप न ले।
- भारत उन्मुख संतुलन: भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक शक्ति का एहसास होना चाहिये और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में फँसने के बजाय शांतिपूर्ण आपसी संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये।

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी

चर्चा में क्यों ?

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) (प्रमुखों के सम्मेलन) के 7वें संस्करण की मेज़बानी फ्राँसीसी नौसेना द्वारा पेरिस में 15-16 नवंबर, 2021 से की जा रही है।

- IONS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना दो वर्ष के लिये अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। वर्तमान में IONS की अध्यक्षता फ्राँस के पास है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है, जो समुद्री सहयोग बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है।
  - यह प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सुनिश्चित करने का भी कार्य करती है।
  - 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) की अध्यक्षता भारत (2008-10), संयुक्त अरब अमीरात (2010-12), दक्षिण अफ्रीका (2012-14), ऑस्ट्रेलिया (2014-16), बांग्लादेश (2016-18) और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (2018-21) द्वारा की गई है।
    - फ्राँस ने जून 2021 में दो वर्ष के कार्यकाल के लिये अध्यक्षता ग्रहण की।

नोट :

सदस्य देश:

- IONS में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) की सीमा पर मौजूद हैं तथा इसमें 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं।
- सदस्यों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित चार उप-क्षेत्रों में बाँटा गया है:
  - दक्षिण एशियाई समुद्र तट: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र)।
  - पश्चिम एशियाई समुद्र तट: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
  - पूर्वी अफ्रीकी समुद्र तट: फ्राँस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंज़ानिया।
  - दक्षिण-पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्याँमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।

भारत के लिये महत्त्व:

- IONS इस क्षेत्र में भारत की तीन महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करता है:
  - हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मज़बूत और गहरा करना।
  - शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) होने की अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को पूरा करना।
  - IOR में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना।
  - यह भारत को मलक्का जलडमरूमध्य (Straits of Malacca) से होर्मुज़ (Hormuz) तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मज़बूत करने में मदद करेगा।
  - IONS का उपयोग इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने के लिये किया जा सकता है।
- IOR से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण समूह/पहल:
  - हिंद महासागर रिम एसोसिएशन: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।
    - इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत् विकास को मज़बूत करना है।
  - हिंद महासागर आयोग: हाल ही में हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में भारत का अनुमोदन किया गया है, यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन (Maritime Governance) की दिशा में कार्य करता है।
  - 'SAGAR' (हिंद महासागरीय क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि): इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
    - सागर (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
  - 'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र' (IFC-IOR): इसे भारत द्वारा वर्ष 2018 में समुद्री डेटा के क्षेत्रीय भंडार के रूप में स्थापित किया गया था।
  - एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा: वर्ष 2016 में भारत और जापान द्वारा जारी संयुक्त घोषणा में एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (Asia Africa Growth Corridor- AAGC) का विचार उभरा था।
    - AAGC को विकास और सहयोग परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे तथा संस्थागत कनेक्टिविटी, क्षमता व कौशल बढ़ाने जैसे लोगों की भागीदारी के चार स्तंभों पर स्थापित किया गया है।
  - बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल): यह उप-क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
    - इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना; सामाजिक प्रगति में तेज़ी लाना और IOR में साझा हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

नोट :

सिडनी डायलॉग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिडनी डायलॉग के उद्घाटन में मुख्य भाषण दिया।

- भाषण में उन्होंने भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर बात की।

प्रमुख बिंदु:

- मुख्य विशेषताएँ:
  - अंतर्राष्ट्रीय आदेश के तहत यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाए।
    - प्रधानमंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार की अनियमित प्रकृति का हवाला देते हुए प्रगतिशील और दूरंदेशी कदम उठाने का आह्वान किया।
    - भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी निवेश के लिये खुला है और कृषि क्षेत्र डिजिटल क्रांति का लाभ उठा रहा है।
    - वर्ष 2020 में सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचे का उपयोग करने के लिये निजी कंपनियों हेतु एकसमान अवसर प्रदान करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) खोला।
  - राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को नए सिरे से परिभाषित करने वाली भारत की डिजिटल क्रांति के विकास पर प्रकाश डाला।
    - हालाँकि डिजिटल युग संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकार और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है।
- भारत द्वारा सूचीबद्ध पाँच महत्त्वपूर्ण परिवर्तन:
  - पहला, भारत में दुनिया का सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना ढाँचा बनाया जा रहा है।
    - 1.3 बिलियन से अधिक भारतीयों के पास एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (आधार) है और छह लाख गाँव जल्द ही ब्रॉडबैंड व दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बुनियादी ढाँचे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़ जाएंगे।
  - दूसरा, शासन, समावेश, सशक्तीकरण, कनेक्टिविटी, लाभ वितरण और कल्याण के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।
    - उदाहरण: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), सामान्य सेवा केंद्र (CSC) आदि।
  - तीसरा, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
  - चौथा, भारत का उद्योग और सेवा क्षेत्र, यहाँ तक कि कृषि भी बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है।
    - उदाहरण: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), एग्री-स्टार्टअप आदि।
  - पाँच, यह भारत को भविष्य के लिये तैयार करने का एक बड़ा प्रयास है।
    - 5G और 6G जैसी दूरसंचार प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमताओं के विकास हेतु निवेश करना।
    - भारत 'कृत्रिम बुद्धिमता' और 'मशीन लर्निंग' में अग्रणी देशों में से एक है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमता के मानव-केंद्रित और नैतिक उपयोग के मामले में।
    - क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड कंप्यूटिंग में मज़बूती के साथ क्षमताओं का विकास करना।

सिडनी डायलॉग:

- यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट' की एक पहल है।
- यह दुनिया में कानून व्यवस्था की स्थिति और डिजिटल डोमेन पर चर्चा करने के लिये साइबर और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है।

अन्य संबंधित पहलें:

- पूर्वी आर्थिक मंच:
  - पूर्वी आर्थिक मंच (EEF) की स्थापना वर्ष 2015 में रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।
  - यह विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण और नए औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रूस तथा अन्य देशों के समक्ष आने वाली वैश्विक चुनौतियों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव:
  - फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) को व्यापक रूप से 'दावोस इन डेज़र्ट' के रूप में वर्णित किया गया है। यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है।
  - इसका अनौपचारिक नाम (दावोस इन डेज़र्ट) विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से निकला है, जो स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होती है, जहाँ विश्व के नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

कुलभूषण जाधव केस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पाकिस्तानी संसद ने मृत्युदंड प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिये एक कानून बनाया है।

- इस बिल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) के एक आदेश को कानून करने हेतु बनाया गया था।
- हालाँकि भारत का मानना है कि इस कानून में कई "कमियाँ" हैं तथा ICJ के आदेश को 'अक्षरत: और उसकी भावना के साथ' लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

- कुलभूषण जाधव केस:
  - गिरफ्तारी: 51 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी, जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी करने और आतंकवाद के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी।
    - दिसंबर 2017 में जाधव की पत्नी और मां को एक काँच के अवरोधक के माध्यम से उनसे मिलने की अनुमति दी गई, भारत ने पाकिस्तान के इस दावे का विरोध किया कि यह ICJ में एक 'कॉन्सुलर एक्सेस' था।
    - कॉन्सुलर एक्सेस से इनकार: भारत ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस (वियना कन्वेंशन) न मिल पाने और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिये पाकिस्तान के खिलाफ ICJ का दरवाज़ा खटखटाया।
  - ICJ रूलिंग: वर्ष 2019 में ICJ ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जाधव की सज़ा की "प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार" करने के लिये बाध्य था।
  - पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: ICJ के आदेश के मद्देनज़र, पाकिस्तान सरकार ने जाधव को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिये एक विशेष अध्यादेश जारी किया था।
    - पाकिस्तान की संसद ने ICJ के फैसले के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक, 2021 पारित किया है।

कानून में कमियाँ:

- स्पष्ट रोड मैप का अभाव: भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव के मामले में प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार हेतु कोई तंत्र बनाए बिना पाकिस्तान द्वारा पारित बिल वर्ष 2019 के अध्यादेश को ही दोहराता है।
- म्युनिसिपल कोर्ट को असाधारण शक्ति: यह पाकिस्तान में नगरपालिका अदालतों को यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है कि क्या जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने में विफलता का कारण किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है या नहीं।
  - यह स्पष्ट रूप से मूल सिद्धांत का उल्लंघन है, नगरपालिका अदालतें इस बात के लिये मध्यस्थ नहीं हो सकतीं कि किसी राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है या नहीं।
  - यह भविष्य में नगरपालिका अदालत को अपील करने के लिये भी आमंत्रित करता है।

नोट :

- 'प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार' का भारत के लिये निहितार्थ:
  - प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार (Effective Review and Reconsideration) एक वाक्यांश है, जो कि घरेलू संदर्भों में प्रचलित 'समीक्षा' (Review) से भिन्न होता है।
  - इसमें कुलभूषण जाधव को 'वकील/कॉन्सुलर उपलब्ध कराने' और अपने बचाव हेतु तैयारी में मदद करना अंतर्निहित है।
  - इसका मतलब है कि पाकिस्तान को जाधव पर लगाए सभी आरोपों और उन सबूतों का भी खुलासा करना होगा जिनके बारे में वह अब तक पूरी तरह से अपारदर्शी रहा है।
  - पाकिस्तान को उन परिस्थितियों का भी खुलासा करना होगा, जिनमें सेना ने जाधव से अपराध का कबूलनामा हासिल किया था।
  - इसका तात्पर्य है कि जाधव को मामले की सुनवाई करने वाले किसी भी मंच या अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार होगा।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

- ICJ संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रमुख न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और वर्ष 1946 में इसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice-PCIJ) के उत्तराधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया।
- यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।
- यह हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है।

वियना संधि (Vienna Convention)

- 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' (Vienna Convention on Consular Relations) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच 'कॉन्सुलर संबंधों' को परिभाषित किया गया है।
  - एक कॉन्सुलर (जो राजनयिक नहीं है), एक मेज़बान देश में एक विदेशी राज्य का प्रतिनिधि है, जो अपने देशवासियों के हितों के लिये काम करता है।
- 'वियना संधि' के अनुच्छेद 36 के अनुसार, मेज़बान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए विदेशी नागरिकों को उनके 'दूतावास या वाणिज्य दूतावास को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने संबंधी उनके अधिकार' के बारे में तत्काल नोटिस/सूचना दी जानी चाहिये।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चार वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार नीति फोरम/मंच (TPF) का आयोजन किया गया था। फोरम ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को 'आगामी उच्च स्तर' पर ले जाने का संकल्प लिया और 'संभावित लक्षित टैरिफ कटौती' को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- उद्देश्य: कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा पर टीपीएफ के कार्य समूहों को सक्रिय करना तथा लाभकारी तरीके से पारस्परिक चिंता के मुद्दों का समाधान करना।
  - साथ ही अतिरिक्त बाज़ार तक पहुँच स्थापित करने जैसे मुद्दों को हल करके दोनों देशों को ठोस लाभ प्रदान करना है।
- फोरम की मुख्य विशेषताएँ:
  - म्युचुअल मार्केट एक्सेस: फोरम ने भारत से अमेरिकी बाज़ार तक पहुँच की सुविधा के लिये एक समझौते के तहत कई कृषि एवं पशु उत्पादों हेतु भारतीय बाज़ार में समान पहुँच के लिये पारस्परिक रूप से फैसला लिया है।
  - GSP की बहाली: भारत ने अमेरिका से सामान्य प्राथमिकता प्रणाली (जनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस-GSP) के लाभों की बहाली की मांग की है।

नोट :

- समग्रता समझौता: फोरम दोनों पक्षों के श्रमिकों के हित में सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के समन्वय के लिये "समग्रता समझौते" (Totalization Agreement) पर बातचीत करने पर भी सहमत हुआ।
  - टोटलाइज़ेशन एग्रीमेंट दो देशों के बीच समान आय के लिये दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान को रोकने वाला एक समझौता है।
  - यह दोनों देशों के श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति की बचत को स्थानांतरित करने की अनुमति देगा, जिसकी कमी विशेष रूप से यू.एस. में भारतीय IT श्रमिकों को प्रभावित करती है।
- नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली की ओर: भारत और अमेरिका ने बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं और लोकतंत्रों के बीच एक पारदर्शी, नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) एवं जी20 सहित विभिन्न बहुपक्षीय व्यापार निकायों में भागीदारी पर भी चर्चा की।
  - फोरम ने दोनों देशों के बीच बकाया WTO विवादों पर पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने का भी निर्णय लिया।
- इथेनॉल आपूर्ति: अमेरिका ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के अपने लक्ष्य के लिये भारत को इथेनॉल की आपूर्ति में रुचि दिखाई।
- फार्मा सहयोग: दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित फार्मास्यूटिकल निर्माण आधार और जोखिम रहित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के साथ साझेदारी का निर्णय लिया।
- सर्विस फ्रंट (Services Front): फोरम ने उन तरीकों पर चर्चा की जिसमें कानूनी, नर्सिंग व लेखा सेवाएँ व्यापार तथा निवेश में वृद्धि की सुविधा प्रदान कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक साथ काम करने की मांग की।
- महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग: दोनों देश साइबर स्पेस, सेमी-कंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5जी और भविष्य की पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी जैसी महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्त्व को पहचानते हैं।
- जलवायु परिवर्तन: दोनों देशों ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के दृष्टिकोणों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जैसा कि भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी में सहमति व्यक्त की गई थी।

आगे की राह

- टैरिफ हटाने की पहल: संभावित सौदे की दिशा में भारत के लिये पहला कदम पहल करना और एकतरफा अपने प्रतिशोधी शुल्क को हटाने पर विचार करना है। यह व्यापार वार्ता में एक रचनात्मक पक्षकार बनने के इच्छुक भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।
  - भले ही अमेरिका की प्रतिबद्धता के बिना टैरिफ हटाना विश्वास में बढ़ोतरी है, यह अंतत: द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिये फायदेमंद होगा।
- चीन का मुकाबला करना: रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिये चीन का मुकाबला करने का एक उपाय यही है कि भारत अपने उन भागीदारों के साथ व्यापार संबंधों को गहन करे जिन्होंने भारत के विकास का समर्थन करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - अमेरिका के साथ समझौता करना भारत के लिये रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से लाभप्रद होगा।
  - चूँकि अमेरिकी कंपनियाँ अपनी कुछ विनिर्माण गतिविधियों को चीन से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं, एक जीवंत व्यापार रणनीति, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को पूरकता प्रदान कर विनिर्माण एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
- डिजिटल विकास को सुगम बनाना: डिजिटल क्षेत्र (जो 100 बिलियन डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है) में विकास को बढ़ावा देने के लिये दोनों पक्षों को कई मूलभूत मुद्दों- डिजिटल सेवा कर, सीमा पार डेटा प्रवाह, साझा सेलुलर मानक आदि को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल सेवा कर के मामले में भारत उभरते वैश्विक समझौतों के साथ अनुकूलता लाए, जिससे व्यापार में तेज़ी आएगी।

नोट :

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पहला रिस्पांडर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्ग्रेस (World Congress on Disaster Management- WCDM) के पाँचवें संस्करण को संबोधित किया।

- इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने इस बात को प्राथमिकता देते हुए कहा कि भारत ने बार-बार हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में स्वयं को "प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता" (First Responder) के रूप में साबित किया है।
- "प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता" (First Responder) के रूप में भारत की उभरती अवधारणा देश की बढ़ती क्षमता और एक प्रमुख शक्ति की भूमिका ग्रहण करने की बढ़ती इच्छा को दर्शाती है।

आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्ग्रेस (WCDM):

- आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिये विश्व के शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं एवं चिकित्सकों को एक मंच पर लाने हेतु यह आपदा प्रबंधन और अभिसरित समाज की एक अनूठी पहल है।
- इसका उद्देश्य जोखिमों को कम करने और आपदाओं के प्रति लचीलापन के लिये जोखिमों एवं अग्रिम कार्यों की समझ बढ़ाने हेतु विज्ञान, नीति तथा प्रथाओं पर बातचीत को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- भारत, प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में:
  - अंतर्निहित विज़न: हिंद महासागर के लिये भारत का दृष्टिकोण सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) की अवधारणा से प्रेरित है। सागर में विशिष्ट और अंतर-संबंधित दोनों तत्त्व शामिल हैं जैसे:
    - तटीय राज्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना।
    - भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये क्षमता बढ़ाना।
    - सतत् क्षेत्रीय विकास की दिशा में कार्य करना।
    - नीली अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती तथा आतंकवाद जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिये सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।
  - सक्षम बनाने वाले कारक: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अद्वितीय स्थिति, सशस्त्र बलों की क्षमता से पूरित इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) स्थितियों में महत्त्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है।
    - क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकटों को रोकने या कम करने में अपने संसाधनों के योगदान से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक ज़िम्मेदार नेतृत्वकर्त्ता के रूप में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है।
  - इस पहल की आवश्यकता: भौगोलिक-राजनीतिक परिदृश्य और पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक खतरों को चुनौती देना जिसमें दुनिया के सामने कोविड-19 जैसी प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।
    - क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थों के साथ आपदाएँ (चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, या आकस्मिक वित्तीय संकट) अक्सर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालती हैं।
    - नेतृत्वकर्त्ता के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश करता है क्योंकि छोटे या कम सक्षम राष्ट्रों को सहायता की सख्त ज़रूरत है।
- प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में भारत का प्रकटीकरण:
  - मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान: भारत विशेषज्ञता और निर्माण क्षमता को साझा करने पर ध्यान देने के साथ अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ HADR सहयोग व समन्वय को मज़बूत करने के लिये नियमित रूप से अभ्यास करता रहा है।
    - भारत सरकार और सैन्य बलों ने वर्ष 2004 की सुनामी, वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप, आदि जैसे राहत कार्यों में पड़ोसी देशों की मदद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नोट :

- डिज़ास्टर रेज़िलिएशन: भारत द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और अपने मित्र देशों को डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (Disaster Resilient Infrastructure- DRI) की विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है।
  - भारत द्वारा वर्ष 2016 में पहली बार आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CDRI) का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
- प्रवासी निकासी अभियान: वर्ष 2015 में 'ऑपरेशन राहत' के तहत भारत ने 40 से अधिक देशों के 6,700 लोगों के साथ 1,940 भारतीय नागरिकों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाला।
- गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ: भारतीय नौसेना गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिये हिंद महासागर की डिफॉल्ट फर्स्ट रेसपोंडर (Default First Responder) के रूप में उभरी है।
  - वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिये भारतीय सेना द्वारा लगभग तीस युद्धपोतों को तैनात किया गया, जिन्होंने 1500 से अधिक जहाज़ों को बचा लिया और लगभग तीस समुद्री डकैती के प्रयासों को विफल कर दिया गया।
- संघर्ष के बाद राहत और पुनर्वास: भारत ने अक्सर संघर्ष के बाद की प्रक्रियाओं से गुज़रने वाले देशों का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, इसके लिये संसाधनों और महत्त्वपूर्ण धन की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये भारत ने संघर्ष के बाद की स्थिति से बाहर निकलने हेतु अफगानिस्तान और श्रीलंका को सहायता प्रदान की।
- शरणार्थी प्रवाह: जब भी लोग दक्षिण एशिया में अपने जीवन को संकट में देखते हैं, तो वे अक्सर पहले भारत की ओर देखते हैं। भारत ने शरणार्थियों और अल्पसंख्यक आबादी के लिये आपातकालीन सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है।

आगे की राह

- अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना: अंतरिक्ष, संचार, जैव-इंजीनियरिंग, जैव-चिकित्सा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उभरती अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ आपदा के जोखिमों का आकलन करने और पूर्व चेतावनी के माध्यम से संचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं।
- महामारी के बाद का आकलन: '2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा' के कार्यान्वयन पर महामारी के प्रभाव के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है।
  - नए ढाँचे को लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतियों में नए विचारों को शामिल करने पर ज़ोर देना चाहिये।
- प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता परंपरा और संवर्द्धन: प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता परंपरा का और अधिक प्रचार किया जाना चाहिये क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक प्रेरक भूमिका का निर्वहन करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - इसके लिये भारत को अपनी सीमाओं से भी और आगे बढ़ने के लिये पर्याप्त संसाधनों और क्षमताओं से संपन्न होना होगा।

9वीं ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 9वीं 'ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।

- इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी।
- 'ब्रिक्स' सहयोग में वर्ष 2021 एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष समूह ने अपने 15 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- भाषा संबंधी मुख्य विशेषताएँ:
  - ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स: सदस्य देशों को 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स' में ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के लिये एक उचित स्थान प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिये।
    - इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) के क्षेत्र में सहयोग को और मज़बूत करके हासिल किया जा सकता है।

नोट :

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2021 में ब्रिक्स रैंकिंग: भारत (46), चीन (12), रूस (45), ब्राज़ील (57) और दक्षिण अफ्रीका (61)।

- सहयोग: ब्रिक्स देशों को एक साथ मिलकर लागत प्रभावी, किफायती, सुलभ, सतत् और स्केलेबल वैज्ञानिक समाधानों पर नवाचार करना चाहिये, क्योंकि सभी देश एक ही प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

- ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्ययोजना (2021-24)
  - परिचय
    - ब्रिक्स सदस्य देशों ने समूह की 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति' की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार (STI) के नेतृत्व वाली 'ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्ययोजना' (2021-24) पर सहमति व्यक्त की है।
    - यह एक-दूसरे के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के अनुभवों को साझा करने और नवप्रवर्तकों तथा उद्यमियों को नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करेगा।
  - विषयगत क्षेत्रों में शामिल हैं:
    - ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एंड डीप सर्वे साइंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR), बिग डेटा एनालिटिक्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन फोटोनिक, नैनोफोटोनिक्स और मेटामैटेरियल्स फॉर एड्रेसिंग बायोमेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, एनर्जी हार्वेस्टिंग इश्यूज़ आदि।
  - योजना के अनुसार ब्रिक्स मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने 2020-2021 गतिविधियों के लिये ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कैलेंडर का समर्थन किया।

ब्रिक्स:

- ब्रिक्स दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
  - BRICS की चर्चा वर्ष 2001 में Goldman Sachs के अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिये विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी।
  - वर्ष 2006 में चार देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया।
  - दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा।
- ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
  - भारत वर्ष 2021 के सम्मलेन का अध्यक्ष है।
- वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने हेतु ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (BRICS Contingent Reserve Arrangement) पर भी हस्ताक्षर किये।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

IRNSS-नाविक: इसरो

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (NaVIC-नाविक) को वैश्विक उपयोग के लिये बनाने का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में अनुमोदित किया गया था और इसके वर्ष 2015-16 तक पूरा और कार्यान्वित होने की उम्मीद थी।
  - इसका पहला उपग्रह (IRNSS-1A) 1 जुलाई, 2013 को और सातवें व अंतिम उपग्रह (IRNSS-1G) को 28 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया था।
    - IRNSS-1G के अंतिम प्रक्षेपण के साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नाविक- NavIC (Navigation in Indian Constellation) कर दिया गया।
- परिचय:
  - वर्तमान में IRNSS में आठ उपग्रह हैं, जिसमें भूस्थिर कक्षा में तीन उपग्रह और भू-समकालिक कक्षा में पाँच उपग्रह शामिल हैं।
    - IRNSS-1I के IRNSS-1A की जगह लेने की उम्मीद है, जो अपनी तीन रूबिडियम परमाणु घड़ियों के विफल होने के बाद अप्रभावी हो गया था।
  - इसका मुख्य उद्देश्य भारत और उसके पड़ोस में विश्वसनीय स्थिति, नेविगेशन एवं समय पर सेवाएँ प्रदान करना है।
    - यह स्थापित और लोकप्रिय यूएस 'ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम' (जीपीएस) की तरह ही काम करता है, लेकिन उपमहाद्वीप में 1,500 किलोमीटर के दायरे में है।
    - तकनीकी रूप से अधिक उपग्रहों वाली उपग्रह प्रणालियाँ स्थिति की अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती हैं।
    - हालाँकि जीपीएस (24 उपग्रह) जिसकी स्थिति सटीकता 20-30 मीटर है, की तुलना में नाविक 20 मीटर से कम की अनुमानित सटीकता को इंगित करने में सक्षम है।
  - इसे मोबाइल टेलीफोनी मानकों के समन्वय के लिये एक वैश्विक निकाय 'थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट' (3GPP) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
  - इसे वर्ष 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिये 'वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम' (WWRNS) के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा मान्यता दी गई थी।
  - इसरो स्वदेशी परमाणु घड़ियों और नेविगेशन सेवाओं में वृद्धि के साथ आईआरएनएसएस उपग्रहों की अगली पीढ़ी के निर्माण के लिये काम कर रहा है।
- संभावित उपयोग:
  - स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन;
  - आपदा प्रबंधन;
  - वाहन ट्रैकिंग और फ्लीट प्रबंधन (विशेषकर खनन और परिवहन क्षेत्र हेतु);
  - मोबाइल फोन के साथ एकीकरण;

नोट :

- सटीक समय (एटीएम और पावर ग्रिड हेतु);
- मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर।

- महत्त्व:
  - यह 2 सेवाओं के लिये वास्तविक समय की जानकारी देता है अर्थात् नागरिक उपयोग हेतु मानक पोज़ीशनिंग सेवा और प्रतिबंधित सेवा जिसे सेना के अधिकृत उपयोग के लिये एन्क्रिप्ट किया जा सकता है।
  - भारत उन 5 देशों में से एक बन गया है, जिनके पास अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का GPS, रूस का 'ग्लोनास' (GLONASS), यूरोप का 'गैलीलि'यो और चीन का बाइडू, इसलिये नौवहन उद्देश्यों के लिये अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है।
  - यह भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में मदद करेगा। यह देश की संप्रभुता एवं सामरिक आवश्यकताओं के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।
  - अप्रैल 2019 में सरकार ने 'निर्भया मामले' के फैसले के अनुसार देश के सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये 'NavIC'-आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया था।
  - साथ ही क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने 'NavIC' का समर्थन करने वाले मोबाइल चिपसेट को सक्षम किया है।
  - इसके अलावा व्यापक कवरेज के साथ परियोजना को सार्क देशों के साथ साझा किया जा सकता है। इससे क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को और एकीकृत करने में मदद मिलेगी तथा इस क्षेत्र के देशों के प्रति भारत की ओर से कूटनीतिक सद्भावना का संकेत मिलेगा।

जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन):

- यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित एक 'सैटेलाइट बेस्ड ऑग्मेंटेशन सिस्टम' (SBAS) है।
- यह प्रणाली अन्य अंतरराष्ट्रीय SBAS प्रणालियों के साथ अंत:प्रचालनीय होगी और क्षेत्रीय सीमाओं के पार निर्बाध नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेगी।
  - 'गगन' सिग्नल-इन-स्पेस (SIS) जीसैट-8 और जीसैट-10 के माध्यम से उपलब्ध है।
- उद्देश्य:
  - नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों हेतु आवश्यक सटीकता के साथ उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएँ प्रदान करना।
  - भारतीय हवाई क्षेत्र में बेहतर वायु यातायात प्रबंधन प्रदान करना।

सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल: रूस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस ने देश के उत्तर में एक युद्धपोत से अपनी सिरकॉन (ज़िरकोन) हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल दागी है।

- इससे पहले यह बताया गया था कि चीन ने एक परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया है, जिसने अपने लक्ष्य की ओर गति करने से पहले दुनिया का चक्कर लगाया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सिरकॉन क्रूज़ मिसाइल रूस के हाइपरसोनिक शस्त्रागार में अवांगार्ड ग्लाइड वाहनों और हवा से लॉन्च किंजल (डैगर) मिसाइलों में शामिल हो जाएगी।
    - क्रूज़ मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों से इस मायने में भिन्न होती हैं कि वे कम ऊँचाई पर अपने लक्ष्य की ओर उड़ती हैं, अपने पूरे प्रक्षेपवक्र के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में रहती हैं।
  - यह रूस में विकसित की जा रही कई मिसाइलों में से एक है जो रूसी पनडुब्बियों, फ्रिगेट और क्रूज़र को हथियार देगी।
  - हाइपरसोनिक हथियारों को पारंपरिक प्रोजेक्टाइल की तुलना में ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन होता है।

नोट :

- हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी:
  - गति: इसकी गति 'मैक या ध्वनि की गति' से 5 गुना ज़्यादा या इससे भी अधिक होती है।
  - मैक नंबर: यह हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है, जिसमें मैक 1 ध्वनि की गति यानी 343 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है।
  - प्रयुक्त प्रौद्योगिकी: अधिकांश हाइपरसोनिक वाहन मुख्य रूप से स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग करते हैं, जो एक प्रकार का वायु श्वास प्रणोदन प्रणाली है।
    - यह अत्यंत जटिल तकनीक है, जिसमें उच्च तापमान सहन करने की भी क्षमता होती है, जिसके कारण हाइपरसोनिक सिस्टम बेहद महँगा होता है।
  - प्रकार:
    - हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें: ये वे मिसाइलें हैं, जो अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या जेट प्रणोदक का उपयोग करती हैं तथा इन्हें मौजूदा क्रूज़ मिसाइलों का तीव्र संस्करण माना जाता है।
    - हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV): ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में जाती हैं।
- भारत में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास:
  - भारत भी हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है।
    - जहाँ तक अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संबंध है, तो भारत पहले ही मिशन शक्ति के तहत 'ASAT' के परीक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को साबित कर चुका है।
  - हाइपरसोनिक तकनीक का विकास और परीक्षण DRDO एवं ISRO दोनों ने किया है।
  - हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research & Development Organization-DRDO) ने 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसमें ध्वनि की गति से 6 गुना गति से यात्रा करने की क्षमता है।
  - इसके अलावा हैदराबाद में DRDO की एक 'हाइपरसोनिक विंड टनल' (HWT) परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया गया है। यह एक दबाव वैक्यूम-चालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है जो मैक 5 से 12 तक की गति प्राप्त कर सकती है।

सबसे तेज़ 'स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ': J0240+1952

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खगोलविदों की एक टीम ने सबसे तेज़ 'स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ' (J0240+1952) की पुष्टि की है जो हर 25 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह 'बाइनरी स्टार सिस्टम' का एक हिस्सा है; चुंबकीय प्रोपेलर प्रणाली के प्रभाव में इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण प्लाज़्मा के रूप में अपने बड़े तारे से सामग्री खींच रहा है।
  - चुंबकीय प्रोपेलर प्रणाली के तहत व्हाइट ड्वार्फ बाइनरी स्टार सिस्टम से प्लाज़्मा को आकर्षित करता है। हालाँकि व्हाइट ड्वार्फ का चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे अधिकांश प्लाज़्मा इससे दूर हो जाता है।
- व्हाइट ड्वार्फ:
  - व्हाइट ड्वार्फ वे तारे हैं जिन्होंने उस हाइड्रोजन को जला दिया जिसे वे परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे।
    - ऐसे तारों का घनत्व बहुत अधिक होता है।
    - एक सामान्य व्हाइट ड्वार्फ हमारे सूर्य के आधे आकार का होता है और इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 100,000 गुना अधिक होता है।

नोट :

- हमारे सूर्य जैसे तारे नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के माध्यम से अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में संलयित करते हैं।
- एक तारे के कोर में संलयन ऊष्मा और बाहरी दबाव पैदा करता है लेकिन यह दबाव एक तारे के द्रव्यमान से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण द्वारा संतुलन में रखा जाता है।
- जब हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह विलुप्त हो जाता है और संलयन धीमा हो जाता है एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे अपने आप व्हाइट ड्वार्फ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
- ब्लैक ड्वार्फ: अंतत: सैकड़ों अरबों वर्षों में एक व्हाइट ड्वार्फ तब तक ठंडा रहता है जब तक कि वह ब्लैक ड्वार्फ नहीं बन जाता।
  - यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि सभी व्हाइट ड्वार्फ शांत नहीं होते हैं और ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाते हैं।
- इस बिंदु पर इसके केंद्र पर दबाव इतना अधिक हो जाता है कि तारा थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा में विस्फोट कर देगा।

चंद्रशेखर सीमा

- चंद्रशेखर सीमा एक स्थिर सफेद बौने तारे के लिये सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान है।
- सफेद बौने तारों के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा सौर द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक विशाल नहीं हो सकती है।
- किसी भी अपक्षयी वस्तु को अनिवार्य रूप से न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में गिरना चाहिये।
- इस सीमा का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1931 में इस विचार का प्रस्ताव रखा था।
- सितारों की संरचना और विकास में शामिल भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके काम के लिये वर्ष 1983 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW - 18-24 नवंबर) के दौरान रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

- वर्ष 2021 के WAAW की थीम थी- "जागरूकता फैलाओ, प्रतिरोध रोको" (Spread Awareness, Stop Resistance)।
- WAAW के दौरान AMR के त्रिपक्षीय संगठनों (विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) द्वारा AMR के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कलर अभियान, 'गो ब्लू' शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि) द्वारा एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे- एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेलमिंटिक्स) जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिये किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है।
  - इसके कारण मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण जारी रहता है और दूसरों में फैल सकता है।
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को कभी-कभी "सुपरबग्स" के रूप में जाना जाता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा AMR की पहचान शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में की गई है।
- AMR के प्रसार का कारण:
  - इसमें दवा निर्माण/फार्मास्यूटिकल स्थलों के आसपास संदूषण शामिल है, जहाँ अनुपचारित अपशिष्ट से अधिक मात्रा में सक्रिय रोगाणुरोधी वातावरण में मुक्त हो जाते हैं।
  - कई अन्य कारक भी दुनिया भर में AMR के खतरे को गति प्रदान करते है, जिसमें मानव, पशुधन और कृषि में दवाओं के अति प्रयोग व दुरुपयोग के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल, सफाई तथा स्वच्छता की खराब स्थिति शामिल है।

नोट :

- चिंताएँ:
  - स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि:
    - AMR पहले ही प्रतिवर्ष लगभग 7,00,000 मौतों के लिये ज़िम्मेदार है। यह अस्पतालों में लंबे समय तक रहने तथा अतिरिक्त परीक्षणों और अधिक महँगी दवाओं के उपयोग के साथ स्वास्थ्य देखभाल की लागत को भी बढ़ाता है।
  - प्रगति में गिरावट:
    - AMR ने चिकित्सा में प्रगति को एक सदी पीछे धकेल दिया है; पहले जिन संक्रमणों का उपचार और इलाज दवाओं से संभव था वे लाइलाज या जोखिमपूर्ण बनते जा रहे हैं क्योंकि दवाएँ संक्रमण के खिलाफ काम नहीं कर रही हैं।
  - संक्रमण और सर्जरी का जोखिम:
    - यहाँ तक कि आम संक्रमण भी जोखिमपूर्ण होने के साथ-साथ समस्या बनते जा रहे हैं। सर्जरी करना जोखिमपूर्ण होता जा रहा है और इन सबका कारण मानव द्वारा एंटीमाइक्रोबियल का दुरुपयोग या अति प्रयोग करना है।
  - नई एंटीबायोटिक दवाओं को अपर्याप्त प्रोत्साहन:
    - मुख्य रूप से इन दवाओं के विकास और उत्पादन को अपर्याप्त प्रोत्साहन के कारण विगत तीन दशकों में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई भी नया विकल्प बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाया है।
  - एंटीबायोटिक के बिना भविष्य खतरे में:
    - यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो एंटीबायोटिक दवाओं के बिना हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसके अभाव में बैक्टीरिया का पूरी तरह से उपचार संभव नहीं होगा और वे अधिक प्रतिरोधी बन जाएंगे तथा आम संक्रमण व मामूली समस्याएँ भी खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- भारत में AMR:
  - भारत में एक बड़ी आबादी के संयोजन के साथ बढ़ती हुई आय एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद में सक्षम बनाती है, संक्रामक रोगों का उच्च बोझ और एंटीबायोटिक दवाओं के लिये आसान ओवर-द-काउंटर (Over-the-Counter) पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, प्रतिरोधी जीन (ऐसे जीन एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आने पर बैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद करते हैं) की पीढ़ी को बढ़ावा देती है।
  - बहु-दवा प्रतिरोध निर्धारक (Multi-Drug Resistance Determinant), नई दिल्ली। मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (NDM-1), इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर तेज़ी से उभरे हैं।
    - अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अन्य भाग भी दक्षिण एशिया से उत्पन्न होने वाले बहु-दवा प्रतिरोधी टाइफाइड से प्रभावित हुए हैं।
  - भारत में सूक्ष्मजीवों (जीवाणु और विषाणु सहित) के कारण सेप्सिस से प्रत्येक वर्ष 56,000 से अधिक नवजात बच्चों की मौत हो जाती है जो पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं।
- AMR को संबोधित करने के लिये किये गए उपाय:
  - AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:
    - इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके AMR निगरानी नेटवर्क को मज़बूत किया गया है।
  - AMR पर राष्ट्रीय कार्ययोजना:
    - यह एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है जिसे विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क(AMRSN):
    - इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत, प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके।
  - एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम:
    - ICMR ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया है।

नोट :

- AMR के लिये एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क:
  - एकीकृत AMR निगरानी नेटवर्क में शामिल होने के लिये भारतीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की तैयारी का आकलन करना।
- अन्य:
  - भारत ने कम टीकाकरण कवरेज को संबोधित करने के लिये मिशन इंद्रधनुष जैसी कई गतिविधियाँ शुरू की हैं, साथ ही निगरानी एवं जवाबदेही में सुधार के लिये सूक्ष्म योजना और अन्य अतिरिक्त तंत्रों को मज़बूत किया गया है।
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ अपने सहयोगात्मक कार्य के लिये AMR को शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना है।

आगे की राह:

- विशेष रूप से टियर- 2 और टियर- 3 शहरों में नकली दवाओं की बिक्री का पता लगाना और इसकी रोकथाम करना।
- फार्माकोकाइनेटिक्स (Pharmacokinetics) और फार्माकोडायनामिक्स (Pharmacodynamics) में जैव उपलब्धता का सामयिक माप, प्रिस्क्रिप्शन डेटाबेस के माध्यम से एंटीबायोटिक नीतियों को लागू करना और फार्मेसियों की ऑडिटिंग करना।
  - फार्माकोकाइनेटिक्स को दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के समय के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ई-प्रिस्क्रिप्शन के मिलान के साथ वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) के साथ दवाओं की बिक्री की निगरानी।
- सिंड्रोमिक दृष्टिकोण (Syndromic Approach) से निदान के उपचार (Treatment of the Diagnosis) की तरफ बढ़ने हेतु इमेजिंग और जैव सूचना विज्ञान व भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी नई तकनीकों का उपयोग।
- WASH रणनीति का पालन: एंटीबायोटिक-मुक्त पशु चारा और जानवरों को खिलाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले (जैसे विभिन्न रंग योजनाओं द्वारा चिह्नित) से भिन्न होना चाहिये।

हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (Federal Bureau of Investigation- FBI) ने कहा है कि हवाना सिंड्रोम के मुद्दे से निपटना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यह इसके कारण की जाँच करने के साथ-साथ कर्मचारियों को किस प्रकार इससे सुरक्षा प्रदान की जाए इस बात का निरीक्षण करेगा।

प्रमुख बिंदु

- हवाना सिंड्रोम:
  - 2016 के उत्तरार्द्ध में हवाना (क्यूबा) में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और उनके कर्मचारियों ने कुछ सामान्य लक्षणों की सूचना दी थी।
  - उन सभी ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने और अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने के बाद इस बीमारी को महसूस किया।
  - अमेरिका ने क्यूबा पर "ध्वनि हमला" (Sonic Attacks) करने का आरोप लगाया था लेकिन क्यूबा ने इस बीमारी या सिंड्रोम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया।
  - तब से कई निकाय और संस्थान हवाना सिंड्रोम के कारणों पर शोध कर रहे हैं और इन संस्थाओं ने अब तक कई संभावित कारकों की खोज की है।
  - इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तीव्र सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल हैं।
    - उनमें से कुछ लोग जो अत्यधिक प्रभावित हुए थे, उन्हें वेस्टिबुलर प्रसंस्करण (Vestibular Processing) और संज्ञानात्मक (Cognitive) समस्याओं जैसी चिरकालिक मुद्दों का सामना करना पड़ा।

नोट :

- वर्ष 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (NAS), यूएस की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रोम का मुख्य कारण निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण पाया गया।

- माइक्रोवेव हथियार (Microwave Weapon)
  - प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार (DEW)
    - माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होते हैं, जो अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा रूपों जैसे- ध्वनि, लेज़र या माइक्रोवेव आदि द्वारा लक्षित करते हैं।
    - इसमें उच्च-आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा मानव शरीर में संवेदना पैदा की जाती है।
    - विद्युत चुंबकीय विकिरण (माइक्रोवेव) भोजन में पानी के अणुओं को उत्तेजित करता है और उनका कंपन गर्मी पैदा करती है जो व्यक्ति को चक्कर आना और मतली जैसे लक्षणों का अनुभव कराती है।
  - माइक्रोवेव हथियार वाले देश:
    - ऐसा माना जाता है कि एक से अधिक देशों ने मानव और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रणालियों को लक्षित करने के लिये इन हथियारों को विकसित किया है।
    - चीन ने पहली बार वर्ष 2014 में एक एयर शो में पॉली डब्ल्यू.बी.-1 (Poly WB-1) नामक "माइक्रोवेव हथियार" का प्रदर्शन किया था।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 'एक्टिव डेनियल सिस्टम' (Active Denial System) नामक 'प्रोटोटाइप माइक्रोवेव हथियार' विकसित किया है जो कि पहला गैर-घातक, निर्देशित-ऊर्जा, काउंटर-कार्मिक प्रणाली है, जिसमें वर्तमान में गैर-घातक हथियारों की तुलना में अधिक विस्तारित क्षमता विद्यमान है।
  - निर्देशित ऊर्जा हथियारों के लिये भारत की योजना:
    - हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने उच्च-ऊर्जा लेज़र और माइक्रोवेव का उपयोग करके निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) विकसित करने की योजना की घोषणा की है।
    - भारत के अन्य देशों (विशेष रूप से चीन) के साथ बिगड़ते सुरक्षा संबंधों के संदर्भ में निर्देशित ऊर्जा हथियार के विकास को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - चिंताएँ:
    - इस प्रकार के हथियार देशों की चिंता का कारण बन रहें है, क्योंकि ये मशीनों और इंसानों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।
    - ये हथियार मानव शरीर पर बिना किसी निशान के उन्हें दीर्घकालिक नुकसान पहुँचा सकते हैं।

टुंड्रा उपग्रह: रूस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस ने एक सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इसे टुंड्रा उपग्रह माना जा रहा है, जो कुपोल या डॉम नामक रूस की प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल-विरोधी प्रणाली का हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

- टुंड्रा उपग्रह के बारे में:
  - टुंड्रा वर्ष 2015 और 2020 के बीच रूस द्वारा स्थापित मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों का एक समूह है।
  - टुंड्रा उपग्रह परमाणु युद्ध की स्थिति में उपयोग किये जाने के लिये एक सुरक्षित आपातकालीन संचार पेलोड ले जाने में सक्षम हैं।
  - उपग्रहों की टुंड्रा श्रृंखला ओको-1 प्रणाली के प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों को बदलने हेतु रूसी प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों की अगली पीढ़ी है।
    - इस अंतिम ओको-1 उपग्रह (मिसाइल डिफेंस अर्ली वार्निंग प्रोग्राम) ने कथित तौर पर वर्ष 2014 के मध्य से काम करना बंद कर दिया, जिससे रूस ज़मीन पर आधारित 'मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम' पर निर्भर हो गया।

नोट :

- टुंड्रा उपग्रह EKS या 'यूनिफाइड स्पेस सिस्टम' (कभी-कभी कुपोल या डॉम के रूप में संदर्भित) का हिस्सा है, जिसमें भू-स्थिर कक्षा में कई उपग्रह भी शामिल होंगे।
  - इसका अनावरण वर्ष 2019 में किया गया, कुपोल को बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगाने और उन्हें उनके लैंडिंग साइट पर ट्रैक करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, हालाँकि इसका सटीक विन्यास अज्ञात है।

- भारत का एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम:
  - S-400 ट्रायम्फ:
    - परिचय
    - भारत के पास S-400 ट्रायम्फ है, जो तीन खतरों (रॉकेट, मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल) से सुरक्षा करती है। लेकिन इनका दायरा काफी लंबा होता है।
    - खतरों को दूर करने के लिये इसमें बहुत बड़ा वायु रक्षा बुलबुला है।
    - यह रूस द्वारा डिज़ाइन की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
    - रेंज और प्रभावशीलता:
    - यह प्रणाली 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर 30 किलोमीटर तक की ऊँचाई पर सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है।
    - यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह को एक साथ नष्ट कर सकती है।
  - 'पृथ्वी वायु रक्षा' और 'उन्नत वायु रक्षा':
    - परिचय:
    - यह एक दो-स्तरीय प्रणाली है, जिसमें भूमि और समुद्र-आधारित दो इंटरसेप्टर मिसाइल- उच्च ऊँचाई अवरोधन के लिये पृथ्वी वायु रक्षा (PAD) मिसाइल और कम ऊँचाई अवरोधन के लिये उन्नत वायु रक्षा (AAD) मिसाइल शामिल हैं।
    - रेंज
    - यह 5,000 किलोमीटर दूर लॉन्च की गई किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इस प्रणाली में पूर्व चेतावनी और ट्रैकिंग रडार का एक ओवरलैपिंग नेटवर्क, साथ ही कमांड और कंट्रोल पोस्ट भी शामिल हैं।
  - अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल:
    - परिचय
    - यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत वायु रक्षा (AAD) इंटरसेप्टर मिसाइल है।
    - यह कम ऊँचाई वाली सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का उन्नत संस्करण है।
    - मिसाइल का अपना मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्शन के लिये सुरक्षित डेटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग क्षमताएँ तथा परिष्कृत रडार भी शामिल हैं।
    - रेंज:
    - यह एक एंडो-स्फेरिक (पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर) इंटरसेप्टर का उपयोग करती है जो 60,000 से 100,000 फीट की अधिकतम ऊँचाई पर और 90 से 125 मील के बीच की सीमा में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराती है।

- अन्य मिसाइल-रोधी रक्षा प्रणालियाँ:
  - आयरन डोम: इज़रायल
  - टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD): US

बच्चों में मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने उन बच्चों के इलाज के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनके कोविड -19 संक्रमण के संपर्क में आने के बाद उनमें मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम (Multisystem Inflammatory Syndrome- MIS-C) विकसित हुआ था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम:
  - MIS-C एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के विभिन्न अंग सूजन से प्रभावित होते हैं। रोगी को हृदय संबंधी समस्याएँ होती हैं, जिसकी गंभीरता की स्थिति में उपचार की आवश्यकता होती है।
  - यह बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर हाइपरइंफ्लेमेटरी स्थिति है जो आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण के 2-6 सप्ताह बाद उत्पन्न होती है।
  - यह एक संभावित घातक स्थिति है जिसमें हृदय, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क, त्वचा, आँखें, या जठरांत्र सहित शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन हो सकती है।
- न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं के साथ MIS-C:
  - हाल के एक अध्ययन में MIS-C सिंड्रोम से पीड़ित युवाओं में न्यूरोलॉजिकल लक्षणों जिसने स्ट्रोक या गंभीर एन्सेफेलोपैथी (मस्तिष्क की कोई भी बीमारी जो मस्तिष्क के कार्य या संरचना को परिवर्तित देती है) जैसे खतरों को उत्पन्न किया।
  - न्यूरोलॉजिकल लक्षणों में मतिभ्रम, भ्रम, और संतुलन तथा समन्वय की समस्याएँ शामिल हैं।
  - नए निष्कर्ष इस सिद्धांत को मज़बूत करते हैं कि सिंड्रोम वायरस के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न सूजन के बढ़ने से संबंधित है।
- MIS-C के कारण:
  - MIS-C सिंड्रोम पर कम शोध हुए हैं, जिससे इस सिंड्रोम होने के कारणों पर विभिन्न सिद्धांत दिये जाते हैं।
  - जबकि कुछ शोधकर्त्ताओं का मानना है कि MIS-C कोरोना वायरस की देरी से होने वाली प्रतिक्रिया है जो शरीर में बड़े पैमाने पर सूजन का कारण बनता है और परिणामस्वरूप अंगों को नुकसान पहुँचाता है।
  - कुछ अन्य शोधकर्त्ताओं का मानना है कि यह बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र का वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का परिणाम भी हो सकता है।
  - यह एक आनुवंशिक घटक भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक बच्चा MIS-C विकसित नहीं करता है और उनमें दिखाई देने वाले लक्षण भी विविध प्रकार के होते हैं।
- उपचार के लिये डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देश:
  - अस्पताल में भर्ती बच्चों (0-18 वर्ष की आयु) में कावासाकी रोग (सशर्त सिफारिश, बहुत कम निश्चितता) के लिये देखभाल के मानक के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स (Corticosteroids) का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
    - आमतौर पर यह स्टेरॉयड के रूप में जाना जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स एक प्रकार की सूजन-रोधी दवा है।
    - कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स के साथ-साथ सहायक देखभाल के परिणामस्वरूप या तो अंत:शिरा इम्युनोग्लोबुलिन प्लस सहायक देखभाल या अकेले सहायक देखभाल की तुलना में अधिक प्रभावी उपचार हुआ।
    - यह उपचार कोविड-19 के साथ कावासाकी रोग से ग्रसित बच्चों के उपचार में भी प्रभावी पाया गया।
  - गैर-गंभीर कोविड-19 वाले रोगियों के उपचार में कॉर्टिकोस्टेरॉयड का उपयोग नहीं करना क्योंकि उपचार से इससे कोई लाभ नहीं हुआ और यह हानिकारक भी साबित हो सकती है।

कावासाकी रोग (Kawasaki Disease):

- यह रक्त वाहिकाओं की एक तीव्र सूजन वाली बीमारी है जो मुख्यत: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है।
- कोरोनरी धमनियों में सूजन जो हृदय को रक्त की आपूर्ति के लिये ज़िम्मेदार होती है, के परिणामस्वरूप वृद्धि या एन्यूरिज़्म(धमनी की दीवार की सूजन) का निर्माण होता है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है।
- लक्षण: बुखार,चकत्ते, कॉर्निया का लाल होना, होंठो का फटना एवं लाल होना और जीभ का लाल होना तथा गले में जलन व सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं।

नोट :

ओमिक्रॉन : नया कोरोना वेरिएंट

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में खोजे गए कोविड-19 के B.1.1.1.529 स्ट्रेन की 'वैरिएंट्स ऑफ कंसर्न' (Variants of Concern- VOC) के रूप में पहचान की है।

- इस वायरस का सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में पता चला था और इसके नाम को परिवर्तित करके ओमिक्रॉन (Omicron) कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - ओमिक्रॉन को विश्व स्तर पर प्रमुख डेल्टा प्लस और इसके कमज़ोर प्रतिद्वंद्वियों अल्फा, बीटा एवं गामा के साथ-साथ कोविड-19 वेरिएंट की सबसे अधिक चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है।
  - इस संस्करण में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन/वेरिएंट हैं। उनमें से कुछ गंभीर रूप से चिंताजनक स्थिति का कारण हैं क्योंकि वे नए संस्करण को पिछले संक्रमण या टीके के माध्यम से प्राप्त प्रतिरक्षा से बचने की अनुमति दे सकते हैं।
    - हालाँकि इस बात का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है कि वायरस के पिछले स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना अधिक संक्रामक है।
    - दक्षिण अफ्रीका के अलावा, इज़रायल में मलावी, बोत्सवाना, बेल्जियम और हॉन्गकॉन्ग से आने वाले लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई।
- नामकरण:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उन देशों (जहाँ पहली बार उनकी पहचान की गई) के स्थान पर ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर वेरिएंट का नाम देने का फैसला किया है।
  - WHO ने Mu और Omicron के बीच के दो अक्षरों Nu या Xi के बजाय ओमिक्रॉन नाम का चयन किया। क्योंकि यह:
    - शी (Xi) चीन में एक लोकप्रिय उपनाम है (किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर या जातीय समूहों के लिये अपराध करने से बचना)।
    - नू (Nu) को 'नया' (New) शब्द से भ्रमित किया जा सकता था।
- भारत में स्थिति:
  - सिरोप्रवैलेंस (Seroprevalence) अध्ययनों से पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही वायरस के संपर्क में आ चुका है जो बाद के संक्रमणों के लिये कुछ स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।
    - साथ ही टीकाकरण/प्रतिरक्षण अभियान ने गति पकड़ ली है।
    - लगभग 44% भारतीय वयस्कों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 82% ने कम-से-कम एक खुराक प्राप्त की है।
  - वैज्ञानिकों का मानना है कि टीकाकरण की एक या दो खुराक के बाद पहले संक्रमण का केवल टीकाकरण की दो खुराक की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक प्रभाव हो सकता है।

वेरिएंट ऑफ कंसर्न:

- वायरस के इस वेरिएंट के परिणामस्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे- अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना), पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्त्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को मिलती है।
- नए वेरिएंट महामारी संचरण की नई लहर (s) को शुरू कर सकते हैं।
- WHO ने वर्तमान में वेरिएंट के 5 प्रकारों को सूचीबद्ध किया है:
  - ओमिक्रॉन (B.1.1.529),नवंबर 2021 में दक्षिणी अफ्रीका में पहचाना गया।

नोट :

- डेल्टा (B.1.617.2), जो 2020 के अंत में भारत में उभरा और दुनिया भर में फैल गया।
- गामा (P.1), जो 2020 के अंत में ब्राज़ील में उभरा।
- बीटा (B.1.351), जो 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में उभरा।
- अल्फा (B.1.1.7),इसे वर्ष 2020 के अंत में ब्रिटेन में देखा गया ।

वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (VOI):

- यह एक विशिष्ट 'जेनेटिक मार्कर' (Genetic Marker) वाला वेरिएंट है जो 'रिसेप्टर बाइंडिंग' में परिवर्तन करने, पूर्व में हुए संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा संक्रमण के प्रभाव को कम करने, नैदानिक प्रभाव तथा संभावित उपचार को कम करने या संक्रमण के प्रसार या बीमारी की गंभीरता में वृद्धि करने से संबंधित है।
- वर्तमान में इसके दो प्रकार हैं:
  - Mu (B.1.621),जो 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में उभरा।
  - Lambda (C.37), जो 2020 के अंत में पेरू में उभरा।

म्यूटेशन, वेरिएंट तथा स्ट्रेन:

- जब कोई वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है तो वह हमेशा अपनी एक सटीक प्रतिकृति नहीं बना पाता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि समय के साथ वायरस अपने आनुवंशिक अनुक्रम के संदर्भ में थोड़ा भिन्न होना शुरू कर सकता है।
- इस प्रक्रिया के दौरान वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है।
- नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी-कभी वेरिएंट कहा जाता है। वेरिएंट एक या कई म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं।
- जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस की तुलना में अलग-अलग कार्यात्मक गुण होते हैं और यह जन आबादी के बीच अपना स्थान बना लेता है, तो इसे कभी-कभी वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है।
  - सभी स्ट्रेन, वेरिएंट होते हैं लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते।

आगे की राह

- यात्रा प्रतिबंध के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण: वैरिएंट के चलते में यात्रा प्रतिबंधों पर विचार करते समय भारत को जोखिम-आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुदृढ़ करना: नए उभरते हुए रूप इंगित करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय अपनाना अभी भी आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना और उचित निकासी।
- सीख: भारत में महामारी ने हमें जो एक महत्त्वपूर्ण सबक सिखाया, वह है जीवन बचाने और आर्थिक विकास हेतु जैव चिकित्सा अनुसंधान और क्षमता निर्माण महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अमेज़न वनों का उन्मूलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार, यह पाया गया कि ब्राज़ील के अमेज़न में वनों की कटाई का क्षेत्र पिछले वर्ष (2020) से 22% की वृद्धि के बाद 15 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर पहुँच गया।

- इससे पहले हुए एक अध्ययन के अनुसार, अमेज़न के जंगलों/वनों ने कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon dioxide- CO_2) को अवशोषित करने के बजाय इसका उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है।
- समय के साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन और अधिक वनों की कटाई के कारण अमेज़न के तापमान में वृद्धि एवं वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है, जो निस्संदेह इस क्षेत्र के जंगलों, पानी की उपलब्धता, जैव विविधता, कृषि और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अमेज़न में वनों की कटाई का कारण:
  - पशुपालन:
    - अमेज़न वर्षावन में वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में से एक गौ-माँस (बीफ) की खपत से जुड़ा हुआ है।
    - मवेशियों को चराने और चरागाह के निर्माण के लिये पेड़ों को काटकर एवं वनों को जलाकर वन के विशाल क्षेत्रों को साफ किया जाता है।
    - ब्राज़ील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों को गौ-माँस (बीफ) का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, ने वर्ष 2019 में 1.82 मिलियन टन गौ-माँस (बीफ) का निर्यात किया।
  - छोटे पैमाने पर कृषि:
    - इसे लंबे समय से अमेज़न वर्षावन में वनों की कटाई के प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता है।
    - पशुपालन की तरह छोटे पैमाने की कृषि के लिये वनों को "काटकर जलाना" पड़ता है ताकि विभिन्न प्रकार की फसलों और चराई के लिये भूमि को साफ किया जा सके।
  - आग:
    - अन्य प्रकार के जंगलों के विपरीत अमेज़न के जंगल आग के अनुकूल नहीं होते हैं।
    - वास्तव में अमेज़न बेसिन में वनों की कटाई से आग लगने की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वर्षावनों में उच्च स्तर की नमी होती है, जो उन्हें आग से बचाने में मदद करती है।
  - औद्योगिक कृषि का संचालन:
    - अमेज़न वर्षावन में औद्योगिक कृषि कार्य तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
  - अन्य कारण:
    - सोने जैसे बहुमूल्य खनिजों के लिये खनन कार्य, अमेज़न के जंगल को और नुकसान पहुँचाते हैं।
    - सड़कों और बाँधों सहित ऋण तथा बुनियादी ढाँचे पर खर्च के रूप में सरकारी प्रोत्साहन में वृद्धि।
- अमेज़न वर्षावन:
  - ये विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन के सहारे स्थित हैं।
    - उष्णकटिबंधीय वर्षावन बंद वितान वन होते (Closed-Canopy Forests) हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।

नोट :

- यहाँ या तो मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में प्रतिवर्ष 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।
- तापमान समान रूप से उच्च होता है जो 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है।
- इस प्रकार के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।

- अमेज़न एक विशाल बायोम है जो तेज़ी से विकसित आठ देशों- ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, गुयाना और सूरीनाम तथा फ्राँस के एक समुद्री पार क्षेत्र (Overseas Territory) फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है।
- अमेज़न वर्षावन लगभग 80% अमेज़न बेसिन को कवर करते हैं और दुनिया की लगभग 1/5 भूमि पर रहने वाली प्रजातियों का घर है तथा सैकड़ों स्वदेशी समूहों एवं कई अलग-अलग जनजातियों सहित लगभग 30 मिलियन लोगों का भी घर है।
  - अमेज़न बेसिन 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के साथ विस्तृत है, यह भारत के आकार का लगभग दोगुना है।
  - यह बेसिन दुनिया के ताज़े पानी के प्रवाह का लगभग 20% महासागरों से प्राप्त करता है।
- ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज़ पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।

- वनों की कटाई को रोकने के लिये पहलें:
  - COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील उन कई देशों में शामिल था जिन्होंने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का वादा किया था।
  - लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, 2021 में 'लोअरिंग एमिशन बाय एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस' (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance- LEAF) गठबंधन की घोषणा की गई थी।
  - REDD+ पहल: यह वन कार्बन स्टॉक के संरक्षण, वनों के सतत् प्रबंधन और वनों की कटाई एवं वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने हेतु विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन शमन विकल्पों में से एक है।

सफर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (The System of Air Quality and Weather Forecasting And Research- SAFAR) ने चार भारतीय शहरों (दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे) में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का अध्ययन किया।

- दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई तीन महानगरीय शहरों में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में दिवाली की अवधि के दौरान वायु प्रदूषण अधिक था, जबकि इन चार में से पुणे एकमात्र शहर था, जहाँ प्रदूषण का स्तर कम पाया गया।
- दिवाली के समय दिल्ली में उच्च पीएम दर्ज किया जाता है जो बायोमास जलने के प्रभाव के साथ-साथ उच्च स्थानीय उत्सर्जन के कारण होता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - सफर (SAFAR) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministery of Earth Science- MoES) द्वारा महानगरों के किसी स्थान-विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिये शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है।
  - यह दिल्ली में परिचालित भारत की पहली वायु गुणवत्ता पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) का एक अभिन्न अंग है।
  - यह मौसम के सभी मापदंडों जैसे- तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, पराबैंगनी किरणों और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है।
  - विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने SAFAR को इसके कार्यान्वयन में उच्च गुणवत्ता नियंत्रण और मानकों को बनाए रखने के आधार पर एक प्रोटोटाइप गतिविधि के रूप में मान्यता दी है।

नोट :

- प्रदूषकों की निगरानी:
  - इनमें PM2.5, PM10, ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), बेंजीन, टोल्यूनि, ज़ाइलीन और मरकरी शामिल हैं।
- प्रणाली का विकास:
  - यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM) पुणे द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली है तथा इसका संचालन भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department- IMD) द्वारा किया जाता है।
    - IITM में एक विशाल ट्रू कलर लाइट एमिटिंग डायोड (Light Emitting Diode- LED) डिस्प्ले सुविधा है जो कलर-कोडिंग (72 घंटे के अग्रिम पूर्वानुमान के साथ) के साथ 24X7 आधार पर वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) प्रदान करता है।
- उद्देश्य:
  - अपने शहर की वायु गुणवत्ता के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना ताकि उचित शमन उपाय और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके।
  - नीति निर्माताओं को देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए शमन रणनीति विकसित करने में मदद करना।
- महत्त्व:
  - इससे कृषि, विमानन, बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन, पर्यटन आदि कई अन्य क्षेत्रों में लागत की बचत होगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायु गुणवत्ता और मौसम से प्रभावित होती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI):

- AQI दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिये एक सूचकांक है।
- यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में साँस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव कर सकता है।
- AQI की गणना आठ प्रमुख वायु प्रदूषकों के लिये की जाती है:
  - भू-स्तरीय ओज़ोन
  - PM10
  - PM2.5
  - कार्बन मोनोऑक्साइड
  - सल्फर डाइऑक्साइड
  - नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
  - अमोनिया
  - लेड (शीशा)
- भू-स्तरीय ओज़ोन और एयरबोर्न पार्टिकल्स दो ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं।

गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी: यूनाइटेड किंगडम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 25 नवंबर, 2021 को लंदन में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का समापन हुआ।

- 12 नवंबर, 2021 को COP-26 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़) की सफल परिणति के बाद स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका उद्घाटन किया गया।
- प्रदर्शनी के दौरान 10 प्रमुख रणनीतिक पहलों की घोषणा की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह एक वैश्विक प्रदर्शनी है, जो नदी बेसिन के कई पहलुओं को प्रदर्शित करेगी।
  - यह स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन, भारतीय उच्चायोग और सी-गंगा (गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र) का एक प्रमुख प्रयास है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नीति निर्माताओं, उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, निवेशक और वित्त पेशेवरों को जोड़ना है।
- उद्देश्य:
  - पर्यावरण हितधारकों के वैश्विक समुदाय के लिये गंगा नदी बेसिन में विकास के स्तर को प्रदर्शित करना।
- महत्त्व:
  - जागरूकता पैदा करना:
    - यह गंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा नदी बेसिन के विषय में व्यापक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
    - यह नदी के साथ भारतीयों के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।
  - पारिस्थितिकी तंत्र को समझना:
    - गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के आकार, परिमाण और जटिलता की स्पष्ट एवं गहरी समझ प्रदान करती है।
  - सहभागिता हेतु सक्षम बनाना:
    - यह उन इच्छुक पार्टियों और डायस्पोरा के साथ जुड़ाव को सक्षम बनाती है, जो नदी प्रणाली के कायाकल्प, बहाली और संरक्षण में शामिल होना चाहते हैं।
  - पर्यावरणीय समाधानों का विकास:
    - यह वैश्विक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक समुदाय के लिये अत्याधुनिक पर्यावरणीय समाधान विकसित करने हेतु एक प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में गंगा नदी पर ज़ोर देती है।

प्रमुख घोषित पहलें

- गंगा कनेक्ट यूके कम्युनिटी एंगेजमेंट चैप्टर:
  - स्थापित चैप्टर हैं: स्कॉटलैंड-गंगा कनेक्ट, वेल्स-गंगा कनेक्ट, मिडलैंड्स-गंगा कनेक्ट, लंदन-गंगा कनेक्ट।
  - प्रत्येक चैप्टर में संयोजक होंगे, जो वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों और समुदाय के सदस्यों सहित विभिन्न हित समूहों को नमामि गंगे कार्यक्रम से जोड़ेंगे।
- नदियों को संलग्न करना:
  - सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों सहित नदी बेसिन प्रबंधन के ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने की घोषणा की गई है।
- स्कॉटलैंड-भारत जल भागीदारी:
  - यह साझेदारी स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन और वर्ष 2017 के स्कॉटलैंड सरकार के समझौता ज्ञापन पर आधारित है।
  - यह भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने के लिये पानी में विशेषज्ञता वाली स्कॉटिश संस्थाओं के बीच उच्च स्तर की रुचि को प्रसारित करेगा और नमामि गंगे कार्यक्रम स्कॉटिश संस्थाओं के लिये भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा।
- अर्थ गंगा फ्रेमवर्क के उपयोग हेतु प्रभावी परियोजना:
  - गंगा नदी के किनारे एक चुनिंदा क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ उत्पन्न करने के लिये एक प्रमुख प्रभावी परियोजना की कल्पना की गई है। इस पहल से आजीविका के महत्त्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे और नई आर्थिक गतिविधियाँ होंगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण के दृष्टिकोण से दीर्घकालिक विकास का मॉडल सुनिश्चित होगा।
  - इस पहल में दीर्घकालिक पर्यटन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, चिरस्थायी ट्रांसपोर्ट और अन्य गतिविधियों जैसे कई पहलू शामिल होंगे। इस परियोजना को ग्लासगो में क्लाइड नदी के कायाकल्प और आर्थिक विकास के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका नेतृत्व सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज तथा स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा।

नोट :

- गंगा वित्त और निवेश मंच:
  - गंगा वित्त और निवेश मंच (जीएफआईएफ) की स्थापना के लिये कई निवेशक और वित्तीय कंपनियाँ एकजुट हो गई हैं। यह समूह रिवर बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड्स, इम्पैक्ट एंड आउटकम बॉन्ड्स, क्रेडिट एन्हांसमेंट और गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वित्तीय उपकरणों को विकसित करेगा। वे दुनिया भर से नमामि गंगे कार्यक्रम में निवेश को बढ़ाने के लिये विशेषज्ञ व्यवस्था स्थापित करेंगे।
  - यह समूह इकोसिस्टम संरक्षण में दीर्घकालिक निवेश को स्थापित करने के लिये अपनी तरह का पहला नदी जैव विविधता और संरक्षण बॉन्ड विकसित करने पर सहमत हो गया है। यह विभिन्न पहलों के लिये निरंतर वित्तपोषण और परियोजना वित्त के लिये एनएमसीजी व नमामि गंगे कार्यक्रम को सहायता प्रदान करेगा।
- पर्यावरण प्रौद्योगिकी सत्यापन (ईटीवी) कार्यक्रम में नामांकित प्रौद्योगिकियाँ:
  - ईटीवी कार्यक्रम के निरंतर विस्तार में तीन अभिनव प्रौद्योगिकी कंपनियों का चयन किया गया है और ईटीवी कार्यक्रम पर ऑन-बोर्ड किया गया है।
  - यह ईटीवी कार्यक्रम में कंपनियों की कुल संख्या को बढ़ाकर 40 से ज़्यादा कर देता है जिनमें से 14 कंपनियाँ ब्रिटेन से हैं।
- टेक एंड इनोवेशन फाइनेंसिंग:
  - सफल उम्मीदवारों को समर्थन प्रदान करने के लिये लंदन स्टॉक एक्सचेंज के एआईएम सेगमेंट में सूचीबद्ध कंपनी ओपीजी पावर वेंचर्स के साथ एक साझेदारी स्थापित की जा रही है जो प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का वित्तपोषण करने के लिये 3 मिलियन GBP (30 करोड़ रुपए) की सुविधा प्रदान करेगी।
- यूके-इंडिया वैज्ञानिक सहयोग:
  - कई वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक एवं तकनीकी विचारों का आदान-प्रदान करने के लिये ज्ञान पूल बनाने हेतु एक साथ आने पर सहमत हुए हैं जिससे सहयोगी अनुसंधान का विकास हुआ है।
- भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग सेतु:
  - वैज्ञानिकों ने नदी प्रणालियों का कायाकल्प, जैव विविधता का संरक्षण, पारिस्थितिकी प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के उपायों और आर्थिक विकास के लिये चिरस्थायी मॉडल बनाने हेतु चल रहे नवाचारों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- ग्लोबल यूथ फॉर गंगा:
  - यह स्वच्छ गंगा और सभी नदियों के लिये बड़े पैमाने पर ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिये एक साझा अभियान पर आधारित भारत व अन्य देशों के युवाओं का एक संघ होगा। यह संघ अंत:विषयक चर्चाओं में शामिल होगा, पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही स्वच्छ गंगा मिशन में सहयोग को प्रोत्साहित करेगा तथा दुनिया में युवा छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को एक साथ लाएगा।
  - इसका उद्देश्य स्वच्छ गंगा को हकीकत बनाना और बाकी दुनिया को भी अपने राज्यों में ज़मीनी स्तर तक इसी प्रकार की पहल करने के लिये प्रेरित करना है। युवाओं द्वारा सशक्त मिशन एक ऐसा अभियान है जो आने वाली भावी पीढ़ियों के विकास में सहायक हो सकता है।
- क्लीन गंगा चैरिटी:
  - चैरिटी स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज़ किया गया है और आने वाले महीनों में गंगा से जुड़े समुदायों और मित्रों को संगठित करने के उद्देश्य से जल्द ही इसकी स्थापना की जाएगी।

भूजल का ह्रास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा किये गए जल स्तर के आँकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निगरानी किये गए लगभग 33% कुओं के भू-जल स्तर में 0-2 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है।

नोट :

- इसके अलावा नई दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, मदुरै, विजयवाड़ा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ आदि जैसे मेट्रो शहरों के कुछ हिस्सों में भी 4.0 मीटर से अधिक की गिरावट देखी गई है।
- सीजीडब्ल्यूबी समय-समय पर कुओं के नेटवर्क की निगरानी के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर मेट्रो शहरों सहित पूरे देश में भू-जल स्तर की निगरानी कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में भूजल निष्कर्षण:
  - यूनेस्को की विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे अधिक निष्कर्षण करने वाला देश है।
  - राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भूजल के योगदान को कभी भी मापा नहीं जाता है।
  - सीजीडब्ल्यूबी के अनुसार, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिये हर साल 230 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निकाला जाता है, देश के कई हिस्सों में भूजल का तेज़ी से क्षरण हो रहा है।
    - भारत में कुल अनुमानित भूजल की कमी 122-199 बिलियन क्यूबिक मीटर की सीमा में है।
- भूजल निष्कर्षण का कारण:
  - हरित क्रांति: हरित क्रांति ने सूखा प्रवण/पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया, जिससे भूजल की अधिक निकासी हुई।
    - इसकी पुन:पूर्ति की प्रतीक्षा किये बिना ज़मीन से जल को बार-बार पंप करने से इसमें त्वरित कमी आई।
    - इसके अलावा बिजली पर सब्सिडी और पानी की अधिक खपत वाली फसलों के लिये उच्च एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य)।
  - उद्योगों की आवश्यकता: लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, टपका हुआ भूमिगत गैस टैंक और उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के मामले में जल प्रदूषण के कारण भूजल संसाधनों की क्षति और इनमें कमी आती है।
  - अपर्याप्त विनियमन: भूजल का अपर्याप्त विनियमन तथा इसके लिये कोई दंड न होना भूजल संसाधनों की समाप्ति को प्रोत्साहित करता है।
    - भारत में सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण के लिये किसी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है और परित्यक्त कुओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।
    - भारत में हर दिन कई सौ कुओं का निर्माण किया जाता है और जब वे सूख जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है।
  - संघीय मुद्दा: जल एक राज्य का विषय है, जल संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहल तथा देश में नागरिकों को पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की ज़िम्मेदारी है।
    - हालाँकि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण सहित महत्त्वपूर्ण उपाय किये जाते हैं।

भूजल नियंत्रण के लिये केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- जल शक्ति अभियान: भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (JSA) शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में 256 ज़िलों के पानी की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार करना है।
- भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिये मास्टर प्लान- 2020: CGWB ने राज्य सरकारों के परामर्श से मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया है।
  - इसमें 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) का दोहन करने के लिये देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
  - इसके अलावा सरकार ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिये 'कैच द रेन' अभियान भी शुरू किया है।
- राष्ट्रीय जल नीति (2012): यह नीति वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत करती है तथा वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
  - यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक एवं नियोजित तरीके से नदी, नदी निकायों बुनियादी अवसंरचना के संरक्षण की वकालत करती है।

नोट :

- अटल भूजल योजना: अटल भूजल योजना (ABHY) विश्व बैंक द्वारा सह-वित्त पोषित सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के स्थायी प्रबंधन हेतु चिह्नित अति-शोषित और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में लागू की जा रही है।
- अभिसरण दृष्टिकोण: केंद्र सरकार मुख्य रूप से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड' विकास घटक के माध्यम से जल संचयन एवं संरक्षण कार्यों के निर्माण का समर्थन करती है।
- जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम: CGWB ने जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिये जलभृतों की स्थिति और उनके लक्षण को चित्रित करना है।
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT): मिशन अमृत शहरों में बुनियादी शहरी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन, जल निकासी, हरित स्थान और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन।
- विभिन्न राज्य सरकारों की पहल: कई राज्यों ने जल संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिये जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उदाहरण के लिये:
  - राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान'
  - महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबर'
  - गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान'
  - तेलंगाना में 'मिशन काकतीय'
  - आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू
  - बिहार में जल जीवन हरियाली
  - हरियाणा में 'जल ही जीवन'

आगे की राह

- पानी पंचायतों की अवधारणा: भारत के प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्त्व और जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिये उचित उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए सही दिशा में एक कदम उठाया है।
  - इस संदर्भ में जल संरक्षण का ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकरण करना या पानी पंचायतों को मज़बूत करना बहुत कारगर हो सकता है।
- जल निकायों के अवैध अतिक्रमण को प्रतिबंधित करना: जल निकायों और जल निकासी चैनलों के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और जहाँ भी ऐसा हुआ है, उसे यथासंभव बहाल किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा एकत्र किये गए जल का उपयोग भूजल की बहाली के लिये किया जाना चाहिये।
- सूक्ष्म सिंचाई: सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - ड्रिप सिंचाई हेतु पानी के पाइपों (उनमें छेद के साथ) को या तो भूमि में दबा दिया जाता है या फसलों के बगल में ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि पानी धीरे-धीरे फसल की जड़ों और तनों पर टपकता रहे।
  - स्प्रे सिंचाई के विपरीत वाष्पीकरण में बहुत कम नुकसान होता है और पानी को केवल उन पौधों के लिये उपलब्ध कराया जा सकता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, ताकि पानी की बर्बादी कम हो।
- भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण: यह मिट्टी के माध्यम से घुसपैठ बढ़ाने और जलभृत में प्रवेश करने या कुओं द्वारा सीधे जलभृत में पानी डालने की प्रक्रिया है।
- भूजल प्रबंधन संयंत्र: स्थानीय स्तर पर भूजल प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने से लोगों को अपने क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता के बारे में जानने में मदद मिलेगी जिससे वे इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकेंगे।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

मौसम की भविष्यवाणी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चार पर्वतारोहण और ट्रेकिंग अभियानों में लमखागा दर्रा ट्रेक में 21 ट्रेकर्स की मृत्यु हो गई, जो एक बार फिर सही मौसम पूर्वानुमान के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- लमखागा दर्रा गढ़वाल हिमालय (उत्तराखंड) में एक अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में सांगला से जुड़ता है। इसकी ऊँचाई और दूरदर्शिता के कारण इसे हिमालय (उत्तराखंड) के सबसे कठिन ट्रेक में से एक माना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- मौसम की भविष्यवाणी:
  - यह विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय और अनुभवजन्य तकनीकों द्वारा पूरक भौतिकी के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान है।
  - वायुमंडलीय घटनाओं की भविष्यवाणियों के अलावा, मौसम की भविष्यवाणी में वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों जैसे- बर्फ का आवरण, तूफान, ज्वार और बाढ़ की भविष्यवाणी की जा सकती है।
- आवश्यकता:
  - सेना के लिये: युद्ध के दौरान सेना युद्ध जीतने की संभावना को अधिकतम करने के लिये अपेक्षित मौसम की स्थिति में अपनी लड़ाई की योजना बना सकती है।
  - नुकसान को कम करने के लिये: यह लोगों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और आँधी के खिलाफ योजना बनाने तथा सावधानी बरतने में सक्षम बनाता है ताकि उनके प्रभाव को कम किया जा सके।
  - किसानों के लिये: किसानों को अपेक्षित मौसम की स्थिति के अनुरूप अपनी कृषि गतिविधियों को समायोजित करने में सक्षम बनाता है।
  - परिवहन के लिये: मौसम की भविष्यवाणी परिवहन को, खासकर हवा और पानी में बहुत प्रभावित करती है। विमान टेक-ऑफ और लैंडिंग मौसम से प्रभावित हो सकती है जबकि तूफान और तेज हवाएँ यात्रा को बहुत प्रभावित करती हैं।
  - पर्यटकों के लिये: यह पर्यटकों को कुछ क्षेत्रों में जाने के लिये मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।
- मौसम पूर्वानुमान के तरीके:
  - मौसम पूर्वानुमानकर्ता कंप्यूटर मॉडल और सिमुलेशन डिज़ाइन करने के लिये 'बिग डेटा' पर भरोसा करते हैं जो मौसम में आने वाले बदलाव की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) उत्पादों और सूचना प्रसार के वास्तविक समय के विश्लेषण (RAPID) के साथ-साथ भू-समकालिक कक्षा वाले उपग्रहों की INSAT श्रृंखला का उपयोग करता है, जो एक मौसम डेटा एक्सप्लोरर एप्लिकेशन है तथा एक गेटवे के रूप में कार्य करती है और चर्तु-आयामी विश्लेषण क्षमताओं के साथ में त्वरित इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करती है। ।
  - पूर्वानुमानकर्ता उपग्रहों द्वारा 'क्लाउड मोशन', क्लाउड टॉप तापमान, जल वाष्प सामग्री के आसपास उत्पन्न डेटा का उपयोग किया जाता है जो वर्षा अनुमान, मौसम पूर्वानुमान में मदद करते हैं और चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में उनको दिशा प्रदान करते हैं।
  - उपग्रह डेटा पर नज़र रखने के अलावा, IMD स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS), वैश्विक दूरसंचार प्रणाली (GTS) से जमीन आधारित अवलोकन के लिये इसरो के साथ सहयोग करता है जो तापमान, धूप, हवा की दिशा, गति और आर्द्रता को मापता है।
    - इस बीच, एग्रो-मौसम विज्ञान टॉवर (AGROMET) और डॉप्लर वेदर रडार (DWR) इस तंत्र के अवलोकनों में मदद करते हैं।

नोट :

- वर्ष 2021 में IMD ने मौजूदा दो-चरण की पूर्वानुमान रणनीति को संशोधित करके दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा हेतु मासिक और मौसमी परिचालन पूर्वानुमान जारी करने के लिये एक नई रणनीति अपनाई।
  - नई रणनीति मौजूदा सांख्यिकीय पूर्वानुमान प्रणाली और नव विकसित 'मल्टी-मॉडल एन्सेम्बल' (MME) आधारित पूर्वानुमान प्रणाली पर आधारित है।
  - MME दृष्टिकोण आईएमडी के 'मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम' (MMCFS) मॉडल सहित विभिन्न वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान और अनुसंधान केंद्रों से युग्मित वैश्विक जलवायु मॉडल (CGCM) का उपयोग करता है।
- ये सभी तकनीकी प्रगति तब से संभव हुई है, जब वर्ष 2012 में 551 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) शुरू किया गया था और इसका व्यापक उद्देश्य देश में मौसमी पूर्वानुमान के लिये एक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली स्थापित करना और मानसून पूर्वानुमान कौशल में सुधार करना था।

- मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे:
  - वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित करने के लिये ज़िम्मेदार समुद्री धाराओं में परिवर्तन की अप्रत्याशितता के कारण कई बार सही मौसम का पूर्वानुमान नहीं हो पाता है।
    - भारत के लिये बंगाल की खाड़ी देश भर में मौसम को प्रभावित करने वाले बफर के रूप में कार्य करती है।
  - मौसम पूर्वानुमान के गतिशील मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं और प्रकृति के सभी घटकों को गतिशील मॉडल में सटीक रूप से शामिल करना संभव नहीं है और यही पहला कारण है कि कभी-कभी पूर्वानुमान गलत हो सकते हैं।
    - एक गतिशील मौसम पूर्वानुमान मॉडल में कंप्यूटर पर वातावरण का 3डी गणितीय अनुकरण शामिल होता है।
  - मॉडलों को दिये गए प्रारंभिक इनपुट में त्रुटियों के कारण मौसम पूर्वानुमान में त्रुटियाँ भी सामने आ सकती हैं।

आगे की राह

- जबकि भारत उपग्रह डेटा और कंप्यूटर मॉडल पर निर्भर करता है, ब्रिटेन सुपर कंप्यूटर को पूर्वानुमान में एकीकृत करने के साथ आगे बढ़ गया है, जो उपग्रहों से डेटा एकत्र करता है।
- ये सुपरकंप्यूटर कुछ सेकंड में पेटाफ्लॉप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, प्रभावी रूप से प्रक्रिया को तेज़ कर सकते हैं और सटीकता को बढ़ा सकते हैं।
- समय के साथ यह तंत्र और अधिक वृद्धि की ओर अग्रसर है एवं विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मौसम पूर्वानुमानों में लगातार सुधार होगा।

भूकंप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में म्याँमार-भारत सीमा क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का एक सतही और शक्तिशाली भूकंप आया।

प्रमुख बिंदु

- भूकंप:
  - साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं।
  - भूकंप से उत्पन्न तरगों को भूकंपीय तरगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं तथा इन्हें 'सिस्मोग्राफ' (Seismographs) से मापा जाता है।
  - पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपोसेंटर (Hypocenter) कहलाता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरगें सबसे पहले पहुँचती है अधिकेंद्र (Epicenter) कहलाता है।
  - भूकंप के प्रकार: फाल्ट ज़ोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप।

नोट :

- भूकंप का वितरण:
  - विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी, परिधि-प्रशांत भूकंपीय पेटी, प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है, जहाँ हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों के लगभग 81% आते हैं। इसने "रिंग ऑफ फायर" उपनाम अर्जित किया है।
    - यह पेटी विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं में मौजूद है, जहाँ अधिकतर समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे डूब रही हैं। इन 'सबडक्शन ज़ोन' में भूकंप, प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर से टूटने के कारण आता है।
  - एल्पाइड भूकंप बेल्ट (मध्य महाद्वीपीय बेल्ट) जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्यसागर और अटलांटिक में फैली हुई है।
    - यह बेल्ट दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों का लगभग 17% हिस्सा है, जिसमें कुछ सबसे विनाशकारी भी शामिल हैं।
  - तीसरा प्रमुख बेल्ट जलमग्न मध्य-अटलांटिक रिज में है। रिज वह क्षेत्र होता है, जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट अलग-अलग विस्तृत होती हैं।
    - मध्य अटलांटिक रिज का अधिकांश भाग गहरे पानी के भीतर है और मानव हस्तक्षेप से बहुत दूर है।

भारत में भूकंप जोखिम मानचित्रण:

- तकनीकी रूप से सक्रिय वलित हिमालय पहाड़ों की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है।
- अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक झटकों के आधार पर भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV और V) में विभाजित किया गया है।
- पहले भूकंप क्षेत्रों को भूकंप की गंभीरता के संबंध में पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) ने पहले दो क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है।
  - BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने हेतु एक आधिकारिक एजेंसी है।
- भूकंपीय ज़ोन II:
  - मामूली क्षति वाला भूकंपीय ज़ोन, जहाँ तीव्रता MM (संशोधित मरकली तीव्रता पैमाना) के पैमाने पर V से VI तक होती है।
- भूकंपीय ज़ोन III:
  - MM पैमाने की तीव्रता VII के अनुरूप मध्यम क्षति वाला ज़ोन।
- भूकंपीय ज़ोन IV:
  - MM पैमाने की तीव्रता VII के अनुरूप अधिक क्षति वाला ज़ोन।
- भूकंपीय ज़ोन V:
  - यह क्षेत्र फॉल्ट प्रणालियों की उपस्थिति के कारण भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय होता है।
  - भूकंपीय ज़ोन V भूकंप के लिये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से देश में भूकंप के कुछ सबसे तीव्र झटके देखे गए हैं।
  - इन क्षेत्रों में 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप देखे गए हैं और यह IX की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं।

नोट :

इतिहास

महान प्राचीन शासक: सिकंदर और चंद्रगुप्त

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था और फिर भी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान कहा है।

- प्रारंभिक इतिहासकारों ने सिकंदर को महान कहा था। इसी तरह भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक, राजराज, राजेंद्र चोल और अकबर के लिये 'महान' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
- हालाँकि बाद के इतिहासकारों ने अपना ध्यान व्यक्तिगत शासकों की राजनीतिक विजय से हटाकर अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला की ओर केंद्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

- राजाओं की महानता का कारण:
  - सिकंदर:
    - सिकंदर की शानदार सैन्य विजय इसका प्रमुख कारण है, जिसने प्राचीन विश्व के यूरोपीय लेखकों और इतिहासकारों को चकित कर दिया।
    - उसने 30 वर्ष की आयु से पहले दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य (323 ईसा पूर्व) स्थापित किया था जो ग्रीस से लेकर भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा तक आधुनिक पश्चिमी और मध्य एशिया में फैला था।
  - चंद्रगुप्त मौर्य:
    - यह मौर्य साम्राज्य (321 ईसा पूर्व - 185 ईसा पूर्व) का संस्थापक था जो सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करता था एवं इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था।
    - अपने शासन के केंद्र में पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य ने पहली बार अधिकांश दक्षिण एशिया को एकीकृत किया।
    - उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन और कर-संग्रह की एक व्यापक और कुशल प्रणाली की नींव रखी, जिसने उनके साम्राज्य का आधार बनाया।
    - बुनियादी ढाँचे के निर्माण, वज़न और माप के मानकीकरण के साथ व्यापार एवं कृषि में सुधार तथा विनियमन किया गया एवं एक बड़ी स्थायी सेना हेतु प्रावधान किये गए।
  - चोल साम्राज्य:
    - चोल सम्राट राजराज प्रथम (985-1014) और राजेंद्र प्रथम (1014-1044) ने मज़बूत नौसेनाओं का निर्माण किया जिन्होंने मालदीव पर विजय प्राप्त की और बंगाल की खाड़ी के पार श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक पहुँचे।
  - चंगेज़ खान और अन्य:
    - चंगेज़ खान (1162-1227) ने एशिया और यूरोप के एक बड़े क्षेत्र पर अपने अधिकार की मुहर लगा दी तथा अन्य विजेता जैसे- तामेरलेन, एटिला द हुन और शारलेमेन के साथ ही अशोक, अकबर व औरंगज़ेब ने अपने बहुत बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया।

सिकंदर (356-323 BC):

- परिचय:
  - सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के पेला में हुआ था और वह 20 साल की आयु में अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय के सिंहासन पर बैठा।

नोट :

- अगले 10 वर्षों में सिकंदर ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्सों में अभियानों का नेतृत्व किया।
- 330 ईसा पूर्व में उसने गौगामेला के निर्णायक युद्ध में डेरियस III को हराया और आज के अफगानिस्तान के उत्तर में अमु दरिया क्षेत्र में स्थित बैक्ट्रिया में एक लंबे अभियान के बाद उसने हिंदूकुश को पार किया तथा काबुल घाटी में प्रवेश किया।

- भारतीय अभियान:
  - 326/327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पुराने फारसी साम्राज्य की सबसे दूर की सीमा सिंधु को पार किया और अपना भारतीय अभियान शुरू किया जो लगभग दो वर्ष तक चला।
  - तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम के पार उसे एक महान योद्धा द्वारा चुनौती दी गई, जिसे ग्रीक स्रोतों ने पोरस के रूप में पहचाना है।
  - इसके बाद हुई हाइडेस्पीस की लड़ाई में सिकंदर जीत गया, लेकिन पोरस के साथ अपने प्रसिद्ध मुलाकात के बाद (जिसके बारे में कहा जाता है कि घायल राजा ने मांग की थी कि हमलावर सम्राट उसके साथ एक शासक के लिये उपयुक्त व्यवहार करे) वह अत्यधिक प्रभावित हुआ।
- वापसी:
  - मगध का 'नंद' (362 ईसा पूर्व-321 ईसा पूर्व), जिसमें ग्रीक लेखकों के अनुसार, कम-से-कम 20,000 घुड़सवार, 200,000 पैदल सेना और 3,000 युद्ध हाथी शामिल थे।
  - 'गंगारिदाई साम्राज्य', जो आज के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत था।
  - पोरस की हार के बाद सिकंदर गंगा नदी बेसिन में आगे बढ़ना चाहता था लेकिन पंजाब की पाँच नदियों में से अंतिम 'ब्यास' तक पहुँचने पर उसके सेनापतियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया।
  - इसने सिकंदर को वापस मुड़ने के लिये मजबूर कर दिया और वह दक्षिण की ओर सिंधु नदी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके डेल्टा तक पहुँच गया, जहाँ उसने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते 'मेसोपोटामिया' भेज दिया, जबकि दूसरे हिस्से को 'मकरान तट' के साथ ज़मीन के रास्ते पर ले गया।
  - 324 ईसा पूर्व में वह फारस में 'सुसा' पहुँचा और अगले वर्ष प्राचीन शहर 'बेबीलोन' (वर्तमान बगदाद के दक्षिण में) में उसकी मृत्यु हो गई।
  - माना जाता है कि उसके निरस्त भारतीय अभियान के बावजूद, सिकंदर कभी भी किसी लड़ाई में नहीं हारा और इस भविष्यवाणी को लगभग सही सिद्ध कर दिया कि वह पूरी दुनिया को जीत लेगा।
  - जिस समय सिकंदर भारत से वापस लौटा, उसकी सेना थकी हुई थी, वह भारतीय मानसून में लड़ते-लड़ते थक चुकी थी, और यह संभव है कि वह दो महान सेनाओं की कहानियों से भयभीत थी जो आगे युद्ध के लिये उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं:

चंद्रगुप्त और सिकंदर:

- इतिहासकारों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त के सत्ता में आने का वर्ष 324 ई.पू. से 313 ई.पू. तक है; हालाँकि यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि 321 ईसा पूर्व में उसे सत्ता प्राप्त हुई, जबकि 297 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई।
  - हालाँकि यदि इस तिथि को स्वीकार भी किया जाता है तो यह समय सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद और 'बेबीलोन' में उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व का होगा।
- ग्रीक सूत्रों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त, सिकंदर के बाद के भारतीय अभियान के दौरान उससे संपर्क में रहा होगा।
  - 'ए. एल. बाशम' की 'द वंडर दैट वाज़ इंडिया' में बताया गया है कि "ग्रीक के शास्त्रीय स्रोत 'सैंड्रोकोटस' नाम के एक भारतीय युवा का ज़िक्र करते हैं, जो कि भारतीय स्रोतों में 'चंद्रगुप्त मौर्य' के समान है।
  - इतिहासकार 'प्लूटार्क' का कहना है कि 'सैंड्रोकोटस' ने सिकंदर को ब्यास से आगे बढ़ने और नंद सम्राट पर हमला करने की सलाह दी, क्योंकि नंद वंश का आशय उस समय इतना अलोकप्रिय था कि लोग स्वयं सिकंदर के समर्थन में उठ खड़े होते।
  - लैटिन इतिहासकार 'जस्टिन' कहते हैं कि बाद में 'सैंड्रोकोटस' ने अपने भाषण से सिकंदर को नाराज़ कर दिया और अंततः वह ग्रीक सेना को खदेड़ने तथा भारत का सिंहासन हासिल करने में सफल रहा।

नोट :

- इन स्रोतों के आधार पर 'ए.एल. बाशम' ने निष्कर्ष निकाला कि 'यह मानना उचित है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो सिकंदर के आक्रमण के तुरंत बाद सत्ता में आया, कम-से-कम सिकंदर के विषय में जानते था और शायद उससे प्रेरित भी था।'

चंद्रगुप्त:

- परिचय:
  - ग्रीक और भारतीय स्रोत इस बात से सहमत हैं कि चंद्रगुप्त ने 'नंद' वंश के अलोकप्रिय अंतिम राजा- 'धननंद' को उखाड़ फेंका और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्ज़ा कर लिया।
    - माना जाता है 'चंद्रगुप्त' को ब्राह्मण दार्शनिक 'कौटिल्य' का संरक्षण प्राप्त था, जिन्हें नंद राजा द्वारा अपमानित किया गया था।
    - चाणक्य (कौटिल्य और विष्णुगुप्त) को प्रमुख भारतीय ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' के लेखन का श्रेय दिया जाता है, जो कि राजनीति विज्ञान, राज्य कला, सैन्य रणनीति और अर्थव्यवस्था पर एक अग्रणी भारतीय ग्रंथ है।
  - बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य 'शाक्य' से जुड़े क्षत्रिय 'मोरिया' वंश का था।
    - हालाँकि ब्राह्मणवादी ग्रंथ 'मौर्यों' को शूद्र के रूप में संदर्भित करते हैं।
  - कौटिल्य की रणनीति और अपनी महान सैन्य शक्ति से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त अपनी शाही महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अभियान की ओर बढ़ गया।
- उत्तर-पश्चिम की ओर अभियान:
  - सिकंदर की सेना द्वारा पीछे छोड़े गए क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने हेतु वह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया।
  - 'सिंधु' तक पहुँचते ही ये क्षेत्र तेज़ी से उसके कब्ज़े में आ गए, हालाँकि वह इससे आगे बढ़ने में असफल रहा, क्योंकि सिकंदर के उत्तराधिकारी 'सेल्यूकस निकेटर' ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली थी।
    - इसके पश्चात् 'चंद्रगुप्त' मध्य भारत की ओर चला गया, लेकिन 305 ईसा पूर्व तक वह उत्तर-पश्चिम की ओर वापस लौट आया, जहाँ उसने सेल्यूकस निकेटर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान का नेतृत्त्व किया, जिसमें वह सफल रहा।
  - 303 ईसा पूर्व में हुई 'शांति संधि' से सेल्यूकस निकेटर के कुछ क्षेत्र, जो वर्तमान में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मकरान को कवर करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिये गए।
  - इस दौरान कुछ वैवाहिक गठबंधन भी हुए तथा अभियान के दौरान व बाद में मौर्य तथा यूनानियों के बीच सांस्कृतिक संपर्क काफी बढ़ गया।

नोट :

सामाजिक न्याय

आंतरिक विस्थापन

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) की एक रिपोर्ट (मिड-ईयर ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट) के अनुसार, वर्ष 2021 के आरंभिक छमाही में संघर्ष और हिंसा के कारण 33 देशों में लगभग 51 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे।

- संघर्ष, कोविड -19, गरीबी, खाद्य असुरक्षा और जलवायु आपातकाल के संयोजन ने विस्थापितों की मानवीय दुर्दशा को बढ़ा दिया है, जिनमें से अधिकांश विकासशील क्षेत्रों में रहते हैं।
- अफ्रीका वह क्षेत्र है जो विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के मामले में सर्वाधिक संवेदनशील है।

प्रमुख बिंदु

- आंतरिक विस्थापन (अर्थ):
  - आंतरिक विस्थापन उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है।
  - विस्थापन के कारक: प्रत्येक वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, विकास परियोजनाओं, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़कर अपने देशों की सीमाओं के भीतर विस्थापित हो जाते हैं।
  - घटक: आंतरिक विस्थापन दो घटकों पर आधारित है:
    - यदि लोगों का विस्थापन जबरदस्ती या अनैच्छिक है (उन्हें आर्थिक और अन्य स्वैच्छिक प्रवासियों से अलग करने हेतु);
    - यदि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की सीमाओं के भीतर रहता है (उन्हें शरणार्थियों से अलग करने हेतु)।
  - शरणार्थी से अंतर: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार, "शरणार्थी" एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अत्याचार किया गया है और अपने मूल देश को छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है।
    - शरणार्थी माने जाने की एक पूर्व शर्त यह है कि वह व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता हो।
    - शरणार्थियों के विपरीत, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नहीं हैं।
    - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता पर वैश्विक नेतृत्व के रूप में किसी एक एजेंसी या संगठन को नामित नहीं किया गया है।
    - हालाँकि आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
  - आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ: IDP को शारीरिक शोषण, यौन या लिंग आधारित हिंसा का खतरा बना रहता है और वे परिवार के सदस्यों से अलग होने का जोखिम उठाते हैं।
    - वे प्राय: पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं और अक्सर अपनी संपत्ति, भूमि या आजीविका तक अपनी स्थापित पहुँच को खो देते हैं।
- भारत में आंतरिक विस्थापन:
  - विस्तार: भारत में IDP की संख्या का अनुमान लगाना लगभग मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े देश में नियमित निगरानी संभव नहीं है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के डेटा के समन्वय के लिये ज़िम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण की कमी है।
    - द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिसप्लेसमेंट, 2020 (GRID-2020) के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में लगभग पाँच मिलियन लोग विस्थापित हुए जो अब तक विश्व भर में सर्वाधिक है।

नोट :

- नीतिगत ढाँचा: भारत में शरणार्थियों या IDP की समस्या से निपटने के लिये कोई राष्ट्रीय नीति और कानूनी संस्थागत ढाँचा नहीं है।
  - भारत ने वर्ष 1951 के कन्वेंशन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है और वह अधिकांश शरणार्थी समूहों को UNHCR तक पहुँच की अनुमति नहीं देता है।
  - शरणार्थी मुद्दों की निगरानी के लिये एक स्थायी संस्थागत ढाँचे के अभाव में, शरणार्थी का दर्जा देना राजनीतिक अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।
- भारत में आंतरिक विस्थापन के कारक:
  - अलगाववादी आंदोलन: आज़ादी के बाद से, उत्तर-पूर्वी भारत में दो प्रमुख सशस्त्र संघर्ष हुए हैं - नगा आंदोलन और असम आंदोलन।
  - राज्य बलों और आतंकवादियों के बीच जम्मू और कश्मीर के युद्ध के कारण कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था।
  - पहचान-आधारित स्वायत्तता आंदोलन: बोडोलैंड, पंजाब, गोरखालैंड और लद्दाख जैसे, पहचान-आधारित स्वायत्तता आंदोलनों ने भी हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया है।
  - स्थानीय हिंसा: आंतरिक विस्थापन जातिगत विवादों (जैसे-बिहार और उत्तर प्रदेश), धार्मिक कट्टरवाद और 'भूमि-पुत्र सिद्धांत' (गैर-स्वदेशी समूहों को निवास और रोज़गार के अधिकारों के प्रति आक्रामक रुख) से भी उत्पन्न हुआ है।
  - पर्यावरण और विकास से प्रेरित विस्थापन: तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु भारत ने औद्योगिक परियोजनाओं, बाँधों, सड़कों, खानों, बिजली संयंत्रों और नए शहरों में निवेश किया है जो केवल बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण और लोगों के विस्थापन के माध्यम से ही संभव हुआ है।

आगे की राह

- नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता: समावेशी वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित करने और संकट प्रेरित प्रवास को कम करने हेतु भारत को प्रवास केंद्रित नीतियों, रणनीतियों और संस्थागत तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।
- न्याय प्रदान करना: केंद्र सरकार को आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी (कम वेतन वाला, असुरक्षित या खतरनाक काम; अवैध व्यापार और महिलाओं और बच्चों की यौन शोषण आदि के प्रति अत्यधिक सुभेद्यता) जो अपर्याप्त आवास के मुद्दों से जूझ रही है, के लिये सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

विश्व मधुमेह दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2045 तक अफ्रीका में मधुमेह के मामलों की संख्या बढ़कर 55 मिलियन होने का अनुमान है जो वर्ष 2021 की तुलना में 134% अधिक है।

- अफ्रीका महाद्वीप में नोवल कोरोनावायरस रोग (Covid-19) के कारण होने वाली मौतों की दर मधुमेह के रोगियों में काफी अधिक है।
- विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- मधुमेह:
  - मधुमेह एक गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Disease) है जो या तो तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है।
    - इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड (peptide) हार्मोन है जो सेलुलर ग्लूकोज तेज़ करने, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने तथा कोशिका विभाजन एवं विकास को बढ़ावा देकर सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है।
- इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
  - टाइप-1 मधुमेह: यह तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है।

नोट :

- टाइप-2 मधुमेह: यह मधुमेह का सबसे सामान्य प्रकार है। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। इसे इंसुलिन प्रतिरोध (Insulin resistance) कहा जाता है। टाइप-2 मधुमेह होने का मुख्य कारण मोटापा और व्यायाम की कमी है।

- मधुमेह का भार :
  - भारत में:
    - भारत में मधुमेह एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसकी अनुमानित 8.7% आबादी 20 और 70 वर्ष के आयु वर्ग की है।
    - इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन 'डायबिटीज़ एटलस' ने वर्ष 2019 में, भारत को शीर्ष 10 मधुमेह से पीड़ित देशों में रखा।
    - मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों की बढ़ती व्यापकता शहरीकरण, गतिहीन जीवन शैली, अस्वास्थ्यकर आहार, तंबाकू का उपयोग जैसे कारकों के संयोजन से प्रेरित है।
  - वैश्विक स्तर पर:
    - आज विश्व में लगभग 6% आबादी अर्थात् 420 मिलियन से अधिक लोग टाइप-1 या टाइप-2 मधुमेह हैं।
    - यह एकमात्र प्रमुख गैर-संचारी रोग है जिसका लोगों में कम होने के बजाय ज्यादा होने का ज़ोखिम बढ़ रहा है।
    - यह गंभीर कोविड-19 संक्रमणों के साथ जुड़ी अन्य प्रमुख बीमारियों के साथ उभरा है।
    - वर्ष 2021 में अफ्रीका में अनुमानित 24 मिलियन लोग मधुमेह के साथ जी रहे हैं।

- संबंधित पहल:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट लॉन्च किया, जो मधुमेह के जोखिम को कम करने से संबंधित है तथा यह सुनिश्चित करता है कि मधुमेह के निदान हेतु सभी लोगों को समान, व्यापक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण उपचार और देखभाल मिल सके।
  - भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य गैर-संचारी रोग (National Non-Communicable Disease- NCD) मोटापे और मधुमेह के प्रसार में वृद्धि को रोकना है।
  - वर्ष 2010 में शुरू किया गया कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर मधुमेह के निदान और लागत प्रभावी उपचार हेतु सहायता प्रदान करना है।

सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान

चर्चा में क्यों ?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'विश्व शौचालय दिवस' (19 नवंबर) समारोह के भाग के रूप में एक सप्ताह का 'स्वच्छ अमृत दिवस' तक चलने वाले सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती (Safari Mitra Suraksha Challenge- SSC) जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्यों, शहरों, यूएलबी और छावनी बोर्ड की भूमिका तथा प्रयासों को मान्यता देने और कचरा मुक्त स्टार रेटिंग प्रमाणन के लिये 20 नवंबर, 2021 को 'स्वच्छ अमृत दिवस' पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा।

'विश्व शौचालय दिवस'

- वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में नामित किया। यह सरकारों और भागीदारों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र-जल (UN-Water) द्वारा समन्वित है।
- इसका उद्देश्य स्वच्छता को लेकर लोगों के मध्य नकारात्मक विचारधारा को समाप्त करना है क्योंकि शौचालय और स्वच्छता के मुद्दे पर चुप्पी के घातक परिणाम हो सकते हैं।
- वर्ष 2021 की थीम शौचालयों के मूल्यांकन (Valuing Toilets) से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

- सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान के बारे में:
  - 'सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती' में कुल 246 शहर भाग ले रहे हैं जिसे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। राज्यों की राजधानियाँ, शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहर इस अभियान में भाग लेने के पात्र होंगे।

नोट :

- शहरों को तीन उप-श्रेणियों (10 लाख से अधिक, 3-10 लाख और 3 लाख तक की आबादी) में सम्मानित किया जाएगा। कुल पुरस्कार राशि 52 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
- यह हाथ से मैला ढोने की प्रथा से निपटने के सरकारी प्रयासों में से एक है।

- सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
  - SSC को 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था।
  - सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती (SSC) का उद्देश्य शहरों को अपने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्यों को मशीनीकृत करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
  - सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में सभी राज्यों के लिये सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने के लिये चेलेंज फॉर आल की शुरुआत की गई। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित उपकरण/सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिये।
- शुरू की गई पहलें:
  - SSC अभियान के तहत ऋण मेले जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं। SSC के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, एमओएचयूए द्वारा समर्थित देश भर में ऋण मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
    - इसका उद्देश्य सफाई मित्रों को सीवर/सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिये टैंक सफाई मशीन/उपकरण खरीद हेतु स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत ऋण प्राप्त करने में मदद करना है।
  - NSKFDC के माध्यम से 115 शहरों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से सफाई मित्रों का कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है।
  - सेप्टिक टैंक/सीवर की सुरक्षित सफाई और खतरनाक सफाई के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिये 345 शहरों में कॉल सेंटर एवं हेल्पलाइन नंबर चालू किये गए हैं।
  - 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने ज़िम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण (Responsible Sanitation Authority- RSA) की स्थापना की है और इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 210 शहरों में स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयाँ (Sanitation Response Units- SRU) मौजूद हैं।
  - भाग लेने वाले सभी 246 शहरों ने पहले ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic- SUP) पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग:

- परिचय:
  - मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों तथा सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।
  - आधिकारिक तौर पर हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या वर्ष 2018 में घटकर 42,303 हो गई, जो वर्ष 2008 में 7,70,338 थी। वर्ष 2018 में हाथ से मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण NSKFDC द्वारा किया गया था।
- संबंधित पहल:
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:
    - यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा हाथ से मैला ढोने या सीवर एवं सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई की खतरनाक प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:
    - अधिनियम सभी रूपों में हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) के निषेध को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास सुनिश्चित करता है।

नोट :

- अत्याचार निवारण अधिनियम:
  - यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ विशिष्ट अपराधों का वर्णन करता है।
- सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
  - आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
- स्वच्छ भारत मिशन:
  - स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों को स्वच्छ और साफ करने तथा सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है।

सीखने की प्रक्रिया पर कोविड-19 का प्रभाव: ASER 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report- ASER 2021) सर्वेक्षण का 16वाँ संस्करण जारी किया गया। सर्वेक्षण में सीखने की प्रक्रिया पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण किया गया।

- यह निजी ट्यूशनों पर निर्भरता में वृद्धि और स्मार्टफोन तक पहुँच की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
- विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में सीखने के नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण:

- प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन (Pratham Education Foundation) द्वारा संचालित एएसईआर सर्वेक्षण देश में अपनी तरह का सबसे पुराना सर्वेक्षण है।
- यह प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत शिक्षा के स्तरों पर प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि की श्रेणी हेतु सबसे बेहतर माना जाता है।
- यह वर्ष 2011 की जनगणना को सैंपलिंग फ्रेम के रूप में उपयोग करता है और देश भर में बच्चों के मूलभूत कौशल के बारे में जानकारी का एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्रोत बना हुआ है।
- ASER 2018 में 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया और भारत के लगभग सभी ग्रामीण ज़िलों को शामिल किया तथा 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं का अनुमान लगाया गया।
- ASER 2019 ने 26 ग्रामीण ज़िलों में 4 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की प्री-स्कूल या स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सामग्री ज्ञान के बजाए 'शुरुआती वर्षों' पर ध्यान केंद्रित किया और 'समस्या-समाधान संकायों के विकास व बच्चों की स्मृति के निर्माण' पर ज़ोर दिया गया।
- ASER 2020 पहला फोन-आधारित सर्वेक्षण है जिसे स्कूल बंद होने के छठे महीने में सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि:
  - सरकारी स्कूल के छात्रों के नामांकन में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जबकि निजी स्कूलों में नामांकन दर का स्तर पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रहा।
  - निजी स्कूलों के बजाए सरकारी स्कूलों में स्पष्ट वृद्धि/बदलाव देखा गया जो वर्ष 2018 में 64.3% वर्ष 2020 में 65.8% तथा वर्ष 2021 में 70.3% हो गया।
  - निजी स्कूलों में नामांकन में वर्ष 2020 में 28.8% से वर्ष 2021 में 24.4% की गिरावट दर्ज की गई है।
- ट्यूशन पर निर्भरता:
  - निजी ट्यूशन कक्षाओं पर निर्भरता में वृद्धि देखी गई।
  - छात्र, विशेष रूप से गरीब परिवारों के छात्रों की निजी ट्यूशन पर पहले से कहीं अधिक निर्भरता बढ़ी है।

नोट :

- डिजिटल डिवाइड:
  - एक बड़ा डिजिटल विभाजन मौजूद है, जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों की सीखने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
  - पहली और दूसरी कक्षा के लगभग एक-तिहाई बच्चों के पास घर पर स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं था।
- नए प्रवेशकों के साथ समस्याएँ:
  - प्री-प्राइमरी क्लास या आंगनवाड़ी का कोई अनुभव नहीं होने के कारण डिजिटल उपकरणों तक पहुँच की कमी तथा महामारी ने भारत की औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सबसे कम उम्र के प्रवेशकों को विशेष रूप से कमज़ोर बना दिया है।
  - कक्षा I और II में 3 में से 1 बच्चे ने कभी भी व्यक्तिगत कक्षा में भाग नहीं लिया है।
  - महामारी के बाद स्कूल प्रणाली में प्रवेश करने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली हेतु वातावरण तैयार करने के लिये समय की आवश्यकता होगी।
- अधिगम अंतराल:
  - 65.4% शिक्षकों ने बच्चों के 'समझने में असमर्थ' होने की समस्या को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में चिह्नित किया।
  - एक चेतावनी यह भी दी गई है कि उनके सीखने के परिणाम प्रभावित होंगे जब तक कि उनका तत्काल समाधान नहीं किया जाता है।
  - केंद्र सरकार के हालिया राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) के दौरान देश भर के शिक्षकों और क्षेत्र जाँचकर्त्ताओं ने बताया कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को बुनियादी समझ और संख्यात्मक कौशल का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने हेतु संघर्ष करना पड़ा।
- सकारात्मक दृष्टिकोण: रिपोर्ट में उन बच्चों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है जो वर्तमान में 15-16 आयु वर्ग में नामांकित नहीं हैं। यह उन वर्गों में से एक है जो स्कूल छोड़ने वाले मुद्दों के उच्चतम जोखिम का सामना करता है।
  - वर्ष 2010 में 15-16 वर्ष के बच्चों का अनुपात 16.1% (स्कूल में नामांकन नहीं) था।
  - माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये सरकार के अथक प्रयास के बावजूद यह संख्या लगातार घट रही है और वर्ष 2018 में यह 12.1% थी। यह गिरावट वर्ष 2020 में 9.9% और 2021 में 6.6% हो गई।
- संबंधित सरकारी पहल:
  - स्वयं (SWAYAM)
  - प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT)
  - राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN)
  - प्रज्ञाता दिशा-निर्देश
  - प्रौद्योगिकी वर्द्धन शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPTEL)

आगे की राह

- एक बहु-आयामी दृष्टिकोण: छात्रों के एक बड़े वर्ग को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिये स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से अकादमिक समय सारिणी का लचीला पुनर्निर्धारण और विकल्प तलाशना।
  - कम सुविधा वाले उन छात्रों को प्राथमिकता देना जिनकी ई-लर्निंग तक पहुँच नहीं है।
- ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना: लंबे समय तक निरूद्देश्य बैठने और एकतरफा संचार के बजाय छोटी लेकिन गुणवत्तापूर्ण चर्चाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - शिक्षक की भूमिका केवल कक्षा पर नियंत्रण से आगे बढ़कर ज्ञान के हस्तांतरण के लिये एक सूत्रधार होने की है।
- ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान देना: शिक्षा योग्यता के बारे में नहीं बल्कि प्रेरणा के बारे में अधिक महत्त्वपूर्ण है। छात्रों को केवल पाठ्यक्रम को कवर करने के उद्देश्य न पढ़ाकर बल्कि उस विषय की समझ विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

नोट :

कोविड-19 के कारण लैंगिक समानता को खतरा: यूनेस्को अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनेस्को ने 'व्हेन स्कूल्स शट' नामक एक नया अध्ययन जारी किया, जिसमें सीखने, स्वास्थ्य और कल्याण पर कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के लैंगिक प्रभाव को उजागर किया गया है।

इसे वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्तूबर) के अवसर पर जारी किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस:

- इतिहास:
  - वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन में युवा और कमज़ोर लड़कियों पर केंद्रित एक कार्यक्रम की आवश्यकता की पहचान की गई थी।
  - यह पहल युवा महिलाओं के सामने आने वाली चुनौती का समाधान करने के लिये एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना के रूप में शुरू हुई।
  - 11 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2011 में अपनाया गया था।
  - वर्ष 2020 में इसने बीजिंग घोषणापत्र को अपनाने के 25 साल पूरे कर लिये।
- लक्ष्य:
  - यह दुनिया भर में युवा लड़कियों की आवाज़ को सशक्त बनाने और बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।
- 2021 की थीम:
  - 'डिजिटल जनरेशन', हमारी जनरेशन'।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के बारे में:
  - 'व्हेन स्कूल्स शट': कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के लैंगिक प्रभाव" शीर्षक वाले वैश्विक अध्ययन से पता चलता है कि इसने लड़कियों और लड़कों, युवा महिलाओं व पुरुषों को स्कूल बंद होने की वजह से अलग तरह से प्रभावित किया था।
  - कोविड-19 महामारी के चरम समय पर 190 देशों में 1.6 बिलियन छात्र स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए थे।
- लैंगिक प्रभाव के क्षेत्र:
  - घरेलू मांग:
    - गरीब परिवारों के संदर्भों में लड़कियों के सीखने का समय घर के बढ़ते कामों के कारण बाधित होता था। सीखने में लड़कों की भागीदारी आय-सृजन गतिविधियों तक सीमित थी।
  - डिजिटल डिवाइड:
    - इंटरनेट-सक्षम उपकरणों तक सीमित पहुँच, डिजिटल कौशल की कमी और तकनीकी उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले सांस्कृतिक मानदंडों के कारण लड़कियों को कई संदर्भों में डिजिटल दूरस्थ आधार पर सीखने के तौर-तरीकों में संलग्न होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
    - अध्ययन में कहा गया है कि 'डिजिटल लैंगिक विभाजन' कोविड-19 संकट से पहले से ही एक चिंता का विषय था।
  - स्कूल वापसी की दर:
    - स्कूल वापसी दरों के बारे में आज तक उपलब्ध सीमित आँकड़े भी लैंगिक असमानताओं को दर्शाते हैं।
    - केन्या में चार काउंटियों में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि 16% लड़कियाँ और 15 से 19 वर्ष की आयु के 8% लड़के वर्ष 2021 की शुरुआत में स्कूल फिर से खुलने के बाद के दो महीनों के दौरान नामांकन करने में विफल रहे।
  - स्वास्थ्य पर प्रभाव:
    - स्कूल बंद होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, खासकर उनके मानसिक स्वास्थ्य, भलाई और सुरक्षा पर।

नोट :

- दुनिया भर के 15 देशों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अधिक तनाव, चिंता और अवसाद की सूचना दी। LGBTQ शिक्षार्थियों ने उच्च स्तर के अलगाव और चिंता की सूचना दी।

- सिफारिशें:
  - नीतियों और कार्यक्रमों में कारक लिंग:
    - इस अध्ययन में शिक्षा समुदाय से आह्वान किया गया है कि वे कमज़ोर और संवेदनशील समुदायों की घटती भागीदारी और स्कूल में वापसी की कम दरों से निपटने के लिये नीतियों व कार्यक्रमों में लिंग कारक को शामिल करें, जिसमें नकद हस्तांतरण तथा गर्भवती लड़कियों और किशोर उम्र की माताओं को विशिष्ट सहायता शामिल है।
  - ट्रेंड को ट्रैक करना और नीतिगत हस्तक्षेपों का विस्तार:
    - बाल विवाह के साथ-साथ जबरन विवाह को समाप्त करने के लिये रुझानों को ट्रैक करने एवं नीतिगत हस्तक्षेपों का विस्तार करने हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है तथा ऐसी प्रथाएँ जो लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करती हैं तथा उनकी दीर्घकालिक संभावनाओं को कम करती हैं, को जल्द-से-जल्द समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।
  - 'नो-टेक' और 'लो-टेक' रिमोट लर्निंग सॉल्यूशंस:
    - 'नो-टेक' और 'लो-टेक' रिमोट लर्निंग सॉल्यूशंस, स्कूलों को व्यापक मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु उपायों के साथ-साथ डेटा के माध्यम से भागीदारी की निगरानी करने हेतु आवश्यक है।

शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी' पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के सबसे अमीर लोगों की तुलना में पुरुषों और महिलाओं में सबसे गरीब लोगों की जीवन प्रत्याशा क्रमश: 9.1 वर्ष और 6.2 वर्ष कम है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के संदर्भ में:
  - यह रिपोर्ट भारत के शहरों में स्वास्थ्य कमज़ोरियों और असमानताओं को दर्शाती है।
  - यह अगले दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पहुँच और लागत तथा फ्यूचर-प्रूफिंग (Future-Proofing) सेवाओं में संभावनाओं पर भी ध्यान देती है।
  - इसे हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा पूरे भारत में 17 क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से जारी किया गया था।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष:
  - शहरी लोगों की संख्या:
    - भारत के एक-तिहाई लोग अब शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, इस खंड में लगभग 18% (वर्ष 1960) से 34% (वर्ष 2019 में) तक की तीव्र वृद्धि देखी जा रही है।
    - शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं।
  - अराजक शहरी स्वास्थ्य शासन:
    - रिपोर्ट में गरीबों पर रोगों के अधिक बोझ का पता लगाने के अलावा एक अराजक शहरी स्वास्थ्य शासन की ओर भी इशारा किया गया है, जहाँ बिना समन्वय के सरकार के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की बहुलता शहरी स्वास्थ्य शासन के लिये चुनौती है।
  - गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ:
    - गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल में कम निवेश भी एक बड़ी चुनौती है।

नोट :

- सुझाव:
  - सामुदायिक भागीदारी और शासन को मज़बूत करना।
  - कमज़ोर वर्ग की आबादी, विभिन्न प्रकार की सहरुग्णता सहित स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर एक व्यापक व गतिशील डेटाबेस तैयार करना; राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान को मज़बूत करना।
  - गरीबों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिये नीतिगत उपाय करना।
  - समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये एक बेहतर तंत्र और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिये एक सुव्यवस्थित शासन का निर्माण करना
  - कोविड-19 महामारी ने एक मज़बूत और संसाधन वाली स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। इसका समाधान किये जाने से सबसे कमज़ोर वर्गों को लाभ होगा और आय समूहों में शहरवासियों को महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति:

- भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी समय से विभिन्न मुद्दों से जूझ रही है, जिसमें संस्थानों की कम संख्या और पर्याप्त से कम मानव संसाधन शामिल हैं।
- मुख्यत: एक त्रि-स्तरीय संरचना (प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाएँ) द्वारा भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को परिभाषित किया जाता है।
  - भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के माध्यम से ग्रामीण आबादी को प्रदान की जाती हैं, जबकि माध्यमिक देखभाल ज़िला और उप-ज़िला अस्पताल के माध्यम से प्रदान की जाती है।
  - दूसरी ओर, क्षेत्रीय/केंद्रीय स्तर के संस्थानों या सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में तृतीयक देखभाल प्रदान की जाती है।
- जबकि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के तीनों स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है, यह अनिवार्य है कि सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं में सुधार करे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये पहल

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY):
  - 23 सितंबर, 2018 को लॉन्च की गई आयुष्मान भारत PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा योजना है।
  - PM-JAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY):
  - PMSSY की घोषणा वर्ष 2003 में सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021 (Global Nutrition Report) के अनुसार, भारत ने एनीमिया (Anaemia) और चाइल्डहुड वेस्टिंग (Childhood Wasting) पर कोई प्रगति नहीं की है।

नोट :

वैश्विक पोषण लक्ष्य:

- वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा (विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था) ने वर्ष 2025 तक के लिये छह पोषण लक्ष्यों की पहचान की है, जो निम्नलिखित हैं:
  - 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को 40% तक कम करना।
  - 19-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को 50% तक कम करना।
  - बच्चो में जन्म के समय कम वज़न की समस्या में 30% की कमी सुनिश्चित करना।
  - बचपन में अधिक वज़न न बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करना।
  - पहले छह महीनों में स्तनपान की दर को कम-से-कम 50% तक बढ़ाना।
  - चाइल्डहुड वेस्टिंग को 5% से कम करना और इसे बनाए रखना।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:
  - वैश्विक पोषण लक्ष्य:
    - प्रगति के वर्तमान स्तर या दर पर वैश्विक पोषण लक्ष्यों को वर्ष 2025 तक विश्व स्तर पर अधिकांश देशों द्वारा हासिल नहीं किया जा सकेगा।
  - डेटा उपलब्धता में बदलाव/परिवर्तन:
    - 194 देशों में वैश्विक पोषण लक्ष्यों की दिशा में डेटा उपलब्धता और प्रगति में पर्याप्त भिन्नता है।
    - वर्ष 2025 तक केवल सात देश छह मातृ, शिशु और युवा बाल पोषण लक्ष्यों में से चार को पूरा करने की दिशा पर अग्रसर हैं, जबकि कोई भी देश वयस्क मोटापे में वृद्धि को रोकने या नमक/सोडियम सेवन में 30% की सापेक्ष कमी हासिल करने की दिशा पर अग्रसर नहीं है।
  - कोविड-19 का प्रभाव:
    - कोविड-19 महामारी वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में बाधक है।
    - महामारी ने अनुमानित अतिरिक्त 155 मिलियन लोगों को विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया गया है, जबकि आहार से संबंधित जीर्ण रोग वाले लोग कोविड-19 के बदतर परिणामों का अनुभव कर रहे हैं।
  - आहार सुधार में अल्प प्रगति:
    - पिछले दशक में आहार में सुधार करने में बहुत कम प्रगति हुई है और वयस्कों की होने वाली कुल मौतों में से एक-चौथाई का कारण खराब आहार है।
  - वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:
    - खाद्य उत्पादन वर्तमान में विश्व स्तर पर सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक-तिहाई से अधिक का उत्पन्न करता है और पर्यावरण संसाधनों की अत्यधिक मात्रा का उपयोग करता है।
  - सतत् विकास लक्ष्य:
    - कोई भी क्षेत्र आहार और खाद्य प्रणाली से संबंधित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय बोझ को सीमित करने के उद्देश्य से सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा है।
- भारत-विशिष्ट आँकड़े:
  - एनीमिक भारतीय महिलाएँ:
    - 15-49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।
    - वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच एनीमिक भारतीय महिलाओं की संख्या 52.6% से बढ़कर 53% हो गई है।
  - चाइल्डहुड वेस्टिंग:
    - 5 वर्ष से कम उम्र के 17% से अधिक भारतीय बच्चे इससे प्रभावित हैं।

नोट :

- भारत भी उन 23 देशों में शामिल है, जिन्होंने 'चाइल्डहुड वेस्टिंग' को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है या वहाँ स्थिति और खराब हो रही है।
- वेस्टिंग से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनका वज़न उनकी ऊँचाई के हिसाब से कम है।

◆ चाइल्ड स्टंटिंग:
- 5 वर्ष से कम उम्र के 34% से अधिक बच्चे अभी भी इससे प्रभावित हैं।
- भारत उन 53 देशों में से एक है, जो जल्द ही स्टंटिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।
- स्टंटिंग, उम्र के अनुसार कम ऊँचाई को संदर्भित करता है।

◆ चाइल्डहुड ओवरवेट:
- भारत उन 105 देशों में से एक है, जो जल्द ही चाइल्डहुड ओवरवेट के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।

◆ भारत द्वारा प्राप्त किये गए लक्ष्य:
- भारत ने 13 वैश्विक पोषण लक्ष्यों में से 7 को पूरा कर लिया है, जिसमें सोडियम का सेवन, बढ़ा हुआ रक्तचाप (पुरुष व महिला दोनों), मोटापा (पुरुष और महिला दोनों) तथा मधुमेह (पुरुष एवं महिला दोनों) शामिल हैं।

- सुझाव:

◆ वित्त को बढ़ाना:
- असंतुलित आहार और कुपोषण को समाप्त करने के लिये प्रयासों और वित्तीय निवेशों हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

◆ समग्र दृष्टिकोण:
- सभी के लिये एक स्वस्थ भविष्य बनाने हेतु असंतुलित आहार और कुपोषण को समग्र तथा स्थायी रूप से संबोधित किया जाना चाहिये।

◆ जवाबदेही और निगरानी:
- आवश्यक प्रगति की पहचान करने हेतु बेहतर डेटा, व्यापक जवाबदेही और व्यवस्थित निगरानी महत्त्वपूर्ण है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट:
- वर्ष 2013 में संपन्न पहले 'न्यूट्रीशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट' (N4G) के बाद इसकी कल्पना की गई थी।
- पहली रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई थी।
- यह वैश्विक, क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के मध्य विश्व की पोषण स्थिति के बारे में विवरण प्रदान करती है और इसे सुधारने के प्रयासों पर एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करती है।
- यह एक बहु-हितधारक पहल है, जिसमें एक हितधारक समूह, स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह और सचिवालयी रिपोर्ट शामिल हैं।

भारत की घटती कुल प्रजनन दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS 2019-21) के नवीनतम आँकड़े जारी किये गए हैं।
- ये आँकड़े 'कुल प्रजनन दर' (TFR: प्रति महिला पर कुल बच्चों की औसत संख्या) के संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'कुल प्रजनन दर' के विषय में:

◆ सामान्य शब्दों में कुल प्रजनन दर (TFR) का तात्पर्य उन बच्चों की कुल संख्या से है जो किसी महिला के अपने जीवनकाल में पैदा होते है या होने की संभावना होती है।

◆ प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के टीएफआर को 'प्रतिस्थापन स्तर' कहा जाता है। प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम टीएफआर इंगित करता है कि एक पीढ़ी स्वयं को प्रतिस्थापित करने हेतु पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है, अंततः जनसंख्या में एकमुश्त कमी आई है।

नोट :

- टीएफआर में कमी की प्रवृत्ति:
  - दशकों तक चले परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण 'कुल प्रजनन दर' वर्ष 2015-16 में रिपोर्ट किये गए 2.2 से गिरकर इस वर्ष 2.0 तक पहुँच गई है।
    - टीएफआर शहरी क्षेत्रों में 1.6 और ग्रामीण भारत में 2.1 है।
    - 1950 के दशक में कुल प्रजनन दर 6 या उससे अधिक थी।
  - इसका कारण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार है।
- टीएफआर में गिरावट के कारण:
  - महिला सशक्तीकरण: नवीनतम आँकड़े प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, विवाह की आयु और महिला सशक्तीकरण से संबंधित कई संकेतकों पर महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, इन सभी ने टीएफआर में कमी लाने में योगदान दिया है।
  - गर्भनिरोधक: साथ ही वर्तमान में आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धति के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
    - अखिल भारतीय स्तर पर गर्भनिरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
  - रिवर्सिबल स्पेसिंग: नई 'रिवर्सिबल स्पेसिंग' (बच्चों के बीच अंतर) विधियों की शुरुआत, नसबंदी के परिणामस्वरूप मज़दूरी मुआवज़ा प्रणाली और छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने जैसी कार्यवाहियों ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।
  - सरकार द्वारा किये गए प्रयास: भारत लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत पहला देश था और अब हम जो उत्साहजनक परिणाम देख रहे हैं, वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ किये गए निरंतर, ठोस प्रयासों के कारण हैं।

संबंधित सरकारी पहलें:

- प्रधानमंत्री की अपील: वर्ष 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि जनसंख्या नियंत्रण भी देशभक्ति का एक रूप है।
- मिशन परिवार विकास: सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 3 और उससे अधिक के टीएफआर वाले 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये वर्ष 2017 में 'मिशन परिवार विकास' शुरू किया।
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS): यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति के लिये ग्राहकों का बीमा किया जाता है।
- नसबंदी करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना: इस योजना के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014 से नसबंदी कराने के लिये लाभार्थी और सेवा प्रदाता (टीम) को मुआवज़ा प्रदान करता है।
- घटते TFR का महत्त्व:
  - जनसंख्या स्थिरीकरण: TFR का 2 होना देश में लंबी अवधि में जनसंख्या की स्थिरता का एक "निश्चित संकेतक" है। 2.1 का TFR एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर देश हासिल करना चाहता है।
    - TFR के 2 तक कम होने का मतलब है कि भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
    - इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि भारत को एक बहुत बड़ी आबादी के विकास की चुनौती को लेकर बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
  - त्वरित आर्थिक विकास: अगले 2-3 दशकों में युवा जनसंख्या शक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करेगी।
    - हालाँकि त्वरित विकास का लाभ उठाने के लिये भारत को कौशल के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना चाहिये।
  - जनसंख्या वृद्धि में कमी: इसका मतलब यह भी है कि जहाँ भारत की आबादी के दुनिया में सबसे अधिक होने की संभावना वर्ष 2024-2028 के बीच थी, उसमें अब देरी होगी।
- चिंताजनक रुझान:
  - महिला नसबंदी में वृद्धि: सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2015-16 में 36% के मुकाबले महिला नसबंदी में 38% वृद्धि हुई है।
    - महिला नसबंदी में वृद्धि से पता चलता है कि परिवार नियोजन की ज़िम्मेदारी महिलाओं पर बनी हुई है, पुरुष इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं और "ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं"।

नोट :

- कम TFR संबंधी चिंताएँ: TFR प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम है, यह दर्शाता है कि वर्तमान पीढ़ी स्वयं के प्रतिस्थापन हेतु पर्याप्त बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, जिससे जनसंख्या में एकमुश्त कमी आई है।
  - इस प्रकार TFR 2 से कम (जैसा कि भारत में शहरी क्षेत्रों में होता है) होने की अपनी समस्याएँ होती हैं। उदाहरण के लिये घटती जनसंख्या से वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होगी, जैसा कि चीन में हो रहा है।

आगे की राह

- व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति: सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये एक लक्षित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति अपनानी चाहिये कि पुरुष भी परिवार नियोजन की ज़िम्मेदारी लें।
- पर्यावरण संरक्षण: जनसंख्या स्थिरीकरण का मतलब यह नहीं है कि भारत अपना ध्यान पर्यावरण संरक्षण से हटा सकता है।

STEM में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित' (STEM) के क्षेत्र में भारत-इज़रायल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।

- इस सम्मेलन के दौरान 'STEM' में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लिंग-तटस्थ वेतन की शुरुआत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

STEM:

- परिचय:
  - 'STEM' (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) की अवधारणा 'यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन' (NSF) द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत की गई थी।
  - संगठन ने 'STEM' का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञान एवं कौशल को एकीकृत करने वाले पाठ्यक्रम में कॅरियर को संदर्भित किया था।
  - यह एक अंत:विषयक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से 4 विशिष्ट विषयों- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर आधारित एक पाठ्यक्रम है।
  - भारत उन देशों में से एक है जहाँ सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद हैं, पिछले कुछ वर्षों में 'STEM' की वृद्धि में काफी तेज़ी आई है।
    - भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना है।
- महत्त्व:
  - एक मज़बूत STEM शिक्षा महत्त्वपूर्ण विचारक, समस्या समाधानकर्त्ता और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तनकर्त्ताओं का निर्माण करती है।
  - 'नेशनल साइंस फाउंडेशन' के अनुसार, अगले दशक में सृजित नौकरियों में से 80% के लिये किसी-न-किसी रूप में गणित एवं विज्ञान कौशल की आवश्यकता होगी।

प्रमुख बिंदु

- STEM में महिलाओं की भागीदारी:
  - भारत में लगभग 43% महिलाएँ STEM में स्नातक हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। किंतु भारत में STEM क्षेत्र में नौकरियों के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% है।
  - भारतीय STEM क्षेत्र में, प्राथमिक चिंता कभी भी महिला स्नातकों की संख्या के संदर्भ में नहीं रही है, बल्कि उन लोगों के अनुपात के संबंध में है जो अंतत: STEM क्षेत्र में नौकरियाँ को प्राप्त करते हैं।
  - विज्ञान और प्रोद्योगिकी ने आर्थिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे में यह समाज में 'STEM' में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये लिंग-तटस्थ भुगतान सुनिश्चित कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नोट :

- तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी महिलाओं की स्थिति को मज़बूत और प्रभावशाली बनाएगी, जिससे समाज में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी।

- कम भागीदारी का कारण:
  - रूढ़िवादिता: 'STEM' क्षेत्र में महिलाओं की कमी न केवल कौशल की अपर्याप्तता के कारण है, बल्कि निर्दिष्ट रूढ़िवादी लैंगिक भूमिका का भी परिणाम है।
  - पितृसत्ता: काम पर रखने या फेलोशिप और अनुदान आदि देने में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया जाता है।
  - समाज: रोल मॉडल की कमी, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने का दबाव और घरेलू काम।
  - तनाव: विवाह, प्रसव आदि से संबंधित तनाव।
  - घरेलू ज़िम्मेदारी : घर चलाने और बुज़ुर्गों की देखभाल से संबंधित ज़िम्मेदारी।
  - शारीरिक सुरक्षा: काम के दौरान शारीरिक सुरक्षा।
  - उत्पीड़न: कार्यस्थल पर यौन और अन्य प्रकार के उत्पीड़न आदि।
- महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये पहल:
- विज्ञान ज्योति योजना:
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विज्ञान ज्योति योजना शुरू की गई है।
  - इस योजना का उद्देश्य स्टेम शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है।
  - इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान शिविर का आयोजन किया जाएगा, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट, विश्वविद्यालयों तथा डीआरडीओ जैसे शीर्ष संस्थानों में कार्यरत सफल महिलाओं से शिविर के माध्यम से संपर्क स्थापित करवाया जाएगा।
- GATI योजना:
  - जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) STEM में लिंग समानता का आकलन करने के लिये एक समग्र चार्टर और रूपरेखा तैयार करेगा।
- किरण योजना (KIRAN Scheme)
  - केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना (KIRAN Scheme) की शुरुआत की गई।
  - किरण (KIRAN) का पूर्ण रूप 'शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी' (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) है।
  - KIRAN योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों का समाधान कर रही है।

आगे की राह

- समस्या को दो स्तरों पर संबोधित करने की आवश्यकता है- सामाजिक स्तर पर जिसके लिये दीर्घकालिक प्रयास की आवश्यकता होती है और नीति व संस्थागत स्तर पर, जिसे तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा सकता है।
- STEM को बड़ी कंपनियों में लगातार लिंग असंतुलन को पाटने के लिये बुनियादी ढाँचे का समर्थन करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों को प्रोत्साहित करने, निर्णय लेने में पारदर्शिता आदि में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है।
- हालाँकि पहले कदम के रूप में स्कूलों को 'बुद्धि संबंधी लैंगिक धारणाओं' को तोड़ने और लड़कियों को न केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान लेने बल्कि STEM में अपना कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - इससे न केवल महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि विज्ञान को भी अन्य दृष्टिकोणों से लाभ होगा।
- जबकि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है और STEM में महिलाओं की संख्या में वृद्धि इस बात का संकेत है, कि हमें एक लंबा रास्ता तय करना है।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021

चर्चा में क्यों ?

इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) द्वारा किये गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया, जिन्हें "संवेदनशीलता" की श्रेणी में रखा गया है।

- इससे पूर्व 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और राज्य सरकारों को 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' वाद (2006) के निर्णय के अनुसार 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' स्थापित करने के लिये कहा है।

प्रमुख बिंदु

- स्मार्ट पुलिसिंग:
  - वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग विचार की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी।
  - इसने भारतीय पुलिस बल को 'स्मार्ट' (SMART), सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट; मॉडर्न विद मोबिलिटी; अलर्ट एंड एकॉउंटेबल; रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव; ट्रेंड एंड टेक्नो-सेवी और प्रशिक्षित बनाने के लिये प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना की।
  - रणनीति में भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रौद्योगिकी को अपनाने, महत्त्वपूर्ण सहज कौशल और दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ-साथ पेशेवर उत्कृष्टता एवं लोगों की सेवा के मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को जोड़ा जाएगा, इसे भारतीय पुलिस को अगले स्तर तक ले जाने के लिये आवश्यक माना जाता है।
- स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स:
  - इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) के सर्वेक्षण का उद्देश्य स्मार्ट पुलिसिंग पहल के प्रभाव के प्रति नागरिकों की धारणाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना था।
    - इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और वकीलों आदि सहित प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा की गई है।
  - सर्वेक्षण में प्रश्नावली के 10 सेट थे, जिनमें शामिल थे:
    - "सक्षमता-आधारित संकेतक" के छह सूचकांक जैसे- पुलिस संवेदनशीलता, पहुँच, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी से जुड़े मामले;
    - पुलिस की सत्यनिष्ठा से संबंधित "मूल्य-आधारित संकेतक" के तीन सूचकांक तथा
    - "ट्रस्ट" का एक सूचकांक।
  - स्मार्ट स्कोर 1 से 10 के पैमाने पर निर्धारित किये जाते हैं और नागरिक की धारणा के स्तर का संकेत देते हैं, 10 का स्कोर उच्चतम प्रदर्शक स्तर है।
- स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के महत्त्वपूर्ण बिंदु:
  - अपर्याप्त संवेदनशीलता, जनता का पुलिस के प्रति गिरता विश्वास का स्तर और पुलिसिंग की गुणवत्ता के बारे में बढ़ती चिंताओं के बावजूद अधिकांश नागरिकों (66.93%) का मानना है कि पुलिस अपना कार्य सही प्रकार से कर रही है जो पुलिस का पुरजोर समर्थन करती है।
  - उत्तर के राज्यों की तुलना में अधिकांश पुलिसिंग सूचकांकों पर दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया।
  - समग्र पुलिसिंग पर उच्चतम स्कोर वाले शीर्ष पाँच राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम हैं।
  - नीचे से ऊपर की ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब शामिल हैं।

नोट :

संबंधित सरकारी पहलें

- देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) का एक वार्षिक अभ्यास है, जिसे अन्य सुविधाओं के अलावा स्टेशनों की अपराध दर, मामलों की जाँच और निपटान, बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण जैसे मापदंडों के आधार पर आँका जाता है।
  - रिपोर्ट में लगभग कुल अंकों का 20% नागरिकों से पुलिस स्टेशन के बारे में प्राप्त फीडबैक पर भी आधारित है।
- वर्ष 2021 के लिये राजधानी (दिल्ली) का सदर बाज़ार थाना देश भर में सबसे अच्छा थाना था।
- दो अन्य पुलिस थानों- ओडिशा का गंगापुर गंजम थाना और हरियाणा के भट्टू कलां को सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया।
- पुलिस सुधार
  - पुलिस सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं में बदलाव लाना है।
  - यह पुलिस द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की परिकल्पना करता है।
  - इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि पुलिस सुरक्षा क्षेत्र के अन्य पहलुओं जैसे- अदालतों और कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण ज़िम्मेदारियों के मामले में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है।
  - पुलिस भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आती है।

दृष्टि The Vision

नोट :

चर्चा में

करतारपुर कॉरिडोर का पुन:संचालन

भारत सरकार करीब 20 महीने बाद पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Gurudwara corridor) को फिर से खोलने पर विचार कर रही है ताकि सिख तीर्थयात्रियों को वहाँ से गुज़रने की अनुमति मिल सके। इसे कोविड -19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।

- भारत सरकार 19 नवंबर (2021), सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती (जिसे गुरपुरब/गुरु पर्व या "प्रकाश पर्व" के नाम से जाना जाता है) तक मार्ग खोलने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच उन दुर्लभ नई पहलों में से एक है जो वर्ष 2019 में पुलवामा हमले, बालाकोट हमले और जम्मू-कश्मीर पर अनुच्छेद 370 में संशोधन के निर्णय के बाद तनावपूर्ण स्थिति के कारण दोनों पक्षों के राजनयिकों को वापस बुला लिया गया और सभी व्यापार संबंधों को रद्द कर दिया गया।
  - यह एक अनूठी परियोजना है क्योंकि इस तरह के वीज़ा-मुक्त "मानव कॉरिडोर" का उपयोग आम तौर पर आपातकालीन स्थितियों के लिये किया जाता है अर्थात् शरणार्थी हिंसा या मानवीय आपदाओं से विस्थापन हेतु उपयोग किया जाता है न कि तीर्थयात्रा के लिये।
- करतारपुर कॉरिडोर:
  - करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है।
  - यह कॉरिडोर 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के अवसर पर बनाया गया था।

गुरु नानक

- गुरु नानक देव (1469-1539) के जन्म अवसर पर कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती है।
- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की शिक्षा दी। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान स्नान, छवि पूजा, तपस्या और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ग्रंथों को अस्वीकृत किया।
- उन्होंने सामूहिक पूजा (संगत) के लिये सामूहिक पाठ से जुड़े नियम स्थापित किये।
- उन्होंने अपने शिष्यों में से एक गुरु अंगद (Preceptor) को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया और इस प्रथा का लगभग 200 वर्षों तक पालन किया गया।
- सिख धर्म के पाँचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक के भजनों को उनके चार उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद, रविदास (जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है) और कबीर जैसे अन्य धार्मिक कवियों के साथ संकलित किया।
  - 'गुरबानी' कहे जाने वाले इन स्तोत्रों की रचना अनेक भाषाओं में हुई है।
- भारतीय सीमा के उस पार लगभग 4 किमी. दूर करतारपुर गुरुद्वारा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल स्थित है। जहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

देवसहायम पिल्लई

18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देवसहायम पिल्लई (Devasahayam Pillai) संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे।

नोट :

- पॉप फ्राँसिस 15 मई, 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक विहित धर्मसभा के दौरान छह अन्य संतो के साथ देवसहायम पिल्लई को संत घोषित करेंगे।
- वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च की सीट है।

प्रमुख बिंदु:

- देवसहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले के नट्टलम गाँव में हुआ था।
- ईसाई धर्म अपनाने से पहले यह नीलकंद पिल्लई के नाम से जाने जाते थे तथा यह मंदिर के पुजारियों के परिवार में पले-बढ़े थे।
- इन्होंने त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा दी और यहीं पर उनकी मुलाकात एक डच नौसैनिक कमांडर से हुई, जिन्होंने उन्हें कैथोलिक धर्म के बारे में सिखाया।
- वह वर्ष 1745 में कैथोलिक बन गए तथा इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद 'लेज़ारूस' (Lazarus) नाम रख लिया था लेकिन बाद में देवसहायम (भगवान की मदद) के नाम से जाने गए।
- उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के खिलाफ त्रावणकोर राज्य के प्रकोप का सामना करना पड़ा।
- 14 जनवरी, 1752 को कैथोलिक बनने के ठीक सात वर्ष बाद देवसहायम की अरलवाइमोझी जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
  - तब से इन्हें दक्षिण भारत में व्यापक कैथोलिक समुदाय द्वारा शहीद माना जाता है।
  - इनकी कब्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले के कोट्टार सूबा के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में है।
- चर्च का विचार है कि जातिगत मतभेदों के बावजूद सभी लोगों की समानता का उनका उपदेश अंतत: उनकी शहादत का कारण बना।
- ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद "बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने" के लिये उन्हें पहली बार फरवरी 2020 में संत की उपाधि प्रदान करने के लिये मंज़ूरी दी गई थी।

धर्म का वर्गीकरण

- परिचय:
  - दुनिया के प्राथमिक धर्म दो श्रेणियों में आते हैं:
    - अब्राहमिक धर्म: ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम
    - भारतीय धर्म: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य।
- ईसाई धर्म:
  - दो अरब से भी अधिक अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है।
  - ईसाई धर्म यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है और लगभग 2,000 वर्ष पुराना है।
  - ईसाई धर्म का सबसे बड़े समूह में रोमन कैथोलिक चर्च, इस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, और इसका पवित्र ग्रंथ बाइबिल है।
  - सदियों से ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई हैं क्योंकि यह अक्सर मिशनरियों और उपनिवेशवादियों के माध्यम से दुनिया भर में फैल गया।

सिटमैक्स-2021

हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री अभ्यास (SITMEX) का तीसरा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह अभ्यास भारत की सागर (SAGAR-हिंदमहासागरीय क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि) नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
    - इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) शांगरी-ला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था।

नोट :

- भारतीय नौसेना द्वारा SITMEX का पहला संस्करण सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था।
- सिंगापुर द्वारा नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेज़बानी की गई। इस अभ्यास के वर्ष 2021 संस्करण की मेजबानी थाईलैंड द्वारा की जा रही है।
- इसमें कई सामरिक प्रशिक्षण अभ्यास शामिल हैं, जैसे- नौसेना युद्धाभ्यास और सतह युद्ध अभ्यास।
- इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में आपसी संबंधों को मज़बूत करना और सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है।
  - यह अभ्यास वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है और जून 2018 में शांगरी-ला (Shangri-La) संवाद में भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।

- भारत और थाईलैंड के बीच अन्य सैन्य अभ्यास:
  - मैत्री (सेना)
  - सियाम-भारत (वायु सेना)
  - इंडो-थाई कॉर्पेट (नौसेना), जो हाल ही में आयोजित किया गया था।
- भारत और सिंगापुर के बीच अन्य सैन्य अभ्यास:
  - बोल्ड कुरुक्षेत्र (सेना)
  - संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (वायु सेना)
  - सिंबेक्स (नौसेना)

पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार : यूएनडब्ल्यूटीओ

हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों में से एक के रूप में चुना गया।

- यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में मैड्रिड (स्पेन) में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक ग्रामीण पर्यटन नीति का भी मसौदा तैयार किया है जो न केवल हमारे गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय कला और शिल्प को पुनर्जीवित करेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।
- इससे पूर्व तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है) को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पोचमपल्ली गाँव:
  - पोचमपल्ली, तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले का एक कस्बा है और इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिये भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, जिसे इकत (Ikat) नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है।
    - पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक (GI Status) के रूप में दर्ज किया गया।
  - पोचमपल्ली की अनूठी बुनाई शैलियों और पैटर्न पर प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) के उद्देश्य के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के एक भाग के रूप में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
    - प्रधानमंत्री ने बुनाई की तकनीकों की विविधता और हमारी समृद्ध हथकरघा परंपरा को मान्यता देने के लिये 7 अगस्त, 2015 को पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के लिये एक श्रद्धांजलि के रूप में किया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता में वर्ष 1905 में 7 अगस्त को टाउन हॉल की एक बैठक में की गई थी।
  - 18 अप्रैल, 1951 को इस गाँव से आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किये गए भूदान आंदोलन की याद में पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है।
    - विनोबा भावे वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।

नोट :

- पर्यटन मंत्रालय ने भारत से UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की प्रविष्टि के लिये तीन गाँवों की सिफारिश की थी। हालाँकि पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था।
  - इन तीन गाँवों में शामिल थे- मेघालय में कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लधपुरा खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली।
- बेस्ट टूरिज़्म विलेज इनिशिएटिव:
  - यह उन गाँवों के महत्त्व को उजागर करने के लिये UNWTO द्वारा संचालित एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो पर्यटन संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने, सामूहिक उत्सव को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है और जैव विविधता की सुरक्षा करता है।
  - इसका उद्देश्य उन गाँवों को पुरस्कृत करना है जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इसके निर्दिष्ट नौ मूल्यांकन क्षेत्रों के अनुरूप अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं।
  - इसका उद्देश्य गाँवों को प्रशिक्षण और सुधार के अवसर प्रदान कर ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड (स्पेन) में स्थित है।
- UNWTO पर्यटन के लिये वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, ताकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक योगदान को बढ़ाया जा सके।

'दुआरे राशन' योजना: पश्चिम बंगाल

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिये 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु 'दुआरे राशन' (घर के दरवाज़े पर राशन) योजना शुरू की है।

- लोगों को राशन कार्ड के लिये आवेदन करने में मदद हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन- 'खाद्य साथी: अमर राशन मोबाइल एप' भी लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत डीलर लाभार्थियों के घर तक राशन पहुँचाएंगे।
- राज्य में लगभग 21000 राशन डीलर हैं और सरकार प्रत्येक डीलर को डिलीवरी वाहन खरीदने के लिये 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी।
- राशन डीलरों को दो सहायकों की भर्ती करने की भी अनुमति होगी, जिनके 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक वाहन को पड़ोस में सुविधाजनक स्थान पर खड़ा किया जाएगा ताकि निवासियों को राशन लेने के लिये 500 मीटर से अधिक चलने की आवश्यकता न हो।
- इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- यह भारत में समाज के गरीब वर्गों को भोजन, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करने संबंधी सरकार द्वारा प्रबंधित एक प्रणाली है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित 'उचित मूल्य की दुकानों' (FPS) या राशन की दुकानों की एक शृंखला के माध्यम से खाद्य और कुछ गैर-खाद्य पदार्थ रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस प्रणाली का प्रबंधन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- राज्य और केंद्र सरकारें गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे ऊपर के समुदायों के लिये कम कीमत पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने हेतु काम करती हैं।
  - केंद्र सरकार संसाधनों की खरीद, संरक्षण, परिवहन और आवंटन हेतु उत्तरदायी है।

नोट :

- राज्य सरकार कार्ड और दुकानों के माध्यम से इन राशनकार्ड धारकों की पहचान और उपलब्धता का एक नेटवर्क स्थापित करना सुनिश्चित करती है।
- केंद्र सरकार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचती है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में वितरण के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है।
- कुछ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' आउटलेट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे- दालें, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले आदि का वितरण भी करते हैं।
- 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013' कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।

बाबासाहेब पुरंदरे

हाल ही में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबासाहेब पुरंदरे (Babasaheb Purandare) का निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे (Balwant Moreshwar Purandare) का जन्म 29 जुलाई,1922 को महाराष्ट्र में हुआ था, जिन्हें बाबासाहेब पुरंदरे के नाम से जाना जाता है।
  - वह एक लेखक और इतिहासकार थे तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर किये गए अपने लेखन के लिये प्रसिद्ध थे।
  - वह ' शिव-शाहीर के नाम से प्रसिद्ध थे।
- उनके प्रमुख कार्य:
  - उन्हें मराठा राजा छत्रपति शिवाजी पर लेखन कार्य में प्राधिकार प्राप्त था और उन्होंने बहुत कम उम्र में शिवाजी के जीवन और उपलब्धियों पर लेखन (कहानियों) कार्य शुरू कर दिया था। इन कहानियों को बाद में संकलित किया गया जिसे उन्होंने थिनग्या (Thinagya/ स्पार्क्स) नामक एक पुस्तक के रूप मं प्रकाशित किया जो शिवाजी के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करती है।
  - बाबासाहेब पुरंदरे के अन्य कार्यों में नारायणराव पेशवा की जीवनी, राजा शिव छत्रपति और केसरी नामक पुस्तकें शामिल हैं।
  - इसके अलावा उन्हें उनके लोकप्रिय नाटक 'जनता राजा' के लिये जाना जाता है, जिसे वर्ष 1985 से 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। यह मूल रूप से मराठी में लिखा गया था।
    - मध्य प्रदेश सरकार ने नाटक के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिये उन्हें 2007-08 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था।
- पुरस्कार और सम्मान:
  - वर्ष 2019 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
  - उन्हें वर्ष 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 2021

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (India International Science Festival- IISF) का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में:
  - वर्ष 2015 में शुरू किया IISF एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यह विश्व के छात्रों, जनता, शोधकर्त्ताओं, नवप्रवर्तनकर्त्ताओं और कलाकारों को लोगों एवं मानवता की भलाई के लिये विज्ञान का अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त करने के लिये एक साथ लाता है।

नोट :

- आयोजन:
  - IISF 2021 का आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
  - IISF 2021 का आयोजन गोवा के पणजी में 10 से 13 दिसंबर तक किया जाएगा।
- नोडल एजेंसी:
  - राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि MoES के तहत एक स्वायत्त संस्थान है इसकी नोडल एजेंसी है।
- वर्ष 2021 की थीम:
  - समृद्ध भारत के लिये विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना।
    - यह भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना और विचार को भी प्रतिबिंबित करेगा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 में भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों को चिह्नित करना है।

विज्ञान भारती

- स्वदेशी विज्ञान आंदोलन 'भारतीय विज्ञान संस्थान-बंगलूरू' में कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा प्रोफेसर 'के.आई. वासु' के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था।
  - इस आंदोलन ने धीरे-धीरे गति पकड़ी और राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा।
- वर्ष 1991 में अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसे 'विज्ञान भारती' नाम दिया गया।
- इसका एक उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अधिक रचनात्मकता और मौलिकता के लिये प्रेरित करना है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

नागरिक उड्डयन हेतु ई-गवर्नेंस

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन के लिये ई-गवर्नेंस (e-GCA) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके माध्यम से नागरिक उड्डयन पायलट लाइसेंसिंग और चिकित्सा परीक्षा सहित 298 सेवाएँ प्रदान करेगा।

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के तहत e-GCA परियोजना का शुभारंभ विमानन क्षेत्र के लिये 100-दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा था। पोर्टल को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ द्वारा विकसित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह सूचना के प्रसार और एक सुरक्षित वातावरण में ऑनलाइन, त्वरित सेवा वितरण हेतु एक पोर्टल है।
  - यह अनेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कनेक्टिविटी के लिये एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है।
  - यह विभिन्न DGCA हितधारकों जैसे- पायलट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, हवाई यातायात नियंत्रक, हवाई ऑपरेटरों, हवाई अड्डे के संचालकों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों, रखरखाव और डिज़ाइन संगठनों को सेवाएँ प्रदान करेगा।
- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य DGCA की विभिन्न सेवाओं की दक्षता में वृद्धि और DGCA के सभी कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है।
- लाभ:
  - परिचालन अक्षमताओं को दूर करना
  - व्यक्तिगत संपर्क को कम करना
  - नियामक रिपोर्टिंग में सुधार
  - पारदर्शिता बढ़ाना

नोट :

- उत्पादकता बढ़ाना

- महत्त्व
  - सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में यह DGCA की प्रक्रिया और कार्यों के स्वचालन के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को प्रेरित करेगा।
  - यह आईटी अवसंरचना और सेवा वितरण ढाँचे को एक मज़बूत आधार प्रदान करेगा।
  - यह 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह DGCA के सुरक्षा नियामक ढाँचे को मज़बूत करेगा।

नागर विमानन महानिदेशालय

- यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है।
- यह भारत में/से/के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा एवं उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।

सिंधु नदी डॉल्फिन

हाल ही में पंजाब के वन्यजीव संरक्षण खंड ने सिंधु नदी डॉल्फिन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा हेतु भी प्रयास किये हैं।

- वर्ष 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - वैज्ञानिक नाम: प्लैटानिस्टा गैंगेटिका माइनर
  - दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, सिंधु और गंगा नदी डॉल्फिन एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। वर्तमान में उन्हें प्लैटानिस्टा गैंगेटिका के तहत दो उप-प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - अन्य मीठे पानी की डॉल्फिन (जैसे गंगा नदी डॉल्फिन) की तरह सिंधु नदी डॉल्फिन नदी के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।
  - भारतीय जल में पाई जाने वाली अन्य डॉल्फिन में शामिल हैं: गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन।
- परिवेश:
  - वे केवल पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्सों और पंजाब, भारत में सिंधु नदी की एक सहायक नदी ब्यास में पाई जाती हैं।
- खतरे:
  - जैविक संसाधनों का उपयोग: मत्स्य पालन और जलीय संसाधनों का संचयन।
  - प्राकृतिक प्रणाली में संशोधन: बाँध और जल प्रबंधन/उपयोग।
  - प्रदूषण: घरेलू और शहरी अपशिष्ट जल, औद्योगिक और सैन्य अपशिष्ट, कृषि और वानिकी अपशिष्ट।
- संरक्षण की स्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): लुप्तप्राय
  - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट- I
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम 1972: अनुसूची- I
- उठाए गए कदम:
  - मीठे पानी की डॉल्फिन की गणना का काम केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में किया जा रहा है।
  - प्रोजेक्ट डॉल्फिन: वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिससे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली है।

नोट :

पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना

ओडिशा सरकार जल्द ही पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की आधारशिला रखेगी, यह 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

- यह परियोजना पुरी को विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित करने के लिये बुनियादी सुविधाओं एवं विरासत तथा वास्तुकला की विकास (ABADHA) योजना के विस्तार का एक हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु:

- पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना:
  - वर्ष 2016 में परिकल्पित, पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का अनावरण दिसंबर 2019 में पवित्र शहर पुरी को विरासत के एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में बदलने के लिये किया गया था।
  - इस परियोजना में आगंतुकों और पर्यटकों के लिये पवित्र शहर और जगन्नाथ मंदिर के आसपास के प्रमुख हिस्सों का पुनर्विकास करना शामिल है।
  - इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) भवन पुनर्विकास, एक 600 क्षमता वाला श्रीमंदिर स्वागत केंद्र, जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र, बडाडांडा हेरिटेज स्ट्रीटस्केप, समुद्र तट विकास, पुरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि शामिल होंगे।
- जगन्नाथ मंदिर:
  - निर्माण:
    - ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा अनन्तवर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था।
  - पौराणिक कथा:
    - जगन्नाथ पुरी मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' कहा जाता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यहाँ भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई।
  - वास्तुकला:
    - इस मंदिर को "व्हाइट पेगोडा" कहा जाता था और यह चार तीर्थ धाम (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) में से एक है।
    - मंदिर के चार द्वार हैं- पूर्वी 'सिंहद्वार' जो दो झुके हुए शेरों के साथ मुख्य द्वार है, दक्षिणी 'अश्वद्वार', पश्चिमी 'व्याघ्र द्वार' और उत्तरी 'हस्तीद्वार'। प्रत्येक द्वार पर एक विशिष्ट प्रकार की नक्काशी है।
    - प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था।
  - महोत्सव: विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा (कार महोत्सव) और बहुदा यात्रा।
- ओडिशा में अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:
  - कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)
  - तारा तारिणी मंदिर
  - लिंगराज मंदिर
  - उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ

हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (HAL's LCH), के दो लघु ड्रोन ('SWITCH 10 UAV' और 'MR-20') वायु सेना को सौंपे।

- एलसीएच मुख्यत: 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत निर्मित है जिसे निजी उद्योग की भागीदारी के साथ बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - एलसीएच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हेलीकॉप्टर डिवीज़न के लिये एक नया उपकरण है। यह दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर 5 से 8 टन वर्ग का एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।

नोट :

- LCH में प्रभावी युद्धक भूमिकाओं के लिये उन्नत तकनीकों और स्टील्थ सुविधाओं को शामिल किया गया है और इसे शत्रु की वायु रक्षा, प्रतिवाद, अन्वेषण व बचाव, टैंक-रोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस आदि जैसी भूमिकाओं को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- LCH दुनिया का एकमात्र हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊँचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतरने और उड़ान भर सकता है।
- यह बर्फ की चोटियों पर माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी है।
- LCH को एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टरों के अलावा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतत: सेवा में तैनात किया जाएगा।

- 'स्विच 1.0 UAV' and 'MR-20:
  - 'स्विच 1.0 UAV:
    - स्विच 1.0 यूएवी, 1.5 घंटे की उड़ान अवधि और 15 किलोमीटर की अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ 4500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर उड़ सकता है।
    - इसमें लगभग 90 मिनट का एंड्यूरेंस है तथा यह भारत की सीमाओं पर दिन और रात की निगरानी के लिये कठोर वातावरण और अत्यधिक ऊँचाई के तहत भारतीय सेना के निगरानी अभियानों का समर्थन करेगा।
  - 'MR-20':
    - MR-20 हेक्साकॉप्टर ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता रखता है।
    - इसका उपयोग भोजन, आवश्यक वस्तुओं, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, गोला-बारूद और हथियारों को अग्रेषण क्षेत्रों में ऊँचाई पर तैनात सैनिकों तक पहुँचाने के लिये किया जाएगा।

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना: MSME

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSMEs) ने सेवा क्षेत्र के लिये विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme- SCLCSS) शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के बारे में:
  - यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
  - इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिये संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी) दिये जाने का प्रावधान है।
- महत्त्व:
  - यह योजना MSEs को प्रौद्योगिकी उन्नयन, MSMEs द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, उत्पादकता में वृद्धि और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी।
  - यह MSMEs में नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण और डिज़ाइन हस्तक्षेप को भी बढ़ावा देगा।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना:
  - इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था।
  - योजना का उद्देश्य अनुमोदित निर्दिष्ट 51 उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित और उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिये 15% की अग्रिम पूंजी सब्सिडी (उनके द्वारा प्राप्त 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत वित्त पर) प्रदान करके MSEs में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
  - दूसरे शब्दों में योजना का मुख्य उद्देश्य अपने संयंत्र और मशीनरी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ या बिना विस्तार के तथा नए MSEs के लिये अपग्रेड करना है, जिन्होंने योजना दिशा-निर्देशों के तहत विधिवत अनुमोदित उपयुक्त योग्य और सिद्ध तकनीक के साथ सुविधाएँ प्रदान की हैं।

नोट :

MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी पहलें

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (M/oMSME) खादी, ग्राम और कयर उद्योगों (Coir Industries) सहित MSME क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत MSME क्षेत्र की कल्पना प्रस्तुत करता है।
- MSMEs को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों तथा इस क्षेत्र की कवरेज एवं निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम को अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना (SFURTI): इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी वैधानिक MSMEs को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSMEs को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य MSEs की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता को बढ़ाना है।
- चैंपियंस पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय MSMEs की शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन (CHAMPIONS) के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या के आधार पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

परियोजना समहती: उड़ीसा

'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाने पर ज़ोर देती है। हालाँकि जब इस प्रावधान को आदिवासी लोगों के विविध भाषा-आधार के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता है।

- ऐसे परिदृश्य में बहुभाषी शिक्षा में ओडिशा का एक दशक लंबा प्रयोग महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- 'मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा' (MTBMLE) का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को बचाने में मदद करती है।

प्रमुख बिंदु

- ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने 'संहति' नामक एक परियोजना शुरू की है।
  - यह प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समक्ष मौजूद भाषा संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगी।
  - इसके तहत विभाग की राज्य के 1,450 प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2.5 लाख छात्रों को कवर करने की योजना है।

नोट :

- कार्यान्वयन एजेंसी: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SCSTRTI) तथा जनजातीय भाषा और संस्कृति अकादमी (ATLC), भुवनेश्वर के साथ परियोजना को लागू किया जा रहा है।
- बहुभाषी शिक्षा: संहति के तहत यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान और आदिवासी छात्रों के साथ संवाद करने के तरीके प्रदान किये जाएंगे।
- बहुभाषी शिक्षा: 'संहति' के तहत यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
  - ओडिशा के आदिवासी समुदाय के बीच बोली जाने वाली 21 विविध भाषाएँ हैं। 21 भाषाओं में से संथाली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
    - इसे इसकी पुरानी 'ओल चिकी लिपि' में पढ़ाया जाता है, जबकि बाकी आदिवासी भाषाओं में उड़िया लिपियाँ हैं।
  - केवल छह आदिवासी भाषाओं- संथाली, हो, सौरा, मुंडा और कुई की एक लिखित लिपि है।
  - ये छात्र एक बहुभाषी समूह हैं जो नियमित स्कूलों में एक-भाषी समूहों के विपरीत हैं।

आगे की राह

- एक आदिवासी छात्र दुनिया को अपनी भाषा से देखता है। मातृभाषा आधारित शिक्षा एक स्वागत योग्य कदम है। ओडिशा में कुछ नागरिक समाज संगठन हैं जिन्होंने MTBMLE शिक्षा प्रणाली (जैसे कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान) के आशाजनक मॉडलों का प्रदर्शन किया है।
- आदिवासी भाषाओं को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, इन भाषाओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता है।
- राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रम, सरकारी पाठ्यपुस्तक के मानदंडों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आदिवासी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिये 'माटोसिन्होज़ मेनिफेस्टो'

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) परिषद ने यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिये एक घोषणापत्र को मंज़ूरी दे दी है।

- मूलत: परिषद ने एक ऐसा प्रस्ताव अपनाया है, जो अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों को बनाए रखने और इनके विस्तार के संदर्भ में यूरोप की रणनीति निर्धारित करती है।
- इसके अलावा परिषद ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास और प्रेरणा में यूरोपीय नेतृत्व को सुदृढ़ करने हेतु दो मिशनों को मान्यता दी है, जिसमें 'चंद्रमा से नमूने वापस लाना' और 'मानव अंतरिक्ष अन्वेषण' मिशन शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- संकल्प के विषय में: प्रस्ताव यूरोप की अंतरिक्ष महत्त्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाने के लिये तीन 'त्वरकों' को परिभाषित करता है।
  - हरित भविष्य के लिये अंतरिक्ष:
    - अंतरिक्ष परियोजनाएँ, जो इसे ग्रह की वर्तमान स्थिति को समझने में सक्षम बनाती हैं और वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में मदद करती हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और उनके डेटा संग्रहण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - संकट के समय तीव्र और लचीली प्रतिक्रिया:
    - अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो राष्ट्रों को किसी भी संकट का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं।
    - उदाहरण: इस वर्ष (2021) की शुरुआत में यूरोप के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ और जंगल की आग देखी गई थी। इसके अलावा 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (IPCC) की नवीनतम रिपोर्ट ने लगातार मौसम की घटनाओं, जैसे कि हीटवेव, अत्यधिक वर्षा और समुद्र के बढ़ते स्तर को हरी झंडी दिखाई है। इनमें से कुछ कारक जंगल की आग के फैलने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।

नोट :

- अंतरिक्ष संपत्ति का संरक्षण:
  - कक्षा में एक उपग्रह को नष्ट करने के लिये रूस द्वारा मिसाइल के उपयोग ने हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों को इस हस्तक्षेप से बचाने हेतु नई प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- महत्त्व:
  - यह यूरोप और उसके नागरिकों के सामने आने वाली तत्काल और अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक व सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा।
    - इन चुनौतियों से निपटने में मदद के लिये अंतरिक्ष में अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमता है और यूरोपीय अंतरिक्ष क्षमता विकसित करने में तेज़ी लाने की तत्काल आवश्यकता है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए):

- ईएसए एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में यूरोप की अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था।
- संगठन के 22 सदस्य देश हैं - ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम। स्लोवेनिया, लातविया तथा लिथुआनिया सहयोगी सदस्य हैं।
- संबंधित परियोजनाएँ:
  - सेंटिनल उपग्रह
  - शुक्र के लिये विज़न मिशन

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021

हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन- 'प्रथम' को वर्ष 2021 के लिये शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

- 'प्रथम' भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है।

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी पुरस्कार:
  - शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिये 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' की स्थापना वर्ष 1986 में 'इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट' द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में की गई थी।
  - इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है।
  - यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिये काम करते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग स्वतंत्रता और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिये किया जाए।
- प्रथम:
  - प्रथम के विषय में: वर्ष 1995 में स्थापित 'प्रथम' ने समुदाय आधारित प्री-स्कूलों की स्थापना कर और कक्षाओं में पिछड़ने वाले छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करके स्लम क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया था।
    - 6,00,000 ग्रामीण भारतीय बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित इसकी 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट' (ASER) का अब तीन महाद्वीपों के 14 देशों में शिक्षा परिणामों और सीखने की कमियों का आकलन करने के लिये एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है।
    - ASER द्वारा जताई गई चिंताओं का मुकाबला करने हेतु वर्ष 2007 में प्रथम ने अपना प्रमुख कार्यक्रम रीड इंडिया शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पढ़ने की क्षमता और अंकगणित को मज़बूत करके बच्चों की शिक्षा में सुधार करना है।
  - पुरस्कार: 'प्रथम' को यह सुनिश्चित करने हेतु सम्मानित किया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो, शिक्षा देने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग हो, युवा वयस्कों को कौशल प्रदान किया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित मूल्यांकन हो और बच्चों को कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के दौरान हुए नुकसान से उबरने में मदद की जा सके।

नोट :

शक्ति: उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट

प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर, 2021 को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के हिस्से के रूप में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (Electronic Warfare) सूट 'शक्ति' सौंपी।

- राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह का हिस्सा है।
- प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (HAL's LCH), के दो लघु ड्रोन ('SWITCH 10 UAV' और 'MR-20) वायु सेना को सौंपे।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह प्रणाली समुद्रीय युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व और उत्तरजीविता (Survival) सुनिश्चित करने के लिये आधुनिक रडार और जहाज़-रोधी मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रॉनिक परत प्रदान करेगी।
    - यह प्रणाली भारतीय नौसेना की पिछली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) सिस्टम की जगह लेगी।
  - मिसाइल हमलों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा के लिये इस प्रणाली को वाइडबैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM) और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स (ECM) के साथ एकीकृत किया गया है।
  - यह प्रणाली आधुनिक रडार की सटीक दिशा और इंटरसेप्शन खोजने में मदद करेगी।
    - मिशन के बाद विश्लेषण के लिये सिस्टम में एक अंतर्निर्मित रडार फिंगरप्रिंटिंग और डेटा रिकॉर्डिंग रीप्ले सुविधा मौजूद है।
  - यह भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी और यह उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
- डिज़ाइन:
  - रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला (DLRL) हैदराबाद।
    - यह पारंपरिक और आधुनिक रडार की पहचान करने और उसे जाम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के निर्माण के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है।
- शक्ति प्रणाली:
  - पहली शक्ति प्रणाली आईएनएस विशाखापत्तनम पर स्थापित की गई है और इसे स्वदेशी विमान वाहक, आईएनएस विक्रांत पर स्थापित किया जा रहा है।
  - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में बारह शक्ति सिस्टम्स का उत्पादन किया जा रहा है, जिन्हें कुल 1805 करोड़ रुपए की लागत से पचास से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है।
  - इन प्रणालियों को पी-15बी, पी-17ए और तलवार श्रेणी के फॉलो-ऑन जहाज़ों सहित उत्पादन के तहत ऑन-बोर्ड प्रमुख युद्धपोतों को स्थापित करने के लिये निर्धारित किया गया है।

वीरता पुरस्कार

हाल ही में ग्रुप कैप्टन 'अभिनंदन वर्थमान' को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया, जो कि एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।

- 'वीरता पुरस्कारों' की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है- गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वीरता पुरस्कार (इतिहास):
  - स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभिक तीन वीरता पुरस्कार- परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किये गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।

नोट :

- इसके बाद वर्ष 1952 में अन्य तीन वीरता पुरस्कार- 'अशोक चक्र वर्ग-I', 'अशोक चक्र वर्ग-II' और 'अशोक चक्र वर्ग-III' स्थापित किये गए, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
- जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमश: अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।

- पुरस्कार के लिये पात्र लोग:
  - थल सेना, नौसेना और वायु सेना या किसी भी आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना तथा किसी अन्य कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सभी अधिकारी इन पुरस्कारों के लिये पात्र हैं।
  - उपर्युक्त कर्मियों के अतिरिक्त मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी और अस्पतालों एवं नर्सिंग सेवाओं से संबद्ध कर्मचारी, नियमित या अस्थायी भी इसके लिये पात्र हैं।
- सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:
  - परम वीर चक्र:
    - यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध (चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में या हवा में) के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिये दिया जाता है।
  - महावीर चक्र:
    - यह ज़मीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
  - वीर चक्र:
    - यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।
- सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:
  - अशोक चक्र:
    - यह शांतिकाल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान के लिये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है।
    - यह शांतिकाल में विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म-बलिदान से संबंधित कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है।
  - कीर्ति चक्र:
    - यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में साहसिक कार्रवाई करने या आत्म-बलिदान के लिये दिया जाता है।
  - शौर्य चक्र:
    - यह असाधारण वीरता के लिये सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।
- अन्य पुरस्कार:
  - सेना पदक:
    - यह थलसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के कार्यों के लिये दिया जाता है।
  - नौसेना पदक:
    - यह नौसेना में कर्तव्य या साहस के प्रति असाधारण समर्पण के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये दिया जाता है।
  - वायुसेना पदक:
    - यह वायुसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

नोट :

भारत गौरव योजना

हाल ही में भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिये नई योजना 'भारत गौरव' की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिये तीसरा अनुभाग होगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे।
    - ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो एक समय सारिणी के अनुसार चलेंगी बल्कि आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित की जाएंगी।
  - थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई। इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारों और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा चलाया जाएगा।
    - थीम आधारित पर्यटन (सर्किट) से रेलवे का आशय गुरु कृपा जैसी उन ट्रेनों से है जिनका संचालन गुरु नानक से संबंधित सभी स्थानों पर किया जाता है या रामायण थीम वाली ट्रेनें भगवान राम से संबंधित स्थानों के लिये संचालित हैं।
  - सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टिया और यहाँ तक कि राज्य सरकारों से इन ट्रेनों को लेने के लिये कोई भी आवेदन कर सकता है और उन्हें थीम आधारित विशेष पर्यटन सर्किट पर संचालित किया जा सकता है।
    - सेवा प्रदाता पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल/विश्राम स्थल, दर्शनीय स्थलों की व्यवस्था, ऐतिहासिक/विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड आदि सहित सभी समावेशी पैकेज प्रदान करेगा।
- योजना के लाभ:
  - ये ट्रेनें भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराने के विज़न को साकार करने में सहायता करेंगी। इससे भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन में भी मदद मिलेगी।
- अन्य संबंधित योजनाएँ:
  - स्वदेश दर्शन योजना
  - प्रसाद योजना
  - बौद्ध सम्मेलन
  - देखो अपना देश' पहल

भारत में पर्यटन:

- भारत में पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है और यह तेज़ी से बढ़ रहा है।
- वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में यात्रा और पर्यटन उद्योग का योगदान 2020 में 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके वर्ष 2028 तक 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान लगाया गया है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का प्रत्यक्ष योगदान वर्ष 2019 और 2028 के बीच 10.35% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है।
- इसके अलावा यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को समग्र रूप से 140 देशों में से 34वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जो इस क्षेत्र में सुधार के लिये भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

37वाँ भारत-इंडोनेशिया कॉर्पेट

भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (इंडो-इंडोनेशिया कॉर्पेट) का 37वाँ संस्करण आयोजित किया जा रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 'कॉर्पेट' के विषय में:
  - इस अभ्यास में दोनों राष्ट्रों के समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लेंगे।
  - यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को रेखांकित करता है।
  - समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु दोनों नौसेनाएँ वर्ष 2002 से वर्ष में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ 'कॉर्पेट' अभ्यास का संचालन कर रही हैं।
- उद्देश्य:
  - इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिये सुरक्षित करना है।
  - 'कॉर्पेट' अभ्यास नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं अंत:क्रियाशीलता के निर्माण में मदद करता है और मछली पकड़ने की अवैध व अनियंत्रित गतिविधियों की रोकथाम तथा दमन, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती की रोकथाम हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान, अवैध प्रवासन तथा समुद्र में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- सागर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप:
  - भारत सरकार के सागर (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) मिशन के दृष्टिकोण के एक भाग के तौर पर भारतीय नौसेना द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यासों, समन्वित गश्ती, संयुक्त EEZ निगरानी और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
    - इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है।
- इंडोनेशिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास:
  - समुद्र शक्ति: द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।
  - गरुड़ शक्ति: संयुक्त सैन्य अभ्यास।

त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती': भारत-मालदीव-श्रीलंका

भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास 'दोस्ती' के 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया।

- इस अभ्यास ने वर्ष 2021 में 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अभ्यास 'दोस्ती' को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था।
  - पिछले दस वर्षों में आयोजित अभ्यासों ने समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूषण को समाप्त करने और तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - इस अभ्यास (2021) के लिये भारतीय तटरक्षक पोत वज्र और अपूर्वा (Vajra and Apoorva) को तैनात किया गया है।
- अभ्यास का उद्देश्य:
  - भारत-मालदीव-श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती' का उद्देश्य संबंधों को मज़बूत करना, आपसी सहयोग व क्षमता बढ़ाना तथा भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करना है।
- हाल के सुरक्षा संबंधी विकास:
  - श्रीलंका, भारत इस वर्ष अगस्त (2021) में आयोजित एक उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-स्तरीय बैठक में श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा सहयोग के "चार स्तंभों" पर काम करने के लिये सहमत हुए हैं।

नोट :

- इनमें समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल थे।
- इससे पहले तीनों देश खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान का दायरा बढ़ाने पर सहमत हुए थे।

- भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास:
  - अभ्यास मित्र शक्ति (सैन्य अभ्यास)
  - स्लीनेक्स (नौसेना अभ्यास)
- भारत और मालदीव के बीच अभ्यास:
  - अभ्यास एकुवेरिन (सैन्य अभ्यास)

एक्रॉस योजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पाँच वर्ष (2021-2026) के अगले वित्त (15वें) चक्र के लिये अपनी आठ उप-योजनाओं के साथ-साथ 'एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग आब्ज़र्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज़' (Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services- ACROSS) योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- एक्रॉस योजना के बारे में:
  - एक्रॉस योजना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और यह मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - इनमें से प्रत्येक पहलू को 'एक्रॉस'(ACROSS) की समग्र योजना के तहत आठ उप-योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है, निम्नलिखित आठ योजनाओं के माध्यम से उपर्यक्त कार्यों को पूरा करने के लिये प्रत्येक संस्थान की एक निर्दिष्ट भूमिका है।
    - पोलारिमेट्रिक डॉप्लर वेदर रडार- DWRs
    - पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन- IMD
    - मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाएँ- IMD
    - वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क- IMD
    - मौसम एवं जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग- NCMRWF
    - मानसून मिशन III
    - मानसून संवहन, बादल और जलवायु परिवर्तन- MC4
    - उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग प्रणाली- HPCS
- कार्यान्वयन:
  - यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
- महत्त्व:
  - यह योजना मौसम, जलवायु एवं समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से पूर्वानुमान एवं सेवाएँ और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएँ प्रदान करेगी। इसमें चक्रवात, तूफानी लहरों, हीट वेव और तड़ित झंझा से संबंधित चेतावनी शामिल होगी।
  - पूर्वानुमान से जुड़ी सूचनाओं को तैयार करने से लेकर इनके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर काफी संख्या में श्रमशक्ति की ज़रूरत होती है, जिससे कई लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं।

नोट :

स्वदेश परियोजना

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग-नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर (DBT-NBRC) ने न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिये स्वदेश परियोजना को विकसित किया है।

- NBRC भारत का एकमात्र संस्थान है जो तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है।

प्रमुख बिंदु

- स्वदेश परियोजना के बारे में:
  - स्वदेश पहला बड़े पैमाने वाला मल्टीमॉडल न्यूरोइमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग श्रेणियों (दिये गये चित्र) के लिये बड़े डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के साथ भारतीय आबादी हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - इस योजना में एक बड़ा डेटा आर्किटेक्चर है जो 6 मॉड्यूल्स के प्रबंधन और विश्लेषण का प्रस्ताव करता है। इन मॉड्यूल्स में शामिल हैं- न्यूरोडिजेनेरेटिव [एडी, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट (MCI), पार्किंसंस रोग (PD)], न्यूरोसाइकाइट्रिक (सिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर विकार), न्यूरोडेवलपमेंटल (ऑटिज़्म और मिर्गी), कोविड-19 से संबंधित बीमारियाँ व अन्य विकार।
  - स्वदेश जावा आधारित वर्कफ्लो वातावरण और पायथन से युक्त है। जो इसे गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा विश्लेषण रिपोर्ट और डेटा बैकअप उपलब्ध कराता है।
    - पायथन और जावा दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएँ हैं।
- महत्त्व:
  - यह अल्ज़ाइमर रोग और कई तंत्रिका संबंधी विकारों को समझने के लिये बहुविध मस्तिष्क अध्ययन में उपयोगी होगा।
  - इसके विकास से पूरी दुनिया में मल्टी-साइट डेटा और सहयोगी अनुसंधान के एकीकरण में मदद मिलेगी।

न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर

- अर्थ:
  - न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorders) केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र (Central and Peripheral Nervous System) से संबंधित रोग है।
    - दूसरे शब्दों में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, कपाल तंत्रिकाएँ, परिधीय तंत्रिकाएँ, तंत्रिका जोड़, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मांसपेशियों से संबंधित विकार।
- प्रकार:
  - गैर-संचारी तंत्रिका संबंधी विकार: इसमें स्ट्रोक, सिरदर्द, मिर्गी/एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी, अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer's Disease) और अन्य मनोभ्रंश, मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कैंसर, पार्किंसंस रोग (Parkinson's Disease), मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis), मोटर न्यूरॉन रोग (Motor Neuron Diseases) व अन्य तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं।
  - संचारी तंत्रिका संबंधी विकार: इंसेफेलाइटिस (Encephalitis), मेनिनजाइटिस (Meningitis), टेटनस (Tetanus)।
- चोट से संबंधित तंत्रिका विकार:
  - दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें, रीढ़ की हड्डी की चोटें।
- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत में कुल रोगों में 10% योगदान न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है।
  - देश में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का बोझ बढ़ रहा है, जो मुख्य रूप से जनसंख्या की उम्र बढ़ने के कारण है।
  - भारत में कुल विकलांगता समायोजित जीवन-वर्ष (Disability Adjusted Life-Years- DALY) में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान वर्ष 1990 के 4% से दोगुना होकर वर्ष 2019 में 8.2% हो गया और चोट से संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान 0.2% से बढ़कर 0.6% हो गया है।
  - न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिये ज्ञात जोखिम कारकों में बोझ, उच्च रक्तचाप, वायु प्रदूषण, आहार संबंधी जोखिम, अधिक उपवास, प्लाज़्मा ग्लूकोज़ और उच्च बॉडी-मास इंडेक्स प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।

नोट :

विविध

करतारपुर कॉरिडोर का पुन:संचालन

भारत सरकार करीब 20 महीने बाद पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Gurudwara corridor) को फिर से खोलने पर विचार कर रही है ताकि सिख तीर्थयात्रियों को वहाँ से गुज़रने की अनुमति मिल सके। इसे कोविड -19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।

- भारत सरकार 19 नवंबर (2021), सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती (जिसे गुरपुरब/गुरु पर्व या "प्रकाश पर्व" के नाम से जाना जाता है) तक मार्ग खोलने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच उन दुर्लभ नई पहलों में से एक है जो वर्ष 2019 में पुलवामा हमले, बालाकोट हमले और जम्मू-कश्मीर पर अनुच्छेद 370 में संशोधन के निर्णय के बाद तनावपूर्ण स्थिति के कारण दोनों पक्षों के राजनयिकों को वापस बुला लिया गया और सभी व्यापार संबंधों को रद्द कर दिया गया।
  - यह एक अनूठी परियोजना है क्योंकि इस तरह के वीज़ा-मुक्त "मानव कॉरिडोर" का उपयोग आम तौर पर आपातकालीन स्थितियों के लिये किया जाता है अर्थात् शरणार्थी हिंसा या मानवीय आपदाओं से विस्थापन हेतु उपयोग किया जाता है न कि तीर्थयात्रा के लिये।
- करतारपुर कॉरिडोर:
  - करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है।.
  - यह कॉरिडोर 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के अवसर पर बनाया गया था।

गुरु नानक

- गुरु नानक देव (1469-1539) के जन्म अवसर पर कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती है।
- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की शिक्षा दी। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान स्नान, छवि पूजा, तपस्या और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ग्रंथों को अस्वीकृत किया।
- उन्होंने सामूहिक पूजा (संगत) के लिये सामूहिक पाठ से जुड़े नियम स्थापित किये।
- उन्होंने अपने शिष्यों में से एक गुरु अंगद (Preceptor) को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया और इस प्रथा का लगभग 200 वर्षों तक पालन किया गया।
- सिख धर्म के पाँचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक के भजनों को उनके चार उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद, रविदास (जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है) और कबीर जैसे अन्य धार्मिक कवियों के साथ संकलित किया।
  - 'गुरबानी' कहे जाने वाले इन स्तोत्रों की रचना अनेक भाषाओं में हुई है।
- भारतीय सीमा के उस पार लगभग 4 किमी. दूर करतारपुर गुरुद्वारा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल स्थित है। जहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

नोट :

देवसहायम पिल्लई

18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देवसहायम पिल्लई (Devasahayam Pillai) संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे।

- पॉप फ्राँसिस 15 मई, 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक विहित धर्मसभा के दौरान छह अन्य संतो के साथ देवसहायम पिल्लई को संत घोषित करेंगे।
- वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च की सीट है।

प्रमुख बिंदु:

- देवसहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले के नट्टलम गाँव में हुआ था।
- ईसाई धर्म अपनाने से पहले यह नीलकंद पिल्लई के नाम से जाने जाते थे तथा यह मंदिर के पुजारियों के परिवार में पले-बढ़े थे।
- इन्होंने त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा दी और यहीं पर उनकी मुलाकात एक डच नौसैनिक कमांडर से हुई, जिन्होंने उन्हें कैथोलिक धर्म के बारे में सिखाया।
- वह वर्ष 1745 में कैथोलिक बन गए तथा इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद 'लेज़ारूस' (Lazarus) नाम रख लिया था लेकिन बाद में देवसहायम (भगवान की मदद) के नाम से जाने गए।
- उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के खिलाफ त्रावणकोर राज्य के प्रकोप का सामना करना पड़ा।
- 14 जनवरी, 1752 को कैथोलिक बनने के ठीक सात वर्ष बाद देवसहायम की अरलवाइमोझी जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
  - तब से इन्हें दक्षिण भारत में व्यापक कैथोलिक समुदाय द्वारा शहीद माना जाता है।
  - इनकी कब्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले के कोट्टार सूबा के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में है।
- चर्च का विचार है कि जातिगत मतभेदों के बावजूद सभी लोगों की समानता का उनका उपदेश अंततः उनकी शहादत का कारण बना।
- ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद "बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने" के लिये उन्हें पहली बार फरवरी 2020 में संत की उपाधि प्रदान करने के लिये मंज़ूरी दी गई थी।

धर्म का वर्गीकरण

- परिचय:
  - दुनिया के प्राथमिक धर्म दो श्रेणियों में आते हैं:
    - अब्राहमिक धर्म: ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम
    - भारतीय धर्म: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य।
- ईसाई धर्म:
  - दो अरब से भी अधिक अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है।
  - ईसाई धर्म यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है और लगभग 2,000 वर्ष पुराना है।
  - ईसाई धर्म का सबसे बड़े समूह में रोमन कैथोलिक चर्च, इस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, और इसका पवित्र ग्रंथ बाइबिल है।
  - सदियों से ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई हैं क्योंकि यह अक्सर मिशनरियों और उपनिवेशवादियों के माध्यम से दुनिया भर में फैल गया।

सिटमैक्स-2021

हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री अभ्यास (SITMEX) का तीसरा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह अभ्यास भारत की सागर (SAGAR-हिंदमहासागरीय क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि) नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
    - इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) शांगरी-ला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था।
  - भारतीय नौसेना द्वारा SITMEX का पहला संस्करण सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था।
  - सिंगापुर द्वारा नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेज़बानी की गई। इस अभ्यास के वर्ष 2021 संस्करण की मेजबानी थाईलैंड द्वारा की जा रही है।
  - इसमें कई सामरिक प्रशिक्षण अभ्यास शामिल हैं, जैसे- नौसेना युद्धाभ्यास और सतह युद्ध अभ्यास।
  - इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में आपसी संबंधों को मज़बूत करना और सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है।
    - यह अभ्यास वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है और जून 2018 में शांगरी-ला (Shangri-La) संवाद में भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
- भारत और थाईलैंड के बीच अन्य सैन्य अभ्यास:
  - मैत्री (सेना)
  - सियाम-भारत (वायु सेना)
  - इंडो-थाई कॉर्पेट (नौसेना), जो हाल ही में आयोजित किया गया था।
- भारत और सिंगापुर के बीच अन्य सैन्य अभ्यास:
  - बोल्ड कुरुक्षेत्र (सेना)
  - संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (वायु सेना)
  - सिंबेक्स (नौसेना)

पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार : यूएनडब्ल्यूटीओ

हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों में से एक के रूप में चुना गया।

- यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में मैड्रिड (स्पेन) में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक ग्रामीण पर्यटन नीति का भी मसौदा तैयार किया है जो न केवल हमारे गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय कला और शिल्प को पुनर्जीवित करेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।
- इससे पूर्व तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है) को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पोचमपल्ली गाँव:
  - पोचमपल्ली, तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले का एक कस्बा है और इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिये भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, जिसे इकत (Ikat) नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है।
    - पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक (GI Status) के रूप में दर्ज किया गया।
  - पोचमपल्ली की अनूठी बुनाई शैलियों और पैटर्न पर प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) के उद्देश्य के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के एक भाग के रूप में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

नोट :

- प्रधानमंत्री ने बुनाई की तकनीकों की विविधता और हमारी समृद्ध हथकरघा परंपरा को मान्यता देने के लिये 7 अगस्त, 2015 को पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के लिये एक श्रद्धांजलि के रूप में किया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता में वर्ष 1905 में 7 अगस्त को टाउन हॉल की एक बैठक में की गई थी।

- 18 अप्रैल, 1951 को इस गाँव से आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किये गए भूदान आंदोलन की याद में पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है।
  - विनोबा भावे वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
- पर्यटन मंत्रालय ने भारत से UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की प्रविष्टि के लिये तीन गाँवों की सिफारिश की थी। हालाँकि पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था।
  - इन तीन गाँवों में शामिल थे- मेघालय में कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लधपुरा खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली।

- बेस्ट टूरिज़्म विलेज इनिशिएटिव:
  - यह उन गाँवों के महत्त्व को उजागर करने के लिये UNWTO द्वारा संचालित एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो पर्यटन संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने, सामूहिक उत्सव को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है और जैव विविधता की सुरक्षा करता है।
  - इसका उद्देश्य उन गाँवों को पुरस्कृत करना है जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इसके निर्दिष्ट नौ मूल्यांकन क्षेत्रों के अनुरूप अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं।
  - इसका उद्देश्य गाँवों को प्रशिक्षण और सुधार के अवसर प्रदान कर ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड (स्पेन) में स्थित है।
- UNWTO पर्यटन के लिये वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, ताकि इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक योगदान को बढ़ाया जा सके।

'दुआरे राशन' योजना: पश्चिम बंगाल

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिये 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु 'दुआरे राशन' (घर के दरवाज़े पर राशन) योजना शुरू की है।

- लोगों को राशन कार्ड के लिये आवेदन करने में मदद हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन- 'खाद्य साथी: अमर राशन मोबाइल एप' भी लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत डीलर लाभार्थियों के घर तक राशन पहुँचाएंगे।
- राज्य में लगभग 21000 राशन डीलर हैं और सरकार प्रत्येक डीलर को डिलीवरी वाहन खरीदने के लिये 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी।
- राशन डीलरों को दो सहायकों की भर्ती करने की भी अनुमति होगी, जिनके 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक वाहन को पड़ोस में सुविधाजनक स्थान पर खड़ा किया जाएगा ताकि निवासियों को राशन लेने के लिये 500 मीटर से अधिक चलने की आवश्यकता न हो।
- इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- यह भारत में समाज के गरीब वर्गों को भोजन, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करने संबंधी सरकार द्वारा प्रबंधित एक प्रणाली है।

नोट :

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित 'उचित मूल्य की दुकानों' (FPS) या राशन की दुकानों की एक शृंखला के माध्यम से खाद्य और कुछ गैर-खाद्य पदार्थ रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस प्रणाली का प्रबंधन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- राज्य और केंद्र सरकारें गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे ऊपर के समुदायों के लिये कम कीमत पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने हेतु काम करती हैं।
  - केंद्र सरकार संसाधनों की खरीद, संरक्षण, परिवहन और आवंटन हेतु उत्तरदायी है।
  - राज्य सरकार कार्ड और दुकानों के माध्यम से इन राशनकार्ड धारकों की पहचान और उपलब्धता का एक नेटवर्क स्थापित करना सुनिश्चित करती है।
  - केंद्र सरकार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में वितरण के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है।
- कुछ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' आउटलेट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे- दालें, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले आदि का वितरण भी करते हैं।
- 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013' कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।

बाबासाहेब पुरंदरे

हाल ही में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबासाहेब पुरंदरे (Babasaheb Purandare) का निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे (Balwant Moreshwar Purandare) का जन्म 29 जुलाई,1922 को महाराष्ट्र में हुआ था, जिन्हें बाबासाहेब पुरंदरे के नाम से जाना जाता है।
  - वह एक लेखक और इतिहासकार थे तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर किये गए अपने लेखन के लिये प्रसिद्ध थे।
  - वह ' शिव-शाहीर के नाम से प्रसिद्ध थे।
- उनके प्रमुख कार्य:
  - उन्हें मराठा राजा छत्रपति शिवाजी पर लेखन कार्य में प्राधिकार प्राप्त था और उन्होंने बहुत कम उम्र में शिवाजी के जीवन और उपलब्धियों पर लेखन (कहानियों) कार्य शुरू कर दिया था। इन कहानियों को बाद में संकलित किया गया जिसे उन्होंने थिनग्या (Thinagya/स्पार्क्स) नामक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जो शिवाजी के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करती है।
  - बाबासाहेब पुरंदरे के अन्य कार्यों में नारायणराव पेशवा की जीवनी, राजा शिव छत्रपति और केसरी नामक पुस्तकें शामिल हैं।
  - इसके अलावा उन्हें उनके लोकप्रिय नाटक 'जनता राजा' के लिये जाना जाता है, जिसे वर्ष 1985 से 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। यह मूल रूप से मराठी में लिखा गया था।
    - मध्य प्रदेश सरकार ने नाटक के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिये उन्हें 2007-08 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था।
- पुरस्कार और सम्मान:
  - वर्ष 2019 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
  - उन्हें वर्ष 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

नोट :

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 2021

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (India International Science Festival- IISF) का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में:
  - वर्ष 2015 में शुरू किया IISF एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यह विश्व के छात्रों, जनता, शोधकर्त्ताओं, नवप्रवर्तनकर्त्ताओं और कलाकारों को लोगों एवं मानवता की भलाई के लिये विज्ञान का अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त करने के लिये एक साथ लाता है।
- आयोजन:
  - IISF 2021 का आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
  - IISF 2021 का आयोजन गोवा के पणजी में 10 से 13 दिसंबर तक किया जाएगा।
- नोडल एजेंसी:
  - राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि MoES के तहत एक स्वायत्त संस्थान है इसकी नोडल एजेंसी है।
- वर्ष 2021 की थीम:
  - समृद्ध भारत के लिये विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना।
    - यह भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना और विचार को भी प्रतिबिंबित करेगा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 में भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों को चिह्नित करना है।

विज्ञान भारती

- स्वदेशी विज्ञान आंदोलन 'भारतीय विज्ञान संस्थान-बंगलूरू' में कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा प्रोफेसर 'के.आई. वासु' के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था।
  - इस आंदोलन ने धीरे-धीरे गति पकड़ी और राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा।
- वर्ष 1991 में अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसे 'विज्ञान भारती' नाम दिया गया।
- इसका एक उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अधिक रचनात्मकता और मौलिकता के लिये प्रेरित करना है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

नागरिक उड्डयन हेतु ई-गवर्नेंस

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन के लिये ई-गवर्नेंस (e-GCA) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके माध्यम से नागरिक उड्डयन पायलट लाइसेंसिंग और चिकित्सा परीक्षा सहित 298 सेवाएँ प्रदान करेगा।

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के तहत e-GCA परियोजना का शुभारंभ विमानन क्षेत्र के लिये 100-दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा था। पोर्टल को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ द्वारा विकसित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह सूचना के प्रसार और एक सुरक्षित वातावरण में ऑनलाइन, त्वरित सेवा वितरण हेतु एक पोर्टल है।
  - यह अनेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कनेक्टिविटी के लिये एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है।
  - यह विभिन्न DGCA हितधारकों जैसे- पायलट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, हवाई यातायात नियंत्रक, हवाई ऑपरेटरों, हवाई अड्डे के संचालकों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों, रखरखाव और डिज़ाइन संगठनों को सेवाएँ प्रदान करेगा।

नोट :

- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य DGCA की विभिन्न सेवाओं की दक्षता में वृद्धि और DGCA के सभी कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है।
- लाभ:
  - परिचालन अक्षमताओं को दूर करना
  - व्यक्तिगत संपर्क को कम करना
  - नियामक रिपोर्टिंग में सुधार
  - पारदर्शिता बढ़ाना
  - उत्पादकता बढ़ाना
- महत्त्व
  - सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में यह DGCA की प्रक्रिया और कार्यों के स्वचालन के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को प्रेरित करेगा।
  - यह आईटी अवसंरचना और सेवा वितरण ढाँचे को एक मज़बूत आधार प्रदान करेगा।
  - यह 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह DGCA के सुरक्षा नियामक ढाँचे को मज़बूत करेगा।

नागर विमानन महानिदेशालय

- यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है।
- यह भारत में/से/के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा एवं उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।

सिंधु नदी डॉल्फिन

हाल ही में पंजाब के वन्यजीव संरक्षण खंड ने सिंधु नदी डॉल्फिन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा हेतु भी प्रयास किये हैं।

- वर्ष 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - वैज्ञानिक नाम: प्लैटानिस्टा गैंगेटिका माइनर
  - दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, सिंधु और गंगा नदी डॉल्फिन एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। वर्तमान में उन्हें प्लैटानिस्टा गैंगेटिका के तहत दो उप-प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - अन्य मीठे पानी की डॉल्फिन (जैसे गंगा नदी डॉल्फिन) की तरह सिंधु नदी डॉल्फिन नदी के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।
  - भारतीय जल में पाई जाने वाली अन्य डॉल्फिन में शामिल हैं: गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन।
- परिवेश:
  - वे केवल पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्सों और पंजाब, भारत में सिंधु नदी की एक सहायक नदी ब्यास में पाई जाती हैं।
- खतरे:
  - जैविक संसाधनों का उपयोग: मत्स्य पालन और जलीय संसाधनों का संचयन।
  - प्राकृतिक प्रणाली में संशोधन: बाँध और जल प्रबंधन/उपयोग।

नोट :

- प्रदूषण: घरेलू और शहरी अपशिष्ट जल, औद्योगिक और सैन्य अपशिष्ट, कृषि और वानिकी अपशिष्ट।

- संरक्षण की स्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): लुप्तप्राय
  - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट- I
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम 1972: अनुसूची- I
- उठाए गए कदम:
  - मीठे पानी की डॉल्फिन की गणना का काम केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में किया जा रहा है।
  - प्रोजेक्ट डॉल्फिन: वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिससे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली है।

पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना

ओडिशा सरकार जल्द ही पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की आधारशिला रखेगी, यह 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

- यह परियोजना पुरी को विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित करने के लिये बुनियादी सुविधाओं एवं विरासत तथा वास्तुकला की विकास (ABADHA) योजना के विस्तार का एक हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु:

- पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना:
  - वर्ष 2016 में परिकल्पित, पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का अनावरण दिसंबर 2019 में पवित्र शहर पुरी को विरासत के एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में बदलने के लिये किया गया था।
  - इस परियोजना में आगंतुकों और पर्यटकों के लिये पवित्र शहर और जगन्नाथ मंदिर के आसपास के प्रमुख हिस्सों का पुनर्विकास करना शामिल है।
  - इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) भवन पुनर्विकास, एक 600 क्षमता वाला श्रीमंदिर स्वागत केंद्र, जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र, बडाडांडा हेरिटेज स्ट्रीटस्केप, समुद्र तट विकास, पुरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि शामिल होंगे।
- जगन्नाथ मंदिर:
  - निर्माण:
    - ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा अनन्तवर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था।
  - पौराणिक कथा:
    - जगन्नाथ पुरी मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' कहा जाता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यहाँ भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई।
  - वास्तुकला:
    - इस मंदिर को "व्हाइट पेगोडा" कहा जाता था और यह चार तीर्थ धाम (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) में से एक है।
    - मंदिर के चार द्वार हैं- पूर्वी 'सिंहद्वार' जो दो झुके हुए शेरों के साथ मुख्य द्वार है, दक्षिणी 'अश्वद्वार', पश्चिमी 'व्याघ्र द्वार' और उत्तरी 'हस्तीद्वार'। प्रत्येक द्वार पर एक विशिष्ट प्रकार की नक्काशी है।
    - प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था।
  - महोत्सव: विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा (कार महोत्सव) और बहुदा यात्रा।
- ओडिशा में अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:
  - कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)
  - तारा तारिणी मंदिर
  - लिंगराज मंदिर
  - उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ

नोट :

हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (HAL's LCH), के दो लघु ड्रोन ('SWITCH 10 UAV' और 'MR-20) वायु सेना को सौंपे।

- एलसीएच मुख्यत: 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत निर्मित है जिसे निजी उद्योग की भागीदारी के साथ बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - एलसीएच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हेलीकॉप्टर डिवीज़न के लिये एक नया उपकरण है। यह दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर 5 से 8 टन वर्ग का एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
  - LCH में प्रभावी युद्धक भूमिकाओं के लिये उन्नत तकनीकों और स्टील्थ सुविधाओं को शामिल किया गया है और इसे शत्रु की वायु रक्षा, प्रतिवाद, अन्वेषण व बचाव, टैंक-रोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस आदि जैसी भूमिकाओं को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - LCH दुनिया का एकमात्र हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊँचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतरने और उड़ान भर सकता है।
  - यह बर्फ की चोटियों पर माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी है।
  - LCH को एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टरों के अलावा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतत: सेवा में तैनात किया जाएगा।
- 'स्विच 1.0 UAV' and 'MR-20:
  - 'स्विच 1.0 UAV:
    - स्विच 1.0 यूएवी, 1.5 घंटे की उड़ान अवधि और 15 किलोमीटर की अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ 4500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर उड़ सकता है।
    - इसमें लगभग 90 मिनट का एंड्यूरेंस है तथा यह भारत की सीमाओं पर दिन और रात की निगरानी के लिये कठोर वातावरण और अत्यधिक ऊँचाई के तहत भारतीय सेना के निगरानी अभियानों का समर्थन करेगा।
  - 'MR-20':
    - MR-20 हेक्साकॉप्टर ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता रखता है।
    - इसका उपयोग भोजन, आवश्यक वस्तुओं, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, गोला-बारूद और हथियारों को अग्रेषण क्षेत्रों में ऊँचाई पर तैनात सैनिकों तक पहुँचाने के लिये किया जाएगा।

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना: MSME

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSMEs) ने सेवा क्षेत्र के लिये विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme- SCLCSS) शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के बारे में:
  - यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
  - इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिये संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी) दिये जाने का प्रावधान है।
- महत्त्व:
  - यह योजना MSEs को प्रौद्योगिकी उन्नयन, MSMEs द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, उत्पादकता में वृद्धि और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी।

नोट :

- यह MSMEs में नवाचार, डिज़िटल सशक्तीकरण और डिज़ाइन हस्तक्षेप को भी बढ़ावा देगा।

- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना:
  - इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था।
  - योजना का उद्देश्य अनुमोदित निर्दिष्ट 51 उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित और उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिये 15% की अग्रिम पूंजी सब्सिडी (उनके द्वारा प्राप्त 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत वित्त पर) प्रदान करके MSEs में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
  - दूसरे शब्दों में योजना का मुख्य उद्देश्य अपने संयंत्र और मशीनरी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ या बिना विस्तार के तथा नए MSEs के लिये अपग्रेड करना है, जिन्होंने योजना दिशा-निर्देशों के तहत विधिवत अनुमोदित उपयुक्त योग्य और सिद्ध तकनीक के साथ सुविधाएँ प्रदान की हैं।

MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी पहलें

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (M/oMSME) खादी, ग्राम और कयर उद्योगों (Coir Industries) सहित MSME क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत MSME क्षेत्र की कल्पना प्रस्तुत करता है।
- MSMEs को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों तथा इस क्षेत्र की कवरेज एवं निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम को अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना (SFURTI): इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी वैधानिक MSMEs को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSMEs को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य MSEs की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता को बढ़ाना है।
- चैंपियंस पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय MSMEs की शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन (CHAMPIONS) के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या के आधार पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

नोट :

परियोजना समहती: उड़ीसा

'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाने पर ज़ोर देती है। हालाँकि जब इस प्रावधान को आदिवासी लोगों के विविध भाषा-आधार के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता है।

- ऐसे परिदृश्य में बहुभाषी शिक्षा में ओडिशा का एक दशक लंबा प्रयोग महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- 'मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा' (MTBMLE) का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को बचाने में मदद करती है।

प्रमुख बिंदु

- ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने 'संहति' नामक एक परियोजना शुरू की है।
  - यह प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समक्ष मौजूद भाषा संबंधी मुद्दों को संबोधित करेगी।
  - इसके तहत विभाग की राज्य के 1,450 प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2.5 लाख छात्रों को कवर करने की योजना है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SCSTRTI) तथा जनजातीय भाषा और संस्कृति अकादमी (ATLC), भुवनेश्वर के साथ परियोजना को लागू किया जा रहा है।
- बहुभाषी शिक्षा: संहति के तहत यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान और आदिवासी छात्रों के साथ संवाद करने के तरीके प्रदान किये जाएंगे।
- बहुभाषी शिक्षा: 'संहति' के तहत यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का कार्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
  - ओडिशा के आदिवासी समुदाय के बीच बोली जाने वाली 21 विविध भाषाएँ हैं। 21 भाषाओं में से संथाली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
    - इसे इसकी पुरानी 'ओल चिकी लिपि' में पढ़ाया जाता है, जबकि बाकी आदिवासी भाषाओं में उड़िया लिपियाँ हैं।
  - केवल छह आदिवासी भाषाओं- संथाली, हो, सौरा, मुंडा और कुई की एक लिखित लिपि है।
  - ये छात्र एक बहुभाषी समूह हैं जो नियमित स्कूलों में एक-भाषी समूहों के विपरीत हैं।

आगे की राह

- एक आदिवासी छात्र दुनिया को अपनी भाषा से देखता है। मातृभाषा आधारित शिक्षा एक स्वागत योग्य कदम है। ओडिशा में कुछ नागरिक समाज संगठन हैं जिन्होंने MTBMLE शिक्षा प्रणाली (जैसे कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान) के आशाजनक मॉडलों का प्रदर्शन किया है।
- आदिवासी भाषाओं को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, इन भाषाओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता है।
- राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रम, सरकारी पाठ्यपुस्तक के मानदंडों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आदिवासी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिये 'माटोसिन्होज़ मेनिफेस्टो'

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) परिषद ने यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिये एक घोषणापत्र को मंज़ूरी दे दी है।

- मूलत: परिषद ने एक ऐसा प्रस्ताव अपनाया है, जो अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों को बनाए रखने और इनके विस्तार के संदर्भ में यूरोप की रणनीति निर्धारित करती है।
- इसके अलावा परिषद ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास और प्रेरणा में यूरोपीय नेतृत्व को सुदृढ़ करने हेतु दो मिशनों को मान्यता दी है, जिसमें 'चंद्रमा से नमूने वापस लाना' और 'मानव अंतरिक्ष अन्वेषण' मिशन शामिल है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- संकल्प के विषय में: प्रस्ताव यूरोप की अंतरिक्ष महत्त्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाने के लिये तीन 'त्वरकों' को परिभाषित करता है।
  - हरित भविष्य के लिये अंतरिक्ष:
    - अंतरिक्ष परियोजनाएँ, जो इसे ग्रह की वर्तमान स्थिति को समझने में सक्षम बनाती हैं और वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में मदद करती हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और उनके डेटा संग्रहण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - संकट के समय तीव्र और लचीली प्रतिक्रिया:
    - अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो राष्ट्रों को किसी भी संकट का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं।
    - उदाहरण: इस वर्ष (2021) की शुरुआत में यूरोप के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ और जंगल की आग देखी गई थी। इसके अलावा 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (IPCC) की नवीनतम रिपोर्ट ने लगातार मौसम की घटनाओं, जैसे कि हीटवेव, अत्यधिक वर्षा और समुद्र के बढ़ते स्तर को हरी झंडी दिखाई है। इनमें से कुछ कारक जंगल की आग के फैलने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।
  - अंतरिक्ष संपत्ति का संरक्षण:
    - कक्षा में एक उपग्रह को नष्ट करने के लिये रूस द्वारा मिसाइल के उपयोग ने हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों को इस हस्तक्षेप से बचाने हेतु नई प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- महत्त्व:
  - यह यूरोप और उसके नागरिकों के सामने आने वाली तत्काल और अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक व सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा।
    - इन चुनौतियों से निपटने में मदद के लिये अंतरिक्ष में अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमता है और यूरोपीय अंतरिक्ष क्षमता विकसित करने में तेज़ी लाने की तत्काल आवश्यकता है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए):

- ईएसए एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में यूरोप की अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था।
- संगठन के 22 सदस्य देश हैं - ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम। स्लोवेनिया, लातविया तथा लिथुआनिया सहयोगी सदस्य हैं।
- संबंधित परियोजनाएँ:
  - सेंटिनल उपग्रह
  - शुक्र के लिये विज़न मिशन

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021

हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन- 'प्रथम' को वर्ष 2021 के लिये शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

- 'प्रथम' भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है।

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी पुरस्कार:
  - शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिये 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' की स्थापना वर्ष 1986 में 'इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट' द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में की गई थी।
  - इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है।

नोट :

- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिये काम करते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग स्वतंत्रता और बेहतर मानवता के दायरे को आगे बढ़ाने तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिये किया जाए।

- प्रथम:
  - प्रथम के विषय में: वर्ष 1995 में स्थापित 'प्रथम' ने समुदाय आधारित प्री-स्कूलों की स्थापना कर और कक्षाओं में पिछड़ने वाले छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करके स्लम क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया था।
    - 6,00,000 ग्रामीण भारतीय बच्चों के सर्वेक्षण पर आधारित इसकी 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट' (ASER) का अब तीन महाद्वीपों के 14 देशों में शिक्षा परिणामों और सीखने की कमियों का आकलन करने के लिये एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है।
    - ASER द्वारा जताई गई चिंताओं का मुकाबला करने हेतु वर्ष 2007 में प्रथम ने अपना प्रमुख कार्यक्रम रीड इंडिया शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पढ़ने की क्षमता और अंकगणित को मज़बूत करके बच्चों की शिक्षा में सुधार करना है।
  - पुरस्कार: 'प्रथम' को यह सुनिश्चित करने हेतु सम्मानित किया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो, शिक्षा देने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग हो, युवा वयस्कों को कौशल प्रदान किया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित मूल्यांकन हो और बच्चों को कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के दौरान हुए नुकसान से उबरने में मदद की जा सके।

शक्ति: उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट

प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर, 2021 को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के हिस्से के रूप में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (Electronic Warfare) सूट 'शक्ति' सौंपी।

- राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह का हिस्सा है।
- प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (HAL's LCH), के दो लघु ड्रोन ('SWITCH 10 UAV' और 'MR-20) वायु सेना को सौंपे।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह प्रणाली समुद्रीय युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व और उत्तरजीविता (Survival) सुनिश्चित करने के लिये आधुनिक रडार और जहाज़-रोधी मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रॉनिक परत प्रदान करेगी।
    - यह प्रणाली भारतीय नौसेना की पिछली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) सिस्टम की जगह लेगी।
  - मिसाइल हमलों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा के लिये इस प्रणाली को वाइडबैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM) और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स (ECM) के साथ एकीकृत किया गया है।
  - यह प्रणाली आधुनिक रडार की सटीक दिशा और इंटरसेप्शन खोजने में मदद करेगी।
    - मिशन के बाद विश्लेषण के लिये सिस्टम में एक अंतर्निर्मित रडार फिंगरप्रिंटिंग और डेटा रिकॉर्डिंग रीप्ले सुविधा मौजूद है।
  - यह भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी और यह उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
- डिज़ाइन:
  - रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला (DLRL) हैदराबाद।
    - यह पारंपरिक और आधुनिक रडार की पहचान करने और उसे जाम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के निर्माण के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है।
- शक्ति प्रणाली:
  - पहली शक्ति प्रणाली आईएनएस विशाखापत्तनम पर स्थापित की गई है और इसे स्वदेशी विमान वाहक, आईएनएस विक्रांत पर स्थापित किया जा रहा है।

नोट :

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में बारह शक्ति सिस्टम्स का उत्पादन किया जा रहा है, जिन्हें कुल 1805 करोड़ रुपए की लागत से पचास से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है।
- इन प्रणालियों को पी-15बी, पी-17ए और तलवार श्रेणी के फॉलो-ऑन जहाज़ों सहित उत्पादन के तहत ऑन-बोर्ड प्रमुख युद्धपोतों को स्थापित करने के लिये निर्धारित किया गया है।

वीरता पुरस्कार

हाल ही में ग्रुप कैप्टन 'अभिनंदन वर्थमान' को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया, जो कि एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।

- 'वीरता पुरस्कारों' की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है- गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वीरता पुरस्कार (इतिहास):
  - स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभिक तीन वीरता पुरस्कार- परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किये गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
  - इसके बाद वर्ष 1952 में अन्य तीन वीरता पुरस्कार- 'अशोक चक्र वर्ग-I', 'अशोक चक्र वर्ग-II' और 'अशोक चक्र वर्ग-III' स्थापित किये गए, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया।
  - जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमश: अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।
- पुरस्कार के लिये पात्र लोग:
  - थल सेना, नौसेना और वायु सेना या किसी भी आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना तथा किसी अन्य कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सभी अधिकारी इन पुरस्कारों के लिये पात्र हैं।
  - उपर्युक्त कर्मियों के अतिरिक्त मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी और अस्पतालों एवं नर्सिंग सेवाओं से संबद्ध कर्मचारी, नियमित या अस्थायी भी इसके लिये पात्र हैं।
- सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:
  - परम वीर चक्र:
    - यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध (चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में या हवा में) के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिये दिया जाता है।
  - महावीर चक्र:
    - यह ज़मीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
  - वीर चक्र:
    - यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।
- सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:
  - अशोक चक्र:
    - यह शांतिकाल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या बलिदान के लिये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है।
    - यह शांतिकाल में विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म-बलिदान से संबंधित कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है।
  - कीर्ति चक्र:
    - यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में साहसिक कार्रवाई करने या आत्म-बलिदान के लिये दिया जाता है।

नोट :

- शौर्य चक्र:
  - यह असाधारण वीरता के लिये सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।

- अन्य पुरस्कार:
  - सेना पदक:
    - यह थलसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के कार्यों के लिये दिया जाता है।
  - नौसेना पदक:
    - यह नौसेना में कर्तव्य या साहस के प्रति असाधारण समर्पण के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये दिया जाता है।
  - वायुसेना पदक:
    - यह वायुसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के व्यक्तिगत कृत्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

भारत गौरव योजना

हाल ही में भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिये नई योजना 'भारत गौरव' की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिये तीसरा अनुभाग होगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे।
    - ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो एक समय सारिणी के अनुसार चलेंगी बल्कि आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित की जाएंगी।
  - थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई। इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारों और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा चलाया जाएगा।
    - थीम आधारित पर्यटन (सर्किट) से रेलवे का आशय गुरु कृपा जैसी उन ट्रेनों से है जिनका संचालन गुरु नानक से संबंधित सभी स्थानों पर किया जाता है या रामायण थीम वाली ट्रेनें भगवान राम से संबंधित स्थानों के लिये संचालित हैं।
  - सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टिया और यहाँ तक कि राज्य सरकारों से इन ट्रेनों को लेने के लिये कोई भी आवेदन कर सकता है और उन्हें थीम आधारित विशेष पर्यटन सर्किट पर संचालित किया जा सकता है।
    - सेवा प्रदाता पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल/विश्राम स्थल, दर्शनीय स्थलों की व्यवस्था, ऐतिहासिक/विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड आदि सहित सभी समावेशी पैकेज प्रदान करेगा।
- योजना के लाभ:
  - ये ट्रेनें भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराने के विज़न को साकार करने में सहायता करेंगी। इससे भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन में भी मदद मिलेगी।
- अन्य संबंधित योजनाएँ:
  - स्वदेश दर्शन योजना
  - प्रसाद योजना
  - बौद्ध सम्मेलन
  - देखो अपना देश' पहल

भारत में पर्यटन:

- भारत में पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है और यह तेज़ी से बढ़ रहा है।
- वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में यात्रा और पर्यटन उद्योग का योगदान 2020 में 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके वर्ष 2028 तक 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान लगाया गया है।

नोट :

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का प्रत्यक्ष योगदान वर्ष 2019 और 2028 के बीच 10.35% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है।
- इसके अलावा यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को समग्र रूप से 140 देशों में से 34वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जो इस क्षेत्र में सुधार के लिये भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

37वाँ भारत-इंडोनेशिया कॉर्पेट

भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (इंडो-इंडोनेशिया कॉर्पेट) का 37वाँ संस्करण आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- 'कॉर्पेट' के विषय में:
  - इस अभ्यास में दोनों राष्ट्रों के समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लेंगे।
  - यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को रेखांकित करता है।
  - समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु दोनों नौसेनाएँ वर्ष 2002 से वर्ष में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ 'कॉर्पेट' अभ्यास का संचालन कर रही हैं।
- उद्देश्य:
  - इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिये सुरक्षित करना है।
  - 'कॉर्पेट' अभ्यास नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं अंत:क्रियाशीलता के निर्माण में मदद करता है और मछली पकड़ने की अवैध व अनियंत्रित गतिविधियों की रोकथाम तथा दमन, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती की रोकथाम हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान, अवैध प्रवासन तथा समुद्र में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- सागर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप:
  - भारत सरकार के सागर (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) मिशन के दृष्टिकोण के एक भाग के तौर पर भारतीय नौसेना द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यासों, समन्वित गश्ती, संयुक्त EEZ निगरानी और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
    - इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है।
- इंडोनेशिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास:
  - समुद्र शक्ति: द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।
  - गरुड़ शक्ति: संयुक्त सैन्य अभ्यास।

त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती': भारत-मालदीव-श्रीलंका

भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास 'दोस्ती' के 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया।

- इस अभ्यास ने वर्ष 2021 में 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अभ्यास 'दोस्ती' को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था।

नोट :

- पिछले दस वर्षों में आयोजित अभ्यासों ने समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूषण को समाप्त करने और तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है।
- इस अभ्यास (2021) के लिये भारतीय तटरक्षक पोत वज्र और अपूर्वा (Vajra and Apoorva) को तैनात किया गया है।

- अभ्यास का उद्देश्य:
  - भारत-मालदीव-श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती' का उद्देश्य संबंधों को मज़बूत करना, आपसी सहयोग व क्षमता बढ़ाना तथा भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करना है।
- हाल के सुरक्षा संबंधी विकास:
  - श्रीलंका, भारत इस वर्ष अगस्त (2021) में आयोजित एक उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-स्तरीय बैठक में श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा सहयोग के "चार स्तंभों" पर काम करने के लिये सहमत हुए हैं।
    - इनमें समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल थे।
  - इससे पहले तीनों देश खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान का दायरा बढ़ाने पर सहमत हुए थे।
- भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास:
  - अभ्यास मित्र शक्ति (सैन्य अभ्यास)
  - स्लीनेक्स (नौसेना अभ्यास)
- भारत और मालदीव के बीच अभ्यास:
  - अभ्यास एकुवेरिन (सैन्य अभ्यास)

एक्रॉस योजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पाँच वर्ष (2021-2026) के अगले वित्त (15वें) चक्र के लिये अपनी आठ उप-योजनाओं के साथ-साथ 'एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग आब्ज़र्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज़' (Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services- ACROSS) योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- एक्रॉस योजना के बारे में:
  - एक्रॉस योजना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और यह मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - इनमें से प्रत्येक पहलू को 'एक्रॉस'(ACROSS) की समग्र योजना के तहत आठ उप-योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है, निम्नलिखित आठ योजनाओं के माध्यम से उपर्यक्त कार्यों को पूरा करने के लिये प्रत्येक संस्थान की एक निर्दिष्ट भूमिका है।
    - पोलारिमेट्रिक डॉप्लर वेदर रडार- DWRs
    - पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन- IMD
    - मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाएँ- IMD
    - वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क- IMD
    - मौसम एवं जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग- NCMRWF
    - मानसून मिशन III
    - मानसून संवहन, बादल और जलवायु परिवर्तन- MC4
    - उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग प्रणाली- HPCS
- कार्यान्वयन:
  - यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

नोट :

- महत्त्व:
  - यह योजना मौसम, जलवायु एवं समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से पूर्वानुमान एवं सेवाएँ और अन्य जोखिम संबंधी सेवाएँ प्रदान करेगी। इसमें चक्रवात, तूफानी लहरों, हीट वेव और तड़ित झंझा से संबंधित चेतावनी शामिल होगी।
  - पूर्वानुमान से जुड़ी सूचनाओं को तैयार करने से लेकर इनके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर काफी संख्या में श्रमशक्ति की ज़रूरत होती है, जिससे कई लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं।

स्वदेश परियोजना

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग-नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर (DBT-NBRC) ने न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिये स्वदेश परियोजना को विकसित किया है।

- NBRC भारत का एकमात्र संस्थान है जो तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है।

प्रमुख बिंदु

- स्वदेश परियोजना के बारे में:
  - स्वदेश पहला बड़े पैमाने वाला मल्टीमॉडल न्यूरोइमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग श्रेणियों (दिये गये चित्र) के लिये बड़े डेटा आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के साथ भारतीय आबादी हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - इस योजना में एक बड़ा डेटा आर्किटेक्चर है जो 6 मॉड्यूल्स के प्रबंधन और विश्लेषण का प्रस्ताव करता है। इन मॉड्यूल्स में शामिल हैं- न्यूरोडिजेनेरेटिव [एडी, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट (MCI), पार्किंसंस रोग (PD)], न्यूरोसाइकाइट्रिक (सिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर विकार), न्यूरोडेवलपमेंटल (ऑटिज़्म और मिर्गी), कोविड-19 से संबंधित बीमारियाँ व अन्य विकार।
  - स्वदेश जावा आधारित वर्कफ्लो वातावरण और पायथन से युक्त है। जो इसे गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा विश्लेषण रिपोर्ट और डेटा बैकअप उपलब्ध कराता है।
    - पायथन और जावा दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएँ हैं।
- महत्त्व:
  - यह अल्ज़ाइमर रोग और कई तंत्रिका संबंधी विकारों को समझने के लिये बहुविध मस्तिष्क अध्ययन में उपयोगी होगा।
  - इसके विकास से पूरी दुनिया में मल्टी-साइट डेटा और सहयोगी अनुसंधान के एकीकरण में मदद मिलेगी।

न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर

- अर्थ:
  - न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorders) केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र (Central and Peripheral Nervous System) से संबंधित रोग है।
    - दूसरे शब्दों में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, कपाल तंत्रिकाएँ, परिधीय तंत्रिकाएँ, तंत्रिका जोड़, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मांसपेशियों से संबंधित विकार।
- प्रकार:
  - गैर-संचारी तंत्रिका संबंधी विकार: इसमें स्ट्रोक, सिरदर्द, मिर्गी/एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी, अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer's Disease) और अन्य मनोभ्रंश, मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कैंसर, पार्किंसंस रोग (Parkinson's Disease), मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis), मोटर न्यूरॉन रोग (Motor Neuron Diseases) व अन्य तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं।
  - संचारी तंत्रिका संबंधी विकार: इंसेफेलाइटिस (Encephalitis), मेनिनजाइटिस (Meningitis), टेटनस (Tetanus)।
- चोट से संबंधित तंत्रिका विकार:
  - दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें, रीढ़ की हड्डी की चोटें।

नोट :

- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत में कुल रोगों में 10% योगदान न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है।
  - देश में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का बोझ बढ़ रहा है, जो मुख्य रूप से जनसंख्या की उम्र बढ़ने के कारण है।
  - भारत में कुल विकलांगता समायोजित जीवन-वर्ष (Disability Adjusted Life-Years- DALY) में गैर-संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान वर्ष 1990 के 4% से दोगुना होकर वर्ष 2019 में 8.2% हो गया और चोट से संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान 0.2% से बढ़कर 0.6% हो गया है।
  - न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिये ज्ञात जोखिम कारकों में बोझ, उच्च रक्तचाप, वायु प्रदूषण, आहार संबंधी जोखिम, अधिक उपवास, प्लाज़्मा ग्लूकोज़ और उच्च बॉडी-मास इंडेक्स प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :